

परम पूज्य तपश्चर्या-चक्रवर्ती पट्टाधीशाचार्यश्री
सुविधिसागर जी महाराज

के

50 वें जन्मदिवस के पावन अवसर पर

सुविधि-परिवार के द्वारा आयोजित

जिन्नवाणी-महोत्सव



सहस्रग्रन्थसंग्रह

* जन्मदिवस 19-03-1971

* मुनिदीक्षा-11-05-1989

* आचार्यपद- 20-06-2004

पट्टाधीशपद- 24-12-2010 (20-06-2004 को की गई उद्घोषणा के अनुसार)

परम पूज्य आचार्यश्री सन्मत्तिसागर जी महाराज के द्वारा की गई उद्घोषणा:-

हमारी समाधि के पश्चात् आपको इस संघ के संचालकपद पर नियुक्त करते हैं।

(अंकलीकर वाणी-जुलाई 2004) (अक्षयज्योति-अक्तूबर 2004)





युवत्यनुशासनम्

भाग 2

ग्रन्थकर्ता

आचार्यश्री समन्तभद्र जी महाराज



विवेचक

मूलचन्द जी शास्त्री



सम्पादक

क्षुल्लकश्री शीतलसागर जी महाराज




प्रकाशक

दिगम्बर जैन पुस्तकालय

सांगानेर (राजस्थान)

(परम्परानायक)




(द्वितीय पट्टाधीश)




परम पूज्य तीर्थभक्त-शिरोमणि,
आचार्यश्री महावीरकीर्ति जी महाराज

(तृतीय पट्टाधीश)



परम पूज्य सिद्धान्त-चक्रवर्ती,
आचार्यश्री सन्मत्तिसागर जी महाराज

(चतुर्थ पट्टाधीश)



परम पूज्य तपश्चर्या-चक्रवर्ती, आचार्यश्री सुविधिसागर जी महाराज

दिगम्बर साधु निरन्तर पगविहार करते रहते हैं। ग्रन्थभण्डार को साथ में रख कर विहार करना अशक्यप्रायः होता है। फलतः उनको ग्रन्थों के सन्दर्भ देखने में असुविधा होती है। उनकी सुविधा के लिये इस कोश का निर्माण किया गया है। इस कोश के निर्माण में किसी भी प्रकार का व्यापारिक हेतु नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न श्रावकबन्धुओं से निवेदन है कि वे ग्रन्थ का विक्रय कर अध्ययन करने की परम्परा को कायम रखें। मुखपृष्ठ पर हमने ग्रन्थकर्ता, अनुवादक, सम्पादक, प्रकाशक आदि के नाम दिये हैं। किसी संस्थान का कर्तृत्व हमने लुप्त नहीं किया है।

इस कोश के लिये आवश्यक ग्रन्थ हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त हुये हैं। हम उन सभी का आभार मानते हैं।

सुविधि-परिवार

आद्य वक्तव्य

दो हजार वर्ष पूर्व श्री स्वामी समन्तभद्राचार्य एक अद्वितीय कोटि के दार्शनिक विद्वान् हो चुके हैं। अनेक बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने आपके विषय में बहुत कुछ लिखा है। आपके विषय की सम्पूर्णा जानकारी प्रकाश में आ चुकी है।

प्रस्तुत महाशास्त्र, श्री वीरप्रभु की स्तुति रूप में स्वामीजी द्वारा ही रचा गया है। इसकी श्री विद्यानंदी आचार्य विरचित संस्कृत टीका भी पाई जाती है जो कि प्रकाशित हो चुकी है।

प्रस्तुत विस्तृत हिन्दी विवेचन, मालधौन निवासी श्रीपंडित मूलचन्द्रजी शास्त्री ने इसी को आधार मानकर लिखा है। पंडितजी ने इसे लिखकर एक महान् कार्य किया है। अभी तक इस ग्रन्थ के रहस्य को समझने वाले विरले ही थे। परन्तु पंडितजी द्वारा सरल हिन्दी अनुवाद लिखा जाने से अब इसका रहस्य प्रत्येक स्वाध्यायशील व्यक्ति की समझ में आने लगेगा।

पंडितजी ने स्थान स्थान पर विषय को खूब स्पष्ट किया है। आपने प्रस्तुत ग्रन्थ के मूल रचयिता द्वारा रचित आप्त-मीमांसा (देवायम स्तोत्र ; नामक महाशास्त्र का भी विस्तृत हिन्दी विवेचन लिखा है जो कि शास्त्राकार छप रहा है। संभव है दीपमालिका तक पाठक उससे लाभान्वित हो सकें।

प्रस्तुत टीका पंडितजी ने चौबीस वर्ष पहले श्री अतिशय क्षेत्र महावीर कमेटी की देख रेख में लिखी थी। समाज के

ख

सौभाग्य से उसका पूर्वार्ध पौने दो वर्ष पहले प्रकाश में आया और अब यह उत्तरार्ध भी प्रकाश में आ गया है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के हस्तलिखित पन्ने, सात वर्ष पहिले लाडनू चातुर्मास में ब्र० पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ द्वारा प्राप्त हुये थे । उसी समय हमने एक प्रेस कापी तैयार करली और यह भावना रही कि यह ग्रन्थ प्रकाश में आवे । समाज के सौभाग्य से वह भावना अब पूर्ण हुई है ।

श्री वीर प्रेस के मालिक श्री भंवरलालजी न्यायतीर्थ ने इसके प्रकाशन व प्रूफ संशोधनादि में काफी सहयोग दिया है अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

साथ ही प्रो० डा० श्री दरबारीलालजी न्यायाचार्य, एम. ए., पी-एच. डी. विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से अवसर निकाल कर प्रस्तावना लिख भेजने का कष्ट किया है । आपने प्रस्तावना में सम्पूर्ण ग्रन्थ के मर्म को बड़ी अच्छी तरह लाकर रक्खा है । पाठकों से निवेदन है कि वे ग्रन्थ के पढ़ने से पहिले इस प्रस्तावना को आद्योपान्त अवश्य पढ़ेंगे ।

जिन दातारों के सद्द्रव्य से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है वे, और वर्तमान में सत्साहित्य के प्रकाश में विशेष रुचि लेने वाले अमीरगंज, टोंक (राज०) के दिगम्बर जैन सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं ही ।

—क्षुल्लक शीतलसागर

(आचार्य श्री महावीर कीर्तिजी के शिष्य)

प्रस्तावना

युक्त्यनुशासन और समन्तभद्र

१. युक्त्यनुशासन

(क) नाम

इस महत्त्वपूर्ण कृतिका नाम 'युक्त्यनुशासन' है। टीकाकार आचार्य विद्यानन्दने अपनी टीकाके आरम्भ, मध्य और अन्तमें इसका इसी नामसे उल्लेख किया है। आदिवाक्यमें,^१ जो मङ्गलाचरण या जयकारपद्यके रूपमें है, समन्तभद्रके इस स्तोत्रका जयकार करते हुए उन्होंने इसका नाम स्पष्ट-तया 'युक्त्यनुशासन' प्रकट किया है। कारिका ३९ की टीका-समाप्तिपर, जहाँ प्रथम प्रस्ताव पूर्ण हुआ है और जो प्रायः ग्रन्थका मध्य भाग है, एक पद्य^२ तथा पुष्पिका-वाक्यमें^३ भी विद्यानन्दने प्रस्तुत स्तोत्रका नाम 'युक्त्यनुशासन' बतलाया है। इसके अतिरिक्त टीकाके अन्तमें दिये गये दो समाप्ति-पद्योंमें-से दूसरे पद्यमें^४ और टीकासमाप्ति-पुष्पिकावाक्यमें^५ स्वामी समन्त-भद्रकी कृतिके रूपमें इसका 'युक्त्यनुशासन' नाम स्पष्टतः निर्दिष्ट है।

१. प्रमाण-नय-निर्णय-वस्तुत्वमबाधितम् ।

जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्रं युक्त्यनुशासनम् ॥

—युक्त्य० टी० पृ० १, मा० दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई ।

२. स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्वीरस्य निःशेषतः ।

—वही, पृ० ८९ ।

३. इति युक्त्यनुशासने परमेष्ठिस्तोत्रे प्रथमः प्रस्तावः ।

—वही, पृ० ८९ ।

४. शोक्तं युक्त्यनुशासनं विजयिभिः स्याद्वादमार्गानुगैः ।

—वही, पृ० १८२ ।

५. इति श्रीमद्विद्यानन्दाचार्यकृतो युक्त्यनुशासनाङ्कारः समाप्तः ।

—वही, पृ० १८२ ।

हरिवंशपुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन^१ (वि० सं० ८४०) ने भी अपने इसी पुराणके आरम्भमें पूर्ववर्ती आचार्यके गुणवर्णन-सन्दर्भमें समन्तभद्रकी एक कृतिका नाम 'युक्त्यनुशासन' दिया है और उन्हें उसका कर्ता कहा है। आश्चर्य नहीं, उनकी वह 'युक्त्यनुशासन' नामसे उल्लिखित कृति प्रस्तुत कृति ही हो।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि उक्त नाम स्वयं समन्तभद्रके लिए भी इष्ट है या नहीं? यदि इष्ट है तो उन्होंने ग्रन्थके आदि अथवा अन्तमें वह नाम निर्दिष्ट क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यह है कि उपर्युक्त नाम स्वयं समन्तभद्रोक्त है। यद्यपि उन्होंने वह नाम ग्रन्थके न आरम्भमें दिया है और न अन्तमें, तथापि ग्रन्थके मध्यमें वह नाम उपलब्ध है। कारिका ४८ में^२ समन्तभद्रने 'युक्त्यनुशासन' पदका प्रयोग करके उसकी सार्थकता भी प्रदर्शित की है। उन्होंने बतलाया है कि 'युक्त्यनुशासन वह शास्त्र है, जो प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोध अर्थका प्ररूपक है। अर्थात् युक्ति (हेतु), जो प्रत्यक्ष और आगमके विरोध नहीं है, पूर्वक तत्त्व (वस्तुस्वरूप) की व्यवस्था करनेवाले शास्त्रका नाम युक्त्यनुशासन है।' जो अर्थप्ररूपण प्रत्यक्षविरोध अथवा आगमविरोध है वह युक्त्यनुशासन नहीं है। साध्याविनाभावी साधनसे होनेवाला साध्यार्थ (अभिप्रेत अनुमेयार्थ) प्ररूपण युक्त्यनुशासन है।^३ युक्त्यनुशासनकी यह परिभाषा प्रस्तुत ग्रन्थमें पूर्णतया पायी जाती है। अपनी इस परिभाषाके समर्थनमें समन्तभद्रने^४ एक उदाहरण भी उपस्थित किया है। वह इस प्रकार है—'अर्थरूप (वस्तुस्वरूप) स्थिति, उत्पत्ति और विनाश इन

१. जीवसिद्धिविधाय।ह कृतयुक्त्यनुशासनम् ।

—हरि० पु० १-३०, भारतीय ज्ञानपीठ काशी ।

२. दृष्टागमाभ्यामविरोद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते ।

३. तथा चान्यथानुपपन्नत्वनिश्चयनिश्चयलक्षणत्वात् साधनतासाध्यार्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनमिति प्रकाशितं भवति, दृष्टागमाभ्यामविरोधस्यान्यथानुपपत्तौ रति देवागमादौ निर्णीतमायम् ।

—युक्त्य० टी० पृ० १२२, १२३; विधानन्द ।

४. युक्त्य० का० ४८ ।

तीनोंको प्रतिसमय लिए हुए ही तत्त्वतः व्यवस्थित होता है, क्योंकि वह सत् है।' इस उदाहरणमें जिस प्रकार वस्तुका स्वरूप उत्पादादित्रयात्मक युक्ति (हेतु) पुरस्सर सिद्ध किया गया है उसी प्रकार वीर-शासनमें समग्र अर्थसमूह प्रत्यक्ष और आगमाविरोधी युक्तियोंसे सिद्ध है। तात्पर्य यह कि प्रत्यक्ष और आगमसे अदाबित तथा प्रमाण और नयसे निर्णीत अर्थप्ररूपण वीरशासनमें ही उपलब्ध होता है और उसी प्रकारका अर्थप्ररूपण समन्त-भद्रने प्रस्तुत 'युक्त्यनुशासन' ग्रन्थमें किया है। अतः प्रत्यक्ष और आगमा-विरुद्ध अर्थ (तत्त्व) का प्ररूपण होनेसे वीरशासन युक्त्यनुशासन है और वीर-शासनका ही इस ग्रन्थमें प्ररूपण होनेसे इसे 'युक्त्यनुशासन' नाम दिया जाना सर्वथा उपयुक्त है। और वह उक्त प्रकारसे समन्तभद्र-अभिहित ही है।

परवर्ती विद्यानन्द, जिनसेन (हरिवंशपुराणकार) जैसे मूर्धन्य ग्रन्थ-कारोंने समन्तभद्रद्वारा दत्त नामसे ही इसका उल्लेख किया है। उन्होंने स्वयं वह नाम कल्पित नहीं किया।

एक प्रश्न और यहाँ उठ सकता है। वह यह कि यदि उक्त नाम स्वयं समन्तभद्रोक्त है तो उसे उन्होंने ग्रन्थके आदि अथवा अन्तमें ही क्यों नहीं दिया, जैसा कि दूसरे ग्रन्थकारोंकी भी परम्परा है? समन्तभद्रने स्वयं अपने अन्य ग्रन्थोंके नाम या तो उनके आदिमें दिये हैं और या अन्तमें। देवागम (आसमीमांसा) में उसका नाम आदिमें देवागम और अन्तमें आसमीमांसा निर्दिष्ट है। स्वयम्भूस्तोत्रमें उसका नाम आरम्भमें 'स्वयम्भुवा' (स्वयम्भू) के रूपमें पाया जाता है। इसी प्रकार रत्नकरण्डश्रावकाचारमें उसका नाम उसके अन्तिम पद्यमें आये '.....रत्नकरण्डभावं' पदके द्वारा प्रकट किया है। परन्तु प्रस्तुत युक्त्यनुशासनमें ऐसा कुछ नहीं है ?

इसका समाधान यह है कि ग्रन्थकार अपने ग्रन्थका नाम उसके आदि और अन्तकी तरह मध्यमें भी देते हुए मिलते हैं। उदाहरणके लिए विषा-पहारकार धनञ्जयको लिया जा सकता है। धनञ्जयने अपने स्तोत्र 'विषा-

‘पहार’ का नाम न उसके आरम्भमें दिया और न अन्तमें । किन्तु स्तोत्रके मध्यमें एक पद्यमें^१ प्रकट किया है, जिसमें ‘विषापहार’ पद आया है और उसके द्वारा स्तोत्रका नाम ‘विषापहार’ बतलाया है । इसी प्रकार समन्त-भद्रने इस ग्रन्थके मध्यमें आये ‘दृष्टागमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते’ (का० ४८) इस कारिकावाक्यमें प्रयुक्त ‘युक्त्यनुशासन’ पदसे इसका ‘युक्त्यनुशासन’ नाम अभिहित किया है । फलतः उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंमें इसका यही नाम विश्रुत हुआ है और उन्होंने इसी नामसे अपने ग्रन्थोंमें निर्देश किया है । अतः इसका मूल नाम ‘युक्त्यनुशासन’ (युक्तिशास्त्र) है ।

मूल ग्रन्थ और उसकी विद्यानन्द-रचित संस्कृत-टीकापरसे इसके अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं । वे हैं—वीरस्तुति, वीरस्तोत्र, परमेष्ठि-स्तोत्र और परमात्म-स्तोत्र । ‘...स्तुतिगोचरत्वं निनीषवः स्मो वयमद्य वीर’ (का० १) इससे ‘वीर-स्तुति’, ‘न रागान्नः स्तोत्रं भवति भवपाशच्छिदि मुनी’ (का० ६४) और ‘स्तुतः शक्त्या...वीरो’ (का० ६५) इन पदोंसे तथा ‘स्तोत्रे युक्त्यनुशासनं जिनपतेर्वीरस्य निःशेषतः’ (टी० पृ० ८९) इस टीका-पद्यसे ‘वीर-स्तोत्र’, ‘इति युक्त्यनुशासने परमेष्ठि-स्तोत्रे प्रथमः प्रस्तावः’ (टी० पृ० ८९) इस मध्यवर्ती टीका-पुष्पिका-वाक्यसे ‘परमेष्ठि-स्तोत्र’ और ‘श्रद्धागुणज्ञतयोरेव परमात्मस्तोत्रे युक्त्यनुशासने प्रयोजकत्वात्’ (टी० पृ० १७८) इस टीका-वाक्यसे ‘परमात्म-स्तोत्र’ ये चार नाम फलित होते हैं । वस्तुतः समन्तभद्रने इसमें भगवान् वीर और उनके शासनका गुणस्तवन किया है । अतः इसके ये नाम भी सार्थक होनेसे फलित हों तो कोई आश्चर्य नहीं है । ग्रन्थकी प्रकृति उन्हें स्पष्टतया बतलाती है ।

(ख) नामपर प्रभाव

लगता है कि समन्तभद्रने इसकी रचना नागार्जुनकी युक्तिषष्टिकासे

१. विषापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च ।

प्रेरित होकर की है। युक्तिषष्टिका^१ इकसठ पद्योंकी बौद्ध दार्शनिक कृति है। इसमें नागार्जुनने, जो माध्यमिक (शून्याद्वैत) सम्प्रदायके प्रभावशाली विद्वान् है, भाव, अभाव आदिरूपसे तत्त्वका निरास करके शून्याद्वैतकी सम्पुष्टि की है। युक्त्यनुशासनमें चौंसठ पद्य हैं और उनमें भाव, अभाव आदि अनेकान्तात्मक वस्तुकी स्याद्वादद्वारा व्यवस्था की गयी है। अतएव युक्त्यनुशासन नागार्जुनकी युक्तिषष्टिकाके उत्तरमें लिखा गया प्रतीत होता है। युक्तिशब्दसे आरम्भ कर रचे जानेवाले ग्रन्थोंके निर्माणकी परम्परा उत्तरकालवर्ती दार्शनिकोंमें भी रही है। फलतः युक्तिदीपिका (सांख्य-कारिका-व्याख्या) जैसे ग्रन्थ उत्तरकालमें विरचित हुए हैं।

यहाँ उल्लेख्य है कि लंकावतार-सूत्रपद्यकारने^२ बुद्धके सिद्धान्त (देशना) को 'चतुर्विंशो नयविधिः सिद्धान्तं युक्तिदेशना।। (श्लो० २४६)' शब्दों द्वारा 'युक्तिदेशना' प्रतिपादित किया है। समन्तभद्रने वर्द्धमान-वीरके सिद्धान्त (तत्त्वोपदेश) को 'युक्त्यनुशासन' कहा है। अतः असम्भव नहीं, युक्त्यनुशासन युक्तिदेशनाका भी जवाब हो, क्योंकि दोनोंका अर्थ प्रायः एक ही है, जो 'युक्तिपुरस्सर उपदेश' के रूपमें कहा जा सकता है। अन्तर मही है कि लंकावतारसूत्रपद्यकार बुद्धके उपदेशको 'युक्तिपुरस्सर उपदेश' कहते हैं और समन्तभद्र वीरके उपदेशको। समन्तभद्र इतना विशेष कहते

१. १० फरवरी १९४७ में शान्तिनिकेतनके शोधकर्ता श्री रामसिंह तोमर द्वारा युक्तिषष्टिकाके १ से ४० संख्यक पद्योंमेंसे केवल भिन्न संख्यावाले २३ पद्य प्राप्त हुए थे। उनसे छाट हुआ था कि चीनी भाषामें जो युक्तिषष्टिका उपलब्ध है उसपरसे ही उक्त पद्य संस्कृतमें अनूदित हो सके हैं, शेषका अनुवाद अभी नहीं हुआ है। कम-बढ़ पद्य-संख्या होनेपर भी 'षष्टिका' कहा जा सकता है। विष्णु-तिका, त्रिशतिका आदि नामोंसे रची जानेवाली रचनाओंमें कम-बढ़ श्लोक होनेपर भी वे उन नामोंसे अभिहित हुई हैं।

२. लंकावतारसूत्रपद्यमात्रकी एक दुर्लभ प्रति, जो कश्चित् जाल पकती है, ३० मार्च ४३ में प्राप्त हुई थी, उसीसे इन पद्योंको हमने अपनी नोटबुकमें लिखा था।

है कि उस युक्तिपुरस्सर उपदेशको प्रत्यक्ष और आगमसे अबाधित भी होना चाहिए, मात्र युक्तिबलपर ही उसे टिका नहीं होना चाहिए ।

(ग) ग्रन्थ-परिचय

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, युक्त्यनुशासन ६४ पद्योंकी महत्त्वपूर्ण दार्शनिक रचना है । देवागममें^१ युक्तिपूर्वक आस और आसके शासन (उपदेश) की मीमांसा करके वह आस वीरको और आस-शासन वीर-शासनको सिद्ध किया है तथा अन्योंको अनास (आत्माभास) और उनके शासनों (उपदेशों) को अनासशासन बतलाया है । इस मीमांसा (परीक्षा) की कसौटीपर कसे जाने और सत्य प्रमाणित होनेके उपरान्त वीर और उनके स्याद्वाद-शासनकी स्तुति (गुणाख्यान) करनेके उद्देश्यसे समन्तभद्रने इस युक्त्यनुशासनकी रचना की है । यह उन्होंने स्वयं प्रथम कारिकाके^२ द्वारा व्यक्त किया है । उसमें प्रयुक्त 'अद्य' पद तो, जिसका विद्यानन्दने^३ 'परीक्षाके अन्तमे' यह अर्थ किया है, सारी स्थितिको स्पष्ट कर देता है ।

टीकाके अनुसार यह ग्रन्थ दो प्रस्तावोंमें विभक्त है । पहला प्रस्ताव^४ कारिका १ से लेकर ३९ तक है और दूसरा कारिका ४० से ६४ तक ।

१. स त्वमेवासि निदोषो युक्ति-शास्त्राविरोधवाक् ।

अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥

त्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम् ।

आसाभिमान-दग्धानां श्लेष्टं वृष्टेन बाध्यते ॥

—देवाग० का० ६, ७, वीर सेवामन्दिर ट्रस्ट-प्रकाशन, बाराणसी ।

२. कौत्था महत्या भुवि बद्धमानं त्वां बद्धमानं स्तुतिर्गाभरत्वम् ।

निनीषदः श्मो बयमद्य वीरं विशीर्षदोपाशयपाशबन्धम् ॥

—युक्त्य० का० १ ।

३. 'अथास्मिन् काले परीक्षावसानसमये' ।

—युक्त्य० टी० पृ० १ ।

४. इति युक्त्यनुशासने परमेष्ठिस्तोत्रे प्रथमः प्रस्तावः ।

—युक्त्य० टी० पृ० ८९; का० ३९ ।

प्रस्तावना

यद्यपि ग्रन्थके अन्तमें पहले प्रस्तावकी तरह दूसरे प्रस्तावका नाम-निर्देश नहीं है, व्याख्याकारने 'इति श्रीमद्विद्यानन्दाचार्यकृतो युक्त्यनुशासना-
कङ्कारः समाप्तः' इस समाप्ति-पुष्पिकावाक्यके साथ ग्रन्थको समाप्त किया है, तथापि ग्रन्थके मध्य (का० ३९) में जब टीकाकार द्वारा स्पष्टतया प्रथम प्रस्तावकी समाप्तिका उल्लेख किया गया है तो शेषांश द्वितीय प्रस्ताव सुतरां सिद्ध हो जाता है। तथा शेषांशके बीचमें किसी अन्य प्रस्तावकी कल्पना है नहीं।

प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तावोंका यह विभाजन मूलकारकृत है या व्याख्याकारकृत ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ग्रन्थकारने उनका निर्देश नहीं किया, तथापि ग्रन्थके अध्ययनसे अवगत होता है कि उक्त प्रस्ताव-विभाजन ग्रन्थकारको अभिप्रेत है, क्योंकि जिस कारिका (३९) पर व्याख्याकारने प्रथम प्रस्तावका विराम माना है वहाँ ग्रन्थकारकी विचार-धारा या प्रकरण पूर्वपक्षके रूपमें समाप्त है और कारिका ४० से ६४ तक उत्तरपक्ष। पूर्वपक्षमें एकान्तवादोंकी समीक्षा है और उत्तरपक्षमें अनेकान्त-वाद अर्थात् वीर-शासनका निरूपण। विद्यानन्दने ग्रन्थकारके इस अभिप्रायके अनुसार ही दो प्रस्तावोंका स्पष्ट उल्लेख किया है। दोनोंका विषय-परिचय यहाँ प्रस्तुत है:—

१. प्रस्ताव—इसमें १-३९ कारिकाएँ हैं। पहली कारिकामें स्तुति-कारने देवागमके द्वारा सिद्ध निर्दोषता, सर्वज्ञता और आगमेशिता इन तीन गुणोंसे विशिष्ट बर्द्धमान-वीरकी स्तुति करनेकी इच्छा अथवा प्रतिज्ञा की है।

दूसरीमें स्तुतिकी स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा है कि लोकमें उसे स्तुति कहा गया है जिसमें यथार्थताको लोचकर (चढ़ा-बढ़ाकर) गुणोत्कर्षास्थान (प्रशंसा-गान) किया जाय। पर आप (वीरजिन) भूरि गुणोंके समुद्र हैं और हम (समन्तभद्र) उसके अणुके बराबर भी अंशको कहनेमें असमर्थ हैं। तब हम किस तरह आपकी स्तुति करनेके अधिकारी (स्तोता) हो सकते हैं ?



तोसरीमें उक्त प्रश्नके समाधानरूपमें प्रतिपादन किया है कि फिर भी घृष्टताका आलम्बन लेकर भक्तिवश अपनी शक्त्यनुसार आपके गुण-कथन द्वारा स्तुतिमें प्रवृत्त हुआ है। क्या उत्साही व्यक्ति दुर्लभ भी इष्ट वस्तुके प्राप्त करनेमें अपनी शक्तिके अनुसार नाना प्रयत्नोंसे उत्साहित (उत्साहयुक्त-प्रवृत्त) नहीं होते ? अर्थात् होते ही है।

चतुर्थ कारिकामें आगे उस गुणाख्यान (स्तुति) के रूपको सोमित शब्दोंमें व्यक्त करते हुए बतलाया है कि हे जिन ! आपने शुद्धि (ज्ञानावरण और दर्शनावरणके क्षयसे उद्भूत निर्मल ज्ञान-दर्शन) और शक्ति (अन्तरायके अभावसे प्रकट अनन्तवीर्य) के उत्कर्षकी सीमाको, जो अनुपम तथा शान्तिरूप (मोहके नाशसे आविर्भूत प्रथम सुखात्मक) है, प्राप्त किया है। अतः आप ब्रह्म-पथ (मोक्षमार्ग) के नेता (शास्ता) हैं और इस लिए महान् (पूज्य—आप्त) हैं, इतना ही हम देवागममें उठायी उस शक्काके उत्तररूपमें कह सकते हैं, जिसमें आपको देवागमादि विभूतियोंसे महान् नहीं माना गया है। पर इन गुणोंसे आप महान् माने जाने योग्य हैं।

पांचवींमें उस अन्तर्निहित प्रश्नका उत्तर है जिसमें कहा गया है कि जब वीरके महान् होनेसे उनका शासन भी महान् है तो उसका सार्वत्रिक (सभीपर) एकाधिपतित्व क्यों नहीं है—उसके प्रभावकी कमीका कारण क्या है ? समन्तभद्र इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि यह तथ्य है कि वीर-शासनमें सर्वातिशायि शक्ति (योग्यता) है, पर उसके सार्वत्रिक प्रभावकी कुण्ठाके दो कारण हैं—१. बाह्य और २. आभ्यन्तर। बाह्य कारण कलिकाल है और आभ्यन्तर कारण श्रोताका स्वच्छ अभिप्राय न होना तथा प्रवक्ताकी उक्त शासनके प्रवचनकी कुशलता न होना। इन दो कारणोंसे वीरका शासन सबके द्वारा प्राप्त नहीं है।

छठी कारिकामें उक्त वीर-शासनको बतलाते हुए प्रतिपादन किया है कि हे जिन ! आपका मत (शासन) दया (अहिंसा), दम (इन्द्रिय और मनोनिग्रहरूप संयम), त्याग (अपरिग्रह) और समाधि (ध्यान) का

मुख्यतया प्रश्न्यदाता तथा नयों (सापेक्ष दृष्टियों) और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अर्थरूप (वस्तुतत्त्व) का यथार्थ निश्चायक है । साथ ही वह अन्य समस्त प्रवादों (एकान्तमत्तों) से अधृष्य (अजेय-अबाध्य) है । अत एव अद्वितीय है ।

आगेकी कारिकाओंमें उन प्रवादोंकी समीक्षापूर्वक वीरशासनमें अभिमत वस्तुका स्वरूप विवेचित है ।

सर्वप्रथम सातवीं कारिकामें भेद और अभेदके निरपेक्ष उभयवाद, सर्वथा अभेदवाद और सर्वथा भेदवादकी मोमांसा करते हुए बतलाया है कि हे वीर जिन ! आपके द्वारा प्रतिपादित वस्तुका स्वरूप अभेद (एक, द्रव्य, सामान्य, नित्य) और भेद (अनेक, पर्याय, विशेष, अनित्य) दोनों रूप है । स्वतन्त्र (निरपेक्ष) दोनों अथवा केवल अभेद या केवल भेदरूप वस्तु खपुष्पकी तरह असत् (सिद्ध नहीं होती) है । समवायसम्बन्ध किसी दूसरे समवायसम्बन्धसे सम्बन्धित न होनेसे भेद-अभेद (अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, सामान्यवान्-सामान्य, विशेषवान्-विशेष) का व्यवस्थापक नहीं हो सकता । फलतः समवाय व्यवस्थित न होनेपर संयोग, विशेषणविशेष्य, एकार्थसमवाय आदि सम्बन्धोंकी भी व्यवस्था न हो सकनेसे संसर्ग (समस्त सम्बन्धों) की हानि (अभाव) से उनके समस्त सम्बन्धियों—द्रव्य-गुणादि पदार्थोंकी भी हानि सुनिश्चित है । इसी प्रकार सर्वथा अभेदवाद (सांख्य-वेदान्तमत) और सर्वथा भेदवाद (बौद्धमत) भी निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि सर्वथा एकान्तमें बन्वादि असम्भव है ।

कारिका ८-३४ में सांख्योके अभेदवाद-नित्यवाद, सौत्रान्तिक बौद्धों-के भेदवाद-क्षणिकवाद, विज्ञानार्हतवादी बौद्धोंके विज्ञानवाद और माध्यमिक बौद्धोंके शून्यवादकी विस्तृत एवं कड़ी समीक्षा करके उन्हें आठवीं कारिकामें उक्त 'समन्तदोषं भक्तमन्थदीपम्' अपने इस कथनके अनुसार सब तरहसे सदोष सिद्ध किया है और फलित किया है कि छोटी कारिकामें जो

वीरके स्याद्वाद-शासनको निर्दोष एवं अद्वितीय बतलाया गया है वह युक्त है ।

कारिका ३५-३६ में चार्वाकों (भौतिकवादियों) की उस प्रवृत्ति (मान्यता) की, जो 'शिशुनोदर-पुष्टि-तुष्टि'—'खाओ-पिओ और मजा-मोज उड़ाओरूप है और लोकको पतनकी ओर ले जाने वाली है, मीमांसा की गयी है ।

कारिका ३७, ३८ और ३९ में प्रवृत्तिरक्त एवं शम-तुष्टिरक्त मीमांसकोंकी उन अनाचारसमर्थक क्रियाओंकी आलोचना है जिनमें मांसभक्षण, मदिरापान और मैथुन-सेवनको दोष न मानकर उनका खुले आम समर्थन किया है ।^१ समन्तभद्र कहते हैं कि उक्त प्रवृत्तियाँ निश्चय ही लोकके पतनकी कारण हैं, क्योंकि जगत् स्वभावतः स्वच्छन्द वृत्ति है और उसे कहींसे समर्थन (असद् वृत्तियोंकी विधेयताका प्रोत्साहन) मिल जानपर और अधिक स्वच्छन्द (स्वेच्छाचारी) हो जाता है । अतः इस तम (अज्ञानान्धकार) को दूर करनेके लिए शम, सन्तोष, संयम, दया और समाधिस्वूप वीर-शासन ही सुप्रभात है ।

इस प्रकार संक्षेपमें इस प्रस्तावमें एकान्तमतोंको सदोष और अनेकान्तमत (वीरशासन) को निर्दोष युक्तिपुरस्सर प्रतिपादन किया है । विस्तारपूर्वक इन दोनोंका कथन समन्तभद्रके देवागममें उपलब्ध है ।

२. प्रस्ताव—इस प्रस्तावमें ४०-६४ तक २५ कारिकाएँ हैं । ४० से लेकर ६० वीं कारिका तक २१ कारिकाओंमें वीर-जिनके द्वारा प्ररूपित अर्थात्त्व (वस्तुस्वरूप) का सयुक्तिक विवेचन किया गया है, जिसका संकेत 'अभेदभेदानकमर्थतरव' (का० ७) इस कारिकामें उपलब्ध है । वस्तुतः इन कारिकाओंमें, वीर-शासनमें वस्तुका स्वरूप किस प्रकारका व्यवस्थित है, इसीका मुख्यतया प्रतिपादन है—एकान्तवादोंमें स्वीकृत वस्तुस्वरूपका

१. न मास-अग्रणे दोषो न मघे न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां.....॥

प्रदर्शन यहाँ गौण है—वह प्रथम प्रस्तावमें अभिहित हो चुका है। सामान्य और विशेष, एक और अनेक, द्रव्य और पर्याय, नित्य और अनित्य इन्हें जैम दर्शनमें किस रूपमें स्वीकार किया गया है ? क्या सामान्यमें विशेष या विशेषोंमें सामान्य, एकमें अनेक या अनेकोंमें एक, द्रव्यमें पर्याय या पर्यायोंमें द्रव्य, नित्यमें अनित्य या अनित्योंमें नित्य निष्ठ (अनुस्यूत—रहता) है ? इसका उत्तर कारिका ४० में देते हुए समन्तभद्र कहते हैं कि जितने विशेष हैं वे सब सामान्यमें निष्ठ हैं। यदि विशेषोंमें सामान्यको निष्ठ माना जाये तो किसी एक विशेषके अभाव होनेपर उसके सामान्यका भी अभाव प्रसक्त होगा, क्योंकि आधारके बिना आधेय नहीं टिक सकता। अन्य विशेष भी आने-जानेवाले होनेसे उनके अभावमें सामान्यकी स्थिति सम्भव नहीं है। यही न्याय द्रव्य-पर्याय आदिके विषयमें है।

विशेष सामान्यनिष्ठ क्यों है, इसका कारण यह है कि वक्ता जो पद प्रयोग करता है उसके द्वारा विवक्षित विशेषके अभिधानके साथ-साथ विशेषान्तरोंका सूचन होता हुआ उन (विशेषों) से आत्मभूत सामान्यका भी सूचन (प्रकाशन) होता है, क्योंकि वह विशेष अपने आत्मभूत अन्य विशेषों तथा आधारभूत सामान्यसे अविष्वग्भाव सम्बन्ध रखता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक पद विवक्षित विशेषका मुख्यरूपसे प्रतिपादन करता है और गौणरूपसे अन्य समस्त विशेषों एवं उनसे आत्मभूत सामान्यका सूचन करता है—उनका वह निषेध अथवा अस्वीकार नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक पदका स्वभाव विवक्षित विशेषको कहते हुए उससे कथञ्चिद् अभिन्न सभी विशेषों और उनके आधारभूत सामान्यको भी, जो अविवक्षित हैं, गौणरूपसे सूचित करनेका है। विशेषकी अपेक्षा न रखता हुआ केवल सामान्य और सामान्यकी अपेक्षा न रखता हुआ केवल विशेष प्रतीत न होनेसे दोनों अवस्तु हैं, उन्हें पद बोधित नहीं करता। अतएव परस्पर निरपेक्ष उभय और दोनोंके सर्वथा निषेधरूप अनुभयको भी पद बोधित नहीं करता। किन्तु इन (सर्वथा सामान्य, सर्वथा विशेष, सर्वथा

उभय और सर्वथा अनुभय) से विलक्षण (जात्यन्तर) सामान्यविशेषात्मक, एकानेकात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक और नित्यानित्यात्मक वस्तुको पद मुख्य और गौणरूपसे प्रकाशित करता है और तभी वह सत्यकोटिमें आता है, क्योंकि प्रतिपत्ताकी उस पदसे उसी प्रकारकी वस्तुमें प्रवृत्ति और प्राप्ति देखी जाती है । अतः वक्ताका वचन (पद) विशेष सहित सामान्यका प्रकाशक होनेसे विशेषोंका आश्रय सामान्य है अथात् विशेष सामान्यनिष्ठ है ।

अब प्रश्न है कि यदि प्रत्येक पद सामान्यविशेषात्मक वस्तुका प्रकाशक है तो श्रोताको अविवक्षितका परिहार करके विवक्षितकी ही प्रतिपत्ति कैसे होगी, क्योंकि आपकी दृष्टिसे पद किसीका व्यवच्छेदक नहीं है—वह सभी विशेषों और सामान्यका प्रकाशक है ? इसका उत्तर ग्रन्थकारने कारिका ४१, ४२, ४३ और ४४ में दिया है । वे कहते हैं कि वक्ता जब अपने अभिप्रेत अभिधेयका श्रोताको ज्ञान करानेके लिए पदका प्रयोग करता है तो उसका अभिप्राय उस पदप्रयोगसे श्रोताको अभिप्रेतका अवधारण करानेका होता है और इसलिए वह, विवक्षितका ही श्रोताको बोध हो, प्रत्येक पदके साथ अवधारणार्थक एवकार पदका भी प्रयोग करता है और उससे अस्वार्थ (अविवक्षित) का व्यवच्छेद करके स्वार्थ (विवक्षित) का बोध कराया जाता है । अतः स्याद्वाद-शासनमें प्रत्येक पद एवकार सहित होता है । यदि किसी पदके साथ वक्ता उसका प्रयोग नहीं करता है तो भी वह वहाँ सामर्थ्यसे अवश्य लभ्य रहता है जिसे समझदार श्रोता समझ लेता है । पर वह प्रकट या अप्रकट रूपमें अवश्य रहता है ।

एवकारसे जहाँ अस्वार्थका व्यवच्छेद होकर स्वार्थकी प्रतिपत्ति श्रोताको करायी जाती है वहाँ उससे एक अनिष्ट-प्रसंगके भयकी सम्भावना रहती है । वह यह कि श्रोता यह मान बैठे कि वस्तु विवक्षित स्वार्थवाली ही है—अविवक्षित अस्वार्थवाली नहीं है जब कि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । उदाहरणार्थ यह कहा जाय कि 'देवदत्त पिता ही है' तो यह कथन उसके पुत्रकी अपेक्षा ठीक होते हुए भी उसके अपने पिता आदिकी अपेक्षा ठीक नहीं है, क्योंकि

उनकी अपेक्षा तो वह पुत्र आदि भी है। अतएव इष्ट (अभिप्रेत) की सम्प्रतिपत्तिके लिए जहाँ वक्ता अपने वचन-प्रयोगके साथ विवक्षितके निश्चयका बोधक अवधारणार्थक एवकारका प्रयोग आवश्यक समझता है वहाँ अनिष्ट-निवृत्ति (अनभिप्रेतोंके अभाव-प्रसंगके निराकरण) के लिए वह 'स्यात्' निपातपदका भी प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है कि देवदत्त अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता ही है, पर अपने पिता, मामा आदिकी अपेक्षासे अपिता आदि भी हैं—उनकी दृष्टिसे तो वह पुत्र, भानजा आदि हैं। अतएव 'देवदत्त स्यात् पिता ही है' ऐसा वचन प्रयोग न्याय्य है और वही वक्ताके लिए अभीष्ट है। यहाँ 'स्यात्' निपातपद संशय या सम्भावना या शायदका बोधक नहीं है, अपितु एक निश्चित दृष्टि या अभिप्रायका प्रकाशक है। इसी अभिप्रायको व्यक्त करनेके लिए स्वामी समन्तभद्रने एवकारपद-प्रयोगके समर्थनके साथ ही प्रत्येक पदको 'स्यात्' पदसे भी युक्त प्रतिपादित किया है। इस 'स्यात्' पदके प्रयोगसे वक्ता श्रोताको अविवक्षितोंके सद्भाव (अभाव नहीं) का बोध कराता है। अतः स्याद्वादो वक्ता और श्रोता स्याद्वादनयसे वस्तुका अभिधान करता तथा उसे समझता है। अतएव उपर्युक्त आशंकित अनिष्ट-प्रसंगरूप भय (हानि) की सम्भावना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदके साथ प्रयुक्त एवकारसे जहाँ विवक्षितका निश्चय बोधित होता है वहाँ स्यात्-पदके प्रयोगसे अविवक्षितोंके अभाव-प्रसङ्गकी निवृत्ति भी की जाती है अर्थात् उनका गौरवरूपसे मौन सद्भाव स्वीकृत रहता है—अविवक्षाके कारण उनका अभाव नहीं हो जाता—मात्र उनका निश्चय अबोधित है।

यदि वक्ताके पदप्रयोगके साथ 'स्यात्' निपात न भी प्रयुक्त हो तब भी उसका तदर्थक अभिप्राय रहनेसे वह सामर्थ्यसे एवकारकी तरह गम्य हो जाता है। इस प्रकार ग्रन्थकारने^१ वक्ताके प्रत्येक पदप्रयोगके साथ एवकार और 'स्यात्' निपात दोनोंके प्रयोगका प्रकट या अप्रकटरूपमें समर्थन किया

१. 'ततः स्यात्कारणान्न पदमेवकारोपहितमर्थवद् प्रतिपत्त्विति'...

है। ध्यान रहे 'स्यात्' निपात उन अनभिप्रेतों (विरोधी धर्मों) का मात्र सद्भाव द्योतित (प्रकाशित) करता और मूल पद (घड़ा है आदि) अभिप्रेत (विवक्षित) का मुख्यतया प्रतिपादन करता है तथा एवकार उसके निश्चयका अवबोधक होता है। यही प्रतिपादन समन्तभद्रने 'कथञ्चित् सदे-
बेष्ट' (दे० का० १४)—वस्तु 'कथञ्चित् सत् ही है' इत्यादि रूपसे विस्तार-
पूर्वक देवागममे किया है।

वक्ताके द्वारा प्रयुक्त होनेवाले जिस पदका उल्लेख ऊपर किया गया है उसका प्रयोग वक्ता एक प्रतिपाद्य अथवा अनेक प्रतिपाद्योंके लिए सात तरहसे करता है। अतएव सात विकल्पोंमें वह विभक्त होता है। वे सात विकल्प इस प्रकार हैं—१. विधि, २. निषेध और ३. अनभिलाष्यता ये तीन तो एक-एककी अपेक्षा (असंयोगी) मूल विकल्प (भङ्ग) हैं तथा दो-दोके संयोगसे निष्पन्न तीन द्विसंयोगी विकल्प हैं—४. विधि-निषेध, ५. विधि-अनभिलाष्यता और ६. निषेध-अनभिलाष्यता। तीनके संयोगसे होनेवाला एक त्रिसंयोगी विकल्प है। वह है—७. विधि-निषेध-अनभिला-
ष्यता। और इस तरह वक्ता पदका प्रयोग सात तरहसे करता है। इसका कारण यह है^१ कि प्रतिपाद्य, जिसे समझानेके लिए वक्ता पद प्रयुक्त करता है, सात तरह प्रश्न करता है। सात प्रश्नोंका कारण उसके सात सन्देह हैं, सात सन्देहोंका कारण उसकी सात जिज्ञासाएँ हैं और उन सात जिज्ञा-
साओंका भी कारण वस्तुनिष्ठ सत्त्वादि सात धर्म हैं जो उसमें स्वभावतः विद्यमान हैं। इन सात धर्मोंको लेकर ही प्रतिपाद्यको जिज्ञासादिक्रमसे सात प्रश्नोंके करनेका अवसर मिलता है। फलतः वक्ता उक्त सप्त-
संख्यक प्रश्नोंका उत्तर सप्त-पदों (वाक्यों) द्वारा देता है। उसके इन सप्त-

१. '...सप्तानामेव मङ्गलानामुपपत्तेः, प्रतिपाद्यप्रश्नानां तावतामेव संभवाद्, प्रश्न-
वशादेव सप्तमङ्गीति नियमवचनाद्। सप्तविध एव तत्र प्रश्नः कुत इति चेत्,
सप्तविधजिज्ञासावदनद्। सापि सप्तविधा कुत इति चेत्, सप्तधा संशयोत्पत्तेः।
सप्तथैव संशयः कथमिति चेत्, तद्विषयवस्तुधर्मसप्तविधत्वाद्।

पदोंको ही स्याद्वाद-शासनमें सतभङ्ग या सतभङ्गीके नामसे उल्लेखित किया गया है। ये सातों भङ्ग सभी जीवादिपदार्थधर्मोंमें 'स्यात्' शब्द द्वारा नेतन्व्य (योजनीय) हैं। कारिका ४५ में यही सब निरूपण किया गया है।

कारिका ४६ में बतलाया है कि 'स्यात्' शब्द भी उन जीवादि पदार्थ-धर्मों (एकान्तों) को मुख्य और गौणकी विवक्षाओं द्वारा ही कल्पित (निरूपित) करता है, क्योंकि वह उपाधि (विशेषण) के अनुसार भेदक होता है। तात्पर्य यह कि जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह मुख्य और जिसकी विवक्षा नहीं होती वह गौणरूपसे 'स्यात्' शब्द द्वारा प्रकाशित होता है। यही कारण है कि प्रथम भङ्गमें विधिधर्मकी विवक्षा होनेसे वह मुख्यतया प्रतिपादित है और शेष निषेध आदि धर्मोंकी विवक्षा न होनेसे वे गौणतया द्योतित हैं। इसीप्रकार द्वितीय भङ्गमें निषेधधर्म, तृतीयमें अनभिलाप्यताधर्म, चतुर्थमें विधि-निषेधधर्म, पञ्चममें विधि-अनभिलाप्यताधर्म, षष्ठमें निषेध-अनभिलाप्यताधर्म और सातवें भङ्गमें विधि-निषेध-अनभिलाप्यताधर्मकी विवक्षा होनेसे वे प्रधानतया प्रतिपादित हैं तथा शेष धर्मोंकी विवक्षा न होनेसे वे गौणरूपसे सूचित हैं। इस प्रकारके वैशिष्ट्यका प्रकाशन प्रत्येक भङ्गमें प्रकट या अप्रकटरूपमें रहनेवाला 'स्यात्' निपात ही करता है। यह सामर्थ्य किसी अन्य शब्दमें नहीं है। आचार्य समन्तभद्रने इसी तत्त्वको 'धर्मो धर्मोऽन्य एवाधो धर्मिणोऽनन्तधर्मिणः' (दे० २२)—अनन्तधर्मात्मक वस्तु-के एक-एक धर्मका प्रयोजन अन्य ही है। उन अनन्त धर्मोंमेंसे अन्यतम धर्मको प्रधान होनेपर शेष सभी धर्म उसके अङ्ग (अप्रधान) हो जाते हैं—देवागममें प्रकट किया है।

यहाँ ध्यातव्य है कि 'स्यात्' निपात जहाँ नयकी अपेक्षासे वस्तुधर्मों—एकान्तोंका मुख्य-गौणभावसे प्रकाशन करता है वहाँ वह प्रमाणकी अपेक्षासे अक्षेप जीवावितत्त्व—अनेकान्तका भी बोध कराता है, क्योंकि तत्त्व दो प्रकारका है—द्रव्यरूप और पर्यायरूप। अथवा विधिरूप और निषेधरूप।

दोनोंके समुच्चयका नाम अनेकान्त है और एक-एक किन्तु परस्पर-सापेक्ष दोनों एकान्त है। एकान्त नयका विषय है और अनेकान्त प्रमाणका। नय-वाक्यसे जिस प्रकार एकान्तका बोध होता है उसी प्रकार प्रमाणवाक्यसे अनेकान्तका। (सकलादेशः प्रमाणाधीनः, विकलादेशो नयार्थानः ।) अतः नयवाक्यकी तरह प्रमाणवाक्यके साथ भी वचता 'स्यात्' निपात्का प्रयोग करता है। अतएव सप्तभङ्गी दो प्रकारकी मानी गयी है—१. नय-सप्तभङ्गी और २. प्रमाणसप्तभङ्गी। नयसप्तभङ्गीका विषय सम्यक् एकान्त है और प्रमाणसप्तभङ्गीका सम्यक् अनेकान्त। इसी भावका प्रकाशन ग्रन्थ-कारने इस कारिकामे किया है।

कारिका ४७ में निर्देश है कि स्याद्वाद-शासनमें न सर्वथा द्रव्य व्यवस्थित है, क्योंकि पर्यायोंसे रहित केवल द्रव्यकी प्रतीति नहीं होती, न सर्वथा पर्याय स्वीकृत है, क्योंकि द्रव्यसे रहित मात्र पर्यायका प्रत्यक्षादिप्रमाणसे अनुभव नहीं होता, न सर्वथा पृथग्भूत (परस्परनिरपेक्ष) द्रव्य और पर्याय दोनों अङ्गीकृत हैं, क्योंकि उनकी भी किसी प्रमाणसे प्रतीति नहीं होती, और न सर्वथा द्वयात्मक एक तत्त्व अभिमत है, क्योंकि द्वयात्मकता और एकत्व दोनों विरुद्ध हैं। द्वयात्मक माननेपर उसे एक और एक माननेपर द्वयात्मक स्वीकार नहीं किया जा सकता। द्रव्य और पर्याय दोनों प्रत्यक्षादिसे प्रतिभासमान होते हैं। अतः दोनों स्याद्वाद-दर्शनमें अभिमत हैं और वे तीन तरहसे स्वीकृत हैं—१. कथंचिद् भिन्न, २. कथंचिद् अभिन्न और ३. कथंचिद् भिन्नाभिन्न। उन्हें सर्वथा भिन्न, सर्वथा अभिन्न और सर्वथा भिन्नाभिन्न स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें उपर्युक्त प्रकारसे प्रत्यक्षादिसे विरोध आता है। जब पर्यायाधिकनयकी प्रधानताको लक्ष्यमें रखा जाता है तब द्रव्य और पर्याय कथंचिद् भिन्न है। जब द्रव्याधिकनयकी मुख्यताको दृष्टिमें लाया जाता है तब द्रव्यसे पर्याय कथंचिद् अभिन्न है। और जब क्रमसे दोनों नयोंकी विवक्षा होती है तब द्रव्य तथा पर्याय कथंचिद् भिन्नाभिन्न है। इस प्रकार धर्मी (द्रव्य) और धर्म (पर्याय) दोनों तीन प्रकारसे व्यवस्थित हैं।

कारिका ४८ में उक्त कथनको युक्त्यनुशासन (प्रत्यक्ष और आगमा-
विरुद्ध एवं युक्तिसिद्ध) प्ररूपित किया और दृष्टान्तद्वारा उसका समर्थन
किया है ।

कारिका ४९ में भेद (नाना) को अभेद (एक) का और अभेद को
भेदका अविनाभावी प्रकट करके उन्हें प्रधान तथा गौरवरूपसे विभिन्न पदों-
का वाच्य बतलाया है । तात्पर्य यह कि जहाँ भेद है वहाँ अभेद भी रहता
है और जहाँ अभेद है वहाँ भेद भी रहता है । अभेदको छोड़कर केवल भेद
और भेदको छोड़कर केवल अभेद नहीं रहता । सिर्फ विवक्षावशा वे मुख्य
और गौण हो जाते हैं । जब एक पदके द्वारा भेद विवक्षित होता है तो भेद
मुख्य और अभेद गौण हो जाता है—वहाँ अभेदका तिरस्कार नहीं होता ।
तथा जब दूसरे पदके द्वारा अभेद विवक्षित होता है तो अभेद मुख्य और
भेद गौण हो जाता है—उस (भेद) का अपलाप नहीं होता ।

कारिका ५० में प्रतिपादन है कि धर्म यदि परस्परमें निरपेक्ष हों और
धर्मसे पृथक् हों तो वे उसी प्रकार अर्थक्रियामें अक्षम हैं जिस प्रकार आतान-
वितानरूप तन्तु परस्परनिरपेक्ष होनेपर पटरूप कार्यकी निष्पत्तिमें असमर्थ
हैं । अतः अंश अंशसे और अंशी अंशसे न सर्वथा पृथक् है, न सर्वथा अपृ-
थक् और न सर्वथा पृथक्-अपृथक् । अपितु कथंचिद् भिन्न, कथंचिद् अभिन्न
और कथंचिद् भिन्नाभिन्न है । अतएव वे (अंश) परस्परसापेक्ष होकर ही
अर्थक्रियामें समर्थ हैं । इसी प्रकार उन अंशोंके ग्राहक नय भी अपने अस्तित्व-
रूप अर्थक्रियामें परस्पर सापेक्ष होकर सक्षम देखे जाते हैं ।

कारिका ५१ में कथन किया है कि एकान्तके आग्रहसे लोगोंको अहं-
कार और अहंकारसे रागादि उत्पन्न होते हैं । पर एकान्तके त्याग और
अनेकान्तके स्वीकारसे, जो वस्तुका स्वाभाविक (यथार्थ-सम्यग्दर्शन) रूप
है, न आग्रहमूलक अहंकार होता है और न अहंकारकारणक रागादि ।
फलतः स्याद्वादशासनमें लोगोंका मन समता (माध्यस्थ्य) पूर्ण होता है ।

कारिका ५२ में उस सच्चिदाका सयुक्तिक समाधान है जिसमें कहा गया

है कि स्याद्वाद-शासनमें भी अनेकान्तके प्रति राग और सर्वथा एकान्तके प्रति द्वेष होता है तब इस शासनमें भी लोगोंका मन समतापूर्ण कैसे हो सकता है ? और उस हालतमें बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था भी कैसे सम्भव है ? इसका उत्तर देते हुए समन्तभद्र कहते हैं कि प्रतिपक्ष (विरोधी धर्म) के विषेधकको अनेकान्तवचनोंद्वारा उसके प्रतिपक्ष-निराकरणसे रोका जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रतिपक्ष (विरोधी) धर्मको भी लिए हुए होनेसे नानात्मक है। फलतः गलत वस्तुस्वरूपको माननेसे रोकने और यथार्थ वस्तुस्वरूपका निश्चय करानेके कारण स्याद्वादशासनमें एकान्तवादके प्रति द्वेष और अनेकान्तको प्रति राग नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः अतत्त्वका परिहार कर तत्त्वका निश्चय करना रागद्वेष नहीं है। अतः स्याद्वादीका मन समतापूर्ण होता है और इसलिए स्याद्वादशासनमें ही बन्ध तथा मोक्षकी व्यवस्था है, क्योंकि बन्ध और मोक्ष ज्ञाता-आत्मामें होते हैं, प्रधान (प्रकृति) में नहीं, वह तो अज्ञ है।

कारिका '१३-६० में वीर-शासनमें प्रत्येक पदका वाच्य क्या है और वाचकका स्वरूप क्या है, इसका समीक्षापूर्वक प्रतिपादन किया है। बौद्ध अन्यापोहुरूप सामान्यको, वैशेषिक जातिरूप सामान्य और विशेषको, मीमांसक व्यक्तिसे अभिन्न सामान्यको, संवेदनाद्वैतवादी संवित्तिमात्र (अतद्ब्रह्म-वृत्तिके अभिनिवेश) को, वेदान्ती सत्ताद्वैतरूप सामान्यको, शून्याद्वैतवादी शून्यको और सांख्य प्रधानरूप सामान्यको वाच्य मानते हैं। इन सबकी आलोचना करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि कोई भी पद या वाक्य हो वह विशेष और सामान्य दोनोंको मिलित रूपमें विधिमुखेन अथवा निषेधमुखेन अभिहित करता है। तात्पर्य यह कि विशेष सामान्यमें उसी प्रकार निष्ठ है जिस प्रकार घटमें रूपादि। अत एव वक्ता जब विधिवाक्यका प्रयोग करता है तब विधिवाक्य विधिका मुख्यतया अभिधान करता है और निषेधका गौण-तया घोटन करता है। और जब वह निषेधवाक्य बोलता है तब निषेधवाक्य निषेधका मुख्यरूपसे और विधिका गौणरूपसे कथन (प्रकाशन) करता है।

अतः वाच्य भी अनेकान्तात्मक है और वाचक भी । ये विधि और निषेध सामान्य-विशेषरूप ही हैं ।

आप्तमीमांसाकी^१ प्रस्तावना (पृ० २२-२३) में का० १०९ के व्याख्यान-सन्दर्भमें हमने लिखा है कि 'जो विधिवाक्यको केवल विधिका और निषेधवाक्यको केवल निषेधका नियामक मानते हैं उनकी समीक्षा करते हुए कहा गया है कि चाहे विधिवाक्य हो, चाहे निषेधवाक्य, दोनों ही विधि और निषेधरूप अनेकान्तात्मक वस्तुका बोध कराते हैं । जब विधिवाक्य बोला जाता है तो उसके द्वारा अपने विवक्षित विधिधर्मका प्रतिपादन होनेके साथ प्रतिषेधधर्मका भी मौन अस्तित्व स्वीकार किया जाता है—उसका निराकरण या लोप करके वह मात्र विधिका ही बोध नहीं कराता । इसी प्रकार प्रतिषेधवाक्य भी अपने विवक्षित प्रतिषेधधर्मका कथन करने के साथ अविनाभावी विधिधर्मका भी मौन ज्ञापन करता है—उसका निरास या उपेक्षा करके केवल निषेधको ही सूचित नहीं करता । इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मा है—तद् और अतद् इन विरोधी धर्मोंको अपनेमें समाये हुए है । अतः कोई भी वाक्य उसके इस स्वरूपका लोप करके मनमानी नहीं कर सकता । हाँ, वह अपने विवक्षित वाच्यका मुख्य-तया और शेषका गौणरूपसे अवगम कराता है । इसी तथ्यको प्रस्तुत करने के लिए स्याद्वाददर्शनमें वक्ताद्वारा बोले गये प्रत्येक वाक्यमें 'स्यात्' निपात-पद कहीं प्रकट और कहीं अप्रकटरूपसे अवश्य रहता है । यदि विधिवाक्य या निषेधवाक्य केवल विधि या केवल निषेधके ही नियामक हों तो अन्य विरोधी धर्मका लोप होनेसे उसका अविनाभावी अभिधेय धर्मका भी अभाव हो जायेगा और तब वस्तुमें कोई भी धर्म (विशेषण) न रहने पर वह अविशेष्य (धर्मशून्य) हो जायगी ।'

यथार्थमें हमें, वस्तुमें अभेदबुद्धि और भेदबुद्धि दोनों होती हैं । अभेद-बुद्धिसे सामान्य (विधि) के सद्भावका और भेदबुद्धिसे विशिष्टता (विशेष-

निषेध) के सत्त्वका निश्चय होता है । अभेदबुद्धिको अन्वयबुद्धि और भेद-बुद्धिको व्यावृत्ति (व्यतिरेक) बुद्धि कहते हैं । इस प्रतिपादनसे स्पष्ट है कि वाच्य अनेकान्तात्मक है । और वाचक भी अनेकान्तरूप है ।

६१-६४ तक चार कारिकाएँ उपसंहारके रूपमें हैं । वीरशासनकी विशेषता बतलाते हुए कारिका ६१में कहा गया है कि उपर्युक्त प्रकारसे वीर-शासन मभी वस्तुधर्मोंका प्रतिपालक है—किसी धर्मका लोपक नहीं, तथा उन धर्मोंकी व्यवस्था वह मुख्य और गौणभावसे करता है । इसके विपरीत एकान्त (क्षणिकत्वादि) शासन उन वस्तुधर्मोंको परस्परनिरपेक्ष प्रतिपादित करते एवं एक-एक धर्मको ही पूर्ण वस्तु मानते हैं—या तो उसे सर्वथा नित्य या सर्वथा क्षणिक, सर्वथा सत् या सर्वथा असत्, सर्वथा एक (अद्वैत) या सर्वथा अनेक (द्वैत) आदि स्वीकार करते हैं । फलतः विरोधी धर्मका तिरस्कार (निषेध) होनेसे उनके अविनाभावी इष्ट धर्मका भी अभाव प्रसक्त होता है और इस तरह एकान्तशासन सभी धर्मोंसे शून्य हैं—उनमें उनका अभिमत धर्म भी व्यवस्थित नहीं होता । अत एव वीरशासन ही समस्त विपदाओं (दुःखों)का अन्त करनेवाला है, निरन्त (अविच्छेद्य) है और 'सर्वोदय तीर्थ' (सभीके अभ्युदयका कारण होनेसे तीर्थरूप) है ।

कारिका ६२में ग्रन्थकारने उन सभी दार्शनिकोंको, जो वीर-शासनके द्वेषी भी हों, वीरशासनको समीक्षार्थ आह्वान किया है और उनसे धोषणा-पूर्वक कहा है कि वे उपपत्तिचक्षु (युक्तिरूप दृष्टिसे युक्त) और समदृष्टि (पूर्वाग्रहोंसे मुक्त निष्पक्ष) होकर वीर-शासनकी यथेच्छ मीमांसा करें । यदि उन्होंने ऐसा किया तो वे निश्चय ही अपने कदाग्रहरूप अभिमानका त्यागकर अभद्र होनेपर भी समन्तभद्र (स्वपरके कल्याणकर्ता) बन जायेंगे ।

कारिका ६३में स्तुतिका सद्भावपूर्ण एवं शुद्ध लक्ष्य बतलाते हुए कहा है कि हमने न राग (पक्षपात)से वीर-जिनका स्तवन किया और न द्वेषसे दूसरोंके दोषोंको कहनेकी आदतद्वारा खलत्व (टुप्चापन) दिखाया है—हमने केवल एक परीक्षकके कठोर कर्तव्यका पालन किया है । इसी कारण

उन लोगोंकेलिए, जो न्याय-अन्याय (युक्त-अयुक्त, सम्यक्-असम्यक्) तथा विचारणीय पदार्थके गुण-दोषों (लाभालाभ) को जाननेके इच्छुक हैं, वीर-जिनके गुण-कथनके सन्दर्भमें हितान्वेषण (हितकी खोज) का उपाय (मार्ग) बतलाया है ।

इस प्रस्तावकी अन्तिम कारिका ६४ है । इसमें स्वामी समन्तभद्रने वीर-जिनके शासनको हितकारी और युक्तिशास्त्राविरोधी प्रमाणसे निर्णीत होनेके कारण उनमें ही अपनी भक्तिको स्थिर करनेकी उनसे कामना की है । वे कहते हैं कि हे जिन ! आप उन देवेन्द्रों एवं मुनिश्रेष्ठोंद्वारा स्तुत्य हैं, जो स्वयं दूसरोंसे स्तुत हैं और एकाग्रमनसे आपका ही ध्यान करते हैं । आपने निःश्रेयसपद प्राप्त किया तथा पापरूप शत्रुसेनापर विजय पाकर अद्भुतशक्ति-के धारक वीर और महावीर बने हैं । इन गुणोंके कारण आप मेरे द्वारा भी यथाशक्ति स्तुत हुए हैं । अर्थात् मैंने भी शक्यनुसार आपकी स्तुति की है । फलस्वरूप मेरी भक्ति आपके ही अद्वितीय मार्गमें रहे, यही चाहता हूँ ।

(घ) अन्तिम दो कारिकाएँ

ग्रन्थकारने अपने नामका उल्लेख 'भवत्यमद्रोऽपि समन्तमद्रः' इस ६२ वीं कारिकामें किया है । उनके इस उल्लेखसे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ यहीं समाप्त है । स्वयम्भू स्तोत्रमें भी 'तव देव मतं समन्तमद्रं सक-कम्' (स्वय. १४३) इस नमोल्लेखवाली कारिकापर ही उसकी समाप्ति है और वही कारिका उसकी अन्तिम कारिका है—उसके बाद उसमें और कोई कारिका उपलब्ध नहीं है । जिनस्तुति, आप्त-मीमांसा और रत्नकरण्ड-श्रावकाचारमें ग्रन्थकारका नाम निर्देश न होनेसे उनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता । अतः युक्त्यनुशासनमें उक्त ६२ वीं कारिकाके बाद जो ६३ व ६४ नम्बरवाली दो कारिकाएँ अन्तमें उपलब्ध होती हैं वे ग्रन्थकारोक्त नहीं ज्ञात होतीं ।

प्रश्न है कि फिर आचार्य विद्यानन्द जैसे मूर्धन्य मनीषीने उक्त दोनों

कारिकाओंकी व्याख्या क्यों की, उससे तो उक्त दोनों पद्य मूल ग्रन्थके ही अंग अवगत होते हैं ?

इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि विद्यानन्दसे पूर्व युक्त्यनुशासनपर किसी विद्वान्के द्वारा व्याख्या लिखी गयी हो और व्याख्याकारने अपनी व्याख्याके अन्तमें उक्त पद्य दिये हों। कालान्तरमें वह व्याख्या तो लुप्त हो गयी हो और व्याख्याके उक्त अन्तिम पद्य मूलके साथ किसीने जोड़ दिये हों। या यह भी सम्भव है कि किसी पाठ करनेवाले विद्वान्ने उक्त पद्य स्वयं रचकर उसके साथ सम्बद्ध कर दिये हों और वही प्रति व्याख्या रहित विद्यानन्दको मिली हो तथा उन्होंने उक्त दोनों पद्योंको उसके साथ पाकर उनकी भी व्याख्या की हो। जो हो, ये दोनों अन्तिम पद्य यथास्थितिके अनुसार विचारणीय अवश्य हैं।

हाँ, एक बात यहाँ कही जा सकती है। वह यह कि ग्रन्थकारने ग्रन्थके आरम्भमें प्रथम कारिकामें बीर-जिनकी स्तुतिकी इच्छा व्यक्त की है तथा दूसरी, तीसरी और चौथी कारिकाओं द्वारा प्रश्नोत्तरपूर्वक 'तथापि बौधायन-मुपेत्य भक्त्या स्तोताऽस्मि ते शक्त्यनुरूपवाक्यः' (का. ३) जैसे वाक्योंको लिए हुए उनके प्रति असीम भक्ति प्रकट की है। अतः उपसंहारमें भी ग्रन्थकारद्वारा उसका प्रकाशन हो, तो आश्चर्य नहीं, और तब उक्त दोनों अन्तिम कारिकाएँ ग्रन्थकारोक्त कही जा सकती हैं।

(ड) युक्त्यनुशासनके उल्लंघन और मान्यता

यों तो स्वामी समन्तभद्रकी प्रायः सभी कृतियाँ अर्थगम्भीर और दुर्लभ हैं। किन्तु युक्त्यनुशासन उनमें भी अत्यन्त जटिल एवं गम्भीर है। इसका एक-एक वाक्य सूत्रात्मक है और बहु-अर्थका बोधक है। साधारण बुद्धि और आयामसे उसकी गहराई एवं तलमें नहीं पहुँचा जा सकता है। इसे विशिष्ट समझनेके लिए दार्शनिक प्रतिभा, असाधारण मेधा, एकाग्रसाधना और परिश्रमकी आवश्यकता है। सम्भवतः युक्त्यनुशासनकी इन्हीं विशेषताओंके कारण हरिवंशपुराणकारने समन्तभद्र-वाणीको बीर-वाणीकी तरह प्रभाव-

शालिनी बतलाया है। विद्यानन्दने तो उससे प्रभावित होकर उसपर व्याख्या लिखी है और अपने ग्रन्थोंमें उसके वाक्योंको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत करके अपने कथनकी सम्पुष्टि की है। आप्तपरीक्षा (पृ० ११८) में वैशेषिक दर्शनकी समीक्षाके सन्दर्भमें युक्त्यनुशासन (का० ७) के एक प्रमाण-वाक्य 'संसर्गहानेः सकलार्थहानिः' का विस्तृत अर्थोद्घाटन किया है। उसे भाष्य कहा जाय तो आश्चर्य नहीं है। वस्तुतः विद्यानन्दके इस अर्थोद्घाटनसे उक्त वाक्यकी गम्भीरता और दुरूहताकी कुछ झंकी मिल जाती है।

विद्यानन्दसे पूर्व भट्ट अकलङ्कदेवने भी युक्त्यनुशासनके वाक्यों और कारिकाओंको उद्धृत किया है। तत्त्वार्थवार्तिक (पृ० ३५) में आगत अनेकान्तलक्षण—'एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वरूपनिरूपणो 'युक्त्यागमाभ्यामविरुद्धः सम्यगनेकान्तः'—पर युक्त्यनुशासन (का० ४८) के 'युक्त्यागमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते' इस वाक्यका प्रभाव लक्षित होता है। इसके अतिरिक्त त० वा. (१-१२, पृ० ५७) में 'प्रत्यक्षबुद्धिः क्रमते न यत्र' (युक्त्य० का० २२) इत्यादि पूरी कारिका भी उद्धृत पायी जाती है और उसे 'उक्तं च' के साथ प्रस्तुत करके उन्होंने उससे अपने प्रतिपादनको प्रमाणित किया है।

अकलङ्कदेवसे लगभग दो शताब्दी पहले आचार्य पूज्यपाद (ई० ५ वीं शती) ने भी युक्त्यनुशासनका उपयोग किया जान पड़ता है। युक्त्यनुशासनमें एक स्थल (का० ३९) में शीर्षोपहार आदिसे देवोंकी आराधना कर उन सिद्ध बनने वालोंकी समीक्षा है जो सुखकी तीव्र लालसा रखते हैं, पर अपने दोषों (राग-द्वेष-मोहादि) की निवृत्ति नहीं करते। यथा—

शीर्षोपहारादिभिरात्मदुःखैर्देवान् क्लिगागध्य सुखामिगृह्णाः।

सिद्धघ्नन्ति दोषापचयानपेक्षा युक्तं च तेषां त्वसृष्टिर्न येषाम् ॥

पूज्यपादने भी लगभग इन्हीं शब्दोंमें अपनी सर्वार्थसिद्धि (९-२, पृ० ४१०) में संवरके गुप्त्यादि साधनोंके विवेचन-सन्दर्भमें यही कहा है—

‘तेन शीर्षाभिषेक-दीक्षा-^१ शीर्षोपहार-देवताराधनाद्यो निवर्तित्वा
भवन्ति; राग-द्वेष-मोहोपासस्थ कर्मणोऽन्वया निवृत्त्यभावात् ।’

इन दोनों स्थलोंकी तुलनासे स्पष्ट जान पड़ता है कि पूज्यपाद युक्त्य-
नुशासनसे परिचित एवं प्रभावित थे और उसकी उक्त कारिकाका उनके
उक्त वाक्योपर प्रभाव है ।

(च) युक्त्यनुशासन-टीका

युक्त्यनुशासनपर विद्यानन्दकी एक मध्यम परिमाणकी संस्कृत-टीका
प्राप्त है । यह टीका ग्रन्थके हार्दको स्पष्ट करनेमें पूर्णतः सक्षम है । टीका-
कारने अत्यन्त विशदताके साथ इसके पद-वाक्यादिका अर्थोद्घाटन किया
है । व्याख्याकारकी सूक्ष्म दृष्टि इसके प्रत्येक पद और उसके आशयके अन्त-
स्तल तक पहुँची है । वस्तुतः इसपर यह व्याख्यान होती तो युक्त्यनुशासन-
के अनेक स्थल दुरधिगम्य बने रहते । व्याख्याकारने अपनी इस व्याख्याका
नाम ‘युक्त्यनुशासनालंकार’ दिया है, जो युक्त्यनुशासनका अलङ्करण करने-
के कारण सार्थक है । इसे उन्होंने आत्मपरीक्षा और प्रमाणपरीक्षाके बाद
रचा है, क्योंकि इसमें उन दोनोंके उल्लेख है ।^२ यह मूल ग्रन्थके साथ
कोई ४८ वर्ष पूर्व वि० सं० १९७७ में माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमालासे
एक बार प्रकाशित हो चुका है, परन्तु अब वह अप्राप्य है । यह अशुद्ध
भी काफी छपा है । अतः इसका शुद्ध और सुन्दर आधुनिक संस्करण
अपेक्षित है ।

(छ) हिन्दी-अनुवाद

युक्त्यनुशासनके मर्मको हिन्दी भाषामें प्रकट करनेके उद्देश्यसे स्वामी
समन्ताभद्रके अनन्य भक्त और उनके प्रायः सभी ग्रन्थोंके हिन्दी-अनुवादक,
प्रसिद्ध साहित्य और इतिहासकार पण्डित जुगलकिशोर मुस्तार ‘युगवीर’ने

१. तुलना—‘...दीक्षासममुक्तिमानाः—’—युक्त्य० का. ३७ ।

२. युक्त्य० टी. पृ. १०, ११ ।

इसपर सर्वप्रथम हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किया है। यह अनुवाद उन्होंने विद्या-नन्दकी उक्त संस्कृत-टीकाके आधारसे किया है। अनुवाद विशद, सुन्दर और ग्रन्थानुरूप है। दुरूह और क्लिष्ट पदोंका अच्छा अर्थ एवं भाषाय व्यक्त किया है। मूल ग्रन्थका अनुगम करनेकेलिए यह अनुवाद बहुत उपयोगी और सहायक है। यह वीर सेवा मन्दिर दिल्लीसे सन् १९५१ में प्रकाशित हो चुका है।

२. समन्तभद्र

इस मूल्यवान् और महत्त्वपूर्ण कृतिके उपस्थापक आचार्य समन्तभद्र हैं, जो शिलालेखों और साहित्यमें विशिष्ट सम्मानके प्रदर्शक 'स्वामी' पदसे विभूषित मिलते हैं। आ० कुन्दकुन्द और गृद्धपिच्छके पश्चात् जैन वाङ्मयको जिस मनीषीने सर्वाधिक प्रभावित किया और यशोभाजन हुआ वह यही स्वामी समन्तभद्र हैं। इनका यशोगान शिलालेखों तथा वाङ्मयके मूर्धन्य ग्रन्थकारोंके ग्रन्थोंमें बहुलतया उपलब्ध है। अकलङ्कदेवने स्याद्वादतीर्थका प्रभावक और स्याद्वादमार्गका परिपालक, विद्यानन्दने स्याद्वादमार्गप्रणी, वादिराजने सर्वज्ञका प्रदर्शक, मलयगिरिने आद्यस्तुतिकार तथा शिलालेखोंमें वीरशासनकी, सहस्रगुणी वृद्धि करनेवाला, श्रुतकेवल सन्तानोन्नायक, समस्त विद्यानिधि, शास्त्रकर्ता एवं कलिकाल गणधर कहकर उनका कीर्तमान किया है। यथार्थमें जब तत्त्वनिर्णय ऐकान्तिक होने लगा और उसे उतना ही माना जाने लगा तथा आर्हत परम्परा ऋषभादि तीर्थङ्करों द्वारा प्रतिपादित तत्त्वव्यवस्थापक स्याद्वादन्यायको भूलने लगी, तो इसी महान् आचार्यने उसे उज्जीवित एवं प्रभावित किया। अतः ऐसे शासन-प्रभावक और तत्त्वज्ञान प्रसारक मूर्धन्य मनीषीका विद्वानों द्वारा गुणगान हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

इनका विस्तृत परिचय और समयादिका निर्णय पण्डित जुगलकिशोर मुख्तारने 'स्वामी समन्तभद्र' नामक इतिहास ग्रन्थमें किया है। उन्होंने इनका समय विक्रमकी २री-३री शती निर्णीत किया है। अतः समन्तभद्रके परि-

चय आदिको न देकर यहाँ केवल उनकी कतिपय उपलब्धियोंपर प्रकाश डालनेका प्रयास किया जायगा ।

(क) समन्तभद्रसे पूर्वका युग

जैन श्रुतके वारहवें दृष्टिवाद-अङ्गमें^१ विभिन्न वादियोंकी एकान्त दृष्टियों (मान्यताओं) के निरूपण और समीक्षण पूर्वक उनका स्याद्वादनयसे सम्बन्ध उपलब्ध है ! इसीसे श्रुतके मूलकर्त्ता ऋषभादि सभी तीर्थंकरोंको समन्तभद्रने 'स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तम्' (स्वयं० १४) जैसे पदप्रयोगों द्वारा 'स्याद्वादी' (स्याद्वाद-प्रतिपादक) कहा है । अकलङ्कदेवने^२ भी उन्हें स्याद्वादका प्रवक्ता और उनके शासन (उपदेश) को स्याद्वादरूप अमोघ चिह्नसे युक्त बतलाया है ।

षट्खण्डागम आदि आगमोंमें यद्यपि स्याद्वादकी स्वतंत्र चर्चा नहीं मिलती फिर भी उनमें सिद्धान्त-प्रतिपादन 'स्यात्' (सिधा अथवा सिय) शब्दको लेकर अवश्य प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ मनुष्योंको पर्याप्तिक और अपर्याप्तिक दोनों बतलाते हुए कहा गया है^३ कि 'मणुस्सा...सिधा पज्जत्ता, भिया अपज्जत्ता' अर्थात् मनुष्य स्यात् पर्याप्तिक हैं, स्यात् अपर्याप्तिक । इसी प्रकार आगमके कुछ दूसरे विषयोंका भी प्रतिपादन मिलता है । इस तरह आगम-ग्रन्थोंमें 'स्यात्' शब्दको लिए हुए विधि और निषेध इन दो वचन-प्रकारोंसे कथन उपलब्ध होता है । आ० कुन्दकुन्दने उक्त दो (विधि और निषेध)

१. ...'एषां दृष्टिशताना त्रयाणां षष्ठ्युत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च क्रियते ।'

—वीरसेन, धवला पु० १, पृ० १०८ ।

२. (क) धर्मतीर्थंकोभ्याऽस्तु स्याद्वादिस्यो नमोनमः ।

ऋषमादिमहावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये ॥

—लघोय० का० १-१ ।

(ख) श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोषलाञ्छनम् ।

जोयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

—प्रमाणसं० १-१ ।

३. षट्खण्डागम १-१-८९ ।

वचन-प्रकारोंमें पाँच वचन-प्रकार और मिलाकर सात वचन-प्रकारोंसे वस्तु (द्रव्य) निरूपणका स्पष्ट उल्लेख किया है। यथा—

सिय अस्थि णस्थि उहयं भवत्तब्बं पुणो य तत्तिदयं ।

दब्बं खु सत्तमंगं आदेसवसेण संभवदि ॥

पंचास्तिकाय गा० १४ ।

‘स्यादस्ति द्रव्यं स्यान्नास्ति द्रव्यं स्यादुभयं स्यादवक्तव्यं स्यादस्त्यवक्तव्यं स्यान्नास्त्यवक्तव्यं स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यं ।’ इन सात भङ्गोंका यहाँ उल्लेख हुआ है और उनको लेकर आदेशवशात् (नयविवक्षानुसार) द्रव्य-निरूपण करनेकी सूचना की है। कुन्दकुन्दने यह भी प्रतिपादन किया है कि यदि सद्-रूप ही द्रव्य हो तो उसका विनाश नहीं तो सकता और यदि असद्रूप ही हो तो उसजा उत्पाद सम्भव नहीं है और चूँकि यह देखा जाता है कि जीव मनुष्य पर्यायसे नष्ट, देवपर्यायसे उत्पन्न और जीवसामान्यसे ध्रुव रहनेसे वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूप है। इससे प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्दके समयमें जैन वाङ्मयमें दर्शनका रूप तो आने लगा था, पर उसका अभी विकास नहीं हो सका था। आ० गृह्यपिच्छके तत्त्वार्थसूत्रमें कुन्दकुन्द द्वारा प्रदर्शित दर्शनके रूपमें कुछ वृद्धि मिलती है। एक तो उन्होंने प्राकृतमें सिद्धान्त-प्रतिपादनकी पद्धतिको संस्कृत-गद्यसूत्रोंमें बदल दिया। दूसरे, उपपत्तिपूर्वक सिद्धान्तोंका निरूपण आरम्भ किया। तीसरे, आगम-प्रतिपादित ज्ञानमार्गणागत मत्यादि ज्ञानोंको प्रमाणसंज्ञा देकर उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेदोंका कथन किया। चौथे, दर्शनान्तरोंमें पृथक् प्रमाणरूपमें स्वीकृत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान इन्हें प्रतिज्ञान और शब्दको श्रुतज्ञान कहकर उन्हें ‘आद्ये परोक्षम्’ (त० सू० १-११) सूत्र द्वारा परोक्षप्रमाणमें समावेश किया। पाँचवें, प्रमाणकी तरह नयको भी अर्थाधिगमका साधन निरूपित करके उसके नैगमादि सात भेदोंका निर्देश किया। इस तरह गृह्यपिच्छने कितना ही नया चिन्तन प्रस्तुत किया। इतना होनेपर भी दर्शनमें उन एकान्तवादों, संघर्षों

और अनिश्चयोंका तार्किक समाधान नहीं आपाया, जो उनके कुछ समय बादकी चर्चके विषय हुए।

(ख) समन्तभद्रकालीन स्थिति

विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीका समय दार्शनिक क्रान्तिका समय रहा है। इस समय विभिन्न दर्शनोंमें अनेक क्रान्तिकारी विद्वान् हुए हैं। श्रमण और बौद्धिक दोनों परम्पराओंमें अश्वघोष, मातृचेट, नागार्जुन, कणाद, गौतम, जैमिनि जैसे प्रतिद्वन्दी प्रभावक विद्वानोंका आविर्भाव हुआ और ये सभी अपने मण्डन और दूसरेके खण्डनमें लग गये। शास्त्रार्थोंकी धूम मच गयी। सद्वाद-असद्वाद, शाश्वतवाद-अशाश्वतवाद, अद्वैतवाद-द्वैतवाद और अवक्तव्यवाद-वक्तव्यवाद इन चार विरोधी युगलोंको लेकर तत्त्वकी मुख्यतया चर्चा होती थी और उनका चार^१ कोटियोंसे विचार किया जाता था। तथा वादियोंका अपनी इष्ट एक-एक कोटि (पक्ष) को ही माननेका आग्रह रहता था। इस खींच-तानके कारण अनिश्चयवादी संज्ञयके अनुयायी तत्त्वको अनिश्चित ही प्रतिपादन करते थे^२। उपर्युक्त युगलोंमें लगनेवाली वादियोंकी चार कोटियाँ इस प्रकार होती थीं—

१. सदसद्वाद

- (१) तत्त्व सत् है।
- (२) तत्त्व असत् है।
- (३) तत्त्व उभय है।
- (४) तत्त्व अनुभय है।

१. सदेक-नित्य-वक्तव्यास्तद्विपक्षाश्च ये नयाः ।
सर्वथैति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितिह ते ॥

—स्वयं १०५, समन्तभद्र ।

२. दीर्घनिकाय सामञ्जस्यसूत्रमें संज्ञयका मत 'अमरा विक्षेपवाद' के रूपमें मिलता है। अमरा एक प्रकारकी मछलीका नाम है। उसके समान विक्षेप (अस्थिरता) का होना—मानना अमरा-विक्षेपवाद है।

२. शाश्वत-अशाश्वतवाद

- (१) तत्त्व शाश्वत है ।
- (२) तत्त्व अशाश्वत है ।
- (३) तत्त्व उभय है ।
- (४) तत्त्व अनुभय है ।

३. द्वैत-अद्वैतवाद

- (१) तत्त्व द्वैत है ।
- (२) तत्त्व अद्वैत है ।
- (३) तत्त्व उभय है ।
- (४) तत्त्व अनुभय है ।

४. वक्तव्य-व्यक्तव्यवाद

- (१) तत्त्व वक्तव्य है ।
- (२) तत्त्व व्यक्तव्य है ।
- (३) तत्त्व उभय है ।
- (४) तत्त्व अनुभय है ।

(१) समन्तभद्रकी देन

यद्यपि कुन्दकुन्द स्पष्ट निर्देश कर चुके थे कि तत्त्व-निरूपण दो या चार कोटियोंमें सीमित नहीं है, अपितु सात वचन-प्रकारोंसे वह होता है । पर उनका यह निर्देश तर्कका रूप न पा सकनेसे विश्रुत न हो सका । आचार्य समन्तभद्रने उसे तर्कका रूप दिया और उसपर विस्तृत चिन्तन एवं प्रबन्ध लिखे । इन प्रबन्धों द्वारा उन्होंने प्रतिपादन किया कि तत्त्वका पूर्ण कथन दो या चार ही कोटियोंसे नहीं होता, किन्तु सात^१ कोटियों द्वारा होता है । उन्होंने वर्णित किया कि तत्त्व वस्तुतः अनेकान्तरूप है^२—एकान्तरूप नहीं

१. सप्तभङ्गनवापेशो...

—असमी० १०४ ।

२. तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूपम्...

—युक्तब० ४६ ।

और अनेकान्त विरोधी दो धर्मों^१ (सत्-असत्, शाश्वत-अशाश्वत, एक-अनेक आदि) के युगलके आश्रयसे प्रकाशमें आनेवाले वस्तुगत सात धर्मोंका समुच्चय है और ऐसे-ऐसे अनन्त सप्तधर्मसमुच्चय विराट् अनेकान्तात्मक तत्त्वसागरमें अनन्त लहरोंकी तरह लहरा रहे हैं तथा इसीसे उसमें अनन्त सप्तकोटियाँ भरी पड़ी हैं। हाँ, दृष्टाको सज्ज और समदृष्टि होना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वक्ता या ज्ञाता तत्त्वको जब अमुक एक कोटिसे कहे या जाने तो यह समझे कि तत्त्वमें वह धर्म (कोटि) अमुक अपेक्षासे विवक्षित है और वह अन्य धर्मों (कोटियों) का निषेधक नहीं है। केवल वह विवक्षावश मुख्य है और अन्य धर्म गौण^२। इसे समझनेके लिए समन्तभद्रने प्रत्येक कोटि (भङ्ग-वचनप्रकार) के साथ 'स्यात्' निपात लगानेकी सिफारिश की^३ और उसका अर्थ कथञ्चित्—किसी एक दृष्टि—किसी एक अपेक्षा बतलाया^४। साथ ही प्रत्येक कोटिकी यथार्थता एवं निर्णयात्मकताको प्रकट करनेके लिए प्रत्येक वाक्यके साथ एवकारका प्रयोग भी निर्दिष्ट किया,^५ जिससे उस कोटिकी वास्तविकता प्रमाणित हो, काल्पनिकता या सांवृत्तिकता नहीं। तत्त्वप्रतिपादनकी इन सात कोटियोंको उन्होंने एक नया नाम भी दिया। वह नाम है भङ्गिनी प्रक्रिया^६—सप्तभङ्गी अथवा सप्तभङ्गनय। समन्तभद्रकी वह परिष्कृत सप्तभङ्गी (सप्तकोटि) इस प्रकार प्रस्तुत हुई—

१. सदेकनित्यवक्तव्यास्तादपक्षाश्च ये नयाः।

सर्वथैति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादतीह ते ॥

—स्वयम्भू० १०१।

२. विधिनियेषश्च क्वचिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था।

—स्वय० २५; ५३।

३. वाक्येष्वनेकान्तधीतो...स्यान्निपातो...।

—आप्तमी० १०३; युक्त्य० ४३; स्वय० १०१।

४. आप्तमी० १०४, १४।

५. युक्त्य० ४१, ४२।

६. आप्तमी० २३, १०४।

सदसद्वाद

- (१) स्यात् सदरूप ही तत्त्व है ।^१
- (२) स्यात् असदरूप ही तत्त्व है ।
- (३) स्यात् उभयरूप ही तत्त्व है ।
- (४) स्यात् अनुभय (अवक्तव्य) रूप ही तत्त्व है ।
- (५) स्यात् सद और अवक्तव्यरूप ही तत्त्व है ।
- (६) स्यात् असद् और अवक्तव्यरूप ही तत्त्व है ।
- (७) स्यात् सद और असद् तथा अवक्तव्यरूप ही तत्त्व है ।

इस सप्तभङ्गीका समन्तभद्रने सहेतुक समर्थन किया । उन्होंने बतलाया कि प्रथम भङ्ग (कोटि) स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे विवक्षित है । द्वितीय भङ्ग परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे, तृतीय दोनोंकी सम्मिलित अपेक्षाओंसे, चतुर्थ दोनों (सत्त्व-असत्त्व) को एक साथ कह न सकनेसे, पंचम प्रथम-चतुर्थके संयोगकी अपेक्षासे, षष्ठ द्वितीय-चतुर्थके मेलसे और सप्तम प्रथम-द्वितीय-चतुर्थके मिलनसे अभिप्रेत है और प्रत्येकका प्रयोजन पृथक्-पृथक् है । इन अपुनरुक्त सात भङ्गों^२ (असंयोगी प्रथम ३, द्विसंयोगी

१. कथञ्चित् सदेवेष्टं कथञ्चिदसदेव तत् ।

तयोभयमवार्थ्यं च नययोगात् सर्वथा ॥

—आसमी० १४ ।

२. (क) विधिनिषेधोऽनमित्थाप्यता च त्रिरिकशस्त्रिद्विंश एक एव ।

त्रयो त्रिकल्पास्तव सप्तधाऽमी स्याच्छब्द-नेयाः सकलेऽर्थमेवे ॥

—युक्त्य० ४५ ।

(ख) विधेयं वार्यं चानुभयसुभयं भिन्नमपि तत्, त्रिकोषैः प्रत्येकं नियमविधयेक्षा-

परिमितैः ॥

सद-न्योन्वापेक्षैः सकलपुनरुक्त्येष्टगुणत्वात् त्वया गीतं तत्त्वं बहुनवविधक्षे-
तरवशात् ॥

—सप्तम्यु० ११८ ।

३ और त्रिसंयोगी १ कुल ७) से न अधिक सम्भव हैं और न कम । जैसा कि समन्तभद्रके निम्न प्रतिपादनसे प्रकट है—

सदेव सर्वको नेच्छेस्वरूपादिवस्तुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥

कर्मार्पितद्वयाद् द्वैतं सहावाच्यमक्षकितः ।

अवक्तव्योसराः शेषास्त्रयो भङ्गाः स्वहेतुतः ॥

धर्मं धर्मोऽन्य एवार्थो धर्मिणोऽनन्तधर्मिणः ।

अङ्गित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदङ्गता ॥

—आप्तमी० १५, १६, २१ ।

शाश्वत-अशाश्वत आदि वाद

समन्तभद्रने सदसद्वादकी तरह शाश्वत-अशाश्वतवाद, द्वैत-अद्वैतवाद, वक्तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद, अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतु-वाद, विज्ञान-बहिर्वाद, दैव-पुरुषार्थवाद, पाप-पुण्यवाद और बन्ध-मोक्ष कारणवाद जैसे एकान्तवादोंपर भी विचार किया तथा उक्त प्रकारसे उनमें भी सप्तभङ्गी (सप्तकोटियों) की योजना करके स्याद्वादकी स्थापना की ।^१ उन्होंने घोषणा की कि जो सर्वथा सत्, एक, नित्य और वक्तव्य तथा उनकी विरोधी सर्वथा असत्, अनेक, अनित्य और अव्यक्तव्यकी मान्यताएँ हैं उन्हें सर्वथा (एकान्ततः) स्वीकार करनेपर उनमें अनेक दोष आते हैं और 'स्यात्' (कर्थाचित्) के साथ उन्हें माननेपर वे संपुष्ट होती हैं—वस्तुतत्त्वकी यथार्थ व्यवस्थापक होती हैं। इस तरह विचारकोंको उन्होंने स्याद्वाद-दृष्टि (तत्त्व-विचारकी पद्धति) देकर तत्कालीन विचार-संघर्षों और विवादोंको दूर करनेमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया । साथ ही दर्शनके लिए जिन उपादानोंकी आवश्यकता होती है उनका भी उन्होंने नया चिन्तन प्रस्तुत किया तथा आर्हत दर्शनको अन्य दर्शनोंके समकक्ष ही नहीं, उसे गौरवपूर्ण भी बनाया ।

समन्तभद्रने जिन उपादानोंका सृजन किया, वे इस प्रकार हैं—

१. आप्तमी० २३, ११३ ।

- (१) प्रमाणका स्वपरावभासि लक्षण^१ ।
- (२) प्रमाणके अक्रमभावि और क्रमभावि इन दो भेदोंकी परिकल्पना^१ ।
- (३) प्रमाणके साक्षात् और परम्परा फलोंका निर्देश तथा निरूपण^१ ।
- (४) प्रमाणका विषय^१ ।
- (५) नयका स्वरूप^१ ।
- (६) हेतुका स्वरूप^१ ।
- (७) स्याद्वादकी प्रभावना और स्वरूप प्रतिपादन^{१७} ।
- (८) वाच्यका स्वरूप^१ ।
- (९) वाचकका स्वरूप^१ ।
- (१०) अभावका वस्तुधर्म-निरूपण एवं भावान्तरकथन^{१०} ।
- (११) तत्त्वका अनेकान्तरूप प्रतिपादन^{११} ।
- (१२) अनेकान्तका स्वरूप^{१२} ।
- (१३) अनेकान्तमें भी अनेकान्तकी योजना^{१३} ।
- (१४) जैनदर्शनमें अवस्तुका स्वरूप^{१४} ।
- (१५) स्यात् निपातका स्वरूप^{१५} ।

१. स्वयम्भू० ६३ ।

२. आसमी० का १०१ ।

३. वही, १०२ ।

४. वही, १०७ ।

५, ६. वही, १०६ ।

७. वही, १०४, ११३ ।

८. वही, १११, ११२ ।

९. आसमी० १०६, ११० ।

१०. युक्त्य० ५९ ।

११. वही, २३ ।

१२. आसमी० १०७, १०८ ।

१३. स्वयम्भू० १०३ ।

१४. आसमी० ४८, १०५ ।

१५. स्वयम्भू० १०२ । आसमी० १०३ । युक्त्य० ४३ ।

- (१६) वाक्योंमें एवकारके प्रयोगकी कल्पना^१ ।
 (१७) अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि^२ ।
 (१८) युक्तियोंसे सर्वत्र स्याद्वादादकी संस्थिति^३ ।
 (१९) आत्मका तार्किक स्वरूप^४ ।
 (२०) वस्तु (द्रव्य-प्रमेय)का स्वरूप^५ ।

जैन न्यायमें इन उपादानोंका उपस्थापन अथवा विकास करनेके कारण ही समन्तभद्रको जैन न्यायका आद्य-प्रवर्तक^६, स्याद्वादमार्गाग्रणी और स्याद्वाद-तीर्थका प्रभावक कहा गया है ।

(घ) कृतियाँ

समन्तभद्रस्वामीकी ५ कृतियाँ उपलब्ध हैं । इनकी जीवसिद्धि जैसी अन्य कृतियोंका भी उल्लेख मिलता है । पर वे अनुपलब्ध हैं । अतः उनकी उपलब्ध कृतियोंका यहाँ संक्षेपमें परिचय प्रस्तुत किया जाता है—

१. देवागम—इसका दूसरा नाम आत्ममीमांसा है । यह दश परिच्छेदोंमें विभक्त है और ११४ कारिकाएँ हैं । ग्रन्थकारने इसमें वीर-जिनकी परीक्षा करके उन्हें ही सर्वज्ञ एवं आत्म घोषित किया है तथा एकान्तवादों की समीक्षापूर्वक अनेकान्तवाद एवं स्याद्वादकी प्रस्थापना की है । यह जैन वाङ्मयकी उच्चतम रचना है । इसपर अकलङ्कदेवने अष्टशती (देवागम-विवृति, देवागम-भाष्य), विद्यानन्दने अष्टसहस्री और वसुनन्दने देवागम-वृत्ति टीकाएँ लिखी हैं, जो सभी महत्त्वपूर्ण और देवागमके मर्मको स्पष्ट करनेवाली हैं ।

१. युक्त्य० ४१, ४२ ।

२. आत्ममी० ५ ।

३. बहो, ११३ । युक्त्य० ४५ ।

४. आत्ममी० ४, ५, ६ ।

५. बहो, १०७ ।

६. जैन दर्शन—स्याद्वादात्क (मासिक) वर्ष २, अङ्क ४-५; पृ० १७० ।

२. स्वयम्भू स्तोत्र—इसमें ऋषभादि महावीर पौरुष चोबीस तीर्थ-
करोंका दार्शनिक शैलीमें गुणस्तवन है। इसपर प्रभाचन्द्रकी संक्षिप्त व्याख्या
है।

३. युक्त्यनुशासन—प्रस्तुत कृति है।

४. जिन-शतक (स्तुति-विद्या)—यह ११६ पद्योंकी आलंकारिक
अपूर्व काव्य-रचना है। चोबीस तीर्थकरोंकी इसमें स्तुति की गयी है।

५. रत्नकरणकथाकाचार—यह उपासकाचार विषयक १५० पद्यों-
की अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वकी कृति है। इसकी प्रभाचन्द्रकृत एक टीका
उपलब्ध है जो संक्षिप्त और सरल है। भाणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित
है, जो अब अप्राप्य है।

इसमें आदिकी तीन दार्शनिक, चौथी काव्य और पाँचवी धार्मिक
कृतियाँ हैं।

प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या

युक्त्यनुशासनके स्व० पं० जुगलकिशोर मुस्तार कृत हिन्दी अनुवादका
हम पहले उल्लेख कर आये हैं। प्रस्तुत हिन्दी-व्याख्या समाजके जाने-माने
प्रौढ़ विद्वान् पण्डित मूलचन्द्रजी शास्त्रीने की है। विद्यानन्दकी संस्कृत-टीकाके
आधारसे उन्होंने युक्त्यनुशासनके प्रत्येक पद-वाक्यादिका विस्तृत व्याख्यान
किया है। आशा है उनकी इस हिन्दी-व्याख्यासे युक्त्यनुशासनके हार्दिकों
सम्मानमें स्वाध्याय-प्रेमियोंको अच्छी सहायता मिलेगी।

इस तरह प्रस्तुत प्रस्तावनामें युक्त्यनुशासन और स्वामी समन्तभद्रके
सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया है।

आचार्य श्री महावीरकीर्तिजीके शिष्य वाङ्मयानुरागी, दार्शनिक कृतियों-
के अध्ययनमें रुचि रखने वाले और शास्त्र-भण्डारोंकी शोध-सौजमें निरत
श्री० धीतलसागरजी महाराजकी प्रेरणा थी कि मैं आत्ममीमांसा जैसी युक्त्यनु-
शासनकी भी विस्तृत प्रस्तावना लिखूँ। उनकी प्रेरणाको न टाल सका।

यद्यपि अपनी व्यस्तताके कारण इसके लिखनेमें पर्याप्त विलम्ब हुआ, पर महाराजकी धीरता और प्रेरणा दोनों हमें दायित्वका सदा ध्यान दिलाती रहीं। फलतः आज वह पाठकोंके समक्ष है। आशा है महाराज तथा पाठक-गण विलम्बजन्य कष्टके लिए हमें क्षमा करेंगे।

प्राच्यविद्या-धर्मविज्ञानसंकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
१० जुलाई, १९६९

दरबारीलाल कोठिया
(न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य,
एम० ए०, पी-एच० डी०)



-: युक्त्यनुशासन उत्तरार्ध का शुद्धि पत्र :-

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
८	१३	पूर्वकंकी	पूर्वक ही
१४	१३	विज्जम्भितं	विज्जम्भितं
१६	११	उपाय	अपाय
२१	२२	वर्ग	वर्ण
२२	७	जैये	जैसे
२५	१	अन्तरविशेषा	अन्तर्विशेषा
३५	१५	पर	पद
३६	१८	भिधानभिधेययो	भिधानाभिधेययो
३६	१८	विरोधात्	विरोधात्
४३	३	तथा प्रतिज्ञाशय	तथाप्रतिज्ञाशय
४३	१६	अपचृष्य	अचृष्य
४८	६	कहते हैं ।	कहते है ?
४९	१३	वाला	वाला है क्योंकि
५०	२१	दिया है	दिया
५२	७	अपेक्षामान	अपेक्ष्यमान
५४	१३।१४	प्रमाणदेश	प्रमाणादेश
५६	४	ज्ञान	जात
६८	७	तो	नो

(स)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
६६	६	विषय	इस विषय को
७०	१०	इससे	इससे वे
७०	१०	विषय हैं ।	विषय हैं । इस तरह
७२	४	व्यवस्थ	व्यवस्थं
७३	६	जाय	जाय इसलिये
७६	११	होती	होता
८३	६	वचन	वचन के द्वारा
८६	७	को	का
९१	६	संभावित	संभवित
९८	६	वमतात्	स्वमतात्
९८	१४	प्रतिपादिक	प्रतिपादक
१०३	१०	सामान्य	साम्राज्य
१०६	७	समवायेन	समवाये न
१११	१६	त्रयये	त्रय ये
१२३	३	सायान्य	सामान्य
१२३	११	हालात	हालत (दशा)
१३३	४	विरोधनाद	विरोधवाद
१३५	१४	अन्वथ	अन्वय
१४०	१०	“मृदोःघटः”	“मृदो घटः”
१४०	२१	सर्वशून्यता	सर्व शून्यता रूप है वह
१४२	७	घटानयन	अघटानानयन
१४५	२	सामान्य	सामान्य से

(न)

पृष्ठ	पंक्ति	प्रशुद्धि	शुद्धि
१५१	७	एवामन्तरो	एवामन्तरो
१५२	६	अनवस्था क्त	अनवस्था
१५६	८	वटिता	वटिता
१६१	१४	इष्टि	इष्टं
१६७	३	मवेद	मवेदं

विशेष—पृ० ३६ मे आये हुए ४३ वें संस्कृत पद्य की प्रथम पंक्ति, पृ. ३६ की ६ वीं पंक्ति के प्रारम्भ में है। संस्कृत टीकाकार आ० श्री विद्यानंदी ने इसी प्रकार लिया है। अतः पंक्ति छूटी हुई नहीं मानना चाहिये। पृष्ठ ४१ से आये हुये मूल संस्कृत पद्यों के क्रम ४४।४५ आदि क्रमशः जानने चाहिये। रेफ, बिन्दु और मात्राओं (ँ, ः, ं, ः, ः, ः, ः,) के दूट जाने की साधारण प्रशुद्धियाँ कहीं २ पुस्तक में हैं जिन्हें पाठक स्वयं सुधार लेंगे।

—कुल्लक शीघ्रनसावर

(४)

दातारों की नामावली

- श्री. स्व. इन्द्रमलजी जैन कात्ता की धर्मपत्नी गुलाबबाई
॥ मीठालालजी गोपीचन्दजी जैन ध्वाबडा चंदलाई (जयपुर)
॥ फूलचंदजी जैन काला यू. डी. सी. चाकसू (जयपुर)
॥ दि० जैन समाज बालवाड़ी, चाकसू (जयपुर)
॥ दि० जैन समाज चनाणी (कौथून-जयपुर)
॥ भूरामलजी प्रेमचन्दजी जैन श्रिलाला, सुनारी (बनस्पली)
॥ भंवरलालजी गुलाबचंदजी जैन निगोत्या, सुनारी
॥ कल्याणमलजी सूरजमलजी जैन आकोडिया (पयपुरा)
॥ कपूरचंदजी जैन सौभानी, चाकसू (जयपुर)
॥ भैरूलालजी जैन अग्रवाल, चाकसू (जयपुर)
॥ रामगोपालजी जैन अग्रवाल बजाज, चाकसू (जयपुर)
॥ अनूपचंदजी पदमचंदजी जैन बजाज, चाकसू (जयपुर)
॥ स्व. हरिनारायणजी जैन बजाज की धर्मपत्नी चाकसू
॥ रामसहायजी जैन अग्रवाल, चाकसू
॥ सुन्दरलालजी जैन अग्रवाल, चाकसू
॥ गुलाबचन्द्रजी जैन अग्रवाल बजाज, चाकसू
॥ मदनलालजी जैन पटवारो रूपाडीवाले, चाकसू
॥ पदमचंदजी जैन मीजमाबाद वाले, चाकसू
॥ गोपीचन्दजी और महावीरप्रसादजी जैन बामनवास (सवाईमाधोपुर)



श्री समन्तभद्र स्वामी विरचितं

★ युक्त्यनुशासनम् ★

(उत्तरार्द्ध)

[विस्तृत हिन्दी विवेचन सहित]

[श्रीमान् तार्किक-चक्र-ब्रह्मणिण समन्तभद्र द्वारा रचित युक्त्यनुशासन के ३५ पद्यों का विवेचन पूर्वार्द्ध में किया जा चुका है। उससे आगे के पद्यों का विवेचन अब इस उत्तरार्द्ध में किया जा रहा है।

—संपादक]

यदि भूतों के समुदाय का कार्य चैतन्य माना जाय, तो इस मान्यता में समस्त चैतन्य शक्तियों में कोई भी भेद प्रतीत नहीं होगा; तब इस दशा में प्रत्येक संसारी प्राणी में जो बुद्धि आदि चैतन्य का भेद प्रतीत होता है, उसके अभाव का प्रसंग मानना पड़ेगा। परन्तु ऐसा तो है नहीं। बुद्ध्यादिकों में भेद प्रतीति तो होती ही है। यदि इस पर चार्वाक यह समाधान दे, कि विशिष्ट भूत, समुदाय हैं उत्पन्न होने से बुद्ध्यादिक विशेषों

की सिद्धि हो जायगी, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, इसी बात को सूत्रकार ३६ वीं गाथा से प्रकट करते हैं—

दृष्टेऽविशिष्टे जननादिहेतौ,
विशिष्टता का प्रतिसत्त्वमेषाम् ।
स्वभावतः किं न परस्य सिद्धि-
रतावकानामपि हा प्रपातः ॥३६॥

अन्वय—जननादिहेतौ अविशिष्टे दृष्टे प्रतिसत्त्व-एषां का विशिष्टता । स्वभावतः (विशिष्टतायां सद्भावायां) परस्य सिद्धिः किं न (स्यात्) । (अतः) हा ! अतावकानामपि प्रपातः ।

अर्थ—चैतन्य के उत्पादक भूतचतुष्टय में कोई भी विशेषता जब दृष्टि पथ नहीं होती है, तब प्रति प्राणी के प्रति इनकी कोई भी विशेषता नहीं बन सकती है । यदि प्रति प्राणी में विशिष्टता स्वभाव से है यह बात स्वीकार की जाय तो इस मान्यता में स्वभावतः आत्मसिद्धि क्यों न मान ली जाय । इसलिये हे नाथ ! आपके अतावकों—आपके सिद्धान्त से बहिर्भूत हुए इन चार्वाकों का भी यह हा ! महाभयंकर पतन है ।

भावार्थ—भूत चतुष्टय से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है—इस मान्यता का विचार सूत्रकार ने ३५ वीं कारिका में किया है । जिन चार्वाकों का यह सिद्धान्त है कि भूतचतुष्टय से चैतन्य की अभिव्यक्ति न होकर उत्पत्ति होती है, उसका विचार इस कारिका द्वारा सूत्रकार कर रहे हैं । इस कारिका की उत्पत्तिक्रम

में जो यह उत्पत्तिवादी पर आक्षेप किया गया था कि यदि भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति मानी जायगी तो “प्रतिप्राणी बुद्ध्यादि-चैतन्यविशेषो न स्यात्” प्रत्येक प्राणी में जो बुद्धि आदि का भेद दृष्टिगोचर होता है वह नहीं हो सकेगा” इस पर चार्वाकों का यह समाधान “प्रतिसर्वं भूतसमागमस्य विशिष्टत्वापदिशेष-सिद्धिः” कि “प्रति प्राणी में भूत समुदाय की विशिष्टता से बुद्ध्यादिक की विशेषता सिद्ध हो जायगी” ठीक नहीं साबित होता है। कारण कि जब “जननादिहेतौ अवशिष्टे दृष्टे” पृथिवी आदि भूत चतुष्टय में एवं तदजन्य शरीर, इन्द्रिय एवं विषय संज्ञा में जो कि चैतन्य की उत्पत्ति के हेतु माने जा रहे हैं कोई विशेषता नहीं देखी-पाई जाती है और न देवसृष्टि ही अंगीकृत की गई है, तब उनकी विशेषता से बुद्ध्यादि कृत विशेषता चैतन्य में कैसे स्वीकारई मानी जा सकती है। कारण कि अवशिष्टता में कार्य में विशिष्टता नहीं आती है। विशिष्टता से ही विशिष्टता आती है। यदि बुद्ध्यादिकों में विशिष्टता प्रथित करने के लिये स्वभाव की उस विशिष्टता का हेतु माना जावे- बुद्ध्यादिकों में विशिष्टता की सिद्धि स्वभाव से ही है-यदि ऐसा कहा जावे तो फिर “किं न परस्य सिद्धिः” चारों भूतों से भिन्न पाँचवें आत्मतत्त्व की सिद्धि इसी कथन से क्यों नहीं अंगीकार करली जाय। इस मान्यता में बाधा भी क्या है। “किं भूतकार्यचैतन्यवादेन।” बाधा तो इस भूत कार्य चैतन्य-वाद में है, अतः इस बाधित सिद्धान्त को मानने से लाभ क्या ?

यदि इस पर यह कहा जाय कि जो चैतन्य की आप स्वभाव से सिद्धि करना चाह रहे हो तो वह स्वभाव से इसीलिये सिद्ध माना जा सकेगा कि वह कार्याकार परिचित भूतों का कार्य है— तो चार्वाक के इस कथन पर सन्नकार पूछ रहे हैं कि “भूतानि किमुपादानकारणं चैतन्यस्य सहकारीकारणं वा” ये भूत चैतन्य के उपादान कारण हैं अथवा सहकारी कारण हैं। यदि पृथिवी आदिक भूतों को उसका उपादान कारण माना जाय तो उसमें—चैतन्य में भूतों के अन्वय का प्रसंग प्राप्त होगा। जिस प्रकार सुवर्ण से उद्भूत—निर्मित मुकुट में सुवर्ण का अन्वय—वंशरूप सम्बन्ध एवं पृथिवी आदि उपादान कारणक शरीर में पृथिवी आदि का अन्वय चलता है उसी प्रकार भूत समुदाय रूप उपादान कारण से जायमान चैतन्य में भी पृथिवी आदिक भूतों का अन्वय चलना चाहिये, परन्तु नहीं चलता। अतः वे इसके उपादान रूप कारण नहीं माने जा सकते। यदि उपादान के अन्वय का तिरस्कार करने के लिये प्रदीप से उद्भूत कज्जल का कि जिसका उपादान कारण प्रदीप है और जिसमें प्रदीप का अन्वय भी नहीं है दृष्टान्त दिया जाय तो यह कथन ठीक नहीं है, कारण कि कौन कहता है कि कज्जल का उपादान कारण दीपक है। दीपक की ज्वाला तो ज्वालान्तर की उपादान कारण है और कज्जल का उपादान कारण तैल, बर्तों आदि हैं। अपनी सहायक प्रदीपकलिका को प्राप्त कर तैल ही स्वयं कज्जल रूप से वस्त्रिमित होकर ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता

है। यद्यपि रूपदिकों के साथ समन्वय होने से उस-कज्जल-में तैल का अन्वय नहीं है फिर भी तैलादिक-उपादानता का उसमें अभाव प्रतिपादित नहीं हो सकता है। कारण कि पुद्गल द्रव्य त्रिकाल में भी उत्पाद, व्यय और धौव्य रूप अपने लक्ष्य से शून्य नहीं रह सकता है। उसमें सदा उत्पाद, व्यय और धौव्य रूप से परिष्कृत होता ही रहता है। इस अपेक्षा से यद्यपि कज्जल में तैलान्वितता प्रतीत नहीं होती है, परन्तु रूपदिकों के साथ वहाँ अन्वितता स्पष्ट रूप से प्रतीत होती ही है। मतलब इसका यह है कि यदि कोई कज्जल को तैल-वर्ती आदि उपादान कारक मानने पर यह आशंका उपस्थित करे कि कज्जल में तैल का अन्वय न होने से उसे उसका उपादान कारण कैसे माना जा सकता है ? तब इसके समाधान निमित्त टीकाकार कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना। कारण कि पुद्गल का स्वभाव परिष्कृत स्वरूप है। जो पुद्गल प्रथम तैल रूप से परिष्कृत-पर्यायाकान्त हो रहा था, वही पुद्गल प्रदीपरूप सहकारी सामग्री के वश से अपनी पूर्वस्था का परित्याग कर अब कज्जल रूप से बदल रहा है। इस प्रकार तैल एवं कज्जल रूप पर्यायों की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य में व्यय एवं उत्पाद होने पर भी रूपदिकों की अपेक्षा से धौव्यरूपता प्रमाणासिद्ध है। कज्जल रूप होना जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, उसी प्रकार तैल रूप होना भी पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है। पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। अतः कज्जल रूप पर्याय

में पुद्गल की अपनी उपादानभूत तैल आदि पर्याय का अन्वय न होकर रूपादिक रूप ध्रौव्य पर्याय का अन्वय स्पष्ट रूप से प्रतीति का विषय आबाल संसार को होता ही है । त्यक्तात्यक्त रूप वाला जो होता है वही उपादान माना गया है । पुद्गल द्रव्य अपने पूर्व तैल स्वरूप रूप का परित्याग कर जिस प्रकार अपने दूसरे अस्थिर रूप कञ्जल के साथ स्थिर-अत्यक्तरूप गुणादिकों के अन्वय की अपेक्षा त्यक्तात्यक्त रूपता अंगीकृत करने से अपने में उपादानता घोषित करता है, इस प्रकार से यह उपादानता पृथ्वी आदिक भूतसमुदयों में आती हुई प्रतीत नहीं होती है । ऐसा वहां प्रतीत नहीं होता है कि पृथ्वी आदिक भूत समुदय जब चेतनाकारता को उत्पन्न करता है, तब अपने पूर्वरूप अचेतनाकार का परित्याग कर चेतनाकारता को धारण कर लेता हो एवं इन दोनों अवस्थाओं में अपने निज स्वरूप धारण, ईरण, द्रव्य एवं उष्णता गुणों द्वारा अन्वित प्रकृत होता हो । कारण कि चैतन्य में धारणा आदि गुण स्वभाव के अभाव की प्रतीति होती है । दूसरे बात यह भी है कि अत्यन्त विजातीय पदार्थ अपने से अत्यन्त विजातीय का उपादान हो भी कैसे सकता है । अतः यह मानना चाहिये कि कोई भी पदार्थ अत्यन्त विजातीय कार्य का कर्ता नहीं हो सकता है और न इस प्रकार की प्रतीति ही होती है । भूत समुदय में एवं

(१) त्यक्तात्यक्तात्मरूपं यत्, पूर्वा, वर्येण वर्तते ।

कालत्रयेऽपि तद्ब्रह्म, उपादानमिति स्मृतम् ॥

चैतन्य में यदि तत्त्व एवं अर्थ क्रियाकारित्वादि धर्मों के द्वारा सजातीयता मानकर भूतों से सजातीय रूप चैतन्य का उत्पाद कहा जावे तो यह कहना उचित नहीं है। कारण कि इस प्रकार से यदि वहां पर सजातीयता मानी जायगी तो फिर भूतों में भी परस्पर में इन्हीं धर्मों के द्वारा सजातीयता आने से परस्पर में उपादान उपादेय भाव की प्रसङ्गि माननी पड़ेगी। यदि यह कहकर उनमें उपादान उपादेय भाव निरस्त किया जाय कि इनके असाधारण धारणादिक निज २ लक्षण भिन्न हैं अतः इनमें उपादान उपादेय भाव नहीं बन सकता है। अतः लक्षणा-पेक्षया विजातीयता आने से वे सब स्वतंत्र तत्त्व हैं तो फिर इसी प्रकार की मान्यता इन भूत और चैतन्य तत्त्वों में भी कि जिनका लक्षण एक दूसरे से सबथा विलक्षण है और इसीलिये जो परस्पर में सर्वथा भिन्न हैं क्यों नहीं आप मानते हैं। अतः अपने २ असाधारण लक्षणों से सर्वथा जुड़े इन भूत और चैतन्य में उपादान उपादेय भाव कैसे घटित हो सकता है। नहीं हो सकता। धारणा आदि लक्षणों वाले भूत चतुष्टय हैं, ज्ञान एवं दर्शन लक्षण वाला चैतन्य है। भूत चतुष्टय का लक्षण चैतन्य में और चैतन्य का लक्षण भूत चतुष्टय में देखा नहीं जाता है, इसलिये यह बात टंकोत्कीर्ण रूप से माननी चाहिये कि वे दोनों तत्त्व परस्पर में अत्यन्त विलक्षण हैं। अतः इन अत्यन्त विलक्षणों-विजातीयों में उपादान उपादेय भाव कैसे युक्त माना जा सकता है? अब रही साधारण तत्त्वादिक धर्मों

की अपेक्षा से सधर्मता की बात, सो इस अपेक्षा से उपादान उपादेय भाव मानने में अतिप्रसंग आता है। जो ऊपर प्रकट किया जा चुका है।

भूतक्तुष्टय को चैतन्य का उपादान कारण न मानकर यदि सहकारी कारण माना जावे तो चैतन्य का उपादान कारण कोई और ही दूसरा पदार्थ मानना पड़ेगा। बिना उपादान के किसी भी कार्य की उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती है। “बिना उपादान के भी कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है” इस बात को साबित करने के लिये यदि शब्द विद्युत् आदि को दृष्टान्त में रक्खा जाय सो भी ठीक नहीं है, कारण कि शब्द विद्युत् आदि बिना उपादान के नहीं हैं। इनका भी उपादान कारण है। “स्वोपादानपूर्वकःशब्दादिःकार्यत्वात् पटादिवत्” कार्य होने से पटादि की तरह शब्दादिक अपने उपादान पूर्वक की उत्पन्न होते हैं। इस अनुमान प्रयोग द्वारा उनमें स्वोपादानता सिद्ध होती है। “अपने सहकारि तात्त्वादिक स्थानों के सिवाय उनका स्वोपादान और कोई है ही नहीं” ऐसा कहकर यदि उनमें निरूपादानता प्रकट की जाय सो भी ठीक नहीं, कारण कि शब्दादि पुष्कल द्रव्य-भाषावर्गशादि रूप पुष्कल द्रव्य उनका निज उपादान कारण है ऐसा हम कहते हैं। “पुष्कल द्रव्योपादान एव शब्दादि बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वात् घटवत्” इस अनुमान से घट की तरह बाह्य इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने से शब्दादिक भाषा वर्गशादिक रूप अपने उपादान कारण से ही जाय-

मान है। वहाँ पर "बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वत्" यह हेतु सामान्य से व्यभिचारित नहीं हो सकता है—अर्थात् संकाकार इस हेतु में सामान्य द्वारा "येनेन्द्रियेषु बह्वृषोः तेनेन्द्रियेषु तभिष्ठा जातिः तदभावश्च गृह्यते" "यह कहकर कि जित्त इन्द्रिय से जो व्यक्ति ग्रहण किया जाता है उसी इन्द्रिय से उसकी जाति—सामान्य भी ग्रहण करली जाती है—अतः बाह्येन्द्रिय प्रत्यक्षता व्यक्ति को विषय करते समय उसके सामान्य में रही—परन्तु उसमें स्वोपादनता रूप साध्य नहीं रहता है" इस प्रकार व्यभिचार दोष उद्घातित नहीं कर सकता है। क्योंकि उसमें बाह्येन्द्रियप्राप्तता आने से स्वोपादनत्व सिद्ध होता है। कारण कि सामान्य सत्त्व परिणाम स्वरूप माना गया है। इसकी आधार अपना भूत द्रव्य होता है। सामान्य जैन दर्शन में एक व्यापक एवं निरन्तर नित्य नहीं माना है। इसलिये उसमें बाह्येन्द्रिय प्राप्तता आने से स्वोपादनता सिद्ध ही होती है। जो पुष्कल द्रव्य अपने व्यक्तियों का उपादान कारण है वही उनके सामान्य का भी। "इस प्रकार मानने से सामान्य में अनित्यता आवेगी" सो इस प्रकार की दोषापत्ति हमें मान्य ही है। कारण कि किसी अपेक्षा से हम जैन दार्शनिकों ने उसे अनित्य भी माना है। सर्वथानित्य मानने पर सामान्य में स्वप्रत्यय के प्रति हेतुता ही नहीं आ सकती है। सर्वथा नित्यता में सामान्य अपने की विषय करने वाले ज्ञान का जनक ही नहीं हो सकता है। हाँ! संग्रहण का विषयभूत जो सामान्य है उसमें अलबचा बाह्येन्द्रिय

प्रत्यक्षता नहीं रहने से स्वोपादनता नहीं मानी गई है। वह अतीन्द्रिय है। परन्तु जहाँ बाह्येन्द्रिय श्रद्धता है ऐसा जो व्यवहार नय से सिद्ध पुद्गलसकंभ द्रव्य है वह अवश्य ही सूक्ष्म पुद्गलोपादानक है। इसलिये “पुद्गल-द्रव्योपादान एव शब्दादिः बाह्येन्द्रिय-प्रत्यक्षत्वात्” यह अनुमान सर्वथा निर्दोष है। इस अनुमान बल पर शब्दादिक स्वोपादान पूर्वक ही जायमान हैं—जब यह बात मली भांति सिद्ध हो जाती है तो फिर इन्हें संवादक रूप रखकर जो सहकारी मात्र की सहायता से ही विना उपादान के चैतन्य का उत्पाद (भूतचतुष्टय रूप सहकारी सामग्री से) आप कह रहे हैं वह कैसे माना जा सकता है? कार्य के जनक उपादान और सहकारी कारण ही होते हैं—यहाँ इनसे अतिरिक्त तीसरा और कोई कारण ऐसा नहीं है कि त्रिससे भूतचतुष्टय चैतन्य का जनक स्वीकार किया जा सके। भूतों में चैतन्य के प्रति उपादानता घटती नहीं है तथा विना उपादान के सहकारी कुछ कर नहीं सकता है तो यह बात ही है नाथ! मान्य कोटि में आती है कि चैतन्य की स्वभाव से ही भूत विशेष की तरह तत्त्वान्तर रूप से सिद्धि है। इस तत्त्वान्तर सिद्धि का अपह्नव करने वाले जो अतावक हैं—दर्शन मोह के उदय से जिनका चित्त आकूलित है—उन चार्वाकों का भी हा! वह कितना भयंकर संसार समुद्र में गिरने वाला पत्तन हुआ है।

स्वच्छंदवृत्तेर्जगतः स्वभावा-

दुष्चेरनाचारपथेष्वदोषम् ।

निष्ठुष्य दीक्षासममुक्तिमानास्-

त्वद्दृष्टिवासा वत विभ्रमन्ते ॥३७॥

अन्वय—जगतः स्वभावात् स्वच्छंदवृत्तेः कच्चेः अनाचारपथेषु (प्रवृत्तिः) प्रदोषश्च (इति) निष्ठुष्य दीक्षासममुक्तिमानाः त्वद्दृष्टि-वासाः वत विभ्रमन्ते ।

अर्थ—जगत की स्वभावतः स्वच्छंद वृत्ति होने से निकट हिंसादिक अनाचार मामों में प्रवृत्ति होती है—इसमें कोई दोष नहीं है इस प्रकार प्रविषादन कर जो सीमांसकादिक परतीर्थिक “दीक्षा के समकालवाली वृत्ति है” इस शकान्त मन्त्रता में ही समग्र बने हुए हैं। हे नाथ ! वे आपकी स्याद्धारूप दृष्टि से बाध होते हुए, दुःख है कि तात्त्विक निरचय की अप्राप्ति से इत-स्वतः संसार में या अज्ञान भाव में ही चक्कर खाट रहे हैं ।

प्रवृत्तिरक्तैः शमतुष्टिरिक्तैः

उपेत्य हिंसाभ्युदयाङ्गनिष्ठा ।

प्रवृत्तितः शांतिरपि प्ररूढं

तमःपरेषां तव सुप्रभातम् ॥३८॥

अन्वय—शमतुष्टिरिक्तैः (अतएव) प्रवृत्तिरक्तैः (सीमांसकैः) उपेत्य, अभ्युदयाङ्गनिष्ठा हिंसा, प्रवृत्तितः शांति अपि (इति कथनं) परेषां तमः प्ररूढं, तव (कथनं) सुप्रभातं (प्ररूढम्) ।

अर्थ—शम द्वारा होने वाली तुष्टि से जो रिक्त हैं और इसीलिये प्रवृत्ति—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह में जो

इच्छानुसार अतिशय प्रवृत्त हैं ऐसे यज्ञवादी मीमांसक ने इस प्रवृत्ति को स्वयं अपनकर “हिंसा अभ्युदयरूप स्वर्गादिक प्राप्ति के कारण की आधार भूत है एवं प्रवृत्ति से शांति भी होती है” इस प्रकार जो प्रतिपादन किया है सो हे नाथ ! वह दूसरों—स्याद्वादसिद्धान्त से बहिर्भूत बने हुए उन मीमांसकों का गूढ अंधकार है और आपका कथन—स्याद्वाद सिद्धान्त मंगलमय प्रभात है ।

भावार्थ—हिंसादिक पाँच महा-पातकों में बिना किसी नियम के अर्थात् मनमानी प्रवृत्ति का कारण शमतुष्टिरिक्ताता है । क्रोधादिकों की शांति का नाम शम एवं संतोष का नाम तुष्टि है । ये मीमांसक शम से जन्म तुष्टि से रिक्त हैं । इसीलिये हिंसादिक महापातक रूप प्रवृत्ति में रक्त हो रहे हैं । “वेदविहित हिंसा, हिंसा नहीं है” इसी प्रवृत्ति से शांति मिलती है इत्यादि समस्त कथन उनका एक प्रकार का गूढ अंधकार ही है—जिसमें इन्हें वास्तविक षडार्थ के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो सक रहा है । अरे कहीं हिंसादिक रूप प्रवृत्ति से भी जीवों को शांति की प्राप्ति हो सकती है ? यह तो उच्छ्ठी शांति की महती प्रतिपक्षभूता है । इससे तो रागादिक उद्रेक की ही वृद्धि होती है । अतः यह उसके ही उद्रेक की कारण है—अतुद्रेक रूप शांति की नहीं ।

“शान्तिरपि” इस पद में रहे हुए “अपि” शब्द से, मीमांसक यह प्रतिपादन कर रहा है कि ‘प्रवृत्ति दो प्रकार की

है—एक रामादिक की हेतुभूत, और दूसरी शांति की हेतुभूत। इनमें से जो वेद वाक्य द्वारा अविहित प्रवृत्ति है वह रामादिक के उदय की निमित्त होती है जैसे—ब्राह्मण का वध और सुत-पात्र आदि करना। जो वेद—विहित प्रवृत्ति है, वह शांति की हेतुभूत होती है—जैसे यज्ञ के निमित्त पशुवध आदि करना। इस प्रवृत्ति में अशुभार्थ प्रयोजकता होने से कौशादिक के उदय की निवन्धनता का अभाव है।” इस प्रकार से वेदविहित प्रवृत्ति में शांति के प्रति हेतुत्वा का कथन करचा ठीक नहीं है—कारण कि ऐसा नियम नहीं बन सकता है कि जो वेदविहित प्रवृत्ति होगी वह नियम से शांति की हेतु होगी। यदि यह नियमित रूप से मान्य रक्खी जाय तो “मातरमुपैहि स्वसारमुपैहि” इस प्रवृत्ति को भी कि जो वेद वाक्यों द्वारा विहित हुई है शांति का हेतु मानना पड़ेगा। एवं वेद में अविहित सुतपात्रों को दान देना आदि रूप प्रवृत्ति में शांति की प्रतिष्ठाभूतता की स्थापना स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि मीसांसक इस आशय पर यह समाधान करे कि देवता के आराधन की विधि की तरह परंपरा सम्बन्ध से वेद विहित प्रवृत्ति भी शांति की हेतु बनती है—तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। कारण कि वेद विहित भी हिंसा-दिरूप प्रवृत्ति परंपरा सम्बन्ध से भी शांति की हेतुभूत नहीं बन सकती है। जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति मद्यजन्य नशा के अभाव करने के लिये अमपान में प्रवृत्ति नहीं करते हैं उसी प्रकार शांति के अहितकारी जन भी शांति के प्रतिकूल हम

हिंसादिक रूप प्रवृत्ति में भी प्रवृत्त नहीं होते हैं । अन्यथा उनमें प्रेक्षा-पूर्वकारित्व का अभाव मानना पड़ेगा । सत्पात्रों को दान देना, देवता का अर्चन करना आदि रूप प्रवृत्ति में यद्यपि सूक्ष्म प्राणियों की वधादि रूप क्रिया होती है परन्तु वह अनभिसंघित है—जान बूझ कर वहां उनकी वधादि रूप क्रिया नहीं की जाती है—वह तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने पर भी स्वयं हो ही जाती है, एतदपेक्षया वह प्रवृत्ति परंपरा सम्बन्ध से शांति की हेतुभूता बन सकती है—और बनती ही है । कारण कि इन क्रियाओं में दर्शन की विशुद्धि एवं परिग्रह के परित्याग की प्रधानता रहती है—और इसी से यह शांति रूप प्रवृत्ति सब जीवों पर समता भावरूप में प्रकट होती है । अन्यथा उसका अस्तित्व ही नहीं बन सकता है । इसलिये छत्रकार ने यह समुचित कहा कि ‘प्रवृत्तितः शान्तिरिति वचनं महातमोविजम्भितं’ कि ‘वेदविहित प्रवृत्ति से शान्ति होती है’ इस प्रकार का कथन मीमांसकों का महामोह रूप अंधकार का विलास है । अतः हे नाथ ! आपका ही मत समस्त अज्ञान रूप तमस्तोम के निरसन में पटीयस्त्व—समर्थ होने से सुप्रभात स्वरूप है ।

शीर्षोपहारादिभिरात्मदुःखै-

देवान् किलाराध्य सुखाभिगृह्णाः ।

सिद्ध्यन्ति दोषापचयानपेक्षा,

युक्तं च तेषां त्वमृषिर्न येषां ॥३६॥

अन्वय—आत्मदुःखैः शीर्षोपहारादिभिः देवान् आराध्य किल (स एव) सिद्धयन्ति (ये) दोषापचयानपेक्षाः, सुखाभिगृह्याः । (एतद्) च तेषां गुरुं, येषां त्वं ऋषिः न ।

अर्थ—जीवात्मा के लिये दुःख के निमित्तभूत शीर्षोपहार—अपने अशुभ बकरे आदि पशुओं के मस्तक की बलि चढाना आदि कृत्यों से स्पष्ट देवताओं की आराधना करके निश्चय से वे ही व्यक्ति अपने को सिद्धिपद की प्राप्ति होना मानते हैं जो दोषापचयानपेक्षा—रामादिक दोषों के विनाश करने की अपेक्षा वाले नहीं हैं, एवं सुखाभिगृह्यकाम—सुख आदि में लोलुप बने हुए हैं । अतः हे नाथ ! यह बात ऐसों के लिये योग्य ही है । क्योंकि आप उनके गुरु नहीं हैं । जिनके आप गुरु हैं वे इस प्रकार के नहीं हैं ।

भावार्थ—सूत्रकार इस कारिका द्वारा यह अदृष्टित्व कर रहे हैं कि हे नाथ ! यह गाढान्धतमता उन्हीं मिथ्यादृष्टियों में आती है जो आपके शिष्यत्व से बाह्य हैं । वे विचारे कर्मों के देवताओं को प्रसन्न करने के लिये उनकी शीर्षोपहार, गुग्गुलु का धारण करना, भृगुपतन—पर्वत से गिरना आदि आत्मा—जीव दुःख विधायक निकृष्ट उपायों द्वारा आराधना करने में लगे रहते हैं और इसी से अपनी सिद्धि होना मानते हैं । विषयों के दास बने हुए भला वे क्या जानें कि सिद्धिपद की प्राप्ति विना दोषों के विनाश हुए नहीं हो सकती है । दोषापचयानपेक्षा में यह हेतुगर्भित कथन है । सुखाभिगृह्य है—इसलिये उसकी

ओर से उन्हें उपेक्षा है। जिनके आप गुरु हैं—जिन्होंने शुद्धि और शक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं—इसलिये आपका शिष्यत्व होना अंगीकार किया है ऐसे उन सम्यग्दृष्टियों के पास, कि जो हिंसादिक से विरक्त चित्त हैं एवं जो यह समझ रहे हैं कि दया, दम, त्याग और समाधिनिष्ठ होने से ही आपका शासन अद्वितीय है तथा नय और प्रमाण से विनिश्चित, परमार्थ भूत स्वभाव संपन्न जीवादिक तत्त्वों की प्रतिपत्ति में जिनकी—अन्तःकरण की वृत्ति कुशल बनी है, प्रमाद एवं अशक्ति से क्वचित् हिंसादिक रूप प्रवृत्ति का आचरण करते हुए भी जिन्होंका चित्त उसमें कदाग्रह—दुरभिवेशरूप पाश से बंधा हुआ नहीं है यह गाढान्धतमता कदम तक नहीं धर सकती है। वे जीव इन शीर्षोपहारादिक हिंसामय कृत्यों से अपनी सिद्धि होना नहीं मानते हैं।

स्तोत्रे 'युक्त्यनुशासने—इत्यादि—सूत्रकार ने युक्त्यनुशासन नाम के इस स्तोत्र में पराकाष्ठा को प्राप्त हुई शुद्धि और शक्ति के धारक जिनेन्द्र वीर प्रभु का अनेकान्त रूप सिद्धान्त सम्पूर्ण-रूप से निर्दोष अतएव अद्वितीय है इस विषय का निर्णय और अनेकान्त शासन से बाह्य सकल सिद्धान्तों का सदोष एवं

- (१) स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्वीरस्य निःशेषतः,
सम्प्राप्तस्य विबुद्धिकल्पिदवीं काष्ठां परामाभितां ।
निर्णीतं मतमद्वितीयममलं, संक्षेपतोऽप्राकृतं,
सद्बाह्यं वितथं मतं च सकलं, सद्धीषनेर्बुद्ध्यतां ॥

वितथ होने से संक्षेप से निराकरण यहाँ तक प्रदर्शित किया है
यह बात बुद्धिमानों की संमत् लेनी चाहिये ।

सामान्यनिष्ठा विविधा विशेषाः,
पदं विशेषान्तरपक्षपाति ।
अन्तविशेषान्तरवृत्तितोऽन्यत्,
समानभार्यं नयते विशेषम् ॥४०॥

अन्वय—विविधाः विशेषाः सामान्यनिष्ठाः, पदं विशेषान्तर
पक्षपाति अन्तविशेषान्तरवृत्तितः अन्यत् विशेषं समानभार्यं नयते ।

अर्थ—अनेक प्रकार के विशेष सामान्य में निष्ठ हैं । पद
विशेषान्तर का पक्षपाती है । वह पद विशेषान्तरों के अन्तर्गत
अपनी वृत्ति होने से अन्य विशेष को सामान्य रूप में प्राप्त
कराता है ।

भावार्थ—७ वीं कारिका में सूत्रकार ने ‘अभेदभेदात्मक-
मर्थतत्त्व’ इस वाक्य द्वारा अर्थतत्त्व में सामान्यविशेषात्मकता
प्रकट की है । प्रत्येक पदार्थ न सामान्यरूप है, न विशेषरूप है
और न परस्पर निरपेक्ष सामान्य विशेष रूप ही है । किन्तु
‘सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः’ इस सूत्र के अनुसार वह
अभेदभेदात्मक—सामान्यविशेषात्मक है । ऐसा हीमे से ही
उसमें नय एवं प्रमाणों द्वारा अवाच्यता का निश्चय होता है
और इसीलिखे इस मान्यता में अद्वितीयता का कथन किया
जाता है । अब यहाँ पर वह प्रश्न होता है कि ‘सामान्यनिष्ठाः

विशेषाः स्युः, विशेषनिष्ठं वा सामान्यं स्यादुभयं वा परस्पर-निष्ठं” विशेष सामान्य में निष्ठ हैं या सामान्य विशेष में निष्ठ हैं अथवा सामान्य विशेष दोनों परस्पर में निष्ठ हैं ? इन प्रश्नों का ही उत्तर सूरिराज-सूत्रकार ने इस कारिका में दिया है। वे कहते हैं विविध विशेष सामान्यनिष्ठ हैं। सामान्य ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यग् सामान्य के भेद से दो प्रकार का है। “परापर-विवक्त-व्यापि-द्रव्यमूर्ध्वतासामान्यं” क्रम भावी पूर्व और उत्तर पर्यायों में एकत्व के अन्वय को ग्रहण करने वाले प्रत्यय द्वारा जो द्रव्य ग्राह्य होता है वह ऊर्ध्वता सामान्य है। जैसे स्थास, कोश, कुशूल आदि पर्यायों में एकत्व रूप अन्वय ज्ञान से मिट्टी ग्राह्य होती है। यह मिट्टी ही ऊर्ध्वता सामान्य है। नाना द्रव्यों में एवं अनेक पर्यायों में सादृश्य प्रत्यय द्वारा ग्राह्य जो सदृश परिणामन है वह तिर्यक् सामान्य है। विशेष शब्द पर्यायवाची है। ये पर्यायें अनेक प्रकार की होती हैं। कोई २ क्रमभावी होती हैं और कोई २ सहभावी। ये दोनों प्रकार की पर्यायें यद्यपि प्रत्येक द्रव्य में होती हैं, परन्तु जो जिस द्रव्य की पर्यायें होंगी वे उभी एक द्रव्य में रहेंगी। उत्त्प्रेषणादिक क्रमभावी पर्यायें अपरिस्पंदरूप होती हैं। ज्ञानादिक गुणरूप सहभावी पर्यायें परिस्पंदरूप हैं। ये साधारण, साधारणासाधारण और और असाधारण के भेद से ३ प्रकार की हैं। सत्व प्रमेयत्व आदि साधारण धर्म हैं, द्रव्यत्व जीवत्व आदि साधारणासाधारण धर्म हैं। एवं प्रति द्रव्य में भिन्न २ रूप से रहने वाली तथा

प्रतिनियत जो अर्थ पर्याय हैं वे असाधारण हैं। वे समस्त ही विविध प्रकार के विशेष एक द्रव्य में रहने के कारण सामान्य निष्ठ कहे गये हैं, क्योंकि विशेष स्वतन्त्र रूप में रह नहीं सकते हैं। वे समस्त विशेष जिस सामान्य में रहते हैं उस सामान्य का नाम ऊर्ध्वता सामान्य है।

शंका—जिस प्रकार विशेष सामान्यनिष्ठ हैं, उसी प्रकार सामान्य भी विशेषनिष्ठ क्यों नहीं हैं ?

उत्तर—यदि सामान्य को विशेषों में परिसमाप्त माना जावेगा तो किसी एक विशेष के अभाव होने पर उसका भी अभाव मानना पड़ेगा। परन्तु ऐसा तो होता नहीं है। किसी खास विशेष के उपाय में भी अन्य विशेषों में सामान्य की उपलब्धि तो होती ही है। इसलिये सामान्य का सर्वविशेषों में निष्ठ होना बाधित है। यदि उसे कतिपय विशेषों में निष्ठ माना जायगा, तो इस प्रकार की मान्यता में तद् अन्य विशेष व्यक्तियों में निःसामान्यत्व का प्रसंग आयगा। जो प्रत्यक्ष से विरुद्ध पड़ता है। दूसरे अशेष विशेषों में सामान्य को निष्ठ मानने पर जो विनष्ट एवं अनुत्पन्न विशेष हैं उनकी अपेक्षा सामान्य में भी विनाश एवं अनुत्पाद का प्रसंग मानना पड़ेगा। यदि इस पर यों कहा जाय कि विशेषों के विनाश होने पर भी सामान्य का विनाश नहीं माना जायगा एवं अनुत्पन्न पदार्थ में भी उसका अनुत्पादक-अभाव नहीं माना जायगा किन्तु अनुत्पन्न पदार्थ में उसकी सत्ता-वर्तमानता अंगीकृत की जायगी

तो इस प्रकार की मान्यता से सामान्य में युगपत् विरुद्ध धर्मों की अभ्यासिता-आश्रयता होने से वहां भेद कल्पना का प्रसंग मानना आ जायगा। अतः यह मानना चाहिये कि विशेषों में सामान्य निष्ठ नहीं है।

शंका-द्रव्य, गुण और कर्म इन पदार्थों में समवाय से द्रव्यत्व आदि सामान्य रहता है। ऐसी मान्यता यौगों की है। द्रव्यत्व आदि सामान्य की अपेक्षा द्रव्य, गुण और कर्म ये पदार्थ व्यक्तिरूप विशेष माने गये हैं। इस अपेक्षा से "सामान्य विशेषनिष्ठ है" यदि यह मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर—इस अपेक्षा से भी सामान्य को विशेषनिष्ठ नहीं साबित कर सकते। यद्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व इत्यादि सामान्य तिर्यक्-सामान्य रूप हैं, परन्तु फिर भी ये अशेष विशेषनिष्ठ सिद्ध नहीं हो सकते हैं। कारण कि यौगों ने द्रव्य नौ माने हैं। उनमें कुछ कार्यरूप-अनित्य द्रव्य हैं और कोई २ नित्य हैं। जब द्रव्यत्व रूप सामान्य की अपने सकल द्रव्य रूप व्यक्तियों में निष्ठा मानी जायगी, तब उन द्रव्यों में जो काय द्रव्य रूप व्यक्ति हैं उनके विनाश से उस द्रव्यत्वरूप सामान्य का भी विनाश मानना पड़ेगा। यदि इस दोष की निवृत्ति के लिये "द्रव्यत्व सामान्य" कतिपय-नित्यद्रव्यों में रहता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो इनसे भिन्न अनित्य द्रव्यों में निःसामान्यत्व का प्रसंग आयागा जो अनिष्ठ है। यदि च अनित्य द्रव्यों में भी सामान्य का सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये ऐसा कहा जाय कि सामान्य नित्य

और सर्वगत है इसलिये उसका सम्बन्ध तदन्तःसलक्षित व्यक्तित्व द्रव्यों में भी हो जायगा सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, कारण कि जब सामान्य स्वयं नित्य है तब उसके रहने से उन अनित्य द्रव्यों में भी नित्यत्व का प्रसंग मानना पड़ेगा। नित्यत्व के प्रसंग से द्रव्यों में नित्य और अनित्य का विभाज्य बन नहीं बन सकेगा। यदि द्रव्यों में नित्यानित्य विभाज्य साधित करने के लिये यह कहा जाय कि जिस प्रकार वृक्षत्व रूप सामान्य से सम्बद्धित भी शिखाया आदि व्यक्तियों में नित्यता नहीं आती उसी प्रकार व्यापक द्रव्यत्वरूप सामान्य से सम्बद्धित व्याप्य—अनित्य द्रव्यरूप व्यक्तियों में भी नित्यता नहीं आ सकती। सामान्य के नित्य रहने पर तद्विच्छिन्न व्यक्तियों में नित्यता मानने की आवश्यकता ही क्या है। व्याप्य के अभाव में भी व्यापक का सञ्जाव में कोई विरोध नहीं आता है। तो इस कथन से यही पुष्ट होता है कि सामान्य में ही व्यक्ति निष्ठ हैं व्यक्तियों में निष्ठ सामान्य नहीं है। क्योंकि सामान्य रूप आचार के अस्थित रहने पर ही विशेषों में उत्पत्ति और विभाज्य होता है। इसी प्रकार दोनों को निरपेक्षरूप से परस्पर किंहु मानना भी ठीक नहीं है। कारण कि इस प्रकार की सामान्यता में दोनों का अभाव ठहरता है। इनके अभाव में सामान्य विशेषात्मक वस्तु की भी सिद्धी नहीं हो सकती है।

शंका—यदि सामान्यनिष्ठ विशेष हैं तो फिर यह आश्चर्य होती है कि कर्म समूहात्मक एक किसका बोधक होता है ?

सामान्य का, या विशेष का, या तदुभय-सामान्य विशेष का, अथवा अनुभय सामान्य विशेष रहित का ?

उत्तर—पद विशेष का बोधक होता है । क्योंकि “पद विशेषान्तरपक्षपाति” है । द्रव्य, गुण और कर्म के भेद से पद तीन प्रकार का होता है । द्रव्य में प्रवर्तमान पद द्रव्य द्वारा विशेषान्तर रूप गुण एवं कर्म का भी बोधक-प्रकाशक होता है । जैसे “दण्डी” यह पद संयोगी-दण्ड और पुरुष द्रव्य द्वारा द्रव्य रूप देवदत्त आदि में प्रवर्तमान होता हुआ दंड और पुरुष का संयोग सम्बन्ध रूप गुण का एवं उभयगत कर्म का भी प्रकाशक होता है । यदि “दंडी” यह पद अन्य विशेषान्तरों गुण कर्म को स्वीकार न करे तो “दंडी” इस पद की किसी एक विशेष में भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । इसी तरह “विषाखी” यह पद समवायि द्रव्य-विषाण और विषाणवान् गाथ आदि को विषय करता है क्योंकि “विषाखी” इस पद से दोनों समवायियों का बोध होता है । साथ में उनके भवत्तादि गुण का एवं उनकी क्रिया का भी बोधक होता है । “शुक्ल” यह पद भी गुण द्वारा द्रव्य में प्रवृत्त होकर गुण को विषय करता हुआ अपने साथ अन्वय रखने वाले द्रव्य को एवं कर्म को भी विषय करता है । उनका भी प्रकाशक होता है । मतलब कहने का यह है कि द्रव्य, कर्म एवं गुण इनमें से किसी एक में प्रवर्तमान पद दूसरे विशेषों का भी प्रकाशक होता है । यदि ऐसा न हो तो उसकी किसी भी विशेष में प्रवृत्ति नहीं बन सकती

है। हां, इतना अवश्य है कि जिस विशेष में उच्चरित पद होमा वह उसकी मुख्य रूप से और अन्य विशेषों की गौणरूप से प्राप्ति करायेगा। इसलिये इसे विशेषान्तर पक्षपाती कहा है। विशेषान्तरों में जिसका पक्षपात स्वीकृत हो उसका नाम विशेषान्तर पक्षपाती है। इस प्रकार विशेषान्तर पक्षपाती होने से पद की अन्य विशेषान्तरों के अन्तर्गत वृत्ति सिद्ध होती है। और इसीसे यह द्रव्य, गुण, और कर्मरूप विशेषों में पक्षपात रखने वाला दूसरे ज्ञात्यात्मक विशेष को सामान्य रूप में भी प्राप्त कराता है। जैसे “गौ” यह पद गौत्व जाति द्वारा द्रव्य में प्रवर्तमान होता हुआ भी स्वाभय भूत द्रव्य विशेष नीली पीली गाय आदि को सामान्य रूप में-समान भाव-सदृशपरिणामन-में प्राप्त कराता है। इसी तरह “गुणत्व” यह जाति पद गुणत्व जाति द्वारा गुण में वर्तमान होता हुआ स्वाभयभूत गुण को जो कि विशेष रूप है जाति रूप में-सामान्य रूप में-“कर्मत्व” यह जाति परक पद कर्मत्वजाति द्वारा कर्म-में प्रवर्तमान होता हुआ स्वाधिकरण कर्म को जो कि विशेष रूप है समान भाव में प्राप्त कराता है। इसी प्रकार अन्य जाति विशेषों में भी समरूप लेना चाहिये। सत्र में “नयते” यह द्विकर्मक वाह्य है। इसलिये “समान-भावं नयते विशेष” ऐसा पाठ रक्खा गया है। नहीं तो “समानभावे नयते विशेष” ऐसा पाठ होता है। जब पद विशेषों को समान भाव में प्रकाशित कराता है, उस समय वह सदृश परिणामन रूप सामान्य को मुख्य रूप से एवं विशेष को गौण

रूप से कथित करता है। इस तरह पद सामान्य और विशेष दोनों को प्रतिपादित करता है। इस कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि विशेष की अपेक्षा न रखता हुआ सामान्य एवं सामान्य की अपेक्षा न रखता हुआ विशेष ये दोनों स्वतंत्र रूप में पद के वाच्य नहीं हो सकते हैं। क्योंकि परस्पर निरपेक्षता में इनमें अवस्तु रूपता आ जाती है। अतः खर विषाख या कूर्म लोमदि की तरह ये पद श्याम प्रकाशित नहीं हो सकते। “भाषि सामान्य केवल विशेषनिरपेक्षं पदं प्रकाशयति तस्याप्यसंभवात्।” पद का अर्थ न जालि है और न व्यक्ति है। किन्तु परस्पर सापेक्ष सामान्य और विशेष ही पद का अर्थ है। इरीलिये परस्पर निरपेक्ष सामान्य और विशेष पद का अर्थ न होने से तन्मात्र में प्रवर्तमान पद में असत्यता मानी गई है। इसी तरह सामान्य विशेष रहित पदार्थ का म' आबेदन पद नहीं करता है। क्योंकि ऐसा पदार्थ भी दार्शनिकों की दृष्टि में अवस्तु भूत है। अतः पद सामान्य विशेषरूपक जात्यन्तर रूप वस्तु का ब्रह्मण और गौण रूप से प्रतिपादन करता हुआ यथार्थता को उल्लंघन नहीं करता है। क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणा की तरह प्रतिषेधा को उससे ही वस्तु में प्रवृत्ति और प्राप्ति घटित होती प्रतीत होती है। अतः नाम, आख्यात, निपात एवं उपसर्ग तथा कर्म प्रवचनीय के भेद से जो चार या पाँच प्रकार का अन्व मिद्वन्त कारों ने माना है—अथवा सुबन्त और सिङ्गन्त के भेद से उसे जो दो प्रकार का भी माना गया

है—सो वह पद अन्तर्विशेषान्तरवृत्ति होने से विशेषान्तर पक्ष-
पाती होता हुआ विशेष को समान भाव में प्राप्त कराता है ।
निष्कर्ष इसका यही है कि सामान्य में विशेष निष्ठ हैं । सामान्य
का नाम द्रव्य और विशेष का नाम पर्याय है । द्रव्यों में पर्याय
रहती हैं । वर्षासमूह रूप पद सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का ही
प्रकाशन करता है । सामान्य को भी वह अब प्रकाशित करेगा
तो विशेष का तिरस्कार नहीं करेगा । इसी तरह विशेष के प्रका-
शन में भी सामान्य का वह अपलापक नहीं होगा । मुख्य एवं
गौण की विवक्षा वह उनके प्रकाशन में रखता है । इसलिये पद
विशेषान्तर पक्षपाती माना गया है । और इसीलिये विशेषान्तरों
के अन्तर्गत उसकी वृत्ति होने से वह दूसरे ज्ञात्यात्मक-गोत्व,
द्रव्यत्व आदि सामान्य रूप विशेषों को भी प्रकाशित करता है ।

विशेषान्तर पक्षपाती होने से पद विशेष को समानभाव
में तथा विशेषान्तर में वृत्ति होने से सामान्य को विशेष रूप में
भी प्राप्त कराता है ।

अब—“अस्त्येव जीवः” इस प्रकार के अवधारण करने
में दोष का कथन सूत्रकार करते हैं—

यदेवकारोपहितं पदं तद्

अस्वार्थतःस्वार्थमवच्छिनत्ति ।

पर्याय-सामान्य-विशेष-सर्व

पदार्थहानिश्च विरोधिवत्स्यात् ॥४१॥

अन्वय—यत् पदं एवकारोपहितं तत् अस्वार्थतः स्वार्थं अवच्छिन्न-
नस्ति पर्याय-सामान्य-विशेष-सर्वा (अवच्छिनति) (अन्यथा) विरोधित्व
पदार्थहानिः स्यात् ।

अर्थ—जो कर्ण समूहरूप पद एवकार ('स्यति') के बिना
अवधारणार्थक 'एव' इस शब्द) से युक्त होता है वह अस्वार्थ
से पदार्थ को भिन्न करता है । इसी प्रकार वह पर्याय, सामान्य
एवं विशेष इन सबसे भी अपने वाच्य-अर्थ को भिन्न करता है ।
ऐसी स्थिति में विरोधी की तरह स्वामिधेय पदार्थ की हानि
होती है ।

भावार्थ—सूत्रकार इस श्लोक द्वारा "अस्ति जीवः" इस
पद के साथ "एवकार"-अवधारणार्थक "एव" इस शब्द का
प्रयोग करने पर क्या दीर्घ आता है इस विषय को स्पष्ट करते
हैं । वे कहते हैं अवधारण करने से पद अस्वार्थ से स्वार्थ का
व्यवच्छेद करता है । यह बात सर्वमान्य है । "जीव एव अस्ति"
यही एव शब्द से विशिष्ट जीव है । इसलिये "जीव एव" इस
पद का अर्थ जीवत्व है और वही इसका स्वार्थ है । इससे विपरीत
अजीव अस्वार्थ है । कारण कि "जीव एव" ऐसा कहने से
अस्तित्व विशिष्ट जीव का ही बोध होता है—वही इस पद का
वाच्य है, अजीव आदि नहीं, क्योंकि वे इस पदके वाच्य-स्वार्थ
नहीं हैं । इसी से "जीव एव" इस पद द्वारा अजीवादिक
अस्वार्थ से अपने स्वार्थ-वाच्य जीवत्व का व्यवच्छेद करा जाता
है । इसी प्रकार "जीव एव" यह पद जीव की, सुख ज्ञानादिक

पर्यायों का, द्रव्यत्व, चैतन्यत्व आदि सामान्य का और अस्मिधात् के अविषयमत अनन्तानंत अर्थ पर्यायों का भी अस्वार्थ होने के कारण व्यवच्छेदक होता है। क्योंकि "जीव एव" इस पद के विरोधी-अजीवादिक की तरह ये भी अस्वार्थ ही हैं। यदि इन्हें भी उसका स्वार्थ माना जावे तो फिर सुख आदि एवं द्रव्यत्व चैतन्यत्व आदि पदों का जो भिन्न २ रूप से प्रयोग किया जाता है वह सब व्यर्थ ही ठहरता है। जब एक ही पद से अन्य पदों के स्वार्थ का भी बोध-ग्रहण हो जाता है तो यह स्वाभाविक है कि उन २ अर्थों के प्रकाशक भिन्न २ शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक ही है। तथा च-अहं सुखी, द्रव्यसह, चैतनोऽहं इत्यादि पदों का जब प्रयोग करना ही व्यर्थ-क्योंकि जीव पद से ही इन सब का जब कथन सिद्ध हो जाता है-सिद्ध होता है तो इन पदों के स्वतंत्र प्रयोग करने की क्या आवश्यकता रहती है-कूठ नहीं। परन्तु ऐसा तो है नहीं। इन पदों का अपने २ अर्थ को प्रकट करने के लिये स्वतंत्र प्रयोग तो हुआ है। अतः यह मानना चाहिये-या मानना पड़ता है कि "जीव एव" इस पद के ये सब अजीवत्वादिक की तरह अस्वार्थ हैं। अतः जिस प्रकार यह पद अपने अर्थ को अपने विरोधी अस्वार्थ-अजीवत्वादिक से निवृत्त करता है उसी प्रकार से इन अपनी पर्यायों से अपने-सामान्यों से एवं अपने विशेषों से भी अस्वार्थ होने से अपने आपको भिन्न करने वाला इस "एव" के सम्बन्ध से होता है। ऐसी परिस्थिति में अपनी निजी पर्याय आदि के अभाव में जीवादिक

कोई भी वस्तु संभवित नहीं हो सकती हैं । इसलिये यह मानना चाहिये कि स्यात् पद के बिना उच्चरित अवधारणार्थक एवकार एकान्त की पुष्टि का कारक होने से इस पूर्वोक्त रीति से दूषित ही ठहरता है, स्वाभिधेय की भी पुष्टि नहीं कर सकता है । क्योंकि उसका निज स्वरूप ही कोई सिद्ध नहीं होता है । अतः निज स्वरूप के अभाव में अपने अभिधेय की हानि स्वतः सिद्ध होती है । यदि यह कहकर कि “जीव एव” यह पद अपने स्वार्थ को सिद्धि ही कराता है—हानि उमकी इसके उच्चारण से नहीं होती है—क्योंकि वह अपने प्रतियोगी अजीव का ही व्यवच्छेदक होता है, अप्रतियोगी पर्याय एवं सामान्यादिकों का नहीं । क्योंकि वे उम ममय अविचक्षित हैं सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कारण कि इस प्रकार के कथन से स्याद्वाद मिद्धान्त की मान्यता ही ग्रहीत सिद्ध होती है । जो एकान्त मान्यता के विपरीत पड़ती है । स्याद्वाद मिद्धान्त में ही कथंचित् विवक्षा और अविवक्षा की अपेक्षा स्वार्थ और अस्वार्थ घटित होते हैं । अन्यत्र नहीं ।

समस्तपद एवकार से रहित हैं इस द्वितीय मान्यता में दूषण प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

अनुक्ततुल्यं यदनेवकारं

व्यावृत्त्यभावान्नियमद्वयेऽपि ।

पर्यायभावेऽन्यतराप्रयोग—

स्तत्सर्वमन्यच्युतमात्महीनम् ॥४२॥

अन्वय—यत् (पदं) अनेवकारं (तत्) अनुक्ततुल्यं । (यद्) नियमद्वयेऽपि व्यावृत्त्यभावात् । (तथा सति) पर्यायभावे, अन्यतराप्रयोगः तत् सर्वं अन्यच्युतं (सत्) आत्महोनं (प्रसज्येत) ।

अर्थ—जो पद एवकार के प्रयोग से रहित है वह अनुक्त-तुल्य—न कहे हुए के समान है । क्योंकि उससे नियमद्वय के—“अस्त्येव” इस प्रकार पूर्व अवधारण के “जीव एव” इस प्रकार के उत्तर अवधारण के—इष्ट होने पर भी एवकार के अभाव में व्यावृत्ति का अभाव होता है । व्यावृत्ति न होने पर अस्ति नास्ति आदि पदों में पर्यायभाव का प्रसंग आता है । इसलिये अन्यतर पद के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती है । ऐसी हालत में समस्त वस्तुएँ अन्य—प्रतियोगी से रहित होती हुई अपने निजस्वरूप से भी हीन रहित हो जाती हैं ।

भावार्थ—सूत्रकार इयं श्लोक द्वारा यह बात प्रकट कर रहे हैं कि जो पद अवधारण रूप एवकार से रहित होता है, वह नहीं कहे हुए के ही बराबर समझना चाहिये । जिस प्रकार नहीं कहा गया पद अपने अर्थ का प्रत्यायक नहीं होता, उसी प्रकार “अस्तिजीव” यह पद एवकार से रहित होने पर अस्ति के विरोधी-प्रतिपक्षी नास्तित्व का एवं जीव के विरोधी-प्रतिपक्षी अजीवत्व का व्यवच्छेद—व्यावृत्ति नहीं कराता है । “अस्ति” तिङन्त एक पद “जीवः” सुबन्त दूसरा पद है । अस्ति का विरोधी नास्तित्व है और जीव का विरोधी अजीवत्व है । अस्ति पद में एवकार नहीं होने से जो उसके सङ्ग में तत्प्रति-

योगी नास्तित्व की व्यावृत्ति सिद्ध हो जाती थी वह नहीं हो सकती। इसी प्रकार जीव पद में "एव" इस शब्द के अभाव में अजीवत्व की व्यावृत्ति नहीं हो सकती। इन दोनों की निवृत्ति के अभाव में घट और कुट शब्द में पर्यायवाची होने से एकार्थता की तरह अस्ति और जीव पदों से भी अपने प्रतियोगी अर्थों का प्रतिपादन होने लगेगा। "अस्ति" शब्द से नास्तित्व का और नास्ति शब्द से अस्तित्व का, जीव शब्द से अजीवत्व का और अजीव पद से जीवत्व का भी कथन करने का प्रसंग होगा। इस प्रकार "अस्ति जीव" पदों में स्वप्रतियोगियों के साथ एकार्थ प्रतिपादकता होने से पर्यायवाचित्व-पर्यायभाव प्रमत्त होता है। पर्यायभाव की प्रसक्ति में फिर हर एक पद से हर एक पद के अर्थ का प्रतिपादन जब होने लगता है तो फिर घट अर्थ को प्रतिपादन करने वाले घट, कलश पद में से किसी एक पद के प्रयोग की तरह अस्ति नास्ति आदि पदों में से भी किसी एक ही पद का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अस्तित्व अर्थ को प्रतिपादन करने के लिये अस्ति पद और नास्तित्व अर्थ को प्रतिपादन करने के लिये नास्ति पद का प्रयोग भिन्न रूप से करना पड़े। अर्थात्-वस्तु जिन प्रकार अपने अस्ति पद के अर्थ-अस्तित्व से विशिष्ट है, उन्हीं प्रकार वह उनके नास्तित्व रूप अर्थ (जो कि अस्ति शब्द का वाच्य प्रसंग रूप से सिद्ध किया गया है) से भी विशिष्ट है, ऐसी हालत में "अस्ति" पद की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। "अस्ति" पद जीव में अस्तित्व

अर्थ सिद्ध करता है या नास्तित्व, सुनने वाले के लिये ऐसा कोई निश्चय नहीं हो सकता । अतः एवकार के अभाव में वह पद अनुकृतुन्य हो जाता है । इसी प्रकार जीव पद के साथ भी यही ममभङ्गा चाहिये । क्योंकि जब उसके साथ ही एवकार का प्रयोग नहीं किया जायगा तब वह भी अजीवत्व का व्यावर्धक न होने से अजीवत्व का भी प्रतिपादक हो जायगा—एव “जीव” इस पद की भी कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती है । अतः—

“तदन्यतराप्रयोगे न सर्वमभिधेयं वस्तुजातमन्येन प्रतियोगिनाच्युतं त्यक्तं स्यात् अस्तित्वं नास्तित्वरहितं भवेत्” एवकार के अभाव में जब “अस्ति एवं नास्ति” पदों में तथा “जीव एवं अजीव” पदों में परस्पर में पर्यायभाव न बन जाता है तो इस स्थिति में विवक्षित अभिधेय को कहने के लिये परस्पर प्रतियोगी अस्ति नास्ति पदों में से चाहे जिस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । चाहे जिस शब्द के प्रयोग में अथवा अन्यतर के अप्रयोग में घट अथवा कट शब्द जिस प्रकार एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं उसी प्रकार परस्पर प्रतियोगी शब्दों-पदों द्वारा भी एक ही अर्थ का प्रतिपादन होगा इस अवस्था में समस्त अभिधेय वस्तुजात अन्य प्रतियोगि शब्दों से इदिव, इवे ज्ञायमा अथात् अस्तित्व नास्तित्व से रहित हो जायगा । इस प्रकार सत्तादित्व की स्थापति सामने स्थाकर नहीं हो जाती है । अतः यहाँ विचारना यह है कि यह सत्तादित्व नास्तित्व के अभाव में आत्महीन ही सिद्ध होता है । कारण कि परस्पर की जब तक

व्यावृत्ति इसमें नहीं होगी—तब स्वरूपोपादनता इसमें प्रथित ही नहीं हो सकती है। घट में स्वरूप-सत्ता तब तक नहीं आ सकती है कि जब तक उसमें अघट की व्यावृत्ति न हो जाय। उसी प्रकार सत्ताद्वैत की भी स्वरूप सत्ता तब तक साबित नहीं हो सकती कि जब तक उसमें नास्तित्व रूप प्रतियोग की व्यावृत्ति प्रसिद्ध न हो जाय। परन्तु नास्तित्व के अभाव में उसकी उससे व्यावृत्ति सिद्ध ही कैसे हो सकती है। इसलिये यह सत्ता-द्वैत अन्य प्रतियोगों से व्युत् होकर आत्महीन अपने निज स्वरूप से विहीन ही मानना पड़ता है। मतलब इसका यही है कि अस्तित्व और नास्तित्व ये दो परस्पर सापेक्षिक शब्द हैं। अस्तित्व नास्तित्व को और नास्तित्व अस्तित्व की अपेक्षा रखता है। जब अपना प्रतिपक्षी पद ही नहीं है तो उसके अभाव में एक दूसरे की स्वरूप सत्ता कैसे उपपन्न हो सकती है। अस्तित्व जब बिना नास्तित्व के अपनी स्वरूप सत्ता स्थापित नहीं कर सकता है तब वह अन्यव्युत् आत्महीन ही मानना पड़ता है। इसी प्रकार नास्तित्व भी अपने प्रतिपक्ष अस्तित्व पद से व्युत्-राहत होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम नहीं कर सकता है। यद्यपि सर्वथा नास्तित्व के संज्ञा की मान्यता में शून्यवाद का प्रसंग आता है, परन्तु सत्ताद्वैत की तरह इस वाद की भी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि “न चाभावो भावमन्तरेण संभवति” भाव और अभाव यह जब परस्पर सापेक्ष पद हैं तो भाव के अभाव में अभावरूप नास्तित्व की स्वतंत्र सत्ता कैसे कायम हो

सकैगी । वह विचारने जैसी बात है । घट अस्तित्व बिना उसके अभाव प्रतिपादन नहीं हो सकता । इस प्रकार शून्य के स्वरूप से भी अभाव होने पर उसके पररूप के अपोहन-अभाव का संभव नहीं बन सकता । घट में जब तक स्वरूप से सत्ता नहीं आजाती, तब तक उसके शरवत् अपटरूप के अपोहन का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । क्योंकि पररूप के अपोहन करने के लिये निज में स्वरूप से सत्ता की अनिवार्य आवश्यकता है । परन्तु स्वरूपसत्ता अपने प्रतियोगी के असङ्गात में बन ही नहीं सकती । वस्तु का वस्तुत्व तो इसी में है कि जहाँ पररूप के अपोहन पूर्वक स्वरूप का उपादान होता है । यदि यहाँ पर यह शङ्का की जाय कि जिस प्रकार वस्तु में वस्तुत्व प्रख्यापन के लिये पररूप के अपोहन की अनिवार्य आवश्यकता होती है उसी प्रकार अवस्तु के अपोहन की भी आवश्यकता अनिवार्य है—अवस्तु के अपोहन से ही तो वस्तु का अस्तित्व है—वस्तुत्व है—इसके बिना नहीं । तथा च सति वस्तु से भिन्न कोई अवस्तु नाम की चीज प्रसिद्ध हो जाती है—सो ऐसा कहना भी संगत नहीं है । कारण कि वस्तु के सिवाय सकल स्वरूप से शून्य अवस्तु शक्य और कोई चीज नहीं है । वस्तु ही पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अवस्तु रूप से मानी जाती है । “वस्त्वेवावस्तुर्ता याति अक्रियाया विपर्ययात् ।” इसलिये कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रतिपक्ष मत् अवस्तु से वर्जित होकर आत्मलाभ करनेवाली हो । अतः सूत्रकार का यह कथन “सर्वमन्यभ्युत्तमात्महीनं” सर्वथा

संमत ही है। सुदूर जाकर भी यदि वादी किसी दृष्ट सत्त्व को अस्महीन नहीं मानना चाहता है तो उसे उम इष्ट तत्त्व को अन्य प्रतिपक्षी पद से हीन नहीं मानना चाहिये। परन्तु सापेक्षता में प्रतिबोधी पदों में पर्यायभाव भी अङ्गीकृत इस प्रकार से नहीं हो सकता है। इसलिये “जीवःअस्ति” इन पदों में अवधारणार्थक एवकार से विशिष्टता अङ्गीकार करनी चाहिये। इस एकान्त मान्यता में ४१ वें श्लोक द्वारा दूषण प्रदर्शित किया ही जा चुका है।

शंका—एवकार और अनेवकार विशिष्ट पद प्रयोग में दूषण भले ही आओ, परन्तु जहां इनका प्रयोग ही नहीं किया जायगा वहां तो दूषणों का प्रवेश होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में सामान्यवाची पद अर्थ, प्रकार, लिङ्ग और शब्दान्तर की सन्धि से विशिष्ट का ज्ञान करा देंगे। व्यवहार की ऐसे ही प्रथा चलती है।

उत्तर—यह कहना भी ठीक नहीं है अर्थ प्रकार आदि द्वारा पद की स्थिति यदि एवकारार्थक विशेष में कराई जाती है तो एवकार युक्त पद के प्रयोग करने के पक्ष में जो दोष प्रदर्शित किये जा चुके हैं वे ही दोष इस पक्ष में भी आते हैं। यदि एवकार के अर्थ से रहित भिन्न विशेष में सामान्यवाची पद की प्रकार आदि द्वारा स्थिति कराई जाती है तो इस प्रकार की मान्यता में एवकार रहित पद के प्रयोग करने के पक्ष में जो दूषण अभी २ प्रकट किये हैं वे आते हैं। इसलिये किना एवकार के पद का प्रयोग नहीं करना चाहिये। एवकार सहित पद के

प्रयोग में अस्तित्व पहिले प्रदर्शित की ही जा चुकी है।

यदि “तत्सर्वमन्व्युनमात्महीनं” ४२ वीं कारिका के इस अन्तिम वाद को अस्त्य बोधित करने के लिये भावैकान्तवादी अथवा अभावैकान्तवादी इस प्रकार कहे कि “अस्तीति पदेन अभिधेयं अस्तित्वं अनेवकारेणापि अन्वेन तत्प्रतिपक्षभूतेन नास्तित्वेन च्युतं न भवति तस्य तदभेदित्वात्-तत्सर्वथा शून्यवादिनो नास्तित्वव्यातिरेकेणास्तित्वे च बचने नात्महीनं प्रसंजनयितुं शक्यमिति” “अस्ति” यह पद जो अपने अभिधेय-अस्तित्व का कथन करता है और जिसके साथ एवकार का सम्बन्ध नहीं किया जाता है तो भी अपने प्रतिपक्ष-नास्तित्व से-“नास्ति” इस पद द्वारा कथित “नास्तित्व” इस अभिधेय से-हीन नहीं होता है क्योंकि अस्तित्व, बिना नास्तित्व के असंभवित है। अपना अस्तित्व अपने में पर का नास्तित्व ही है। इस अपेक्षा से अस्ति पद का वाच्य अस्तित्व “नास्ति” पद वाच्य नास्तित्व से रिक्त नहीं होता है। इसीलिये अस्ति पर नास्तित्व का अभेदि-भेदक नहीं है। “अस्ति” इस पद का अभिधेय अपने प्रतिपक्ष भूत “नास्ति” पद के अभिधेय से शून्य नहीं होता है। इसी प्रकार “नास्ति” पद बिना एवकार के जिस अपने अभिधेय-नास्तित्व का कथन करता है उसका भी वह अभिधेय “अस्ति” इस पद के अभिधेय से विहीन नहीं होता है, नास्तित्व के बिना अस्तित्व की असंभवता है। अपने में पर का अस्तित्व नहीं होना ही अपना नास्तित्व है। इस अपेक्षा से “नास्ति”

पद का वाच्य नास्तित्व अपने प्रतिपक्षी अस्ति पद वाच्य अभिधेय से रिक्त नहीं ठहरता है । अतः एक अभिधेय में अन्य अभिधेय के सद्भाव से “अन्यच्युत” इस विशेषण की सार्थकता ही जब संगत नहीं बैठती, तब फिर इनमें आत्म हीनता—स्वरूप-सत्ता की प्रतिष्ठा का अभाव—कैसे आप प्रतिपादन करते हैं”—सो इस प्रकार के कथन से प्रतियोगी पदों को अमेदी बताकर “तत्सर्वमन्यच्युतमात्महीनं” इस अन्तिम पद को असत्य नहीं ठहराया जा सकता । क्योंकि—

“विरोधि चामेघविशेषभावात्” यह कथन—अस्ति पद का अभिधेय नास्ति-पद के अभिधेय से तथा नास्ति पद का अभिधेय अस्ति पद के अभिधेय से सर्वथा अमेदी है—विरोधी है । सूत्रस्थ “च” शब्द यह प्रकट करता है कि इस प्रकार का कथन स्वतन्त्र अस्तित्वकान्त अथवा नास्तित्वकान्त में आत्महीनता ही नहीं प्रकट करता किन्तु उनमें विरोध भी है, यह प्रकट करता है । कारण कि इस प्रकार के कथन से सकल विशेषों का अभाव हो जाता है । इसका खुलासा अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये—
 “नास्तित्वं अस्तित्वात् सर्वथाऽप्यमेदि येनाभिधीयते तस्य तद्विरोधः मेदवान् भवेत् सत्ताद्वैतेऽभिधानभिधेययो विरोधात्” । सत्ताद्वैतवादी जब अपने अभिमत सत्ताद्वैत को सिद्ध करने के लिये इस प्रकार कहता है कि “अस्ति” पद के अभिधेय—सत्ताद्वैत से “नास्ति” पद का अभिधेय नास्तित्व—सर्वथा अमेदी-अभिन्न है, तब अस्ति और नास्ति पदों में यह इन दोनों के

अभिधेय में जो परस्पर में विरोध है वह उन दोनों में लक्ष्य-
 उनके अभिधेय में भेद का कर्ता हो जाता क्योंकि सचछद्म-
 में अभिधेय और अभिधेय का विरोध है। कारण कि सचछद्म
 मानने पर सकल विशेषों-भेदों का अभाव हो जाता है। इस
 मान्यता में यह अभिधेय है यह अभिधान है इन प्रकार का
 विशेष भेद नहीं बन सकता है। अद्वैत में इस द्वैत का क्या
 काम। यदि विशेष के सञ्ज्ञान के लिये “अवस्थाविधानशास्त्र”
 यह कहा जाय कि अनादि अविद्या के वल्ल से विशेष का सञ्ज्ञान
 बन जाता है तो ऐसा कथन भी उचित नहीं है। कारण कि इस
 मान्यता से विद्या और अविद्या इस प्रकार के अन्य विशेष का प्रक्या-
 पन होता है जिससे द्वैतावधि आती है। अथवा “अस्तित्व से
 नास्तित्व सर्वथा अमेदी है” ऐसा कथन ‘न केवल आत्महीन’
 केवल आत्महीन ही नहीं है किन्तु विरोधी भी है। यह बात ‘च’
 शब्द से सूत्रकार ने प्रदर्शित की है। क्योंकि अस्तित्व नास्तित्व
 रूप विशेष-भेदों का विशेष के-भेद के अभाव में सचछद्म में
 अभाव हो जाता है। तथा जो सचछद्मवादी “अस्तित्व और
 नास्तित्व में अमेद है” इस प्रकार कहता है उसके इस कथन
 से यह बात भासूय होती है कि उसने इनका कर्षित भेद
 पहिले स्वीकार किया है-नहीं तो वह यह कैसे कह सकता,
 कि इन दोनों में अमेद है। “अस्तित्व नास्तित्व में अमेद है”
 इस प्रकार कथन उनके भेद का प्रतिबंधक है। परन्तु यह प्रतिबंध
 तब तक सार्थक नहीं बन सकता है कि जब तक अस्तित्व और

नञ्चित्त्व परस्पर में किसी भी अर्थका से भेदो न हों । प्रतियोग्य के अभाव में प्रतिषेध करना यह नियम विरुद्ध पड़ता है । अरे ! भला जब इनमें पहिले से भेद ही नहीं है तो ये “अभेदी” हैं इस प्रकार का ख्यापन क्यों कर हो सकता है ? यदि इस पर यह समाधान दिया जाय कि शब्द अस्ति नास्ति एवं विकल्प के भेद से भिन्न रहने वाले इन अस्ति नास्ति पदों में स्वरूप के भेद का ही हम प्रतिषेध करते हैं, शब्दापेक्षया ये भेद ही भिन्न रहें, परन्तु इनके स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है, वंसा हम जाहिर करते हैं तो भी जब तुम वास्तविक रीति से इन दोनों शब्दों में एवं इनसे उत्पन्न अस्ति नास्ति रूप विकल्पों में भेद स्वीकार ही नहीं करते हो तो इनके अर्थ रूप सङ्गी में-अस्तित्व नास्तित्व रूप अभिधेय में-भेद के अभाव में अभेद-भेद का निराकरण कैसे कर सकते हो । भेद हो तो उसका निराकरण किया जा सकता है । यदि शब्द और विकल्प में भेद स्वीकृति के लिये पराम्युपगम को माना जाय—दूसरे ऐसा-भेद-मानते हैं इसलिये हम भी ऐसा मान लेंगे-तो भी ठीक नहीं है । कारण कि इस सत्ता द्वैतवाद में स्व और पर का भेद मान्य ही नहीं हुआ है, और ऐसा न हो सकने से पराम्युपगम की सिद्धि भी नहीं बनती है । पराम्युपगम को साधने के लिये यदि ऐसा कडा जाय कि विचार से पहिले स्व और पर का भेद प्रसिद्ध ही है, तो यह भी उचित नहीं है, कारण:- इस वाद में-सत्ताद्वैत में-पूर्वकाल एवं उत्तरकाल इस प्रकार से कालभेद की भी सिद्धि

नहीं हो सकती है। इसलिये यह मानना चाहिये कि विशेष के अभाव में इस सपार्द्धत की मान्यता में सक्ता भेद नस्तित्व और अस्तित्व रूप अधिषेय में भिन्नता—के अभाव में “इन दोनों में अमेद है” इस प्रकार का कथन विरोधी है ही।

संज्ञा—यदि यही बात है कि अस्तित्व और नास्तित्व के दोनों परस्पर में विरोधी हैं तो एक ही वस्तु में स्वाहादी अस्तित्व के साथ इस नास्तित्व का प्रतिपादन कैसे करते हैं ? क्योंकि उसका तो अस्तित्व के साथ विरोध है। अस्तित्व के साथ एक लगाने से नास्तित्व का इत्थीलिये व्यवच्छेद हो जाता है। एक साथ में न लगकर केवल अस्तित्व के उच्चारण से उसका कथन करना असम्भव हो जाता है। कारण कि एककार रहित वह अनुक्त सम प्रकट किया गया है। अतः प्रकरणान्तर के अभाव से इसे सर्वथा अवाच्य ही मानना चाहिये क्या ? इस प्रकार की आशंका का समाधान सूत्रकार इन तीन पदों से करते हैं।

तद्ब्रह्मोतनः स्याद्ब्रह्मोततो निपातः

विषाद्यसंधिश्च तयांगभावा—

दवाच्यता श्रायसलोप हेतुः ॥४३॥

ग्रन्थ—गुणतः तद्ब्रह्मोतनः स्यात् (इति) निपातः। तथा अंगभावात् विषाद्यसंधिश्च (स्यात्)। अवाच्यता श्रायसलोप हेतुः। (अतो न युक्ता)।

वार्त्ता—वाच्य में श्राय रूप से उत्तं विरोधी वार्त्ता का बोधक “स्यात्” वह शब्द होता है। तथा यह “वह वस्तु का अंग है” इस प्रकार से विषाद्य-विषय वार्त्ता की संबन्धित्य होता है।

सर्वथा अवाच्यता भावस-मोक्ष अथवा आत्महित के लोप की हेतु होती है (इसलिये वह युक्त नहीं है)।—

भावार्थ—“अस्तित्व के साथ नास्तित्व का विरोध होने से स्याद्वादी इसे उसके साथ कैसे मानते हैं—” इस शङ्का का समाधान करते हुए सूत्रकार प्रकट करते हैं कि वाक्य में “स्यात्” इस निपात का जो प्रयोग होता है वह अपने विरोधी धर्म का घोटक होता है। स्याद्वादी विरोधी धर्म के घोटक इसी निपात का वाक्य में प्रयोग करते हैं। यद्यपि “स्यात्” शब्द किसी खास धर्म का घोटक नहीं होता है—परन्तु जब वाक्य में अस्त शब्द के साथ उसका प्रयोग किया जायगा—तब वह अस्त पद में यह विशेषता पैदा कर देता है कि जिससे वह पद अपने अर्थ-विधि को—अस्तित्व को मुख्य रूप से प्रकाशित करता है, और मौख-रूप से प्रतिषेध-नास्तित्व-को। तथा “स्यात्” यह निपात ही “अस्त नास्ति” दोनों ही वस्तु के अवयव हैं। इस प्रकार से प्रकाशित कर अस्तित्व के समय नास्तित्व को और नास्तित्व के समय अस्तित्व को जोड़े रहना है। इसलिये किसी भी धर्म में सर्वथा अवाच्यता नहीं आती है, इसकी एकान्त मान्यता तो भावस के लोप का हेतु ही होती है। भावस शब्द का अर्थ मोक्ष है। एकान्त अवाच्यता में निश्चेस तत्त्व में भी उपाय तत्त्व की तरह अवाच्यता आने से उपाय और उपेयतत्त्वों का कथन ही नहीं हो सकता है। उनके कथन हुए बिना तद्विषयक उपदेश संभवित नहीं हो सकता। उपदेश के बिना उसके उपाय का

अनुष्ठान भी कैसे बन सकता है । जब उपाय का अनुष्ठान ही उपपन्न नहीं हो सकता तब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है । इसलिये सर्वथा अवकल्प्यता ठीक नहीं है । ठीक यह मार्ग है—कि स्यात्कार से चिह्नित और एवकार से युक्त पद ही सार्थक होता है—इस प्रकार की मान्यता में किसी भी धर्म में सर्वथा अवकल्प्यता आने की आशङ्का ही नहीं रहती है—इसलिये ऐसे ही पद का प्रतिपादन करना चाहिये ।

तथा प्रतिज्ञाऽऽशयतोऽप्रयोगः

सामर्थ्यतो वा प्रतिषेध-युक्तिः ।

इति त्वदीया जिन-नाग ! दृष्टिः

पराप्रधृष्या पर-धर्षिणी च ॥ ४५ ॥

अन्वय—(शास्त्रे लोके च) तथा प्रतिज्ञाशयतः (प्रतिपदं स्यादिति निपातस्य) अप्रयोगः । वा सामर्थ्यतः प्रतिषेधयुक्तिः । इति जिननाग ! त्वदीया दृष्टिःपराऽप्रधृष्या परधर्षिणी च ।

अर्थ—शास्त्र एवं लोक में उस प्रकार की प्रतिज्ञा में अभि-
प्राय के बश से हरएक पद में “स्यात्” इस निपात का प्रयोग
प्रतीत नहीं होता है । अथवा सामर्थ्य से ही प्रतिषेध की युक्ति
(स्याद्वादियों को) बरित हो जाती है—इसलिये भी प्रतिपद में
“स्यात्” इस निपात का प्रयोग प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार
से हे जिननाग ! आपकी दृष्टि सर्वथा एकान्तवादियों द्वारा
अवाधित एवं एकान्त तत्त्व का वर्णन करने वाली है ।

भावार्थ—सूत्रकार ने इस श्लोक द्वारा “जब स्यात्कार से चिह्नित एवं एवकार से युक्त पद ही सार्थक है तब शास्त्र में एवं लोक में जो उसका प्रतिपद में अप्रयोग देखा जाता है उसका क्या कारण है—प्रतिपद में इस अपेक्षा से उसका प्रयोग होना चाहिये” इस आशंका का समाधान किया है। वे इसमें प्रकट करते हैं कि लोक एवं शास्त्र में जो पद पद के प्रति उसका अप्रयोग दिखाई पड़ता है उसका एक कारण तो तथा प्रतिज्ञाशय है। “स्याज्जीव एव” इस प्रकार की जो प्रतिपादन करनेवाले की प्रतिज्ञा है उसमें उसका इसी प्रकार का आशय—अभिप्राय-सन्निहित है। प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति जब भी जिस पद का प्रयोग करता है उसके अभिप्राय में एवकार के प्रयोग की तरह “स्यात्” इस निपात का प्रयोग समाविष्ट रहा करता है। वह यही समझता है कि मैंने जिस पद का प्रयोग किया है उसमें स्यात् और एवकार का प्रयोग सन्निहित ही है। जैसे—शास्त्र में “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” इत्यादि पदों में कहीं पर स्यात्कार एवं एवकार का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी अन्य शास्त्रकार—स्याद्वादी इन अप्रयुक्त दोनों के प्रयोग को जान लेते हैं—क्योंकि “उनके तथा प्रतिज्ञाशय का सद्भाव है” वे यह अच्छी तरह जानते हैं। अथवा—जो स्याद्वादी होते हैं उनके सर्वथा एकान्त के व्यवच्छेद की युक्ति सामर्थ्यगम्य होती है। जिस प्रकार एवकार के प्रयोग बिना सम्यग् एकान्त का अवधारण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार स्यात्कार प्रयोग के बिना

अनेकान्तकृत्व की भी सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिये जो अनेकान्तवादी होगा उसके द्वारा यदि किसी पद में एवकार और स्यात् पद का प्रयोग न भी हुआ होगा—तो भी वहाँ तथा प्रतिज्ञाशय के वश से यह जाना ही जायगा। अन्यथा वह स्याद्वादी-अनेकान्तवादी नहीं माना जा सकता। यद्यपि “सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्” इस कारिका में स्यात् का साचक्ष्ण शब्दतः उल्लेख नहीं है—तो भी “स्वरूपादिचतुष्टयात्” इस पद द्वारा स्यात्कार के अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही है। जैसे—“कथंचिन्ने सदेवेष्ट” इस कारिका में कथंचित् इस पद से उसके प्रयोग की प्रतिपत्ति हुई है। इसी प्रकार लोक में “घटमानय” इत्यादिक प्रयोगों में “स्यात्” इस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है—तो भी यहां पर भी तथा प्रतिज्ञाशय के वश से अथवा सामर्थ्य से उसका प्रयोग हुआ ही है, ऐसा जान लेना चाहिये। इस प्रकार हे जिनकुञ्जर ! आपकी यह अनेकान्तमय दृष्टि प्रमाणा और नय द्वारा प्राप्त अर्थवाली होने से सर्वथा एकान्तवादियों द्वारा अपभृष्य है और भावैकान्तवादियों को—उनके अभिमततत्त्वों को—प्रधर्षिणी—निराकृत करनेवाली है।

विधिर्निषेधोऽनभिलाष्यता च

त्रिरैकशस्त्रिद्विश एक एव ।

त्रयो विकल्पास्तव सप्तधामी

स्याब्धब्दनेयाः सकलेऽर्थभेदे ॥४६॥

अन्वय—विधिः निषेधः च अनभिलाष्यता (भ्रमी) एकशः त्रिः-
(पदस्य विकल्पाःसन्ति) । द्विषः त्रिः (भवन्ति) । (त्रिसंयोगजः) एक
एव । (एवं) स्यात् शब्दनेयाः भ्रमी त्रयः विकल्पाः सकले अर्थभेदे तव
सप्तधा (भवन्ति) ।

अर्थ—“स्यात् अस्ति एव” इस प्रकार का कथंचित् विधि-
रूप प्रथम विकल्प “स्यात् निषेध एव” इस प्रकार का कथंचित्
निषेध—नास्तिरूप-द्वितीय विकल्प और “स्यादनभिलाष्यता एव”
इस प्रकार का कथंचित् अवक्यरूप तृतीय विकल्प—स्यादस्ति
एव, स्यात्नास्ति एव स्यादवक्यमेव ये एक एक करके तीन
विकल्प—पद के होते हैं । द्विसंयोगज भंग तीन होते हैं ।
त्रिसंयोगज भंग एक ही होता है । इस प्रकार स्यात् शब्द के
द्वारा नेय ये तीन मूल विकल्प समस्त जीवादिक तत्त्वार्थ पर्यायों
में हे नाथ ! आपके यहां सात प्रकार के हो जाते हैं ।

भावार्थ—सूत्रकार इस श्लोक द्वारा सप्तभंगों का संक्षेप से
कथन कर रहे हैं । इसमें वे सर्व प्रथम जिस प्रकार से सप्त भंगी
बनती है उस प्रकार का प्रदर्शन करा रहे हैं । वस्तु में अनन्त
धर्म हैं और ये अनन्त धर्म सप्तभंगी के विषय भूत हैं—प्रत्येक
धर्म सप्त भंगी से युक्त है—इस प्रकार यद्यपि अनन्त सप्तभंगी बन
जाती है—परन्तु मूल में उसके बनने की पद्धति क्या है इस
विषय का यहां पर विचार किया जा रहा है । प्रत्येक जीवादिक
पदार्थ में प्रथमतः अस्तित्व गुण को लेकर सप्तभंगी की घटना
इस प्रकार घटित होती है—इस अस्तित्व गुण के विषय में मूल

में ३ विकल्प इस प्रकार हैं—१ स्यादस्त्येव यह अस्तित्वगुण की विधि है—इसमें स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से जीवादिक पदार्थ में अस्तित्व गुण की ही प्रधानरूप से विवक्षा हुई है ।

स्यात्नास्त्येव इसमें किसी अपेक्षा से—पर द्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से—जीवादिक पदार्थ में नास्तित्वगुण की ही प्रधानरूप से विवक्षा हुई है ।

इन दोनों धर्मों का कथन किसी भी शब्द द्वारा युगपत् नहीं हो सकता है इसलिये वस्तु किसी अपेक्षा से अवलम्ब्यकोटि में ही आ जाती है । इस प्रकार स्यादवलम्ब्यमेव इस तृतीय विकल्प का सृजन हुआ है ।

इनके विपक्षभूत धर्म की संयोजना रूप से द्विसंयोगी विकल्प तीन होते हैं—जैसे—अस्ति और नास्ति की संयोजना से स्यादस्तिनास्त्येव इस प्रकार का चतुर्थ भंग बन जाता है । यद्यपि जीवादिक पदार्थों में प्रथम भंग और द्वितीय भंग द्वारा अस्तित्व एवं नास्तित्व का किसी अपेक्षा से प्रतिपादन हो सकता है परन्तु इन चतुर्थ भंग द्वारा इन दोनों अस्तित्व नास्तित्व धर्मों की विवक्षा क्रमशः प्रधानरूप से होती है । प्रथम एवं द्वितीय भंग में एक-एक धर्म की ही क्रमशः प्रधानता प्रकट करने में आती है ।

तृतीय अवलम्ब्य भंग के साथ प्रथम भंग का संयोग होने से स्यादस्ति अवलम्ब्यमेव इस पंचम भंग की सृष्टि होती है । इस

मंग द्वारा जीवादिक पदार्थों में किसी अपेक्षा से क्रमशः अस्तित्व गुण की प्रकटता करते हुए युगपत् उभयधर्मों की विवक्षा वश अवक्रव्यता ही प्रकट की जाती है ।

स्याद्वास्ति अवक्रव्यमेव—इस षष्ठम मंग द्वारा किसी अपेक्षा वश जीवादिक पदार्थों में क्रमशः नास्तित्व धर्म की प्ररूपणा करते हुए युगपत् उभय धर्मों को प्रतिपादन करने की अशक्यता वश अवक्रव्यता प्रकट की जाती है । इस प्रकार ४ चतुर्थ, ५ पंचम और षष्ठम ये ३ तीन मंग द्विसंयोगज होते हैं । सप्तममंग त्रिसंयोगज है— इममें प्रथममंग, द्वितीयमंग और तृतीय-अवक्रव्यमंग का संयोग हुआ है इसलिये स्यादस्ति स्याद्वास्ति स्यादवक्रव्यमेव इस प्रकार यह सप्तममंग बनता है । इममें अस्ति आदि धर्मों की क्रमशः एवं युगपत् विवक्षा प्रकट करने में आई है । इम प्रकार मूल में प्रदर्शित तीन विकल्प ही परस्पर में क्रम और युगपत् की अपेक्षा से एक दूसरे विकल्प से संयुक्त होकर सप्त विकल्पों में परिणत हो जाते हैं । “सकलेऽर्थमेदे” इम विशेषण द्वारा सूत्रकार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यह सप्त भंगी किसी एक पदार्थ में ही घटित नहीं होती है अपितु समस्त जीवादिकत्वार्थ पर्यायों में घटित होती है । क्योंकि “प्रतिपर्यायं सप्तभंगी” ऐसा प्रश्न का आदेश है । “तव” इस शब्द से सूत्रकार ने इस बात की पुष्टि की है कि यह सप्तभंगी प्रक्रिया हे नाथ ! आपके ही शासन में बनती है—

अन्य एकान्तवादियों के यहां नहीं। “स्याच्चन्दनेयाः” इस विशेषण द्वारा यह बात प्रदर्शित की गई है कि जो कोई यह आशंका करते हैं कि “जिस प्रकार अस्तित्व धर्म के प्रति विचार प्रस्त हुए व्याक्त्यों को उस धर्म को समझाने के लिये ‘स्यादस्त्येव’ इस प्रकार से पद प्रयोग के योग्य होता है उसी प्रकार “स्यान्नास्त्येव” इत्यादि बाकी के पदों का भी उसी समय प्रयोग करना चाहिए— अर्थात् उसी समय बाकी के अवशिष्ट ६ पद भी प्रयोग के योग्य होना चाहिये। क्योंकि वचन मार्ग की व्यवस्थिति सात प्रकार से प्रकट करने में आई है।” सो उनकी यह आशंका ठीक नहीं है, कारण कि जिस प्रकार विधि-अस्तित्व में शंकाशील व्यक्ति ने शंका की— और त्याद्वादी ने उसकी आशंका की निवृत्ति के लिये “स्यादस्त्येव” इस प्रकार शब्द द्वारा विधि विकल्प का प्रयोग किया। ऐसे समय में अन्य अवशिष्ट ६ विकल्प “स्यात्” इस शब्द द्वारा नेप रहते हैं “न पुनः प्रयोगमर्हन्ति” उस समय वे शब्द द्वारा पुनः प्रयोग के योग्य नहीं होते हैं, कारण कि “स्यात्” इस पद द्वारा उनके अर्थ में विवाद का अभाव प्रकट कर दिया जाता है। हां, यदि नास्तित्व आदि धर्मों में विवाद हो जाय तो क्रमशः उनके प्रयोग करने में भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि एक प्रतिपाद्य के भी एक २ धर्म में सात प्रकार से विप्रतिपत्तियों का सद्भाव होता है। सात प्रकार की विप्रतिपत्तियों के होने का कारण भी वहां सात प्रकार के संशयों का होना है। सात प्रकार के संशयों के

होने का कारण भी उन्हें सात प्रकार से ही जानने की इच्छा का प्रादुर्भाव है । जिज्ञासा में भी सप्तविधत्व की उपपत्ति का कारण उतने ही प्रकार के प्रश्नों का होना है । “प्रश्न के वश से किसी एक जीवादिक वस्तु में उसी प्रकार से उसने अन्य नास्तित्व आदि धर्मों का भी व्यवच्छेद कर दिया है । फिर “स्यात्” शब्द से उनका घोटन होना कैसे आप कहते हैं । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि “स्यात्” शब्द अनेकान्त का घोटक कथमपि नहीं हो सकता । इसी प्रकार वह अनेकान्त-अनेक धर्मों का वाचक भी नहीं माना जा सकता— कारण कि यदि “स्यात्” इस पद के प्रयोग से ही यदि उसकी प्रतिपत्ति मानी जाय तो अस्त आदि पदों का प्रयोग करना ही निरर्थक हो जाता है । फिर भी इन पदों का प्रयोग करना आप इष्ट मानें तो इससे लाभ के स्थान में पुनरुक्ति नाम का ही दूषण गले पड़ता है” इस प्रकार की आशंका का उत्तर सत्रकार इस नीचे के श्लोक से देते हैं—

स्यादित्यपि स्यात् गुणमुख्यकल्पै-

कान्तो यथोपाधि विशेषवीक्ष्यः ।

तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूपं

द्विधा भवार्थव्यवहारवत्वात् ॥४७॥

ग्रन्थ- (नयादेशात्) स्यादित्यपि (निपातः) गुणमुख्यकल्पैकान्तः स्यात् । (सः) यथोपाधि विशेषवीक्ष्यः । तत्त्वं तु अनेकान्तम् (अनेकान्ता-

त्मकम्)। विशेषरूपम् । (तत्) भवार्थव्यवहारवत्त्वात् द्विधा (व्यवस्थितं)।

अर्थ— नयों की विवक्षा से “स्यात्” यह निपात भी गुण और मुख्य रूप स्वभावों द्वारा कल्पित एकान्त वाला हो जाता है। क्योंकि वह विशेषण के अनुसार मिक्ष २ विशेष— धर्म का धोतक होता है। तत्त्व अनेकात्मक है। वह अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है। वह तत्त्व भवार्थवान् होने से और व्यवहार होने से दो प्रकार से व्यवस्थित है।

भावार्थ—सूत्रकार इस श्लोक द्वारा “स्यात्” शब्द अनेकान्त का वाचक अथवा धोतक इस प्रकार से होता है इस बात का उत्तर रूप समर्थन करते हैं—

“गुणमुख्यकल्पैकान्तः” इस पद द्वारा अनेकान्त का वाचक अथवा धोतक स्यात् शब्द गुण और मुख्य स्वभाववाला होकर किस प्रकार से एकान्त वाला बिना किसी विरोध के विधि और प्रतिषेध की कल्पना करने का नाम सप्तमंगी है” इस प्रकार का चार्तिककार का कथन है। जिस प्रकार अनेक प्रतिपादों को समझाने के लिये अनेक प्रतिपादकों में स्यादस्ति स्यान्नास्ति इत्यादि सप्तमंगी-आत्मक वचन प्रयोग अविरुद्ध माना जाता है उसी प्रकार एक प्रतिपादक में भी एक प्रतिपाद्य को समझाने के लिये सप्तमंगी-आत्मक वचन का विन्यास विरोध को प्राप्त नहीं होता है।—

शंका— “स्यात्” यह निपात अनेकान्त का गौण रूप से

या प्रधानरूप से धोतक है या वाचक है ? यदि गौण रूप से “स्यात्” पद को अनेकान्त का धोतक माना जाय तो इस कथन में अनेकान्त के वाचक अन्य पद द्वारा भी मुख्य रूप से ही अनेकान्त में वाच्यत्व का प्रसंग होगा क्योंकि सर्वत्र पद के द्वारा अभिधेय में ही निपात के द्वारा धोतकता शक्य होती है । पद के द्वारा अनुक्त अर्थ का यदि उस स्यात् निपात से धोतन माना जायगा तो ऐसी स्थिति में उसमें वाच्यता की ही प्रसक्ति होगी कारण कि उस पदके प्रयोग की सामर्थ्य से ही उस अर्थ की प्रातिपत्ति हुई है । यदि यहाँ ऐसा कहा जाय कि “अस्ति” इस पदके द्वारा प्रधान रूप से अस्तित्व का कथन किया जाता है और “स्यात्” इस निपात पद द्वारा अस्ति इस पद से अनुक्त अन्य नास्तित्व आदि धर्म गौण रूपसे धोतित-प्रकप्रशित-किये जाते हैं । इस प्रकार मुख्य और गौण कल्पना से अनेकान्त की प्रातिपत्ति “स्यादस्त्वेव” इस पद से हो जाती है, सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है कारण कि “अस्ति” इस पद से अनुक्त अन्य नास्तित्व आदि धर्मों का धोतन यदि “स्यात्” इस पद द्वारा माना जायगा तो ऐसी अवस्था में उससे सर्वार्थ के धोतन का प्रसंग होगा । सर्वार्थ के धोतन के प्रसंग को हटाने के लिये यदि यह कहा जाय कि उनका तो एवकार ने व्यवच्छेद कर दिया है—सो ऐसा कथन भी युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि जिस प्रकार एवकार ने अन्य सर्वार्थों का व्यवच्छेद कर दिया है होता है यह सर्व प्रथम प्रकट किया जाता है—

अनेकान्त द्योतक या वाचक स्यात् शब्द में मुख्य और मुख्य स्वभावों की कल्पना नयाधीन मानी गई है। यद्यपि स्यात् शब्द अनेकान्त का ही वाचक अथवा द्योतक माना गया है, परन्तु उसमें जो कल्पित एकान्त रूपता बतलाई जा रही है वह शुद्ध द्रव्याधिक नय और व्यवहार नय की अपेक्षा की मुख्यता और गौणता से ही जाननी चाहिये। शुद्ध द्रव्याधिक नय की प्रधानता से अस्त्विक्कान्त मुख्य हो जाता है और इसके अलावा नास्तित्व आदि एकान्त गौण पद जाते हैं क्योंकि इस नय की दृष्टि में उनकी प्रधानता रूप से विवक्षा नहीं की जाती है। विवक्षा नहीं की जाने से उनकी ओर इसकी तिरस्कार भरी दृष्टि हो सो बात भी नहीं है। उस तरफ सिर्फ यह गजनिमीलिका ही धारण करता है। उनका यह निराकरण नहीं करता है। निराकरण नहीं करने का कारण भी एक यही है कि अस्तित्व यदि इतर नास्तित्व आदि अपने प्रतिपक्षियों से निरपेक्ष हो जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती—उसकी स्वतन्त्रसत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। ऐसा कोई अस्तित्व संभवित नहीं है जो नास्तित्व आदि से निरपेक्ष हो। इस प्रकार यह “स्यात्” पद उस अस्तित्वैकान्त का प्रधान रूप से द्योतक माना जायगा—क्योंकि “अस्ति” इस पद के साथ उसका प्रयोग हुआ है। शेष नास्तित्व आदि धर्मों का यह गौण रूप से प्रकाशक माना जायगा। कारण कि यहाँ पर उनकी उस पद से विवक्षा नहीं हुई है। इसी प्रकार व्यवहार नय की प्रधानता से नास्तित्वैकान्त

मुख्य हो जाता है और अस्तित्व आदि धर्म गौण पड़ जाते हैं । कारण कि “नास्ति” इस पद द्वारा उसकी ही विवक्षा होती है, अन्य की नहीं । उस समय अन्य धर्म अविवक्षित एवं अनिराकृत हैं । यदि नास्तित्व की विवक्षा में अस्तित्व आदि धर्मों का निराकरण कर दिया जाय तो अस्तित्व आदि के अभाव में नास्तित्व की कूर्म रोम आदि की तरह स्वतन्त्र उपपत्ति नहीं बन सकती है । इस प्रकार नास्तित्व आदि के द्वारा अपेक्षायमान वस्तु का अस्तित्व स्यात् इस पद द्वारा द्योतित किया जाता है । क्योंकि “स्यान्नास्ति” यहाँ पर नास्ति के साथ संप्रयुक्त वह नास्तित्व धर्म की व्यवस्था वहाँ प्रधानभाव से करेगा और बाकी के धर्मों की व्यवस्था गौण रूप से । इस तरह यह जो इसमें मुख्य और गौण रूप स्वभावों की कल्पना से जो एकान्त धर्म की द्योतकता प्रकट की गई है वह नयों की प्रधानता एवं गौणता से ही आई है यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

शङ्का—यदि “स्यात्” शब्द के प्रयोग से ही जब अनेकान्त का प्रकाशन हो जाता है—तो अस्ति आदि पदों के प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है । ये तो इस स्थिति में निरर्थक ही साबित होते हैं ।

उत्तर—अस्ति पदों का प्रयोग अनर्थक नहीं होता है । कारण कि यद्यपि स्यात् शब्द के प्रयोग से सामान्य रूप में अनेकान्त का द्योतन ही जाने से अस्तित्वरूप आदि अर्थ का भी

बोध हो सकता है, तो भी विशेषरूप में अस्तित्व आदि धर्मों का बोध कराने के लिये अस्ति आदि शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसी बात को प्रकट करने के लिये सूत्रकार ने “यथोपाधिविशेषव्रीच्यः” यह पद श्लोक में निहित किया है।

स्यात् पद जिस विशेषण के साथ प्रयुक्त होगा उसके अनुसार ही वह वस्तु में विशेष-धर्मान्तर का द्योतक होगा यह पहिले कहा जा चुका है। मतलब कहने का यह है कि जैसे “स्याद-स्त्येवजीवः” इस पद में अस्तिपद के साथ प्रयुक्त एवकार जीव में अस्तित्व धर्म की ही स्थापना करेगा—क्योंकि उसके द्वारा नास्तित्व आदि धर्मों का व्यवच्छेद हो जाता है इस अपेक्षा से अन्य धर्मों का तिरस्कार हो जाने से जीव वस्तु में सर्वाङ्गीण वस्तुता सिद्ध नहीं हो सकती—दूसरे नास्तित्व की व्यावृत्त में उसमें अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये स्यात् पद के प्रयोग से इतना लाभ होता है कि वह प्रयुक्त पद के अर्थ का मुख्य रूप से कथन या द्योतन करता हुआ बाकी के अन्य धर्मों का भी वहां पर अस्तित्व द्योतित करता है। बाकी धर्म वहां अविवक्षित होने से अतिरस्कृत हैं और जिस धर्म का वहां प्रतिपादन किया जा रहा है वह वहां प्रधानरूप से विवक्षित है। वही स्पष्ट बात यह स्यात् शब्द द्योतित या कथित करता है। इस कथन से जिस धर्म की वहां विवक्षा हुई है—उसे सर्व रूप से प्रधानता नहीं दी जाती है। कारण कि इस मान्यता में एकान्तता आती है।

सम्यग् एकान्त की व्यवस्था स्यात् पद नयो का सहारा लेकर करता है। यही “यथोपाधिविशेषवीक्ष्यः” का फलितार्थ है।

इसी बात की पुष्टि टीकाकार ने “धर्मधर्मेऽन्य एवार्थो धर्मिणोऽनन्तधर्मखः” इस आप्तमीमांसा की कारिका द्वारा की है। अनन्त धर्मात्मक वस्तु की प्रत्येक धर्म में भिन्न २ प्रयोजनादि रूप व्यवस्था उन २ पदों से प्रयुक्त धर्मों द्वारा की जाती है। इसलिये स्यात् शब्द के साथ २ उन २ भिन्न २ प्रयोजन प्रदर्शक अस्तित्वादि धर्मों का प्रयोग बाधित नहीं होता है। सामान्य में अन्तर्भूत होने पर भी वृक्षन्यग्रोध आदि विशेष पदों के प्रयोग की तरह विशेष धर्म प्रदर्शक शब्दों का प्रयोग अदुष्ट माना गया है।

धर्म के भेद से वस्तु का कथन करना यही नयादेश है और विशेष इसी का नामान्तर है। यह प्रमाणादेश नहीं है। प्रमाणादेश में अशेष धर्मों का काल आत्म रूप आदि की अपेक्षा से अमेदवृत्ति अथवा अमेद के उपचार से कथन युगपत् होता है। वहाँ मुख्य और गौण की व्यवस्था नहीं मानी गई है। “जीवादितत्त्वमपि तर्हि प्रधानगुणभूतैकान्तमायातमिति न शङ्कनीयम्” इस नयादेश के कथन से यहाँ पर यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि अनेकान्त स्वरूप जीवादि स्वरूप भी तब तो प्रधान और गुण भूत रूप एकान्त को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि तत्त्वं त्वनेकान्तमशेष रूपं” इस पद द्वारा अत्रकार ने यह व्यवस्था

दी है कि तत्त्व तो अनेकान्त रूप ही हैं । जब यह नय का विषय होता है तब उसमें वह मुख्य गौण रूप एकान्त माना जाता है, प्रमाणा की अपेक्षा से नहीं । इसकी अपेक्षा में तो वह सकलादेश कहा गया है । “प्रमाणाप्रतिपक्षानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदवृत्तिप्राधान्यात् अभेदोपचाराद्वा यौगपद्येन प्रतिपादकं वचः सकलादेशः” (स्याद्वादमंजरी) प्रमाणा से प्रतिपक्ष अनन्त धर्म स्वभाववाली वस्तु के कालादिक द्वारा अभेद वृत्ति अथवा अभेद के उपचार की प्रधानता से उन २ धर्मों का युगपत् प्रतिपादन करने वाला जो वचन है वही सकलादेश है । यह सकलादेश प्रमाणाधीन होता है । नयाधीन नहीं । एकान्त ही नयाधीन माना गया है । इसीलिये अनेकान्त को भी अनेकान्त स्वरूप जैनाचार्यों ने प्रतिज्ञात किया है । इस बात की पुष्टि “अशेषरूपं” इस पद द्वारा सूत्रकार ने की है । “स्याज्जीव एव स्यादजीव एव” यह प्रमाणा वाक्य से कैसे कहा जाता है इस प्रकार की आशंका का उत्तर सूत्रकार ने “द्विधाभवाभाव्यवहारवत्वात्” इस वाक्य द्वारा दिया है । शङ्काकार का अभिप्राय ऐसा है कि “स्यात् जीव एव” यह वाक्य जीव के जीवन गुण को लेकर प्रवर्तित हुआ है—अतः विकलादेश होने से नय का विषय है । प्रमाणा का विषय नहीं । क्योंकि उसमें सकलादेश की विवक्षा मानी गई है । यहां जीव का जीवन गुण एक धर्म होने से सकलादेश नहीं हो सकता । अन्यथा नृप वाक्य में और प्रमाणा वाक्य में कोई भेद ही नहीं रहेगा । इस आशङ्का का समाधान

करने के लिये सूत्रकार कहते हैं कि तत्त्व दो प्रकारों से व्यवस्थित है—एक भवार्थवान् होने से द्रव्यरूप दूसरा व्यवहार वान् होने से पर्यायरूप । सत्, द्रव्य और विधि ये भवार्थ के असत्, अद्रव्य, गुण, पर्याय और प्रतिषेध ये व्यवहार के नामान्तर (पर्यायवाची) शब्द हैं । इन भवार्थ और व्यवहार रूप प्रकारों के अतिरिक्त अन्य प्रकारों का अभाव होने से तत्त्व के और कोई दूसरे प्रकार नहीं हैं । इसलिये ये दो प्रकार ही उसके निज स्वरूप हैं । जिस समय भवार्थ प्रकार को लेकर जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्माग्निकाय आकाश, काल, पुद्गल अथवा मनुष्य आदि सत् रूप हैं इस प्रकार की प्ररूपणा—कथन—की जाती है, उस समय काल, आत्म-रूप, संसर्ग, गुणिदेश, अर्थ सम्बन्ध, उपकार और शब्द इन कालादिक आठों द्वारा अमेदरूप से उस अमेदात्मक वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है । मतलब इसका यह है कि “जीवादिक द्रव्य सत् रूप हैं” इस प्रकार का कथन द्रव्याधिक नय रूप भवार्थ प्रकार को लेकर किया जायगा । उस समय एक विवक्षित उस सत् धर्म के कथन के साथ २ अन्य अशेष धर्मों का इन कालादिक आठों के द्वारा अमेद की मुख्यता से प्रतिपादन हो जाता है । क्योंकि ये सब ही धर्म एक वस्तु के द्रव्याधिकनय की अपेक्षा से अमिष हैं—अमेदात्मक-निजस्वरूप हैं । इसलिये प्रमाणाधीन सकलादेश का प्रयोग होने की अपेक्षा से तत्त्व अशेष—अन्य धर्मात्मक रूप कहा जाता है । और इसलिये सत् यह शब्द कालादिकों के साथ अमेद होने से सकल साद्विशेषात्मक

एवं सत् से इतर असद्विशेषात्मक तत्त्व का प्रतिपादन करता है । इसी तरह 'द्रव्य' यह शब्द भी समस्त द्रव्य विशेषात्मक सकल पर्याय विशेषात्मक एवं अद्रव्यरूप गुणाद्यात्मक द्रव्य तत्त्व को प्रकाशित करता है । जीव शब्द भी इसी तरह से स्वार्थ को प्रतिपादन करने वाला समझ लेना चाहिये । जीव शब्द जैसे सकल जीव विशेष स्वरूप अपने वाच्य जीव तत्त्व का कथन करता है, उसी तरह वह उसी समय कालादिकों के साथ अन्य उसके पर्यायरूप एवं जीवाजीव विशेषरूप धर्मों की अमेदवृत्ति की मुख्यता लेकर उन सबकी युगपत् प्ररूपणा करता है । धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये शब्द भी अपने वाच्यार्थ का प्रतिपादन करते हुए अपने २ समस्त विशेषों के प्रतिपादक इसी तरह से माने गये हैं । भावार्थ इसका यही है कि शब्द द्वारा जो भी धर्म द्रव्यार्थिक नय की प्ररूपणा को लेकर प्रतिपादित किया जायगा वह अपनी प्ररूपणा के साथ २ वस्तु के अन्दर रहनेवाले अन्य अनन्त धर्मों का भी कालादिक आठ के साथ अमेदवृत्ति की मुख्यता लेकर युगपत् प्ररूपक हो जाता है— इसलिये "स्यात् जीव एव" यह एक ही वाक्य जीव में जीवन गुण का प्रतिपादक होता हुआ अन्य अशेष धर्मों का भी युगपत् कालादिक आठ के द्वारा अमेद की मुख्यता को लेकर प्रतिपादक माना गया है । इसलिये यह वाक्य एक गुण द्वारा युगपत् सकल धर्मों का प्रतिपादक होने से प्रमाणाधीन कहा गया है । जहाँ द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता और पर्यायार्थिक नय की गौणता से

कथन विवक्षित होता है—उस समय वहाँ पर अमेदवृत्ति की मुख्यता मानी जाती है। क्योंकि उस समय द्रव्य के सिवाय अन्य पर्याय आदि पर दृष्टि नहीं जाती। व्यवहार को लेकर जिस समय कथन इष्ट होता है उस समय द्रव्याधिक नय की गौलता एवं पर्यायार्थिक नय की प्रधानता होती है। इस स्थिति में कालादिक आठों के द्वारा धर्मों में अमेद वृत्ति नहीं बन सकती है। इसलिये उन धर्मों का इनके द्वारा परस्पर में युगपत् वहाँ पर अमेद का उपचार किया जाता है। क्योंकि अनेक गुणों का, धर्मों का एक काल में एक स्थान पर अवस्थान नहीं हो सकता है। यदि अनेक गुण एक समय में एक वस्तु में रहने लगे तो गुणों के आश्रित द्रव्य में भी उतने ही भेद मानने की आपत्ति आवेगी। दूसरे-गुणों का अपना निज स्वरूप परस्पर में भिन्न २ है इसलिये भी उनमें एकता नहीं बन सकती—अतः इन्हीं सब युक्तियों को ध्यान में रखकर समस्त गुणों की अमेदवृत्ति युगपत् एकत्र असंभव है। इसलिये काल आदि के भेद से अस्तित्व आदि समस्त धर्म जुदे २ हैं। इन अस्तित्वादि धर्मों के भिन्न २ होने पर भी इनमें अमेदभाव की कल्पना की जाती है। इसी का नाम अमेदोपचार है। इसी अमेदोपचार एवं अमेदवृत्ति से कि जो पर्यायार्थिक नय एवं द्रव्याधिक नय की मुख्यता से माने गये हैं, अनन्त धर्म वाले पदार्थों को एक साथ कहने वाले वाक्य को सकलादेश अथवा प्रमाण वाक्य कहा है।

सकलादेश में युगपत् कथन होता है। इसका अभिप्राय यह

है कि जिस समय वस्तु के अनेक धर्मों का काल आदि आठ द्वारा अमेद सिद्ध करना होता है उस समय यद्यपि वस्तु के एक धर्म का प्रयुक्त एक शब्द से ज्ञान होता है, परन्तु एक शब्द से ज्ञान इस एक धर्म के द्वारा ही उस पदार्थ के अनेक धर्मों का ज्ञान होता है । इसे वस्तु का एक साथ ज्ञान होना कहते हैं । यह ज्ञान सकलादेश से होता है । विकलादेश में क्रम २ से ज्ञान होता है । इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय अस्तित्व आदि धर्मों का काल आदि से मेद सिद्ध करना इष्ट होता है, उस समय प्रयुक्त एक शब्द से अनेक धर्मों का ज्ञान नहीं हो सकता । अतः वस्तुगत सम्पूर्ण धर्मों का एक २ करके कथन किया जाता है इसी का नाम क्रम है । यह क्रमिक ज्ञान ही विकलादेश है । कालादिक आठ में जो संसर्ग और सम्बन्ध, इस प्रकार से मिश्र रूप में कहने में आये हैं, उमका अभिप्राय यह है कि सम्बन्ध में अमेद की मुख्यता, एवं मेद की गौणता और संसर्ग में मेद की प्रधानता और अमेद की गौणता होती है ।

असत् अद्रव्य और अजीव आदि ये जितने भी भवार्थ के प्रतिषेध स्वरूप शब्द हैं, ये सब व्यवहार नय की अपेक्षा से हैं । सत् का प्रतिषेध स्वरूप असत्, द्रव्य का प्रतिषेध स्वरूप अद्रव्य एवं जीव का प्रतिषेध स्वरूप अजीव है । सत् आदि में पररूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से ही असत् आदि रूपता आती है । व्यवहार नय के विषय भूत इन कथनों में अमेद वृत्ति की गौणता एवं अमेदोपचार प्रधान माना गया है । “स्वात् अजीव एव” इस

वाक्य में व्यवहार नय की प्रधानता से नास्तित्वशुद्धेन, कालादिक आठ द्वारा अमेदोपचार होने से अनन्त धर्मों का युगपत् कथन किया जाता है। जब कि “स्यात् जीव एव” इस वाक्य में अस्तित्व शुद्ध से अमेद वृत्ति की प्रधानता में युगपत् अनन्त धर्मों का कथन किया जाता है। इसी प्रकार इतर भंगों में भी समझ लेना चाहिये। अन्यथा प्रमाद्य सप्त भंगी नहीं बन सकती है। जिस प्रकार प्रयुक्त असत्, अद्रव्य और अजीव आदि शब्द अपने समस्त असत् विशेषात्मक आदि तत्त्व का प्रख्यापन करते हैं। उसी प्रकार “वस्तुत्व” यह शब्द भी कि जो स्यात् और एवकार प्रयुक्त होकर कहा जाता है, सकल वस्तु के विशेष स्वरूप सत् और असत् आदि रूप तत्त्व अर्थ का, कालादिक के अमेद से एवं अमेद के उपचार से एक ही साथ द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिक नयों की मुख्यता लेकर कथन करता है। इसका निष्कर्षार्थ यह है कि द्रव्य, सत् आदि शब्द भवार्थ (द्रव्यार्थिकनय) की प्रधानता से और व्यवहार की अप्रधानता से अपने २ अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, असत् अद्रव्य आदि शब्द व्यवहार की प्रधानता से और द्रव्यार्थिक की अप्रधानता से अपने २ अर्थ के प्रतिपादक होते हैं। उस प्रकार से “वस्तुत्व” यह शब्द किसी एक नय की प्रधानता एवं किसी एक नय की अप्रधानता से अपने अर्थ का कथक नहीं होता है। यह तो दोनों नयों की युगपत् प्रधानता से अपने अर्थ का प्रतिपादक माना गया है। क्योंकि इसमें सत् और

अस्तु आदि रूप धर्म युगपत् प्रधान हुए हैं । इसी विषय को टीकाकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है । जिस काल में वस्तु में वस्तुत्व धर्म रहता है उसी समय में और भी समस्त उसके अन्वेष धर्म उसमें रहते हैं । इसलिए एक ही काल में एक ही अधिकार में उन धर्मों की विद्यमानता होने से काल की अपेक्षा धर्मों की अमेदवृत्ति मानी जाती है । जिस प्रकार वस्तु में वस्तुत्व आत्मरूप-गुण-रूप है उसी प्रकार अन्य अनन्त धर्म भी उसके गुण स्वरूप हैं । अतः इस आत्म रूप की अपेक्षा से उनकी अमेद वृत्ति मानी जाती है । जिस वस्तुत्व के साथ वस्तु का संसर्ग है उसी प्रकार वस्तु विशेषों के साथ भी उसका संसर्ग है । यह संसर्ग से अनन्त धर्मों की अमेदवृत्ति है । वस्तुत्व गुण का जिस प्रकार वह वस्तु रूप गुणिदेश है उसी प्रकार वह अन्य अनन्त धर्मों का भी गुणि देश है । यह गुणि देश की अपेक्षा उनकी अमेदवृत्ति है । मतलब इसका यह है—कि वस्तु में जिस अंश को लेकर वस्तुत्व गुण रहा हुआ है उसी अंश को लेकर उसमें अन्य अनन्त धर्म भी रहे हुए हैं । ऐसा नहीं है कि वस्तु में किसी अंश की अपेक्षा वस्तुत्व हो और किसी अंश की अपेक्षा अवस्तु आदि अन्य धर्म रहे हों । जो आत्मा आदि वस्तु जिस प्रकार वस्तुत्व गुण का अधिकार है वही आत्मादिक वस्तु अन्य और भी अनन्त धर्मों का अधिकार है । वह अर्थ की अपेक्षा अमेदवृत्ति है । जो तादात्म्य सम्बन्ध वस्तुत्व का वस्तु के साथ है वही तादात्म्य सम्बन्ध अन्य अनन्त धर्मों का भी उसके

साथ है यह सम्बन्ध की अपेक्षा अमेदवृत्ति है। जिस प्रकार अर्थ क्रिया सामर्थ्य लक्षण रूप उपकार वस्तुत्व गुण वस्तु का करता है उसी प्रकार वही उपकार उसका अन्य अनन्त धर्म भी करते हैं। यह उपकार की अपेक्षा अमेदवृत्ति है। जिस प्रकार वस्तु यह शब्द वस्तुत्व का प्रतिपादन करता है उसी प्रकार वही शब्द अन्य धर्मों का भी प्रतिपादन करता है। यह शब्द की अपेक्षा अमेदवृत्ति है। इस प्रकार वस्तु शब्द द्वारा पकल धर्म विशिष्ट वस्तु का कथन होने से “स्यात् वस्त्वेव” इत्यादि शब्द अनेकान्तात्मक रूप तत्त्व का प्रतिपादन करते हैं। यह प्रतिपादन ही सकलादेश है।

न द्रव्य-पर्याय-पृथग्-व्यवस्था-

द्वैयात्म्यमेकार्पणया विरुद्धम् ।

धर्मश्च धर्मी च मिथस्त्रिधेमौ-

न सर्वथा तेऽभिमतौ विरुद्धौ ॥ ४८ ॥

प्रन्वय—द्रव्य-पर्याय-पृथक्व्यवस्था न । एकार्पणया द्वैयात्म्यं विरुद्धम् । ते इमौ धर्मश्च धर्मी च मिथः त्रिधा अभिमतौ । सर्वथा न अभिमतौ (यतः , विरुद्धौ ।

अर्थ—पर्याय निरपेक्ष द्रव्य की और द्रव्य निरपेक्ष पर्याय तथा परस्पर निरपेक्ष द्रव्य और पर्याय दोनों की व्यवस्था नहीं बनती है। एक अर्थ से द्वैयात्मकता विरुद्ध पडती है। आपके शासन में वे धर्म और धर्मी दोनों परस्पर में किसी अपेक्षा से

ही तीन प्रकार माने गये हैं। सर्वथा रूप से नहीं, क्योंकि इस प्रकार से ये दोनों विरुद्ध पडते हैं।

भाषा—सूत्रकार इम श्लोक द्वारा यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि जिस प्रकार स्यात् और एवकार युक्त “वस्तु” शब्द शुभषत् अशेष रूपात्मक तत्त्व की प्रतिपादना करता है क्योंकि यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय इन दोनों की प्रधानता है—उसी प्रकार से “द्रव्यमात्रं तत्त्वं पर्यायमात्रं” ये शब्द अपने अर्थ की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कारण कि इस प्रकार से इनका वाच्यार्थ एकान्त रूप से द्रव्य और पर्याय मात्र ही होता है। एकान्त द्रव्य या पर्याय मात्र तत्त्व प्रमाणा का विषय नहीं होता है। इमलिये यह वेदान्त सम्मत विधिवाद का कथन कि “द्रव्य-मात्र ही तत्त्व है, उसका ही द्रव्य पद से कथन होता है, एवं अन्य दूसरे पद भी इसका ही समर्थन या कथन करते हैं, कारण कि इमके सिवाय और दूसरा पदार्थ है ही नहीं” सब प्रमाण-शून्य ही ठहरता है। “सत्-विधि स्वरूप द्रव्य ही तत्त्व है” यह प्रमाण का विषय इमलिये नहीं है कि इसका व्यवस्थापक कोई प्रमाण नहीं है। इन्द्रियजन्य अस्मदादि प्रत्यक्ष ज्ञान में तो यह शक्ति ही नहीं है जो त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायों में स्थापक रहे हुए इस द्रव्य को विषय कर सके, कारण कि वह तो सिफं चतमान को ही विषय करने वाला माना गया है। त्रिकाल-विषयक सत् स्वरूप द्रव्य को विषय करना तो योगियों के प्रत्यक्ष के हाथ की बात है। यदि यहाँ पर यह कहा जाय कि इससे हमें

कुछ मतलब नहीं—हम तो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि त्रिकाल विवर्तव्यापी एक विधिस्वरूप द्रव्य ही तत्त्व है अन्य पर्याय आदि रूप नहीं, इसका ग्राहक योगि प्रत्यक्ष है। सो ऐसी मान्यता भी ठीक नहीं है। कारण कि इस प्रकार की मान्यता में अस्मदादि इन्द्रिय प्रत्यक्ष में निर्विषयता प्रसक्त होता है। “हमारा इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष उस सत् स्वरूप विधि-द्रव्य मात्र का ग्राहक नहीं होता है। एतावता उसमें निर्विषयता का अपादान करना उचित नहीं है। क्योंकि अस्मदादि प्रत्यक्ष में भी विधातृ-विधिस्वरूप द्रव्य को विषय करना पना इस रूपसे मानित होता है कि यदि अस्मदादि प्रत्यक्ष सर्वथा निषेध-निषेधक-असत् को विषय करने वाला ही होता तो निषेध्य पदार्थों की अनंतता होने से अनंत काल में यह उनका निषेध नहीं कर सकता है। उनका निषेध करने में ही इसकी समस्त शक्ति खीख हो जायगी तो फिर इस तरह से इसकी किसी भी पदार्थ के अस्तित्व विधान में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। परन्तु होती तो है। अतः विधि को ही यह विषय करता है यही मानना उचित है। सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। कारण कि इस प्रकार की मान्यता से यदि प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति केवल सत्द्रव्य में ही मान्य रखी जाय तो अस्तत्त्व में उसकी प्रवृत्ति नहीं होने से सत्त्व से वह अस्तत्त्व का व्यवच्छेदक नहीं हो सकता। इस अपेक्षा से सत्त्व और अस्तत्त्व ये दो तत्त्व सिद्ध हो जायेंगे। केवल सत्त्वरूप द्रव्य तत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि केवल सत्त्वरूप द्रव्य तत्त्व की सिद्धि करने

के लिए यह कहा जाय कि सन्मात्र-विधिवस्वरूप में प्रवृत्तमान प्रत्यक्ष तत्त्व से विकल्प असत्त्व का वहाँ व्यवच्छेदक होता है तो इस प्रकार के कथन से प्रत्यक्ष में निषेधकता भी तो सिद्ध हो जाती है । सन्मात्र तत्त्व को ही प्रत्यक्ष विषय करता है, इसी बात को साबित करने के लिए यदि ऐसा कहा जाय कि जब सर्व प्रथम इन्द्रिय और वदार्थ का सम्बन्ध होता है उस समय जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह निर्विकल्प-कल्पना रहित होता है । इस निर्विकल्पक ज्ञान द्वारा ही सन्मात्र तत्त्व विषय होता है । परचात् अनादि काल से लगी हुई अविद्या वासना के बल से वह असत् को विषय करता है और इसी से असत् की निवृत्ति के विकल्प का उत्थान होता है । इस तरह प्रतिषेध व्यवहार प्रवर्तित होता है । सो इस प्रकार के कथन से तो यही साबित होता है कि परमाद्य रीति से असत्त्व की निवृत्ति नहीं होती—इसलिए यह बात प्रसङ्ग होती है कि प्रत्यक्ष सत् असत् स्वरूप वस्तु को विषय करता है ।

यदि प्रत्यक्ष में सत्त्वमात्र विषयता प्रतिपादन करने के लिए ऐसा कहा जाय कि प्रत्यक्ष जो सन्मात्र की विधि करता है वह सन्मात्र की विधि ही असत्त्व का प्रतिषेध है तो इस प्रकार के कथन से प्रत्यक्ष सन्मात्र तत्त्व का ही विधायक होता है यह बात साबित नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार से उभसे निषेध भी प्रतीत हो जाता है । दूसरे—प्रत्यक्ष जब असत्त्व का निषेध नहीं करता है तो उसका प्रतिषेध भी कैसे किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता । अतः सद् असद् स्वरूप वदार्थ ही प्रत्यक्ष आदि

प्रमाण के विषयभूत हैं ऐसा मानना चाहिये । इसलिये स्वतंत्र सत् स्वरूप द्रव्य प्रमाण का विषय नहीं हो सकता है । इस विषय पर टीकाकार ने खूब विस्तृत विवेचन किया है । अतः विशेष जिज्ञासुओं के लिए यह विषय टीका से जान लेना चाहिये ।

इसी प्रकार पर्यायतत्त्व अथवा परस्पर निरपेक्ष द्रव्य और पर्यायतत्त्व की भी व्यवस्था नहीं हो सकती । ऐसी कोई सी भी पर्याय नहीं है जो द्रव्य से विकल हो और इस बात का ग्राहक कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण हो । जिस प्रकार एकान्त रूप से द्रव्यतत्त्व की व्यवस्था किसी भी प्रमाण से नहीं हो सकती उसी प्रकार पर्यायतत्त्व की भी स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रमाण द्वारा व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती है । इस क्षण स्थिति पर्याय रूप तत्त्व को ही एकान्त रूप से मानने वाले बौद्ध हैं । उनके प्रति इस अनुमान द्वारा वस्तु में नित्यता साबित की जाती है कि “समस्तं वस्तु नित्यमेवेदानीन्तनतया प्रतीयमानत्वात्” समस्त वस्तुएं इदानींतनता रूप से प्रतीयमान होने से कथाचित् नित्य ही हैं । कथाचित् नित्यता सिद्ध करने के लिये यह “इदानीन्तनतया प्रतिभासमानत्वं” हेतु है । नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों में इदानीन्तनता के प्रतिभास का अभाव होने से यदि इस हेतु को अव्यापक कहा जाय तो ठीक नहीं है । कारण कि नष्ट और अनुत्पन्न अवस्था द्वितय की अपेक्षा नहीं रखनेवाले द्रव्य का इदानीन्तनतया रूप से प्रतिभास हो ही नहीं सकता है । दूसरे

नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों अपने २ समय में इदानीन्तनता रूप से प्रतिभासित हुई हैं और आगे होंगी । मूल द्रव्य के अभाव में इदानीन्तनता रूप पर्याय से द्रव्य का प्रातयास हो ही नहीं सकता है । द्रव्य में यह इदानीन्तनता की प्रतीति आत्मा में अहंता की प्रतीति की तरह शश्वत अविच्छिन्न होती है । जिस प्रकार आत्मा "मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ" इस प्रकार मर्तदा अविच्छिन्न अहं प्रत्यय के विषयभाव को अनुभवता हुआ कभी भी अहंता का परित्याग नहीं करता है और इसीलिये यह नित्य माना जाता है उभी प्रकार अन्तर्बहि वस्तुएं भी निरन्तर इदानीन्तनता का परित्याग नहीं करती हैं । अतः ये भी नित्य हैं । प्रतिषेध विनाशित्व में हम इदानीन्तनता की प्रतीति नहीं होती है । कारण कि उमका वहां विरोध है । यदि इदानीन्तनता की संतान में विच्छेदता प्रकट करने के लिये यों कहा जाय कि "पूर्वकालीन इदानीन्तनता स वर्तमानकालीन इदानीन्तनता भिन्न है अतः इसे अविच्छिन्न कैसे माना जा सकता है ? प्रतिषेध इनमें विच्छेद होता रहता है" तो ऐसा कहना ठीक नहीं । कारण कि ऐसा कोई भी प्रमास्य संभवित नहीं है जो पूर्व और वर्तमान पर्यायों को इदानीन्तनता में विच्छेद का ग्राहक हो । इदानीन्तनता का साम्प्रतिक संवेदन पूर्व अवरकाल सम्बन्धी इदानीन्तनता के संवेदन के विच्छेद को ग्रहण करने के लिये शक्य नहीं है । क्योंकि उम सत्रय पूर्व और अवरकालीन संवेदन का स्वयं अभाव है एवं पूर्व और अवरकालीन संवेदन

के समय में साम्प्रतिक इदानीन्तनता के संवेदन का अभाव है । अनुमान भी पूर्व और अपरकालीन सम्बन्धी इदानीन्तनता के संवेदन के विच्छेद को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है । कारण कि बिना अविनाभावी लिङ्ग के अनुमान का उत्थान होना नहीं है । प्रकृत में ऐसा कोई लिङ्ग नहीं है जो पूर्व और अपरकालीन संवेदन विच्छेद के साथ अविनाभावरूप सम्बन्ध से ग्रहीत हो, तो कदाचित् कश्चित् पूर्वापर इदानीन्तना के विच्छेद को प्राप्त करता है वही उसके स्वभावभूत अथवा कार्यभूत लिङ्ग का उसके साथ सम्पूर्णरूप से अविनाभाव सम्बन्ध तर्कित कर सकता है । दूसरा कोई नहीं । जो स्वयं पूर्व और अपरकाल में अभ्यापक—नहीं रहने वाला है वह कैसे पूर्व और अपरकालीन इदानीन्तनता के दोनों संवेदनों में विच्छेद उपलब्ध करने के लिये समर्थ हो सकता है । यदि पूर्वापरकालीन इदानीन्तनता के संवेदनों में विच्छेद ग्रहण करने वाला संतान स्वीकार किया जाय अर्थात् इन दोनों के विच्छेदग्रहण करने में समर्थ संतान है ऐसा माना जाय तो यह कहना भी ठीक नहीं है । कारण कि बौद्ध सिद्धान्तानुसार स्वयं संतान कोई वस्तु ही सिद्ध साबित नहीं होती है । अतः अवस्तुरूप उस संतान में इन दोनों के विच्छेद ग्रहण करने की कोई शक्ति ही नहीं बन सकती है । यदि य संतान को वस्तुभूत पदार्थ स्वीकार किया जाय तो इससे यही बात सिद्ध होती है कि बौद्धों ने जिसे “संतान” इस नाम से निर्दिष्ट किया है—जैनिषों ने उसे ही आत्मा इस नाम से कहा

है। संतान और आत्मा इन दोनों में नाम का ही अन्तर है अर्थ का नहीं। इस प्रकार नित्य आत्म द्रव्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार पर्यायतिरिक्त द्रव्य तत्त्व है यह बात वहां तक संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित की है। टीकाकार ने इस विषय में और भी विस्तृत विवेचन किया है। अतः विशेषरूप से जानने के लिये विषय वहां पर देखना चाहिये।

परस्पर निरपेक्ष द्रव्य और पर्यायों की भी स्वतन्त्र व्यवस्था नहीं हो सकती है। कारण कि इस विषय में भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो इन दोनों की परस्पर निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र व्यवस्था कर सके। यदि “द्रव्यपर्यायो भिन्नोभिन्नौ भिन्नप्रतिभासत्वात् षटपटाविभ” यह कहा जाय कि षट और पट की तरह भिन्न २ रूप से प्रतिभाम होने की वजह से द्रव्य और पर्याय परस्पर में सर्वथा भिन्न हैं, तो ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है। कारण कि भिन्नता साधक यह हेतु असिद्ध है। प्रत्यक्ष इस बात का समर्थक नहीं है कि द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न हैं। इससे तो ये दोनों परस्पर में अविष्यग् भाव रूप सम्बन्ध से युक्त हैं ऐसा ही प्रतीत होता है। रही अनुमान की बात—सो क्या इसी अनुमान से द्रव्य और पर्याय परस्पर में भिन्न २ रूप में प्रतिभासित होते हैं यह बात साधी जाड़ी है या किसी दूसरे अनुमान से? प्रकृत अनुमान से द्रव्य और पर्यायों का भिन्न प्रतिभासित्व सिद्ध करने में परस्परभय नाम का दूषण आता है। कारण कि द्रव्य और पर्यायों का भिन्न प्रतिभासित्व जब सिद्ध हो जायगा तब

इस अनुमान का उत्थान हो सकेगा । और जब इस अनुमान का उत्थान होगा—तब उनमें भिन्न प्रतिभासित्व साबित हो सकेगा । यदि इससे अतिरिक्त दूसरे कोई और अनुमान से द्रव्य और पर्यायों का भिन्न प्रतिभासित्व साध्य किया जाय तो कहिये वह अनुमान और कौनसा है—यदि “द्रव्यपर्यायों” भिन्नप्रतिभासों विरुद्ध-धर्माधिकरणत्वात् यौ यौ विरुद्धधर्माधिकरणी तौ तौ सर्वथा भिन्नप्रतिभासौ यथा जलानिलौ” यह कहकर कि जो जो विरुद्ध धर्म के अधिकरण होते हैं वे २ सर्वथा भिन्न प्रतिभासवाले होते हैं जैसे जल और अनिल । द्रव्य और पर्याय भी विरुद्ध धर्म के अधिकरण हैं इससे भिन्न २ प्रतिभास के विषय हैं । द्रव्य और पर्यायों में भिन्न प्रतिभासित्व साध्य किया जाय तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि इस अनुमानान्तर का पक्ष प्रत्यक्ष विरुद्ध है । हेतु भी प्रत्यक्ष से बाधित पक्ष में रहने वाला होने से कालात्पयापदिष्ट हैं । इससे भिन्नप्रतिभासित्व रूप साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है । अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान्, सामान्य सामान्यवान् एवं विशेष और विशेषवान् इन सब का परस्पर में कथंचित् अविष्वग्भाव सम्बन्ध है और ऐसा ही प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतीत होता है ।

इसी तरह सर्वथा द्रव्यात्मक एक तत्त्व की भी व्यवस्था नहीं बन सकती है । एक तत्त्व में जो द्रव्यात्मकता मानी जावेगी—सो क्या वह सवधारूप से मानी जावेगी या कथंचित् रूप से । सर्वथा रूप से एक में द्रव्यात्मकता विरुद्ध पडती है—क्योंकि जो आत्म

द्रव्य की प्रतीति का हेतु होगा वह, और जो पर्याय की प्रतीति में निमित्त होगा वह परस्पर में भिन्न २ स्वभाव वाञ्छा होगा । इन भिन्न २ स्वभावों से अभिन्न में तो भिन्नता ही सिद्ध हुई मानी जावेगी । इन दोनों स्वभावों को अभिन्न मानकर द्वयात्मकता साधित की जावेगी तो इस प्रकार से द्वयात्मकता न आकर एकात्मता ही सिद्ध होगी । इसलिये एक में द्वयात्मकता एक ही अर्पणा-विवक्षा-से सर्वथा विरुद्ध है यही मानना चाहिये । कथंचित् अर्पणा से तो एक में द्वयात्मकता स्याद्वादसिद्धान्त को मान्य ही है । अतः धर्मा-धर्म ये दोनों तत्र द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से कथंचित् अभिन्न हैं । पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से कथंचित् भिन्न हैं, एवं क्रमापित द्वय की अपेक्षा से कथंचित् परस्पर में भिन्नाभिन्न भी हैं । अतः यह साधित हो चुका कि स्यात्पद से युक्त वाक्य सर्वथा धर्ममात्र, धर्मात्मात्र और परस्पर निरपेक्ष धर्मा और धर्ममात्र का प्रतिपादक नहीं होता और न इन्हें सर्वथा भिन्न, सर्वथा अभिन्न और न सर्वथा भिन्नाभिन्नरूप में प्रतिपादन ही करता है । क्योंकि ये सब प्रतीति के विरुद्ध हैं । और इसीलिये द्रव्यैकान्त, पर्यायैकान्त एवं परस्पर निरपेक्ष पृथग्भूत द्रव्य पर्यायैकान्त की व्यवस्था नहीं बन सकने का समर्थन होता है । अतः द्रव्यादिकों की सर्वथा एकान्त की मान्यता में कोई युक्ति का अनुशासन नहीं घटित होता है यह ठीक ही है ।

युक्त्यनुशासन क्या है—इसे स्पष्ट किया जाता है—

दृष्टागमाभ्यामविरुद्धमर्थ-

प्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते ।

प्रतिक्षणं स्थित्युदयव्ययात्म-

तत्त्वव्यवस्थ सदिहार्थरूपम् ॥ ४६ ॥

अन्वय—दृष्टागमाभ्यां अविरुद्धं अर्थप्ररूपणं ते युक्त्यनुशासनं ।
४६ (यथा) अर्थरूपं प्रतिक्षणं स्थित्युदयव्ययात्मतत्त्व-व्यवस्थं
(यतस्तत्) सत् ।

अर्थ—प्रत्यक्ष और आगम से अविरुद्ध अर्थ का जो प्ररूपण है वही हे नाथ ! आपका युक्त्यनुशासन है । इसमें एक दृष्टान्त दिया जाता है—अर्थ का रूप प्रतिक्षण स्थिति, उदय और व्ययरूप तत्त्व व्यवस्था वाला है क्योंकि वह सत् है ।

भावार्थ—“युक्त्यनुशासन” क्या है इस आशङ्का का उत्तर देने के लिये सूत्रकार ने इस कारिका का सृजन किया है । वे इसमें इसी के स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं, कि प्रत्यक्ष और आगम से अबाधित स्वरूप अर्थ का जो अर्थ रूप से प्ररूपण है वही युक्त्यनुशासन है । यद्यपि श्लोक में “अर्थ-प्ररूपणं” ऐसा ही पद है और इसका अर्थ, अर्थ का प्रतिपादन करना ऐसा होता है । इस अर्थ प्रतिपादन को यदि युक्त्यनुशासन माना जाय तो प्रत्यक्ष में भी युक्त्यनुशासनता प्रसक्त होगी—अतः इस अति-याप्ति दोष को हटाने के लिये “अर्थ” इस पद का इस लक्ष्य वाक्य में निवेश कर लेना चाहिये । तथा

य अर्थात्—अन्यबालुपपन्नत्व निवर्तनविषयकत्वात् साधनत्वात्—साध्य के साथ अन्यबालुपपत्ति रूप नियम से निश्चित साधन से साध्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करना ही युक्त्यनुशासन है ऐसा कश्चित्वाच्य होता है। युक्त्यनुशासन के इस संबंध में “पटागमो-भ्यामविरुद्ध” इस प्रकार जो पद रफसा गया है—उसकी सार्थकता इस प्रकार है—कि प्रत्यक्षविरुद्ध—बल की तरह द्रव्य होने से अग्नि ठंडी है—तथा आगम विरुद्ध—अर्थ की तरह कर्म होने से धर्म जीव को परलोक में दुःख देने वाला है—अर्थ की प्रत्यक्ष-युक्त्यनुशासन न हो जाय। प्रत्यक्ष विरुद्ध और आगमविरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करना युक्त्यनुशासन नहीं है। युक्त्यनु-शासन की स्पष्ट करने के लिये यहाँ अत्रकार एक उदाहरण उप-स्थित करते हैं। वे कहते हैं कि अर्थ का रूप प्रतिषेध स्थिति-श्रीष्य, उदय-उत्पाद और व्यय-नाशरूप तत्त्वव्यवस्था को लिये हुए है क्योंकि वह तत् स्वरूप है। इस युक्त्यनुशासन में जो पक्ष है, वह प्रत्यक्ष विरुद्ध इसलिये नहीं है कि अर्थ का श्रीष्य, उत्पाद और व्ययात्मक रूप जिस प्रकार सहिरी घट पटादिक पदार्थों में साक्षात् अनुभवित होता है, उसी प्रकार आत्मादिक आभ्यन्तर पदार्थों में भी यही स्वरूप साक्षात् अनुभव में आता है। उत्पादमात्र तथा व्ययमात्र की तरह केवल स्थिति मात्र का प्रत्यक्ष से कहीं भी अनुभव नहीं होता है। अर्थ का स्वरूप प्रतिषेध उत्पाद व्यय श्रीष्यात्मक है, वह अनुभव अनुपपन्न नहीं है। कारण कि अल्पक प्रयोगों की अंतर्गतता इसमें सुनि-

शिव है। ऐसा कोई भी वाक्य प्रमाण संश्लिष्ट नहीं है जो
 "वस्तु-धर्म का रूप-उत्पादादिब्रह्मत्मक नहीं है" इसका
 समर्थक हो। काश्या कि यदि वस्तु में प्रतिबन्ध उत्पादादिब्रह्म-
 त्मकत्व न होती तो कालान्तर में जो वहाँ इनका साक्षात् दर्शन
 होता है वह नहीं होना चाहिये। अतः उत्पादादिब्रह्मत्मक वस्तु
 है इसमें प्रत्यक्ष-विरोध नहीं आता है। आगाम-त्रिलोक की इस
 सुसन्तुष्टात्मन में शक्ति नहीं होता है। क्योंकि "उत्पादादिव्य-
 धौम्यत्मकं सत्" इस प्रकार का परममम प्रतिज्ञ है। इससे
 प्रतिबन्ध उत्पादादिब्रह्मत्मक पदार्थ हैं यही सिद्ध होता है। हां
 ऐसा कोई आगम नहीं है जो एकान्त रूप से वस्तु में एक ही
 धर्म का परस्पर निरपेक्ष रूप से प्रतिपादन करनेवाला हो। यदि
 ऐसा आगम हो भी तो वह दृष्ट-प्रत्यक्ष और इष्ट-अनुमान से
 सिद्ध धर्म का अधिपानी होने से प्रतारक-उभय पुरुष-के वचन
 की तरह अर्थात्-प्रमाण कोटि में नहीं प्रवृत्त किया जा सकता
 है। अतः प्रसिद्ध जीवादि-अर्थरूप सच्च धर्मों का अप्रसिद्ध
 प्रतिबन्ध उत्पादादिब्रह्मत्मक सात्मधर्म का वहाँ कथन होने से
 पक्ष निरवयव है। इसी प्रकार "सम्भवात्" यह हेतु भी निर्वोच्य है।
 कारण कि इसमें हेतु के लिये भी दोष हैं उनमें से किसी भी
 एक का सङ्ग नहीं पाया जाता है। तथाहि-असिद्ध दोष इत्सालये-
 यहाँ पर नहीं है कि यदि सर्वत्र धर्म के रूप में सत्त्व का अभाव-
 मात्राः का प्रमाण से सर्वत्र का सत्त्व आगमाः। संश्लिष्टप्रसिद्ध भी
 हेतु इसलिये नहीं है कि यदि सर्वत्र सत्त्व का अभाव काना जाता

तो संदेह भी सत्त्व के निरूपण के विरुद्ध आना चहिये। अतिसिद्ध भी यह हेतु इसलिये नहीं है कि सत्त्व वादियों की सत्त्व के परिश्रम के अभाव में बोदी होने का विरोध जाता है। जो हेतु पक्ष सत्त्व में रहता हुआ विपक्ष में भी रहता है वही अनैकान्तिक हेतु माना जाता है। सत्त्व हेतु सम्पूर्ण रूप से या एक-दूसरे रूप से विपक्ष में रहता नहीं है। इसलिये अनैकान्तिक नहीं है। उत्पादादिप्रयात्मकता का विपक्ष उत्पादादिप्रयात्मकत्व का अभाव है। इस विपक्ष को यदि इस प्रकार कहकर संवित किया जाय कि "द्रव्य" इसमें केवल प्रीव्यात्मकता ही है, उत्पाद और व्ययात्मकता नहीं है। पर्याय में केवल उत्पाद और व्ययात्मकता ही है प्रीव्यात्मकता नहीं है। अतः द्रव्य में उत्पाद और व्ययात्मकता के अभाव में भी "सत्त्व" यह हेतु रहता है—इसी प्रकार प्रीव्यके अभावविशिष्ट उत्पाद व्ययात्मक पर्याय में भी सत्त्व का सङ्गाव माना जाता है। इसलिये विपक्ष में भी इस हेतु का सङ्गाव होने से इसे अनैकान्तिक मानना ही चहिये। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। कारण कि इस प्रकार जिस सत्त्व हेतु में दोष प्रदर्शित किया गया है वह नय का विषय माना गया है। वह यहाँ हेतु नहीं है। वस्तुत्वस्वरूप जो सत्त्व है (जिसे प्रमाद्य का विषय पीछे कहा गया है) वही यहाँ हेतु रूप से कथित हुआ है। द्रव्य में जो सत्त्व होगा वह द्रव्याधिक नय का एवं पर्याय का सत्त्व पर्यायाधिक नय का विषय होगा। वस्तुत्व स्वरूप सत्त्व में द्रव्याधिक पर्यायाधिक दोनों नयों की युगपत्प्रधा-

नता मानी गई है। वस्तु न तो सिर्फ द्रव्यभाव ही है और न पर्यायभाव ही है, किन्तु द्रव्यपर्यायव्यत्मक है। हाँ! द्रव्य और पर्यायों वस्तुस्वरूप न होकर वस्तु के अङ्गदेश हैं। यहाँ पर यह कहा नहीं जानना चाहिये—कि जब द्रव्य और पर्याय स्वयं वस्तुस्वरूप नहीं हैं तो उनमें वस्तुत्व के अभाव से अवस्तुत्व का प्रसंग होगा। कारण कि जिस प्रकार समुद्र का एक देश न पूर्य रूप से समुद्र होता है और न असमुद्र ही; इसी प्रकार द्रव्य और पर्यायों न वस्तु रूप हैं और न अवस्तुरूप ही हैं। वे उसके एक देश हैं। यदि इस प्रकार कहकर हेतु को अनैकान्तिक प्रदर्शित किया जाय कि जब वस्तुत्व स्वरूप सत्त्व हेतु है तो वह एक देशस्वरूप द्रव्य के सत्त्व से एवं पर्याय के सत्त्व से व्यभिचारी होती ही है। क्योंकि यह वस्तुत्व स्वरूप सत्त्व अपने एक देश में जो रहता है। सो ऐसा कहना युक्त नहीं है। कारण कि यदि इस प्रकार एक देश द्वारा व्यभिचारोद्भव हेतु में किया जायगा तो फिर इस प्रकार से समस्त हेतु ही व्यभिचारी मानने पड़ेंगे। बह्यादि साध्य की सिद्धि करने के लिये प्रयुक्त ऐसे सकलजन प्रसिद्ध धूम आदि साधन में भी उसके एक देश बाहुत्वादि द्वारा व्यभिचार का उद्घाटन किया जा सकता है। यदि धूम हेतु को अव्यभिचारी सिद्ध करने के लिये यह कहा जाय कि धूम को हेतु बनाया है—तदेकदेश को नहीं—अतः उससे उसमें व्यभिचार नहीं आ सकता—तो यही समाधान वस्तुत्वस्वरूप सत्त्व हेतु के विषय में भी जानना चाहिये। इस प्रकार वस्तुत्व स्वरूप सत्त्व

को हेतु मानने पर उसमें उसके एक हेतु समस्त इच्छा तथा व्यवसाय पर्यन्त सत्त्व से अनैकान्तिकता का उत्पादन नहीं हो सकता है। इस कारण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यह हेतु विकृत भी नहीं है। बिल्कुल तो तब होना कि जब इस हेतु की केवल सत्त्व से विपरीत अर्थात् के ही साथ व्याप्ति होती। उत्पत्ति-सद्विषयात्मकता सत्त्वरूप हेतु का लक्षण है। इसके विपरीत उत्पत्ति-सद्विषयात्मक का अभाव—केवल उत्पाद, केवल व्यय और केवल धौम्य—है। उसमें यह हेतु नहीं रहता है। कारण कि जहाँ केवल स्थिति है वहाँ जिस प्रकार सत्त्व हेतु का सञ्जाप नहीं बनता है, उसी प्रकार केवल उदय और व्यय में भी इस हेतु के सञ्जाप का संभव नहीं हो सकता है। अर्थक्रियाकारित्व के सञ्जाप में ही सत्त्व रहता है। जहाँ अर्थक्रियाकारित्व नहीं है वहाँ सत्त्व भी नहीं है—जैसे लघुत्व। इसलिये यह सत्त्व अर्थक्रियाकारित्व से व्याप्त माना गया है। अर्थक्रिया कारित्व क्रम-योग्यता से व्याप्त है। जहाँ क्रम और योग्यता नहीं है वहाँ अर्थक्रियाकारिता भी नहीं है। क्रम और योग्यता भी प्रतिक्रिया स्थित्युद्भव्यात्मक स्वरूप से हैं। जहाँ स्थित्युद्भव्यात्मक है वहाँ सत्त्व नहीं है। इसी प्रकार जहाँ उदय और व्यय भी एकान्त रूप से हैं वहाँ पर भी सत्त्व का अभाव माना गया है। इस तरह समुद्र के बीच में जाने वाले बहाव के मसतूल से उड़ा हुआ पत्थी जिस प्रकार लीर के नहीं बिलने से लगी बहाव के मसतूल पर आकर बैठ जाता है उसी प्रकार यह

सम्बन्ध हेतु भी प्रविष्टत्व स्थिति—उदय—व्ययात्मक—अर्थ हेतु में ही अन्त में स्थिति प्राप्त करता है अन्यत्र नहीं ! इसलिये वह सम्बन्ध हेतु साध्य से विपरीत अर्थ का साध्यक नहीं होने से विरुद्ध हेतुमास से दूषित नहीं होता है । यदि यहाँ पर यह कहा जाय कि सम्बन्ध में सम्बन्ध का अभाव होने से वह हेतु असाधारण अनैकान्तिक है, तो इस पर यह पूछा जा सकता है—कि असाधारण अनैकान्तिक किसे कहते हैं ? यदि इसके समाधान में यह कहा जाय कि सम्बन्ध और विषय में जिसका सम्बन्ध नहीं है वही हेतु असाधारण अनैकान्तिक होता है तो इस पर फिर भी यह प्रश्न होता है कि सम्बन्ध और विषय में हेतु का असम्बन्ध निश्चित है अथवा संदिग्ध है । विषय में जिस हेतु का सम्बन्ध सर्वथा निश्चित होता है वह अनैकान्तिक न होकर प्रस्युत सम्बन्ध हेतु माना जाता है । विषयासम्बन्ध विषय के विरचय लक्ष्य वाला ही तो सच्चा—निर्दोष हेतु होता है । यह लक्ष्य जिस हेतु में न हो वह यदि सम्बन्ध में रहता भी हो तो भी उसमें अपने साध्य की गमकता नहीं आती है । दूसरे बात यह भी है कि हेतु का लक्ष्य सम्बन्ध में सम्बन्ध होना नहीं है, क्योंकि यह लक्ष्य अस्पष्टवस्थित है । यही कारण है कि इस सम्बन्ध सम्बन्ध के अभाव में भी हेतु में स्वसाध्य के प्रति गमकता की सिद्धि मानी गई है । सम्बन्ध विषय में संदिग्ध असम्बन्ध वाला हेतु अनैकान्तिक होता है । यदि यह द्वितीय पक्ष कबूल किया जाय तो इस मान्यता में “सम्बन्ध” यह हेतु असाधारण

अनैकान्तिक नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रमाण के बल से विषय में हेतु के असङ्गत्व का निश्चय किया जा चुका है—इससे किसी भी प्रकार का संशय न रहने से हेतु में अनैकान्तिकता का विरोध है। अनैकान्तिक का सामान्य लक्षण संशय का हेतु होना है। इसका भाव यही है कि संशय का हेतु वही होता है जिसकी अपने साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध का व्याप्ति निश्चित नहीं होती है। परन्तु प्रकृत लक्ष्य हेतु में पूर्णतः प्रकार से अपने साध्य के साथ अविनाभाव रूप व्याप्ति का विरचय किया ही जा चुका है। इसीलिये यह हेतु अतिरिक्त विरुद्ध और अनैकान्तिक दोषों से रहित होकर युक्त्यनुशासन के इस “प्रतिपक्ष अर्थ का रूप स्थित्युदयव्यवसायक है” उदाहरण को समीचीन सिद्ध करता है। “अर्थ का रूप स्थित्युदय व्ययात्मक हो ही नहीं सकता; कसब कि जिस रूप से उसकी स्थिति है वह उसी रूप से उसमें होगी, व्यय जिस रूप से है, वह उसी रूप से होगा एवं उत्पाद भी अपने रूप से ही होगा—ऐसी व्यवस्था में अनैकान्तात्मक वस्तु सिद्ध नहीं होती है। इस साम्यता में तो स्थिति आदि एकत्व की ही प्रसिद्धि होती है” तो ऐसा किसी एकान्तवादी का कथन युक्तियुक्त नहीं है यही बात “सत्यव्यवस्था” इस पक्ष से सप्रकार से प्रदर्शित की है। वे इसके द्वारा एक पूर्णतः स्थित्यादि-एकत्व का निश्चय करते हुए कहा रहे हैं कि अर्थ का वह रूप किसी कारण ऐसी व्यवस्था से प्रसिद्ध नहीं है कि जिससे उत्पाद, व्यय और प्रोप्य

उसमें अपने २ खास रूप से ही हो । जिस रूप से उसमें ध्रौव्य है, उस रूप से वहीं पर उत्पाद और विनाश भी हैं । जिस रूप से उसमें ध्रौव्य था उस रूप से वहीं पर उत्पाद और विनाश भी था । इसी प्रकार जिस रूप से उसमें ध्रौव्य होगा उस रूप से वहीं पर उत्पाद और व्यय भी होगा । इस तरह ध्रौव्य में विकास की अपेक्षा से यह उत्पाद और व्यय की व्यवस्था समझनी चाहिये । इसी तरह उत्पाद और व्यय के साथ भी विकास की अपेक्षा ध्रौव्य और व्यय की व्यवस्था तथा व्यय के साथ ध्रौव्य और उत्पाद की व्यवस्था समझ लेनी चाहिये । मतलब इसका यह है कि अर्थ का रूप स्वकाल की अपेक्षा से ध्रौव्य रूप है, उत्पाद रूप है और विनाश रूप है । स्वोपरकाल की अपेक्षा से अर्थ का रूप ध्रौव्य रूप होगा, उत्पाद रूप होगा और विनाश रूप होगा । स्वपूर्वकाल की अपेक्षा से अर्थ का रूप ध्रौव्य रूप था, उत्पाद रूप था और विनाश रूप था । इस विषय को पट के दृष्टान्त से इसी प्रकार सुझाना किया गया है—प्रारंभ क्षण की अपेक्षा पट उत्पन्न होता है, स्थित होता है और नष्ट होता है । अनारंभ द्वितीयादिक्षण की अपेक्षा उत्पन्न होगा, स्थित होगा और नष्ट होगा । निवृत्त स्वरूप की अपेक्षा उत्पन्न था, स्थित था और नष्ट था । इस प्रकार उत्पादादित्रय किसी एक खास रूप से प्रतिबद्ध सिद्ध नहीं होते हैं । इसीलिये इन्हें व्यवस्था से रहित धनकार ने प्रकट किया है और इसी कारण कर्त्तव्य अन्वयस्थित तथा अर्थक्रिया कालों में समर्थ

सिद्ध होता है। इस तरह एक ही वस्तु नाना स्वभाव वाली है यह बात प्राप्त होती है—परन्तु यह तो विकृत है। इसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। इस बात को सप्रकार इस नीचे की कारिका से स्पष्ट करते हैं—

नानात्मतामप्रजहत्तदेक-

मेकात्मतामप्रजहच्च नाना ।

अङ्गाङ्गि-भावात्तव वस्तु तद्यत्-

क्रमेण वाग्वाच्यमनन्तरूपम् ॥५०॥

अन्वय—तव (सत्त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानात्) यत् वस्तु एकं (सिद्धं) तत् नानात्मतां अप्रजहत् (एव) (वस्तुत्वं लभते) । (तथा यत् अबाधितनाना प्रत्ययबलात्) नाना (प्रसिद्धम्) तत् एकात्मतां अप्रजह-देव (वस्तु सम्मत्तं) । अनन्त रूपं (वस्तु) अङ्गाङ्गिभावात् क्रमेण वाग्वाच्यं (भवति) ।

अर्थ—हे नाथ ! आपके इस अनेकान्त शासन में जो वस्तु सत्स्वरूप एकत्व प्रत्यभिज्ञान से एक सिद्ध होती है, वह नानात्मता का त्याग नहीं करती हुई ही वस्तुत्व को प्राप्त होती है। तथा जो वस्तु अबाधित नाना प्रत्यय के बल से नाना रूप प्रसिद्ध है, वह एकात्मता का त्याग नहीं करती हुई ही वस्तुत्व को प्राप्त करती है। इस प्रकार अनन्त रूप वाली वस्तु अङ्ग अङ्गीभाव के कारण क्रम से वचन गोचर होती है।

भावार्थ—यद्यपि जीवादिक वस्तुएं सत्त्वरूप एकत्व प्रत्य-
 खिज्ञान के बल से एक-नित्य-रूप प्रसिद्ध होती हैं—और इसीसे
 उनमें वास्तविक वस्तुता आती है; परन्तु फिर भी यह एकता
 उनमें सर्वथा अपने प्रतिपक्षी के त्याग से नहीं आई है।
 क्योंकि अनेकात्मता के परित्याग में यह एकता उनमें आ ही
 नहीं सकती है। और न उनमें वस्तुता ही सिद्ध हो सकती है।
 जैसे नाना रूपता का परित्याग करने से ब्रह्माद्वैत में वस्तुता
 नहीं आती है। वह व्याप्ति है—जो नाना रूपता का परित्याग
 करती है वह वस्तु ही नहीं है। वस्तु एक होकर भी समीचीन
 नाना प्रत्ययों का विषय होने से अनेक रूप मानी जाती है।
 इसी तरह जो वस्तु अबाधित नाना ज्ञानका विषय होने से
 नानात्मक मानी गई है वह एकात्मता को नहीं छोड़ती हुई ही
 आपके मिद्धान्त में वस्तुरूप से सम्मत हुई है। अन्यथा उसमें
 वस्तुत्व का विरोध आता है। जैसे बोद्धों द्वारा स्वीकृत निरन्वय
 नानाक्षण रूप वस्तु में वस्तुता का विरोध होता है। इसलिये
 वस्तुत्व की अन्यथानुपपत्ति होने से जीवादिक पदार्थ परस्पर एक
 दूसरे का त्याग न करने से एक अनेक स्वभाव रूप है। यह
 युक्त्यनुशासन है। इस प्रकार की कथंचित् एकानेक स्वभाव
 रूपवस्तु वचन के द्वारा कैसे कही जा सकती है—इस प्रकार की
 शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह क्रम २ से वचन के गोचर
 होती है। इसका कारण यह है कि एक स्वरूप अथवा नाना
 स्वरूप वाली वस्तु एक रूप से अथवा अनेकरूप से युगपत् वचन

के द्वारा शक्य हो नहीं सकती है। क्योंकि इस प्रकार के वचन का अभाव है। ऐसा कोई भी वचन नहीं है—जो इस क्रम से वस्तु के कथन कर सकने में शक्तिशाली हो। इस प्रकार क्रम क्रम से वस्तु का विवेचन करने वाले वचन में असत्यता का प्रसंग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी अपने विषय एकत्व अथवा अनेकत्व में अज्ञातिभाव से प्रवृत्ति होती है। जैसे—“स्यादेकमेव” इस वचन के द्वारा प्रधानभाव से एकत्व वाच्य होता है और गौण रूप से नानात्व। इसी तरह “स्यान्नानैव” इस वचन प्रधान भाव से नानान्व—नाना रूपता—वाच्य होता है और गौणरूप से एकत्व। इस प्रकार एकत्व और अनेकत्व का क्रमिक कथन करने वाला वचन असत्य कैसे हो सकता है? हाँ! असत्यता सर्वथा पदार्थ में एकत्व का कथन करने वाले वचन में ही आती है—क्योंकि उससे नानात्व स्वभाव का निराकरण हो जाता है। जहाँ नानात्व का निराकरण हुआ कि वहाँ तदविनाभावी एकत्व के भी निराकरण का प्रसंग प्राप्त होता है। इससे असत्यत्व की प्राप्ति अभीष्ट ठहरती है। क्योंकि वैसी उपलब्धि नहीं होती है। इसी तरह सर्वथा नानात्व के कथक वचन से एकत्व का निराकरण होने से तदविनाभावी नानात्व के भी निराकरण होने की प्रसक्ति आती है—इससे नानात्व के सर्वथा एकान्त कथन में भी सत्यत्व का विरोध आ जाता है। इसलिये अनन्त स्वरूप वाली वस्तु आपके सिद्धान्त में जो क्रम २ से वचन द्वारा प्रतिपादित बतलाई गई है—वह अज्ञ और अज्ञातिभाव

से ही जानना चाहिये । गौख का नाम अङ्ग, एवं प्रधान का नाम अङ्गी है । निष्कर्ष इसका यही है कि मुख्य और गौख की विवक्षा से ही अनन्तस्वरूपात्मक वस्तु का कथन वचन द्वारा क्रम २ से होता है । वचन द्वारा यह क्रमिक एकानेकात्मक वस्तु का कथन यथार्थ ही समझना चाहिये ।

अनन्त धर्मों से विशिष्ट वस्तु रहो; परन्तु वे धर्म परस्पर निरपेक्ष हैं और धर्मों में उनसे पृथग्भूत है । इस प्रकार की मान्यता को निराकरण करने के लिये सूत्रकार कहते हैं—

मिथोऽनपेक्षाः पुरुषार्थहेतु-

अंशा न चांशी पृथगस्ति तेभ्यः

परस्परेक्षाः पुरुषार्थहेतु-

दृष्टा नयास्तद्वदसिक्रियायाम् ॥५१॥

अन्वय—मिथोऽनपेक्षाः अंशाः पुरुषार्थहेतुः न, तेभ्यः पृथक् अंशी नास्ति । परस्परेक्षाः पुरुषार्थ-हेतुः दृष्टाः । तद्वत् नयाः असिक्रियायां दृष्टाः ।

अर्थ—परस्पर निस्पर्धक धर्म पुरुषार्थ के हेतु नहीं होते हैं । क्योंकि वे उस रूपमें उपलभ्यमान नहीं होते हैं । अंशों-धर्मों-अवयवों-से भिन्न अंशी-अवयवी नहीं है । परस्पर सापेक्ष धर्म और धर्मों पुरुषार्थ के हेतु देखे गये हैं । इसी तरह नय-नैगमादिक नय असिक्रिया सत्तालक्षणरूप क्रिया में परस्पर सापेक्ष होकर ही पुरुषार्थ के हेतु देखे गये हैं ।

भावार्थ—इस क्रमिका द्वारा सूत्रकार इस आशंका का उत्तर दे रहे हैं जो इस सूत्र के अन्तरख के रूप में उपस्थित की गई है। वे इसमें यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अवयव अपने अवयवी से न तो सर्वथा जुड़े हैं और न वे परस्पर में निरपेक्ष ही हैं। क्योंकि जो वस्तु के अवयव—वर्ष—अंश परस्पर निरपेक्ष होते हैं वे पुरुषार्थ के हेतु नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वे उस रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। जो जिस रूप से अनुपलब्ध होता है वह उस रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। जैसे अग्नि शीत रूप से उपलभ्यमान नहीं है तो वह शीत रूप से व्यवस्थित भी नहीं है। परस्पर निरपेक्ष सप्तदिक घर्म अथवा अवयव पुरुषार्थ के हेतु रूप से कहीं पर उपलभ्यमान नहीं होते हैं। इसलिये वे पुरुषार्थ के प्रति हेतु रूप से व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार यह युक्त्यनुशासन प्रत्यक्ष और आगम से अविरुद्ध है। अंश परस्पर सापेक्ष होकर भी पुरुषार्थ के प्रति हेतु रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि इसी प्रकार वे देखने में आते हैं। जो जिस रूप से देखा जाता है वह उसी रूप से व्यवस्थित होता है। जैसे अग्नि दहन रूप से देखने में आती है अतः वह उसी स्वभाव से व्यवस्थित होती है। परस्पर सापेक्ष अंश स्वभावतः पुरुषार्थ के प्रति हेतु रूप से देखे जाते हैं, इसलिये वे उसी रूप से व्यवस्थित हैं। यह स्वभाव की उपलब्धि का हेतु है।

इसी तरह (अपने) अंशों से अंशी भी पृथक् नहीं हैं, क्योंकि-

कि इस रूप से उसकी उपलब्धि नहीं होती है। जो जिस रूप से अनुपलभ्यमान होता है वह उस रूप से उपलब्ध नहीं होता है। जैसे शीत रूप से तेज—(अग्नि) अनुपलभ्यमान है इसलिये वह शीत रूप से उपलब्ध नहीं होता है। अंशों से पृथक् अंशी है, यह बात सर्वदा अनुपलब्ध है इसलिये वह अंशों से पृथक् नहीं है, यह स्वभाव की अनुपलब्धि रूप हेतु है। न चात्र दृष्टविरोध—इसमें प्रत्यक्ष से कोई विरोध नहीं आता है। क्योंकि जो परस्पर में विभिन्न पदार्थ होते हैं उनमें आपस में सख और विन्ध्य आदि की तरह अंशांशभाव नहीं देखा जाता है। इस कथन में आगम से भी कोई विरोध नहीं आता है। कारण कि अंश और अंशी परस्पर में सर्वथा विभिन्न हैं, इस विषय को प्रतिपादन करने वाले आगम का अभाव है। ऐसे आगम का अभाव इसलिये कहा गया है कि इस विषय को प्रतिपादन करने वाला आगम युक्ति से विरुद्ध पड़ जाता है। युक्ति—विरुद्ध आगम आगमाभास भूटा आगम है। यदि यहां पर ऐसा कहकर अंश और अंशी को पृथक् साबित किया जाय कि “अंश” प्रत्यय से अंश का और ‘अंशी’ इस प्रत्यय से अंशी का ज्ञान होता है। अतः अंशों से अंशी पृथक् ही है क्योंकि ये दोनों पृथक् २ प्रत्यय के विषय होते हैं। जो जिससे पृथक् प्रत्यय का विषय होता है वह उससे पृथक् ही है। जैसे स्तम्भ से कुड्य। सो ऐसा कहना ठीक नहीं है। कारण कि यहां पृथक् प्रत्यय विषयता रूप हेतु असिद्ध है। क्योंकि अंश से अंशी कथंचित् अपृथक् प्रत्यय का विषय माना

मया है । समवाय की कोई सिद्धि नहीं होती है । यदि अंश से पृथक् होने पर भी अंशी को समवाय अंशों के साथ मिला देता है इसलिये जैसा “अंशों में अंशी है” यह प्रत्यक्ष समवाय के बल से होता है—उसी प्रकार समवाय द्वारा सब में विध्य है ऐसा प्रत्यक्ष क्यों नहीं कगया जाता है ? इन दोनों में भी अंशा-शिभाव होना चाहिये । अतः अंशों से अंशी कश्चित् रूप से अभिन्न है—और उनका परस्पर में तादात्म्य सम्बन्ध है । ऐसा ही मानना चाहिये । इसलिये अंश और अंशी परस्पर में सापेक्ष होकर पुरुषार्थ के हेतु हैं—यह बात निश्चित होजाती है । इसी प्रकार अंशांशी की तरह नैगमादिकनय भी सत्तालक्षण रूप अस्तिक्रिया में परस्पर सापेक्ष होकर ही पुरुषार्थ के हेतु हैं । क्योंकि इसी रूप से वे देखे जाते हैं । इससे स्थितिग्राही द्रव्यार्थिक नय के मेद नैगम, संग्रह और व्यवहार एवं प्रतिषेध उत्पाद और व्यय को ग्रहण करने वाले पर्यायार्थिक नय के मेद ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ तथा एषंभूत ये सब परस्पर सापेक्ष होकर ही वस्तु द्वारा साध्य अर्थ क्रिया रूप पुरुषार्थ के निर्णय में हेतु होते हैं—निरपेक्ष होकर नहीं । इस प्रकार प्रत्यक्ष और आगम से अस्तिरूढ अर्थ का कि जो सत् रूप है वह सब प्रतिषेध स्थित्युदयव्ययत्मक है, अन्यथा सब का सम्भव नहीं हो सकता, प्रतिषादन स्वरूप युक्त्यनुशासन उदाहृत किया गया जानना चाहिए ।

शंका—मानसिवा ज्ञाय कि नय निरपेक्ष होकर कहीं पर भी

पुरुषार्थ के साधक नहीं होते हैं। परन्तु, इससे उनकी सचामात्र का भी अपलाप करना उचित नहीं है। अनुपयोगी पदार्थ की भी तो सचा मानी जाती है।

उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं है। पुरुषार्थ के प्रति असाधकता होने पर उनमें अतिक्रिया के प्रति भी हेतुता नहीं आ सकती है। जिस प्रकार परस्पर निरपेक्षता में नयों में पुरुषार्थ क्रिया—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति हेतुता संभव नहीं होती है उसी प्रकार खरविषाख की तरह अपने अस्तित्व के प्रति भी हेतुता उनमें नहीं आ सकती है। इसलिये यह मानना चाहिये कि परस्परापेक्षस्थिति, उदय और व्यय रूप अंश ही वस्तु लक्ष्य रूप सत्त्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनेकान्त की सिद्धि होती है। जीवादिक वस्तु में अनेकान्तात्मकता की सिद्धि विघटित करने के लिये यदि ऐसा कहा जाय कि “जीव को जिस प्रकार अपने में राग होता है—उसी प्रकार अनेकान्तात्मक वस्तु की मान्यता में उसे परात्मा में भी राग होना चाहिये। कारण कि इस अनेकान्त मान्यता में स्वात्मा और परात्मा में किसी अपेक्षा से अभेद जो होजाता है। तथा परात्मा की तरह स्वात्मा में भी द्वेष होना चाहिये—क्योंकि यहाँ कथंचित् भेद जो आजाता है। कथंचित् अभेद और कथंचित् भेद मानना ही अनेकान्त है। जिस समय जीवादिक वस्तुओं में अनेकान्त की दृष्टि को लेकर कथंचित् अभेद माना जायगा—उस समय उनमें परस्पर में भेद न होने से स्वात्मा की तरह परात्मा के विषय में भी

अनुराग भाव का अस्तित्व मानना पड़ेगा । जिस समय भेद की दृष्टि मानी जावेगी—उस समय स्वात्मा के विषय में भी परात्मा की तरह द्वेष की उद्भूति मानना पड़ेगी । इस प्रकार राग और द्वेष के सद्भाव में ईर्ष्या, अक्षया, मद और मान आदि दोष जो संसार के ही कारण बनते हैं एवं जिनसे समस्त प्राणियों का चित्त विद्विप्त हो जाता है और जिनका स्वभाव ही स्वर्ग एवं अपवर्ग को प्रतिबन्धक करने वाला है, उत्पन्न होते रहते हैं । इनकी उत्पत्ति में मानसिक समता सबथा निवृत्त हो जाती है । मानसिक समता की निवृत्ति में समाधिका निरौध हो जाता है । इस प्रकार निर्वाण जो समाधिहेतुक शास्त्रों में वर्णित हुआ है वह अनेकात्मक वस्तु की मान्यता में किसी भी जन को प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये समाधि लक्षण रूप मन की समता प्राप्त करने की भावना वाले व्यक्ति को “वस्तु अनेकान्तात्मक है “ऐसा मानना उचित नहीं है ।” इस प्रकार अनेकान्तात्मक वस्तु मानने में जो आपत्ति उपस्थित की गई है वह समीचीन नहीं है—इसी बात को स्पष्ट इस कारिका द्वारा सूत्रकार करते हैं—

एकान्तधर्माभिनिवेशमूला

सगादयोऽहंक्रुतिजा जनानाम्

एकान्तहानाच्च स यत्तदेव

स्वाभाविकत्वाच्च समं भवस्ते ॥५२॥

अन्वय—रागादयः एकान्तधर्माभिनिवेशमूलाः । बनानां
अहंकृतिजाः । एकान्तदानत् च सः यत्तदेव । ते स्वाभाविकत्वात्
च मनः समः ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टी जीवों के रागद्वेष आदिक, एकान्त
धर्म में जो अभिनिवेश—मिथ्यादर्शन होता है तन्मूलक होते
हैं । मोही जीवों के ये अहंकार और ममकार से उत्पन्न होते
हैं । एकान्त की हानि से—एकान्त के विरोधी अनेकान्त के
निश्चय से—वह एकान्त धर्म का अभिनिवेश रूप मिथ्यात्व
होता नहीं है । इसलिये हे नाथ ! आपके इस युक्त्यनुशासन
में एकान्त धर्म के अभिनिवेश रूप मिथ्यात्व के अभाव को
आत्मा का स्वाभाविक रूप होने से मनकी समता दुर्घटित हो
जाती है ।

भावार्थ—शंकाकार ने राग और द्वेष को अनेकान्तात्मक
वस्तु की स्वीकृति से उद्भूत बतलाया है । इस पर सूत्रवार का
यह समाधान है कि मिथ्यात्व से दूषित आत्माओं में राग और
द्वेष होने का कारण मिथ्यात्व भ्रद्धान है । इसका सूचक सूत्र में
“एकान्त धर्माभिनिवेशमूल” है । एकान्त रूप से निश्चित जो
धर्म है वह एकान्त धर्म है । “एकान्तधर्म” में “गुडधान” पद
की तरह मध्यम पदलोपी समास हुआ है । वस्तु सर्वथा नित्य
ही है कथंचित् अनित्य नहीं, इस प्रकार का जो अभिनिवेश है
वही मिथ्याभ्रद्धान—मिथ्यादर्शन है । “रागादयः” पद में आदि
शब्द से अनंतलुंबंधी राग, द्वेष, माया और मान ग्रहीत हुए

है। साथ में अप्रत्याख्यानावरण कषाय प्रत्याख्यानावरण कषाय संज्वलन कषाय एवं हास्यादिक नव नोकषाय भी ग्रहीत हुए हैं।

शंका—राम शब्द का अर्थ लोभ है। ये लोभ आदिक दोष मिथ्यादर्शनमूलक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर १० वें गुणस्थान तक यथासंभव लोभादिक का मद्भाव पया जाता है। परन्तु वहाँ पर मिथ्यादर्शन का तो अभाव है।

उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं है। कारण कि अनंत संसार के कारणभूत रागादिक मिथ्यादर्शन के अभाव में संभावित नहीं होते हैं। जो मिथ्यादृष्टियों के अनन्त संसार के कारणभूत रागादिक होते हैं वे मिथ्यादर्शन के मद्भाव में ही होते हैं। इस अपेक्षा से रागादिकों का मिथ्यादर्शनमूलक कहा गया है। इसीलिये उनमें मिथ्यादर्शन मूलत्व सिद्ध होता है। अब रही बात असंयतगुणस्थान से लेकर १० वें गुणस्थान तक रहने वाले रागादिकों के विषय की, सो ये वहाँ यद्यपि मिथ्यादर्शनमूलक न होकर असंयम, प्रमद एवं कषाय परिखाममूलक होते हैं; फिर भी मिथ्यादृष्टियों में ये मिथ्यादर्शन मूलक ही हैं। ऐसा जानना चाहिये।

शंका—रागादिकों को यदि मिथ्यादर्शनमूलक माना जाये तो एकान्तवादी मिथ्यादर्शनों के प्रति उदासीनावस्था सम्पन्न व्यक्ति में भी रागादिक उत्पन्न होना चाहिये।

उत्तर—ऐसी शंका नहीं करना चाहिये। कारण कि रागा-

दिकों की इस अवस्था में उत्पत्ति नहीं होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिये ममकार ने कारिका में ‘अहंकृतिः’ पद रक्खा है। मैं इसका स्वामी हूँ इस प्रकार का जो जीव का परिचय होता है वह अहंकृति-अहंकार है। यह ममकार का उपलक्षक है। यह मेरा भोग्य है इस प्रकार के परिचय का नाम ममकार है। ममकार मिथ्यादर्शन का परिचय स्वरूप ही है। जिस समय यह ममकार अहंकार सचिव-अहंकार से युक्त होता है उस समय ही यह रागादिकों का उत्पादक होता है, उदासीन अवस्था में नहीं। इस प्रकार ये रागादिक मिथ्यादृष्टि जीवों में एकान्त अभिनिवेश रूप बलिष्ठ मोह राजा के द्वारा ही उद्भूत होते हैं, ऐसा मानना चाहिये। तथा चोक्तम्—

ममकाराहंकारौ सचिवाविव मोहनीयराजरय ।

रागादिसकलपरिकरपरिपोषणतत्परी सततम् ॥१॥

“ममकार और अहंकार मोहनीय राजा के सचिव जैसे हैं। ये निरन्तर रागादिक रूप अपने समस्त परिवार के पोषण करने में उद्यमशील रहते हैं।”

शंका—मोही जीवों में रागादिक अहंकारज भले हों; परन्तु वीतमोही जीवों में यह अहंकार उनका जनक कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां अहंकार होने पर भी रागादिक नहीं पाये जाते हैं।

उत्तर—इस प्रकार की शंका उचित नहीं है। कारण कि यहां पर उमी अहंकार को रागादिक का जनक माना गया है

कि जिसका सहकारी मिथ्यादर्शन आदि है और वही अहंकार सत्र में ग्रहीत हुआ है। मिथ्यादर्शन आदि सहकारी काश्च-से विकल जो अहंकार होता है वह रागादिकों के उत्पादन करने में शक्तिशाली नहीं होता है। जिस प्रकार सुदुर्भावस्वभाव अग्नि अपने कार्योत्पादन में सर्वथा असमर्थ रहती है—नियामक नहीं होती है—उसी प्रकार वीतमोही जीवों में रहा हुआ अहंकार अपने कार्यरूप रागादिकों के उत्पादन करने में शक्ति-विहीन होता है।

शङ्का—एकान्तात्मक वस्तु का अभिनिवेश मिथ्यादर्शन है यह कैसे निश्चित होता है ?

उत्तर—यह ऐसे निश्चित होता है कि वस्तु जब अनेकान्तात्मक है—तो प्रमाण से उस अनेकान्तात्मक वस्तु का ही निश्चय होता है। सम्यक् एकान्त का कि जिसमें प्रतियक्ष की अपेक्षा रहती है सकय से व्यवस्थापन होता है। इसलिये एकान्त का अभिनिवेश होना मिथ्यादर्शन ही है, यह बात निश्चित होती है। सम्यग्दृष्टि के एकान्त की हानि होने पर उस एकान्त के विरोधी अनेकान्त के निश्चय से वह एकान्तधर्माभिनिवेश रूप मिथ्यात्व होता नहीं है। कारण कि एकान्त अर्थ का अस्तित्व हो, तो उसमें अभिनिवेश किमी को संभवित हो सकता है—एकान्त का अभिनिवेश ही एकान्त को विषय करने वाला होता है—जब एकान्त का अस्तित्व ही नहीं है तो उसका अभिनिवेश भी सम्यग्दृष्टि के कैसे हो सकता है ? जब वह एकान्ताभिनिवेश

सम्यग्दृष्टि के नहीं है—तो फिर इस स्थिति में जो आत्मा का वास्तव स्वरूप यथार्थदर्शन—सम्यग्दर्शन है वही इस सम्यग्दृष्टि के होता है। कारण कि एकान्ताभिनिवेश का अभाव सम्यग्दर्शन के सद्भाव रूप माना गया है। यह सम्यग्दर्शन ही आत्मा का स्वाभाविक रूप है। क्योंकि इसी में स्वाभाविक रूपता सिद्ध होती है। अतः आपके युक्त्यनुशासन में सम्यग्दृष्टि के मन का समत्व आत्मा का स्वाभाविक रूप होने से घटित होता है। दर्शन मोहनीयरूप मूलकारण के उदय होने पर चारित्र मोहनीय के उदय में जायमान रागादिक जीवों के अदयिक भाव रूप होने से अस्वाभाविक ही हैं। तथा—दर्शनमोहनीय के नाश से एवं चारित्र मोहनीय की उदयहानि से और रागादिकों के अभाव से उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप परिणाम स्वाभाविक हैं। आत्मा का स्वरूप होने से सम्यग्दर्शन में औपशमिकता, क्षायोपशमिकता एवं क्षायिकता स्वाभाविक ही है, पारिणामिक नहीं, कारण कि पारिणामिक भावों में कर्मों के उपशम आदि की अपेक्षा नहीं होती है। इसी प्रकार ज्ञान में क्षायोपशमिकता एवं क्षायिकता, सम्यक्चारित्र में सम्यग्दर्शन की तरह औपशमिकत्वादिप्रयत्ना भी पारिणामिक भाव रूप न होकर स्वाभाविक ही है।

शंका—चतुर्थगुणस्थानवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि में मन की समता कैसे घटित हो सकती है। क्योंकि उसमें रागादेषात्मक असंयम का सद्भाव रहता है।

उत्तर—असंयत सम्यग्दृष्टि जीव को किसी विवक्षित एकान्त में राग का अभाव और अविवक्षित एकान्त के प्रति द्वेष का अभाव होने से वहां इन दोनों एकान्तों के प्रति उदासीनता सिद्ध होती है। इससे विवक्षित एकान्त की तरह अविवक्षित एकान्त का भी अनिराकरण होने से इतनी मात्र मन की समता का उसमें सञ्जाव पाया जाता है।

शंका—यदि असंयत सम्यग्दृष्टि में मन की समता का सञ्जाव माना जाता है तो फिर उसमें संयतता का भी प्रसंग मानना पड़ेगा। क्योंकि मन की समता ही संयमरूप है। इस अपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टि में संयम का सञ्जाव हो जाने से उसमें असंयमता का सञ्जाव मानना ठीक नहीं है।

उत्तर—कौन ऐसी बात कहता है कि सबेधा संयम का अभाव असंयत सम्यग्दृष्टि के है। क्योंकि उसके अनन्तानुबन्धी कषायस्वरूप असंयम के अभाव से संयम का सञ्जाव सिद्ध होता है।

शंका—तो फिर चतुर्थगुणस्थानवर्ती को असंयत कैसे माना है ?

उत्तर—चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव को जो असंयत माना गया है उमका कारण उसके चारित्र मोहनीय की अनन्तानुबन्धी कषाय के अतिरिक्त शेष १२ अप्रत्याख्यान आदि कषाय रूप असंयम का सञ्जाव है। इसीलिये पंचमगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव को अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यान कषाय रूप

असंयम के अभाव को लेकर तथा प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप असंयम के सङ्काव को लेकर संयतसंयत माना गया है ।

शंका—तो इस प्रकार चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीवों में और पंचमगुणस्थानवर्ती जीवों में संयतासंयतत्व आने से उन्हें एक ही क्यों न मान लेना चाहिये ?

उत्तर—यह शंका ठीक नहीं—चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीवों के अप्रत्याख्यान कषाय का सङ्काव है, और पंचमगुणस्थानवर्ती के नहीं । इस अपेक्षा इन दोनों में भेद है ।

शंका—यदि सम्यग्दृष्टि जीव में कषाय रूप असंयम के सङ्काव से और कषायरूप असंयम के असङ्काव से संयतासंयतत्व माना जावेगा, तो फिर इस प्रकार की मान्यता में प्रमत्तसंयत ६ छठवें गुणस्थान से लेकर १० वें गुणस्थान छत्तमसाम्पराय के जीवों को भी संयतासंयतत्व मानने का प्रसंग आवेगा—क्योंकि वहाँ संज्वलनकषायमात्मक एवं नोकषायमात्मक असंयम का सङ्काव पाया जाता है । तथा अनंततानुबंधी आदि १२ कषाय रूप असंयम का अभाव भी पाया जाता है ।

उत्तर—यह शंका ठीक नहीं है—कारण कि संज्वलन कषाय आदि की असंयमरूप से विवेका नहीं की गई है । संज्वलन कषाय असंयम रूप नहीं मानी गई है—कारण कि संज्वलन कषाय पानी में खेंची गई लकीर के समान क्षणिक-अस्थायी होने से मोह की १२ अनंततानुबंधी आदि कषायों का अभाव स्वरूप संयम के साथ अविरोध स्वभाव वाली है । तथा परम

संयम के अनुकूल है—परम संयम की ओर लगे जाने वाली है। निष्कर्ष इसका यही है कि छठवें गुणस्थान से लेकर १०वें गुणस्थान तक के जीव संयत ही हैं, असंयत नहीं। संज्वलन कषाय असंयम रूप से विवक्षित नहीं है। इसलिये जिस प्रकार असंयत-सम्यग्दृष्टि के स्वानुरूप मन की समता की अपेक्षा मन का सम होना मिद्ध होता है उसी प्रकार नव प्रकार के संयतासंयतों के भी मन की समता सुषटित होती है। इसमें कोई असंभव जैसी बात नहीं है। अतः यह अनेकान्त रूप युक्त्यनुशासन रागादिक का निमित्त कारण नहीं है—वह तो मन की समता का निमित्त-भूत है।

शङ्का—‘अनेकांतवादी को भी अपने अनेकान्त में राग और सर्वथा एकान्त में द्वेष होने से मन में समता कैसे आ सकती है ? जब मन में समता नहीं आती है तो मोक्ष कैसे बन सकता है। दूधरे—सर्वदा यदि मन सम रहेगा तो बंध नहीं होगा—जब बन्ध नहीं हुआ तो बन्धपूर्वक होने वाला मोक्ष भी कैसे होगा ? अतः बन्ध और मोक्ष ये दोनों जिन—सिद्धान्त से इस मन की समता में बाधा हो जाते हैं। अतः मन की समता और असमता रूप दोनों ही हालतों में बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था बन नहीं सकती है’ इस प्रकार कहने वालों क प्रति आचार्य—सूत्रकार यह कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है। तो ही इस कारिका द्वारा दिखाया जाता है—

प्रमुच्यते च प्रतिपक्षदूषी
जिन ! त्वदीयैः पटुसिंहनादैः ।
एकस्य नानात्मतयाज्ञवृत्तेः
तौ बन्धमोक्षौ स्वमतादबाह्यौ ॥५३॥

अन्वय—जिन ! एकस्य नानात्मतया त्वदीयैः पटुसिंहनादैः प्रतिपक्ष-
दूषी प्रमुच्यते । ज्ञवृत्तेः तौ बन्धमोक्षौ स्वमतात् अबाह्यौ ।

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! जो किसी अपेक्षा से एक रूप है, वही किसी अन्य अपेक्षा से नाना स्वरूप भी है, इस प्रकार से आपके निःसंदिग्ध और अबाध्य सिंहनादों से प्रतिपक्षदूषी मुक्त कराया जाता है । बन्ध और मोक्ष आत्मवृत्ति होने से अनेकान्त मत से अबाध हैं ।

भावार्थ—हे वीर जिनेन्द्र ! जिस प्रकार कुंजर आदि के नादों से सिंह के नाद तिरस्कृत नहीं हो सकते हैं उसी प्रकार चण्डिकादि एकान्त के प्रतिपादक सुगत आदि के शब्दों से सम्यक् अनेकान्त के प्रतिपादिक आपके शब्द भी बाधित नहीं हो सकते हैं । इसलिये जो अपने प्रतिद्वन्दी को निराकरण करने का स्वभाव वाला प्रतिपक्ष दूषी नित्यत्वेकान्तवादी है वह अनेकान्तवादी आपके द्वारा युक्ति एवं शास्त्र से अविरोधी वचनों से समझा बुझाकर अपने एकान्तवाद से मुक्त करा दिया जाता है । जो वस्तु किसी अपेक्षा से एकत्व धर्म विशिष्ट है वही किसी दूसरी अपेक्षा से नानात्मक भी है । इस प्रकार नानात्मक एक

वस्तु का निश्चय ही सर्वथा एकान्त का प्रमोचन है। इस एकान्त प्रमोचन में अनेकान्तवादी को कोई द्वेष का संभव नहीं हो सकता है। द्वेष का संभव तो जब होता कि एकान्त का अस्तित्व होने पर भी जब वह मान्य न किया जाता। सर्वथा एकान्त की सत्ता तो सिद्ध है ही नहीं—एवं सर्वथा स्वरूप सत्ता से विहीन इस एकान्त को जो मानने वाले हैं—वे अनेकान्त के सिद्धान्त से जब परिचित करादिये जाते हैं—तो वे विवेक की जागृति से स्वतः ही एकान्त—ब्रह्म से झुक हो जाते हैं। अतः अनेकान्तवादी को एकान्तवाद में द्वेष कैसे संभव हो सकता है ? अनेकान्त में भी उसका सर्वथा राग नहीं होता है; क्योंकि अनेकान्त का प्रतिपक्षी जो सम्यक् एकान्त है उसे भी तो वह स्वीकार करता है। अतः अनेकान्तवादी को स्वपक्ष में सर्वथा राग और सर्वथा एकान्त में द्वेष का मानना युक्ति—युक्त नहीं है। दूसरी बात यह भी है—कि तत्त्व एकान्तात्मक है अथवा अनेकान्तात्मक है—इस प्रकार की विचार धारा में तत्त्व के स्वरूप का निश्चय होता है। यह तत्त्व के स्वरूप का निश्चय राग छोड़े ही माना जा सकता है। क्योंकि यह राग माना जायमा तो क्षीण मोहवालों में भी राग का प्रसंग मानना पड़ेगा। कारण कि तत्त्व का स्वरूप सर्वथा एकान्तात्मक न होकर कर्षचित् अनेकान्तात्मक है—यह निश्चय उनके द्वारा ही किया जाता है; अक्षीण मोहवालों के द्वारा नहीं। इसी प्रकार अतत्त्व का व्यवच्छेद करना भी द्वेष नहीं है। यदि तत्त्व का

निश्चय राम और अतएव का व्यवच्छेद द्वेष माना जाता तो यह बात मानी जा सकती थी कि अनेकान्तवादी के मन की समता नहीं हो सकती। परन्तु ऐसी मान्यता तो है नहीं—अतः अनेकान्तवादी के मन की समता होने से तन्निमित्तिक मोक्ष भी उसके सुषटित हो जाता है। इसी प्रकार बन्ध भी घटित होता है—क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं जो सदा काल सत्र सर्वरूप से मन सम ही रहे और इससे राम द्वेष के अभावपूर्वक बंध का अभाव हो जाय। क्योंकि गुणस्थानों की अपेक्षा से कंचित् क्वचित् किंचित् कदाचित् पुरुष के बन्ध का सद्भाव उत्पन्न होता है। इसलिये बंध और मोक्ष अनन्तात्मक तत्त्व को विषय करने वाले अनेकान्त सिद्धान्त से बाह्य नहीं हैं—क्योंकि वही पर उनका सद्भाव है—ये दोनों तत्त्व अनंतधर्मात्मक आत्मा में वृत्ति वाले हैं। यद्यपि अनंत धर्मात्मक सांख्याभिमत प्रकृति भी है परन्तु उसमें इनकी वृत्ति इमलिये नहीं है कि वह अज्ञ-अचेतन है।—मतलब इस कारिका का यही है कि अनेकान्तवादी को स्वपक्ष से न तो सर्वथा राग है और न पर पक्ष से सर्वथा द्वेष ही है। इस परिस्थिति में अनेकान्त सिद्धान्त की मान्यता में बंध और मोक्ष सुषटित होते हैं।

शंका—एक पदार्थ नानात्मक है, इस प्रकार उसके प्रतिपादन करने वाले शब्द पटुविहनाद रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं। कारण कि बौद्धों के यहां अन्यापोह रूप सामान्य को ही वचनों का आश्रय-विषय माना गया है। ऐसी परिस्थिति में वचनों

को वस्तु को विषय करने वाला मानना अत्यन्त है । इस प्रकार की यह बौद्धों की उक्ति अमत् ही है, इसी बात को सप्रकार इस कारिका द्वारा स्पष्ट करते हैं—

आत्मान्तरा भावसमानता न
वागास्पदं स्वाश्रयभेदहीना ।
भावस्य सामान्यविशेषवत्त्वा—
दैक्ये तयोरन्यतरन्निरात्म ॥५४॥

अन्वय—आत्मान्तराभावसमानता स्वाश्रयभेदहीनाः (प्रतः) वागा-
स्पदं न । भावस्य सामान्यविशेषवत्त्वात् । तयोः ऐक्ये अन्यतरत्
निरात्म (स्यात्) ।

अर्थ—आत्मान्तर के अभाव रूप समानता—अन्यापोहरूप
सामान्य—अपने आश्रयरूप भेदों से हीन है । इसलिये वह वचन
का विषय नहीं होती है । दूसरे बात यह है कि सामान्य विशेषा-
त्मक वस्तु ही वचन का विषय होती है, केवल सामान्य या केवल
विशेष नहीं । अन्यापोह केवल सामान्य रूप है इसलिये वह
वचन गोचर नहीं होता है । सामान्य और विशेष की एकता में
या तो सामान्य का अभाव हो जायगा या विशेष का अभाव हो
जायगा ।

भावार्थ—एक पदार्थ नानात्मक है—इस प्रकार उसके प्रति-
पादन करने वाले शब्द पदुसिद्धशब्द इसलिये नहीं हैं कि शब्दों

का अर्थ जिस अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं उनका वह अर्थ नहीं है। क्योंकि शब्द का अर्थ अन्यापोह मात्र है। दृष्टान्त के लिये यों समझना चाहिये—हम जब “गौ” इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो “गो” इस शब्द से “गाय” इस अर्थ का बोध नहीं होता है। किन्तु गाय से भिन्न जो अर्थ आदि हैं उनकी व्यावृत्ति का ही “गो” इस शब्द से बोध होता है। इसी का नाम अन्यव्यावृत्ति—अन्यापोह है। यह अन्यव्यावृत्ति रूप अन्यापोह सामान्य है। गाय से भिन्न जो अर्थ आदि हैं वे ही सूत्र में आत्मान्तर पद से ग्रहीत हुए हैं। गाय में इनकी जो व्यावृत्ति है वह अभाव शब्द से ग्रहीत हुई है। समानता शब्द का अर्थ सामान्य है। “स्वाश्रय मेद हीना” में “स्व” शब्द से अन्यापोह सामान्य का ग्रहण हुआ है। यह अन्यापोह अपने आश्रय रूप मेदों—विशेषों से हीन है। जब यह अन्यापोह सामान्य अपने आश्रय रूप विशेषों से रहित है तब वागास्पदता उसमें नहीं आती है। अन्यापोह सामान्य पक्ष है। “न वागास्पदं” यह साध्य है। स्वाश्रयमेदहीनत्व यह हेतु है। जो सामान्य विशेषात्मक भाव स्वरूप वस्तु है उसी में वागास्पदता वनती है। केवल सामान्य में नहीं।

शंका—पदार्थ को सामान्य विशेषात्मक मानने पर भी अथवा पदार्थ को सामान्य विशेषवान् होने पर भी सामान्य में ही वागास्पदता युक्त है, क्योंकि विशेष में तदात्मकता है अर्थात् विशेष सामान्य का ही आत्मा है। इस अपेक्षा सामान्य

और विशेष में ऐक्य सिद्ध हो जाता है। ऐक्य सिद्ध होने से सामान्य में वागास्पदता घटित हो जाती है।

उत्तर—‘ऐक्ये तयोरन्यतरञ्चिरात्म’ यह पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं है। कारण कि सामान्य और विशेष इन दोनों में परस्पर में यदि ऐक्य माना जावेगा तो एक की निरात्मता—अभाव—में अन्य में भी निरात्मता की आपत्त मानना पड़ेगा। यदि विशेष को सामान्य के समञ्च निरात्म मानने में आता है तो विशेष का अविनाभावी जो सामान्य है उसे भी निरात्म मानना पड़ेगा। इस परिस्थिति में सर्वत्र निरात्मकता का सामान्य छा जाने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। सामान्य को निरात्म मानने में तदविनाभावी विशेष को भी निरात्म मानने का प्रसंग आता है। अतः सामान्य और विशेषों में एकता नहीं मानना चाहिये। एकता के अभाव में केवल सामान्य में वचनीयता नहीं आती है।

अमेयमश्लिष्टममेयमेव,

भेदेऽपि तद्वृत्त्यपवृत्तिभावात् ।

वृत्तिश्च कृत्स्नांशविकल्पतो न,

मानं च नानंतसमाश्रयस्य ॥५५॥

ग्रन्थ—अमेयमश्लिष्टं अमेयमेव, तद्वृत्त्यपवृत्तिभावात् भेदेऽपि (तत् अमेयमेव) । कृत्स्नांशविकल्पतो वृत्तिः न । अनंतसमाश्रयस्य (एकस्य ग्राहकं) मानं च न ।

अर्थ—सामान्य नियत देश, नियतकाल और नियत आकार से रहित है एवं विशेषों से भी असम्बन्धित है—रहित है। ऐसी अवस्था में वह किसी भी प्रमाण का विषय नहीं होता है। द्रव्यादिकों में सामान्य की वृत्ति का अभाव होने से, स्वाश्रयों से उसका भेद मानने पर भी वह प्रमेय नहीं हो सकता है। कृत्स्न रूप विकल्प से एवं अंशरूप विकल्प से देश काल एवं आकार से भिन्न व्यक्तियों में सामान्य की वृत्ति नहीं बचती है। अनंत व्यक्तियों का आश्रय एक महत्प्रज्ञा रूप सामान्य है—इस विषय का ग्राहक कोई प्रमाण ही नहीं है।

भावार्थ—इस कारिका के द्वारा सूत्रकार इस अंशका का कि “अन्यापोह रूप सामान्य अभावरूप होने से भले ही वचनों का सङ्ग हो, परन्तु जो सर्वमत एवं विशेषों से अश्लिष्ट भस्वरूप सामान्य है वही वचनों द्वारा वाच्य होता है” परिहार कर रहे हैं। क्योंकि जिसका देश, काल और आकार नियत नहीं है—देश की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और आकार की अपेक्षा जो अनियमित है—और इसीलिये जो तत्तद्रूप से प्रमेय नहीं है ऐसा सर्वव्यापी, नित्य और निराकार सत्त्वादि सामान्य कि जिसमें विशेषों का सम्बन्ध बन नहीं सकता है—जो अपने विशेषों से अश्लिष्ट है—वह किसी भी प्रमाण का विषय नहीं हो सकता—प्रत्यक्ष आदि ऐसा कोईसा भी प्रमाण नहीं है जो ऐसे सत्त्वादि सामान्य की सत्ता सिद्ध कर सके। जिस प्रकार एकान्त रूप से एक ब्रह्म मात्र तत्त्व मानने वालों का प्रकृतत्व

प्रत्यक्ष द्वारा अप्रतिभासित होने के कारण प्रसिद्ध नहीं हो सका उमो प्रकार विशेष निरपेक्ष, सर्वव्यापी नित्य एवं निराकार इस सामान्य का भी अस्तित्व प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध नहीं हो सकता है । क्योंकि ऐसे सामान्य का प्रत्यक्ष में प्रतिभास नहीं होता है । जब प्रत्यक्ष में सामान्य का प्रतिभास नहीं होता—तब उसके द्वारा उसकी प्रसिद्धि कहना ठीक नहीं । रहा अनुमान, सो जब तक सामान्य के साथ अविनभभाव रूप से रहनेवाला कोई साधन प्रदीत नहीं हो लेता तब तक अनुमान का उत्थान भी नहीं हो सकता । यदि अनुमानोत्थान के लिये सत्, सत् इत्यादि रूप अनुवृत्ति प्रत्यय माना जावे और कहा जावे कि इस प्रत्यय से उत्थ अनुमान सत्वादि सामान्यके अस्तित्व का अनुमापक होता है, सो ऐसा कहना निर्दोष इसलिये नहीं हो सकता कि असत् असत् इस अनुवृत्ति प्रत्यय से इसमें व्यभिचार आता है । मतलब इसका यह है कि सत्ता सामान्यवादी इस प्रकार कहता है कि यदि सत्ता सामान्य न होता तो सत् सत् इत्याकारक जो अनुवृत्ति (एकाकार) प्रत्यय होता है वह नहीं हो सकता । अतः सत् सत् इत्याकारक प्रत्ययरूप हेतु से सत्ता सामान्य अनुमित हो जाता है । इस पर सूत्रकार का यह कथन है कि इस प्रकार से यदि सत्ता सामान्य की आप सिद्धि करना चाहते हैं तो असत् असत् इत्याकारक अनुवृत्ति प्रत्यय से असत्ता सामान्य भी सिद्ध हो जाना चाहिये । जैसे सत् सत् वह प्रत्यय सत्ता रूप सामान्य का अनुमापक होता है वही प्रकार असत्तरूप सत्तान्य का भी असत् असत् इत्या-

कारक प्रत्यय अनुमापक होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है असत्त्व सामान्य का अभाव है—फिर भी इस प्रकार के प्रत्यय का उत्थान होता है । वैशेषिकादि सम्मत द्रव्यादि षट् पदार्थों में पदार्थत्व सामान्य के अभाव में भी “यह भी पदार्थ है यह भी पदार्थ है” इत्यादि रूप अनुवृत्ति प्रत्यय भी होता है—तो इससे पदार्थत्व सामान्य भी सिद्ध होजाना चाहिये । परन्तु पदार्थत्व सामान्य उस सिद्धान्त में मान्य ही नहीं हुआ है ।

शङ्का—सत् सत् इत्याकारक अनुवृत्ति प्रत्यय असत् असत् इत्याकारक अनुवृत्ति प्रत्यय से व्यभिचरित नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रागसदादिकों—प्रागभावादिकों—में जो असत् असत् इस प्रकार का अनुवृत्ति प्रत्यय होता है वह मिथ्या है । सत्त्वरूप सामान्य का अनुमापक सत् प्रत्यय सच्चा है । झूठे से सच्चे का बोध नहीं हो सकता है ।

उत्तर—इस प्रकार का कथन उचित नहीं है । क्योंकि सत्त्वरूप सामान्य का अनुमापक सत् प्रत्यय सच्चा है और प्रागभावादिकों में होने वाला असत् प्रत्यय झूठा है—यह बिना प्रमाणा के केवल कहने मात्र से सिद्ध नहीं हो सकता है ।

शङ्का—प्रागभावादिक में होने वाला अनुवृत्ति प्रत्यय मिथ्या है—यह कथन प्रमाणा शून्य नहीं है । इसमें बाधक प्रमाणा का सद्भाव है । और वह बाधक प्रमाणा इस प्रकार है—प्रागभावादिक सामान्य विशिष्ट नहीं हैं क्योंकि द्रव्य, गुण और कर्म इनसे वे

भिन्न हैं। जिम प्रकार सामान्य, विशेष और समवाय, द्रव्य, गुण और कर्मों से भिन्न होने के कारण सामान्य विशिष्ट नहीं है।

उत्तर—यह अनुमान रूप जो बाधक प्रमाण उपस्थित किया गया है वह साध्य के साथ हेतु के अविनाभाव रूप नियम के निश्चय के असम्भ से व्यतिरेकासिद्ध है—अर्थात् बाधक प्रमाण रूप अनुमान में “न सामान्यवन्तः” यह साध्य है। इसका व्यतिरेक “सामान्यवन्तः” है। जहां सामान्यवत्ता है—सामान्य विशिष्टता है—वहां द्रव्य, गुण और कर्म से अन्यत्व नहीं है। प्रागभावादिकों में सामान्य विशिष्टता निषेध करने के लिये “द्रव्यगुणकर्मभ्योऽन्यत्वात्” यह हेतुरूप से उपपादित हुआ था। इसका व्यतिरेक द्रव्य, गुण और कर्म से अन्यत्व नहीं है—ऐसा होता है। तथा च—“जो सामान्य वाला होता है वह द्रव्य, गुण और कर्म से भिन्न नहीं होता है जैसे यह अमृतक पदार्थ” इस प्रकार इस बाधक प्रमाण रूप अनुमान में अविनाभाव नियम सिद्ध नहीं होता है।

शंका—इस बाधक रूप अनुमान में अविनाभाव नियम इस प्रकार से देखो सिद्ध होजाता है—द्रव्यादि-पदार्थत्व से सामान्यवत्त्व व्याप्त है—जहां द्रव्य, गुण और कर्म रूपता होगी वहां नियम से सामान्यवत्ता रहेगी—इस प्रकार द्रव्यादिपदार्थ के साथ सामान्यवत्ता को विनिश्चित कर प्रागभावादिकों में सामान्यवत्ता के व्यापक द्रव्य गुण एवं कर्म रूप पदार्थत्व का अभाव होने से

इसके व्याप्य सामान्यवत्त्व का भी वहाँ अभाव साध्य होता है । मतलब इसका यह है कि सूत्रकार ने जो पहिले व्यतिरेक की असिद्धि प्रदर्शित की है शंकाकार उसका परिहार इस प्रकार से करता है—कि द्रव्य गुण एवं कर्म ये तीनों सामान्यवत्ता के व्यापक हैं और सामान्यवत्ता व्याप्य है । प्रागभावादिकों में द्रव्य, गुण एवं कर्म रूप व्यापकता रहती नहीं है—इसलिये व्यापक के अभाव में तद्रव्याप्य सामान्यवत्ता कैसे रह सकती है—नहीं रह सकती । इसलिये जो व्यतिरेकासिद्धिरूप अविनाभाव असिद्ध प्रकट किया गया है वह ठीक नहीं है ?

उत्तर—यह कथन भी ठीक नहीं है—कारण कि द्रव्यादि पदार्थ के साथ सामान्यवत्त्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है । ऐसा कोई नियम ही नहीं बन सकता कि जहाँ पर द्रव्यादि पदार्थत्व होगा वहीं पर सामान्यवत्ता होगी । कारण कि द्रव्यादिक भी स्वयं सामान्य से शून्य है । “सामान्यशून्यानि द्रव्यगुण कर्माणि तच्चात्मकत्वात् प्रागभावादिवत्” तच्चात्मक होने से प्रागभावादि की तरह द्रव्य, गुण और कर्म पदार्थ सामान्य से रहित हैं । “प्रागभावादिवत्” यह दृष्टान्त साधन से विकल नहीं है । कारण कि प्रागभावादि पदार्थ जो असद्वर्ग में परिगणित हैं स्वयं तत्त्व रूप से स्वीकृत हुए हैं । “सदसद्वर्गस्तत्त्वम्” ऐसा सूत्र है । इसका अर्थ—सद्वर्ग—द्रव्य गुण, कर्म सामान्य, विशेष और समवाय एवं असद्वर्ग—प्रागभावादि पदार्थ ये सब तत्त्वस्वरूप हैं” यह है । यदि ये प्रागभावादि पदार्थ अतत्त्व रूप माने जायेंगे

तो सर्वत्र असत्प्रत्यय में मिथ्यात्वापत्ति आने से कार्य द्रव्य में अनादिता अनन्तता एवं पदार्थों में सर्वात्मकता और व्यपदेशाभाव रूप दोषों का अनुपग होगा । तथा चोक्तम्—

कार्यद्रव्यमनादिस्यात् प्रागभावस्य निह्ववे ।

प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनंततां व्रजेत् ॥

सर्वात्मकं तदेकं स्यात् अन्यापोह—व्यतिक्रमे ।

अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा ॥

प्रागभाव के निह्ववे में कार्य द्रव्य में अनादिता, प्रध्वंसस्य के अभाव में अनन्तता-विनाशरहितपना, अन्योन्याभाव के अभाव में सर्वात्मकता एवं अत्यन्ताभाव के अभाव में अव्यपदेशता इस प्रकार चार प्रकार के अभावों में अतात्त्विकता मानने पर वे चार प्रकार के दोष आते हैं ।

शंका—द्रव्य, गुण और कर्म इन पदार्थों में सामान्य शून्यता सिद्ध करने के लिये जो “तत्त्वत्मकत्वात्” हेतु दिया है वह “द्रव्यगुणकर्माणि सामान्यवन्ति मुख्यसद्वर्गत्वात्” “द्रव्यगुण और कर्म सामान्य विशिष्ट हैं मुख्य सद्वर्ग होने से” इस प्रतिपक्ष रूप केवल व्यतिरेकी अनुमान से वाचित होता है । अतः इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि द्रव्यादिक में सामान्य शून्यता जाहिर करने के लिये प्रदत्त हेतु अबाधित नहीं है । प्रतिपक्ष अनुमान से वाचित ही है ।

उत्तर—यह प्रतिपक्ष अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाणात् से वाचित

विषय वाला होने से कालान्त्ययापदिष्ट दोष से दूषित है । अतः सामान्य शून्यता प्रदर्शक हेतु का बाधक नहीं हो सकता है । द्रव्यादिक पदार्थों में एक दूसरा पदार्थ सामान्य रहता है यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित नहीं होती है । प्रत्यक्ष से तो यही प्रतिभासित होता है कि ये द्रव्य, गुण और कर्म अपने २ में समान हैं । इस प्रकार सदृश परिणामन रूप सामान्य की ही प्रत्यक्ष से प्रतीति होने से “यह वही है” इत्याकारक अनुवृत्ति प्रत्यय रूप सामान्य की द्रव्यादिकों में अमिद्धि ही है । अतः यह बात यहां तक के कथन से स्पष्ट होजाती है कि सामान्य में ऐसा कोई लिग नहीं है कि जिमसे यह सामान्य अनुमान से मेय हो सके ।

सामान्य का अनुमापक अनुमान न होने से ही वह सामान्य आगम प्रमाण द्वारा भी मेय नहीं हो सकता है । एवं जो आगम युक्ति से रिक्त है वह अप्रमाण कोटि में आजाने से सामान्य का व्यवस्थापक कैसे माना जा सकता है । उपमान प्रमाण भी सामान्य सदृश किसी और दूसरी वस्तु का अभाव होने से सामान्य का व्यवस्थापक नहीं होता है । अतः अनियत देश, काल और आकार वाला बना हुआ यह सामान्य सामान्यवान् अपने आभयरूप द्रव्य गुण एवं कर्म से भिन्न रहकर किसी भी प्रमाण का विषय नहीं होता है । दूसरे स्वाश्रयों से सामान्य का भेद मानने पर भी सामान्य की अपने आश्रयों में द्रव्य, गुण और कर्म में—वृत्ति बन ही नहीं सकती है । जब उसकी वहां

वृत्ति ही नहीं बनती है तो वह प्रमेय भी कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

सामान्य की स्वाश्रयों में वृत्ति यदि मान भी ली जाय तो यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि यह वृत्ति किस रूप पडती है । संयोग रूप या समवाय रूप । संयोग रूप तो वह पड़ नहीं सकती—कारण कि “द्रव्यद्रव्ययोरेव संयोगः” दो द्रव्यों का ही कुछ और बदर की तरह संयोग होता है । सामान्य द्रव्य नहीं है । जहाँ द्रव्यों की परिगणना वैशेषिक सिद्धान्त में की है वहाँ सामान्य को द्रव्य नहीं माना है । अतः अपने आश्रयों में सामान्य का रहना संयोग सम्बन्ध रूप नहीं बनता है । वह वृत्ति समवाय रूप इसलिये नहीं रहती है कि समवाय अयुत-सिद्धि को विषय करता है । जिनमें परस्पर में अयुतसिद्धि होती है वहीं पर समवाय सम्बन्ध बनता है । सामान्य एवं सामान्य-वाले द्रव्यों में अयुतसिद्धि संभवित नहीं होती है । कारण कि यह अयुतसिद्धि क्या है । वैशेषिक सिद्धान्त में जिस अयुतसिद्धि का कथन किया है यह अयुतसिद्धि वह है—अथवा लोक में जो अयुतसिद्धि प्रसिद्ध है वह यह अयुतसिद्धि है ? सामान्य एवं सामान्यवानों में शास्त्रीय अयुतसिद्धि इसलिये नहीं बन सकती है कि सामान्य और सामान्य विशिष्ट द्रव्यादि पदार्थ त्रयवे दोनों पृथक् २ आश्रय में रहते हैं । “अपृथगाश्रयवृत्तित्वं अयुत-सिद्धत्वम्” वैशेषिक शास्त्र में वह अयुतसिद्धि का लक्षण कहा गया है । इससे सामान्य और सामान्य वालों में अपृथगाश्रयता

का अभाव होने से युतिसिद्धि ही संभवित होती है । “पृथगाश्रयवृत्तित्वं युतिसिद्धित्वं” यह युतिसिद्धि का लक्षण है । और यही लक्षण वहां पर घटित होता है । अतः इस लक्षण की घटना से वहां अयुतिसिद्धि न घटकर युतिसिद्धि ही घटित होती है । क्योंकि सामान्य रहेगा द्रव्यादित्रिक में और द्रव्यादित्रिक रहेंगे अपने आश्रयरूप अवयवों में । जिस प्रकार ‘कुण्डे परमाणुः’ यहां परमाणु से भिन्न कुण्ड की अपने आश्रयभूत अवयवों में वृत्ति होने से उभमें पृथगाश्रयवृत्तित्ता है । और इसीलिये कुण्ड और परमाणु में अपृथगाश्रयवृत्तित्ता के अभाव से युतिसिद्धि का लक्षण सुघटित होता है । यदि यहां यह कहा जाय कि “कुण्डे परमाणुः” कि “कुण्ड में परमाणु है” इसमें पृथगाश्रय वृत्तित्ता नहीं है क्योंकि “कुण्ड में बदर है” यहां जैसे चार बातों की प्रतीति होती है—वैसे कुण्डे परमाणु इसमें नहीं होती है । यहां तो सिर्फ तीन ही बातें प्रतीत होती हैं—वे इस प्रकार हैं—
 १. परमाणु, २. कुण्ड, ३. कुण्ड के अवयव । कुण्ड में बदर है—यहां ४ बातें प्रतीत होती हैं, १. कुण्ड, २. कुण्ड के अवयव, ३. बदर और बदर के अवयव । “पृथगाश्रयाश्रयित्वं” इस पर से चार अश्रय वाली वृत्ति ही युतिसिद्धि कही गई है । अतः “कुण्डे परमाणुः” यहां युतिसिद्धि का लक्षण घटित नहीं होने से इन दोनों में युतिसिद्धि बन ही कैसे सकती है ? यदि इस पर यों कहा जाय कि परमाणु की कुण्ड में वृत्ति है नहीं, क्योंकि परमाणु आकाश की तरह निरवयव है । तो भी ठीक नहीं—

कारण कि इस प्रकार की मान्यता से तो स मान्य एवं निरक्षयवी गुणादिकों की वृत्ति कहीं हो ही नहीं सकेगी । क्योंकि परमाणु की तरह सामान्य एवं गुणादिक भी तो निरंश-निरवयव हैं । परमाणु और कुण्ड में यदि युतसिद्धि का अभाव माना जावेगा तो इसका मतलब यह होगा कि उन दोनों में अयुतसिद्धि है । अयुतसिद्धि के प्रसंग से परमाणु और कुण्ड में समवाय सम्बन्ध का भी प्रसंग दुर्निवार होगा । संयोग सम्बन्ध तो युतसिद्धि के अभाव में विरुद्ध पडता है—नहीं बन सकता है । अतः कुण्ड और परमाणु में संयोग सम्बन्ध मानने वालों द्वारा युतसिद्धि का जो पृथगाश्रयाश्रयित्व लक्षण है वह चतुराश्रय भी है और त्रयाश्रय भी है, ऐसा मानना चाहिये । “कुण्डे बदराशि” यहां युतसिद्धि चतुराश्रयाश्रयणी है और “कुण्डे परमाणुः” यहां त्रयाश्रयाश्रयणी है । “नित्यानां पृथग्गतिसत्त्वं युतसिद्धिः” नित्यों के पृथग्गतिसत्त्वा रूप युतसिद्धि कही गई है—सो यह युत सिद्धि का उस पूर्वोक्त लक्षण से भिन्न लक्षण नित्यों में घटित नहीं होता—असम्भवित है । कारण कि वैशेषिक सम्मत नित्य द्रव्य आत्मा, आकाश आदिकों में न तो अन्यतर पृथग्गति-मत्त्वं ही बनता है और न उभय पृथग्गतिमत्त्वं बनता है । अतः उनमें इस लक्षण की संगति न हो सकने से अयुतसिद्धि का प्रसंग मानना पड़ेगा । परन्तु वैशेषिक सिद्धान्तकारों की दृष्टि में आत्मा आकाशादिकों में युतसिद्धि ही मानने में आई है । इसलिये इनकी तरह सामान्य और सामान्य वाले द्रव्यादिकत्रिक

में भी युतसिद्ध ही सिद्ध होती है। इस प्रकार सामान्य और सामान्य विशिष्टों में शास्त्रीय-वैशेषिक शास्त्र कथित अयुतसिद्धि सम्भवित नहीं होता। रहा देश और काल की अपेक्षा अभेद लक्ष्य वाली लौकिकी अयुतसिद्धि से यह तो दुग्ध और पानी में भी है। अतः इसके सद्भाव में वहां पर भी समवाय सम्बन्ध मानने का प्रसंग आयेगा। परन्तु ऐसा नहीं है। कारण कि दुग्ध और पानी के सम्बन्ध को संयोग सम्बन्ध ही माना गया है। इसलिये अयुतसिद्धि के अभाव में सामान्य की द्रव्यादिक में वृत्ति संभवित नहीं होती है। यदि च-सामान्य की वृत्ति द्रव्यादिकों के साथ मानली भी जाय तो उसमें दो विकल्प उठते हैं—और वे इस प्रकार हैं—सामान्य द्रव्यादिकों में कृत्स्नरूप से रहता है या अंश रूप से। देश, काल एवं आकार से भिन्न व्यक्तियों में अंश कल्पना से रहित कृत्स्नरूप सामान्य की युगपद्वृत्ति साधयितुं शक्य नहीं हो सकती है। कारण कि इससे अनेक सामान्यों की मान्यता का प्रसंग आता है। एक तथा अनंश रूप सामान्य का देशादि से भिन्न उन सबके साथ युगपत् योग नहीं बन सकता। यदि इस “सामान्यं युगपत् भिन्नदेश-काल व्यक्ति सम्बन्धि-सर्वगतनित्यामूर्तत्वादाकाशवत्” “आकाश की तरह सामान्य युगपत् भिन्न देश भिन्न काल वाली व्यक्तियों के साथ सम्बन्धित होता है, क्योंकि वह सर्वगत नित्य एवं अमूर्तिक है” अनुमान द्वारा सामान्य को भिन्नदेशादि वाली व्यक्तियों के साथ युगपत् सम्बन्धित सिद्ध किया जाय तो यह

अनुमान भी ठीक नहीं है। कारण कि “साधनस्येष्टविघातकारित्वात्” इस अनुमान का साधन इष्ट का विघातक है—और वह इस प्रकार से है—जिस प्रकार यह हेतु सामान्य में युगपत् भिन्न-देश एवं भिन्नकाल के व्यक्तियों के साथ सम्बन्धित्व सिद्ध करता है उसी प्रकार आकाश की तरह उसमें निरंशता भी सिद्ध करता है। कारण कि सामान्य के निरंश मानने पर उसका एक परमाणु की तरह युगपत् सर्वगतत्व विरुद्ध पड़ता है।

शंका—जिस प्रकार परमाणु निरंश है—उसी प्रकार आकाश भी निरंश है। क्योंकि यह अकार्यद्रव्य है। जो अकार्य द्रव्य होता है वह निरंश होता है; जैसे परमाणु। जो सांश होता है वह अकार्य द्रव्य होता है, जैसे पटादिक। अकार्य द्रव्य आकाश है इसलिये यह निरंश ही है। इसी प्रकार सामान्य भी अकार्य द्रव्य है। अतः वह भी निरंश है। इस प्रकार इस अनुमान से सामान्य में निरंशता प्रसिद्ध होने से सर्वगतत्वादि हेतु इष्ट विघातक नहीं है। प्रस्तुत स्केष्ट साध्य को सिद्ध करने वाला ही है।

उत्तर—सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। कारण कि इस “अकार्य द्रव्यत्वात्” हेतु से जो आकाश में निरंशता साध्य की गई है सो क्या उसके आरम्भ के अभाव से वहां निरंशता साध्य की गई है? यदि यह कहा जाय कि आकाश का कोई आरम्भक अवयव नहीं है इसलिये वहां निरंशता साध्य की गई है सो इस कथन में—प्रथम विकल्प में सिद्ध को ही साध्य कोटि में लाने से सिद्धसाध्यता नाम का दोष आता है। यह तो हम

पहिले से ही स्वीकार करते हैं कि आकाश का आरम्भक कोई अवयव नहीं है। अतः उसमें निरवयवता तो सिद्ध है ही। यदि यह निरवयवता ही निर्गुणता है तो इसमें कोई मत भेद नहीं है। यदि स्वात्मभूत प्रदेश का अभाव निर्गुणता है तो इस विकल्प में—मान्यता में—परमाणु रूप दृष्टान्त साध्यशून्य ठहरता है। क्योंकि परमाणु में स्वात्मभूत एक प्रदेश होने से सांशता व्यवस्थित है। दूसरे हम स्याद्वादियों के मतानुसार साधन शून्यता भी दृष्टान्त में आती है। कारण कि परमाणु में (एकान्त रूप से) अकार्यद्रव्यता सिद्ध नहीं है। कार्य द्रव्यता है।

प्रश्न—यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है—जो आप परमाणु में कार्य द्रव्यता का कथन करते हैं। परमाणु तो आकाश की तरह अकार्य द्रव्य है। क्योंकि इसका आरम्भक कोई भी द्रव्य नहीं है। तथा च—“अकार्यद्रव्यं परमाणुरारम्भकरहित्वात् आकाशवत्” असिद्ध है। “आरम्भकरहित्वात्” इसका मतलब क्या है? उत्पादक कारण से रहित होना ही क्या आरम्भक—रहितपने का अर्थ है? यदि यही अर्थ है तो परमाणु की द्रव्यणुक के विनाश से उत्पत्ति कैसे सिद्ध हो सकती है? यदि इस पर यों कहा जाय कि द्रव्यणुक विनाश परमाणु का उत्पादक नहीं है; क्योंकि यदि द्रव्यणुक विनाश परमाणु का उत्पादक होता तो द्रव्यणुक उत्पाद के पहिले भी जो परमाणु का सद्भाव प्रतीत होता है वह नहीं होना चाहिये। सो ऐसा कहना भी ठाक नहीं है। कारण कि द्रव्यणुक के उत्पाद होने पर

परमाणु का विनाश हो जाता है—इसलिये उसका सद्भाव प्रतीत नहीं होता । एवं जब तक उसका उत्पाद नहीं होता तब तक ही परमाणु का सद्भाव प्रतीत होता है । द्रव्यणुक उत्पत्ति काल में भी यदि परमाणु का विनाश न माना जाय तो उस समय भी उसकी प्रतीति का प्रसंग मानना पड़ेगा । तथा च घट की प्रतीति के समय में भी घट के आरम्भक परमाणुओं की उपलब्धि कैसे वारत हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती । यदि इस पर यों कहा जाय कि घट की प्रतीति के समय घट के आरम्भक तन्तु तो साक्षात् प्रतीत होते ही हैं, इस पर तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं । रही परमाणुओं की प्रतीति की बात—तो तन्तुओं के आरम्भक परमाणु साक्षात् या परम्परा से भी जो उस समय प्रतीत नहीं होते हैं उसका कारण उनमें अस्मदाद्यप्रत्यक्षता है । इसलिये इन्हें अनुमेय माना गया है । अनुमान प्रमाणा से ही इनका सद्भाव सिद्ध होता है—वह अनुमान इस प्रकार है—
 “द्रव्यणुकावयवि द्रव्यं स्वपरिमाणादणुपरिमाणाकारकारणं कार्य-
 द्रव्यत्वात् पटादिवत्यत् द्रव्यणुकपरिमाणाकारणं त्रैः परमाणु
 समनुमीयेते” अर्थात् द्रव्यणुक अवयविरूप द्रव्य अपने परिमाण
 से अणु परिमाण रूप कारण से अप्ररब्ध—निष्पन्न हुआ है ।
 क्योंकि वह पटादिक की तरह कार्य रूप द्रव्य है । जो द्रव्यणुक-
 परिमाण के कारण हैं वे दो परमाणु हैं ।” इस प्रकार अनुमान
 प्रमाणा से परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है । परमाणु का
 आरम्भक कारण असम्भव है इसलिये उसके आरम्भक कारण

की सम्भावना ही नहीं होती है । अतः वह कार्य द्रव्य नहीं है । इसलिये आकाशादिक अनंशता साध्य करने में परमाणु का दृष्टान्त साधन से शून्य नहीं ठहरता है । कहने का मतलब यही है—कि परमाणु को कार्यद्रव्य मानने पर आक्षेपक का आक्षेप इस प्रकार है कि जिस प्रकार से पटादि कार्य के उत्पन्न होने पर उसके आरम्भक तन्तुओं का साक्षात् प्रत्यक्ष होता है—उम प्रकार परमाणु के आरम्भक कारण न तो साक्षात् ही अनुभवित होते हैं और न परम्परा से ही ज्ञात होते हैं । अतः परमाणु को कार्य द्रव्य मानना ठीक नहीं है । फिर साधन शून्य दृष्टान्त कैसे । सो आक्षेपक का इस प्रकार का आक्षेप भी ठीक नहीं है—क्योंकि अनुमान प्रमाण से परमाणु में कार्य द्रव्यत्व की सिद्धि होती है । “परमाणुवःस्वपरिमाणान्महापरिमाणोवयविकण्ठविनाशकारण—कास्तद्भावभावित्वात् कुम्भविनाशपूर्वकवपालवत्” परमाणु अपने परिमाण से महापरिमाणविशिष्ट अवयविरूप स्कन्ध का विनाश जिनका कारण है ऐसे हैं । क्योंकि स्कन्ध विनाश के होने पर ही इनमें भवनशीलता है । जिस प्रकार कपाल की भवनशीलता कुम्भ के विनाश पूर्वक होती है । अतः कपाल कुम्भविनाश का कार्य माना जाता है । जिसके विनाश से परमाणु उत्पन्न होते हैं वह द्रव्य द्रव्यणुकादि है । इस प्रकार अनुमान से परमाणु में कार्यद्रव्यत्वसिद्ध होता है । अतः “परमाणुवत्” यह उदाहरण साधनशून्य ही है । परमाणुओं में कार्यद्रव्यत्व सिद्ध करने के लिये जो “तद्भावभावित्वात्” यह हेतु दिया गया है वह असिद्ध

नहीं है क्योंकि परमाणुओं में भ्रमशीलता द्रव्यशुद्धादि के विनाश होने पर ही स्वीकृत की गई है।

शंका—“तद्भावभावित्वात्” यह हेतु सर्वथा निर्दोष नहीं माना जा सकता, कारण कि हमकी व्याप्ति सर्वत्र लागू नहीं पड़ती है। यह नियम हम देखते हैं कि जो तन्तु पट मेदपूर्वक उपलब्ध होते हैं उनमें ही लागू पड़ता है। जो पट पूर्वकाल-भात्री हैं उनमें नहीं। इसलिए “तद्भावभावित्वात्” यह हेतु अव्यापक है।

उत्तर—यह हेतु अव्यापक नहीं है। जो तन्तु पटमेद के अभाव के पहिले उपलब्ध हैं उनमें भी तद्भावभावित्व है। यद्यपि ये पटमेदपूर्वक भले ही न हों—तो भी इनमें कपास की-पौनी की मेदपूर्वकता है। कपास की पौनी एक स्कन्ध है। जब यह पौनी काती जाती है तो यह उसका कतना ही उसका मेद है। तत्पूर्वकता तन्तुओं में प्रथित है। अतः “तद्भावभावित्वात्” यह नियम अव्यापक नहीं है।

शंका—महा परिमाण सम्पन्न एवं प्रशिथिल अवयव युक्त जो भारी कपास का पिंड है उससे अन्य परिमाण युक्त एवं घनावयव सम्पन्न कपास का पिण्ड प्रादुर्भूत देखने में आता है। अब विचारिये यह जो अन्य परिमाणवाला एवं घनावयव विशिष्ट दूसरा कपास पिण्ड प्रादुर्भूत हुआ है वह पूर्व में रहे हुए महा परिमाण वाले एवं अश्लिष्ट अवयव वाले भारी कपास के मेद हुए बिना ही हुआ है। अतः इससे यह बात पुष्ट होती है

कि परमाणु भी स्कन्ध के भेद हुए बिना ही होते हैं । फिर आप परमाणुओं में स्कन्ध भेद पूर्वकता कैसे सिद्ध करते हैं ।

उत्तर—यह कहना ठीक नहीं है । कारण कि यह नियम परमाणु में ही लागू किया गया है, अन्यत्र नहीं । स्कन्ध भेद-पूर्वक परमाणु ही प्रादुर्भूत होते हैं । भारी कपास-विखरे हुए-कपास से जो घनावयवविशिष्ट एक गांठ जैसी कपास की पिंडी बन जाती है वह परमाणु थोड़े ही है । वह तो स्कन्ध से स्कन्ध की ही उत्पत्ति हुई है । जो जिसके सद्भाव में भवनशील ही होता है वह उसका कारण होता है, यह स्याद्वादियों का मत है । इसलिये जो स्कन्ध के भेद के ही सद्भाव में उत्पन्न होते हैं वे स्कन्ध-भेद-पूर्वक ही होते हैं जैसे परमाणु । “भेदादणुः” यह परमाणु का वचन है । इसका भाव यही है कि अणु स्कन्ध के भेद से ही होते हैं । संघात से, भेद से एवं संघात भेद से स्कन्धों की उत्पत्ति होती है । अतः परमाणु की उत्पत्ति के कारणों में और स्कन्ध की उत्पत्ति के कारणों में भेद है । इसलिये परमाणु कार्यद्रव्य है यह कथन बिल्कुल निर्दोष है । अतः परमाणु रूप उदाहरण साधन विकल होने से एवं हेतु की असिद्धता होने से “आकाशमनसं अकार्यद्रव्यत्वात् परमाणुवत्” यह अनुमान साध्य की सिद्धि का कारण नहीं हो सकता है । दूसरे-हेतु भी पक्षमें नहीं रहता है । क्योंकि पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से आकाश भी कार्यद्रव्य साधित हुआ है । स्याद्वाद सिद्धान्त में ऐसा तो कोई द्रव्य ही नहीं है जो सर्वथा नित्य ही हो । इसी

प्रकार आकाश में सर्वथा अनंशता भी सिद्ध नहीं है । अतः यह “अनंशं सामान्यं सर्वगतत्वात् आकाशवत्” कथन कि सामान्य आकाश की तरह सर्वगत होने से अनंश-अंश रहित है, ठीक नहीं है । क्योंकि इसमें आकाशरूप उदाहरण अनंश रूप साध्य से शून्य है । इसलिये आकाश को दृष्टान्त कोटि में रखकर जो सामान्य में निरंशता प्रसिद्ध करना चाही है वह उसमें नहीं हो सकती है । सामान्य को अनंश सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त “सर्वगतत्वात्” यह हेतु असिद्ध है क्योंकि सामान्य पूरा सर्वगत है—यह बात प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है । यदि इस पर यों कहा जाय कि सत्त्वरूप महा सामान्य तो पूरा सर्वगत सिद्ध ही है—क्योंकि सर्वत्र यह सत्प्रत्यय का हेतु होता है । सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, कारण कि अनंत व्यक्तियों के आश्रय रूप एक उस सत्ता महा सामान्य को ग्रहण करने वाले प्रमाण का अभाव है । यही बात “मानं च नानंतसमाभयस्य” इस कारिकांश द्वारा प्रकट की गई है । जब तक अनन्त सद्व्यक्तियों का ग्रहण नहीं होता है तब तक उनमें यह सत्ता रूप महा सामान्य सत् प्रत्यय का हेतु है यह कैसे सिद्ध हो सकता है । अतः अनंत सद्व्यक्तियों के ग्रहण हुए बिना उनमें युगपत् सत्प्रत्यय की उत्पत्ति हम असर्वविदों को संभवित नहीं है । इसके हुए बिना सर्वत्र सत्प्रत्यय की हेतुता सत्ता महा सामान्य में कैसे सिद्ध हो सकती है । इसकी असिद्धि में “सत्तामहासामान्यं सर्वं सर्वगतं सर्वत्र सत्प्रत्ययहेतुत्वात्” सत्ता महा सामान्य अनंत व्यक्तियों में

युगपत् पूरा रहता है यह अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता । अतः यह जो पहिले कहा गया है कि सामान्य की अनन्त व्यक्तियों में युगपद्वृत्ति मानने से सामान्य में बहुत्व की आपत्ति आती है यह बिल्कुल ठीक है । इसी प्रकार व्यक्ति सर्वगत (एक एक व्यक्ति में सम्पर्करूप से रहने वाले) सामान्य की भी सिद्धि तद्ग्राहक प्रमाण के अभाव में नहीं बनती है । इसीसे यह भी सम्भलेना चाहिये कि सामान्य अनन्त स्वाश्रयों में अंश रूप से रहता है—यह भी मान्यता युक्ति-युक्त नहीं है । क्योंकि इसका प्रदर्शक भी कोई प्रमाण नहीं है । साथ ही सामान्य में सप्रदेशत्व का प्रसंग आता है । परन्तु यह बात आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं । क्योंकि इसकी स्वीकृति में सामान्य में अनंशता की स्वीकृति विघटित होती है । इसलिये अमेय रूप एक सामान्य किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है अतः वह अमेय ही है ।

नानासदेकात्मसमाश्रयं चे—

दन्यत्वमद्विष्टमनात्मनोःक्व ।

विकल्पशून्यत्वमवस्तुनश्चे-

तस्मिन्नमेये क्व खलु प्रमाणम् ॥५६॥

अन्वय—चेत् नानासदेकात्मसमाश्रयं (सामान्यं अस्ति) (तदा)
 अद्विष्टं अन्यत्वं अनात्मनोः (उभयोः सतोः) क (स्यात्) चित् अवस्तुनः
 (तस्य) विकल्पशून्यत्वं (तर्हि) अमेये तस्मिन्प्रमाणं क खलु (प्रवर्तते) ।

भावार्थ—यदि (सामान्यवादी यह कहें कि) जन्मा सत्तों का एक आत्मा—भिन्न २ द्रव्य, गुण और कर्म—विसर्ग का भाव है ऐसा सामान्य है—सुखप्रद अनन्तसमाश्रयवाला महासत्त्वरूप सामान्य नहीं है—किन्तु अपर सत्त्वरूप सामान्य अपने २ भिन्न २ द्रव्यगुण और कर्म रूप आत्मा में आश्रित है तो इस पर यह उलझे पूछा जाता है कि यह सामान्य अपने व्यक्तियों से भिन्न है या अभिन्न है ? अद्विष्ट-दो में नहीं रहने वाला—एक में ही रहने वाला—अन्यत्व सामान्य और उसके आश्रयरूप व्यक्ति इन दोनों में अनात्मता—अस्तित्व विहीनता—होने पर कहां रहेगा ? यदि सामान्य को अवस्तरूप—अन्यापोहस्वरूप—माना जाय और इस हालात में उसे अन्यत्व एवं अनन्यत्वरूप विकल्पों से रिक्र कहा जावे तो उसके अवेय होने पर प्रमाणा की प्रवृत्ति कहां होती है ?

भावार्थ—सामान्यवादी का यह कथन कि “अनन्त समाश्रयवाले सामान्य की ग्राहक प्रमाणा के अभाव होने से भले ही सिद्धि न हो किन्तु व्यक्ति-सर्वगत सामान्य की तो सिद्धि होती ही है और वह इस प्रकार से है—द्रव्य, गुण और कर्म ये ज्ञाना विविध-सत् हैं । इनका जो एक आत्मा—एक स्वभावरूप व्यक्तित्व—जैसे सदात्मा, द्रव्यात्मा, गुणात्मा अथवा कर्मात्मा—ये सब उस उस सामान्य के आश्रय हैं । सदात्मा सत्तासामान्य का, द्रव्यात्मा द्रव्यत्व सामान्य का, गुणात्मा गुणत्व सामान्य का, कर्मात्मा कर्मत्व सामान्य का आश्रय है । इसलिये सामान्य ज्ञाना सदे-

कात्मसमाश्रय है । सत्ता सामान्यका समाश्रयभूत जो एक सदात्मा है वह एक सद्रथक्ति के प्रतिभासकाल में प्रमाण से प्रतीत होता ही है । इसी प्रकार एक सदात्मा से अन्य द्वितीयादि सद्रथक्ति के प्रतिपत्ति काल में भी वही सदात्मा अमिव्यक्तता को प्राप्त होता है, इससे यह ज्ञात हो जाता है कि ये सद्रथक्ति स्वभावतः एक हैं, यही सद्रथक्ति समाश्रय रूप सत्ता सामान्य के ग्रहण में निमित्त है और यह निमित्त प्रमाणभूत है । अनंत स्वभाव वाले पदार्थों में युगपत् समाश्रय रूप सत्ता महा सामान्य है इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है । अतः वही अमानता है । इस प्रकार एक सदात्मा व्यक्ति के प्रतिपत्तिकाल में सत्ता सामान्य का ग्रहण होता है । द्रव्यत्व सामान्य का समाश्रय एक द्रव्यात्मा है । जिस समय एक द्रव्य व्यक्ति की और उससे भिन्न द्वितीय द्रव्य व्यक्ति की प्रतीति जन करता है उस समय द्रव्य स्वभाव एक ही है यह उसे प्रतीत हो जाता है । यह जो द्रव्य स्वभाव में एकत्व की प्रतीति है वही द्रव्य समाश्रय सामान्य की प्रतीति है । इसी प्रकार दो तीन गुण व्यक्तियों और कर्म व्यक्तियों को देखने वाले व्यक्ति के लिये गुण-स्वभाव एवं कर्म-स्वभाव एक ही है—यह विरवास हो जाता है । इस तरह गुणैकात्म-समाश्रय रूप अथवा कर्मैकात्म समाश्रयरूप गुणत्व-सामान्य या कर्मत्व सामान्य प्रमाणातः प्रत्येतुं शक्य है । फिर सामान्य को ग्रहण करने वाला प्रमाण नहीं है— इस प्रकार ग्रहण करने वाले प्रमाण का अभाव प्रकट कर जो उसमें अप्रमाणाता आपादित की है वह उचित नहीं

है। इस प्रकार सदेकात्म समाश्रयतावाले सामान्य का संज्ञाव सिद्ध होता है, अनन्तसमाश्रयता वाले सामान्य का नहीं; क्योंकि उसका प्रख्यापक प्रमाद्य नहीं है—प्रमाद्य का अभाव है।” चित्त में धारण कर सूत्रकार महाराज उनसे पूछते हैं कि यह सामान्य—व्यक्ति सर्वगत सामान्य—अपने आश्रय रूप व्यक्तियों—सद्व्यक्ति रूप द्रव्य गुणादिकों से भिन्न है या अभिन्न है? यदि सदेकस्वभाव के आश्रय रूप सामान्य अपने व्यक्तियों से भिन्न माना जावे तो ऐसी हालत में उन अपने व्यक्तियों में प्रागभावादिक की तरह असत्स्वरूपता की आपत्ति का प्रसंग आता है। जब स्व व्यक्तियों में ही असदात्मकता आजावेगी तो फिर उनमें समाश्रय रूप से रहनेवाले सत्सामान्य में भी असदात्मकता की आपत्ति क्यों नहीं आवेगी? अवश्य आवेगी। क्योंकि ऐसी दशा में अभाव मात्र की तरह सामान्य असत् व्यक्ति वाला हो जाता है। जब सामान्य के आश्रयभूत व्यक्ति असत् हैं तो उनमें रहने वाला सामान्य भी असत् रूप ही माना जायगा। इस तरह व्यक्ति और व्यक्त्याश्रित सामान्य का जब अस्तित्व की कायम नहीं हो सकता है, तब वह अन्यता वहां कैसे रहेगी? यह अन्यता—अन्यत्वगुण अद्विष्ट है—एक में रहती है। दोनों के अभाव में—व्यक्ति और सामान्य की अस्तित्व हीनता में—एक में ही रहने वाली यह अन्यता अब वहां कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। दोनों का अस्तित्व ही तब तो वहां अद्विष्ट अन्यता रहे। परन्तु, पूर्वोक्त रूप से विचार करने पर न व्यक्तियों का

अस्तित्व साबित होता है और न सामान्य का। अब स्व व्यक्तियों से सामान्य अन्य है वह कल्पना कोरी कल्पना ही है वास्तविक नहीं। इसी प्रकार अपने द्रव्य व्यक्ति से द्रव्य रूप एक आत्मा में समाश्रित द्रव्यत्व सामान्य का भेद मानना गुणादिक की तरह अद्रव्यत्व का प्रसंग कात्क होता है। अद्रव्यत्व की प्रसक्ति में द्रव्यत्व सामान्य का अस्तित्व नहीं होने से द्रव्य व्यक्ति और द्रव्यत्व सामान्य का परस्पर में माना हुआ अन्यत्व कहाँ रहेगा। गुणत्व सामान्य एवं कर्मत्व सामान्य में भी यही बात जान लेनी चाहिये। भिन्नत्व की मान्यता में गुण और गुणत्व, कर्म एवं कर्मत्व इन दोनों का जब स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है-तो तुम्हारा मान्य इन दोनों में भिन्नत्व निराधार कहाँ रह सकता है। विचारो।

यदि सामान्य अपने व्यक्तियों से अमिन्न है यह द्वितीय विकल्प माना जावे तो यह भी ठीक नहीं। कारण कि इस प्रकार की मान्यता में सामान्य का प्रवेश अपने व्यक्तियों में पूर्णरूप से हो जाता है-सामान्य अपने व्यक्तियों में सर्वात्म्य रूप से अविष्ट होने की वजह से स्वयं व्यक्तिरूप होजाता है। ऐसी हालत में व्यक्तियों का ही अस्तित्व माना जावेगा, सामान्य का नहीं। परन्तु अपने सामान्य के अभाव में व्यक्तियों का अस्तित्व बन भी कैसे सकता है। जब अपने व्यक्तियों का अस्तित्व नहीं बनता है तब व्यक्तियों के अस्तित्व के अभाव में सामान्य का स्वतंत्र अस्तित्व कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। इस प्रकार

व्यक्ति और सामान्य में अनात्मता-अस्तित्व हीनता अपने पर
द्विष्ट-दो में रहने वाला यह अनन्यत्व-अभिधत्त्व वहाँ कहाँ २
रहेगा ? इस प्रकार व्यक्ति और सामान्य में सर्वथा अन्यत्व एवं
सर्वथा अनन्यत्व अनात्मत्व दोष के प्रसंग का प्रख्यापक जब
होता है—तब व स्पष्ट निरपेक्ष उभयैकान्त की तो वहाँ दाल गल
ही नहीं सकती है । क्योंकि 'प्रत्येकं भवेदोषो द्वयोर्भावौ कथं न सः'
प्रत्येक पक्ष में जो दोष लागू पड़ता है वही उन दोनों के सम्मि-
लित पक्ष में भी लागू पड़ता है । अब यदि यह कहा जाय कि यह
दोष सामान्य में वस्तु रूपता की मान्यता होने पर ही आता
है, अवस्तु रूपता में नहीं । अन्यापोह रूप सामान्य में खर
विषाण की तरह ये अन्यत्व और अनन्यत्व विकल्प उठ ही नहीं
सकते हैं, तो इस प्रकार का कथन ठीक नहीं है । कारण कि जब
सामान्य अन्यापोहरूप स्वीकार किया जायगा तो ऐसी स्थिति में
वह सर्व प्रमाण से अतिक्रान्त होने की वजह से अमेय-प्रमाण का
अविषय हो जायगा । अतः उसमें किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति
नहीं हो सकती है । प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति इसलिये वहाँ नहीं
हो सकती कि वह वस्तु को विषय करने वाला है । यह अन्या-
पोह रूप सामान्य अवस्तु रूप है । अनुमान की प्रवृत्ति इसलिये
नहीं होती है कि यहाँ उसके अविनाभावी लिंग का अभाव है ।
अवस्तु के निःस्वभाव होने के कारण स्वभाव का एवं सकल
कार्यों से शून्य होने के कारण कार्य का अभाव होने से स्वभाव
रूप और कार्यरूप लिंग का अस्तित्व घटित नहीं होता है ।

अतः स्वभावलिंग एवं कार्यलिंग सामान्य में अन्यापोह रूपता के साधक नहीं हो सकते हैं । यदि स्वभावलिंग या कार्यलिंग उसके सद्भाव-ख्यापक माने जावें तो सामान्य में अवस्तुता नहीं मानी जा सकेगी—क्योंकि स्वभाव या कार्य वस्तु के ही होते हैं—अवस्तु के नहीं । अनुपलम्भ रूप लिंग अन्यापोहरूप सामान्य का साधक नहीं बनता है । इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण को अविषय होने के कारण अमेय हुए इस अन्यापोह रूप सामान्य में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है । अतः पराम्युपगत वस्तुभूत सामान्य की तरह इस सामान्य की भी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती है । भाव इसका यही है—व्यवस्थापक प्रमाण के अभाव में अन्य सिद्धान्तकारों के यहां किसी भी सामान्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती है ।

व्यावृत्तिहीनान्वयतो न सिद्धये—

द्विपर्ययेऽप्यद्वितयेऽपि साध्यम् ।

अतद्व्युदासाभिनिवेशवादः

पराभ्युपेतार्थविरोधवादः ॥ ५७ ॥

अन्वय—व्यावृत्तिहीनान्वयतः, अपि (च विपर्यये, अद्वितये अपि साध्यं न सिद्धयेत् । अतद्व्युदासाभिनिवेशवादः पराभ्युपेतार्थविरोधवादः प्रसज्येत) ।

अर्थ—असत् आदि की व्यावृत्ति से हीन अन्वय मात्र से, अथवा विपरीत में—अन्वयहीन व्यावृत्ति मात्र से एवं अद्वितय

में—इन दोनों प्रकारों से हीन सन्मात्र प्रतिभास से सत्ता सामान्य रूप साध्य की सिद्धि नहीं होती है। यदि साध्य साधन भाव को बनाने के लिये असाध्य व्यावृत्ति से साध्य एवं असाधन व्यावृत्ति से साधन इस प्रकार साध्य साधन भाव रूप अतद्दृष्ट्यासाभि-
त्रिवेशवाद स्वीकार किया जाय तो इसमें पराम्युपेतार्थ—पूर्वाम्यु-
पेतार्थ के विरोधवाद का प्रसंग आता है।

भावार्थ—अनुवृत्तिप्रत्यय रूप लिङ्ग से सामान्य की सिद्धि होती है—फिर इसे आप अप्रमाद्य—प्रमाद्यरहित कैसे कहते हैं ? तथा अतद्दृष्ट्यावृत्ति रूप प्रत्यय से अन्यापोह रूप सामान्य साध्य होता है फिर यह अमेय कैसे हो सकता है ? एवं सन्मात्र ही तत्त्व है और वह स्वसंबेदन मात्र से साध्य है, इस प्रकार की इन तीन आशंकाओं का उत्तर सूत्रकार ने इस कारिका में दिया है। उत्तर देते हुए वे यह कह रहे हैं कि यदि वह मान्यता एकान्त-
रूप में स्वीकार की जाय कि सत्त्वरूप पर सामान्य एवं द्रव्यत्वादिक रूप अपर सामान्य “सत् सत्” इत्याकारक अनुवृत्ति प्रत्यय से —“सत् सत्” इस प्रकार के सत्तादिरूप अन्वय से—सिद्ध होता है तो यह कहना उचित नहीं है—उस प्रत्यय से वह सिद्ध नहीं हो सकता है—कारण कि वह अपने विषय की व्यावृत्ति से सर्वथा हीन है। सत्ता का विषय असत्ता और द्रव्यत्वादिक का विषय अद्रव्यत्व आदि हैं। यदि सत्तादिरूप अन्वय जो अपने विषय का व्यावृत्ति से हीन है, पर और अपर सामान्य का साधक बनता है—तो इससे केवल उन्हीं की सिद्धि होगी—यह नहीं कहा

जा सकता कारण कि इस स्थिति में “सदमतोः संकरेण सिद्धि-
प्रसंगाद्” सत्ता और असत्ता (आदि) का परस्पर में संकर
होने से उनकी सिद्धि का प्रसंग आता है । यदि सत्तादिरूप
अन्वय में यह कहकर कि “सदन्वय (सत्तादिरूप-अन्वय) ही
असत् की व्यावृत्ति है” इस प्रकार विषय की व्यावृत्ति प्रकट की
जाय तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कारण कि इस प्रकार
के कथन से अनुवृत्ति और व्यावृत्ति में भेद का अभाव
प्रतिपादित होता है । परन्तु ऐसा तो है नहीं—क्योंकि अनुवृत्ति
भाव स्वरूप होती है और व्यावृत्ति अभाव स्वरूप होती है । इस
अपेक्षा से इन दोनों में भेद स्वीकृत किया गया है । यह भी
नहीं कहा जा सकता कि सदन्वय में सामर्थ्य से असत् की
व्यावृत्ति सिद्ध ही हो जाती है । कारण कि इस प्रकार के कथन
से “व्यावृत्ति हीन अन्वय से ही सत्तादि सामान्य की सिद्धि
होती है” यह कहना ठीक नहीं बनता । इस कथन से यह भी
समझ लेना चाहिये कि द्रव्यत्वादिकरूप अपर सामान्य अद्रव्या-
दिक की व्यावृत्ति से हीन होकर “द्रव्य द्रव्य” इत्यादि अन्वय
के बल से सिद्ध नहीं होता है । अतः यह मानना चाहिये कि
द्रव्यत्वादि रूप अपर सामान्य, सामर्थ्यसिद्ध अद्रव्यत्वादिक की
व्यावृत्ति से सहित ऐसे द्रव्यादिक रूप अन्वय प्रत्यय से ही साध्य
होता है । इसीलिये द्रव्यत्वादिक सामान्य में “सामान्य विशेष”
इस नाम की व्यवस्था होती है । मतलब इसका यह कि
“द्रव्यत्व” यह “द्रव्य द्रव्य” इत्यादि अन्वय प्रत्यय का जनक

है इसलिये तो सामान्य रूप है, साथ में इसमें जो अन्य-
अद्रव्यत्वादिक की व्यावृत्ति रही हुई है वही विशेष धर्म है।
क्योंकि यह द्रव्यत्वादि सामान्य अन्य अद्रव्यत्वादिक से अपनी
व्यावृत्ति करता है—अतः यह अद्रव्यत्वादि की व्यावृत्ति ही
विशेष धर्म है और यह उससे सहित है। इसलिये द्रव्यत्वादि
सामान्य सामान्य विशेष इस नाम को पाता है।

तथा जो इन बात को मानते हैं कि अन्वयहीन अन्य
व्यावृत्ति से ही सामान्य की प्रतीति होती है सो ऐसा मानना
भी ठीक नहीं है—पूर्वोक्त इस विपरीत कल्पना से भी सामान्य
की सिद्धि नहीं होती है। यद्यपि अन्वय रहित अन्य व्यावृत्ति
प्रत्यय से अन्यापोह की सिद्धि होती है तो भी उसकी विधि की
असिद्धि होने से वहां प्रवृत्ति का विरोध आता है। प्रवृत्ति के
विरोध का कारण भी यही है कि अन्यापोह से अर्थ क्रिया
लक्षण रूप साध्य को सिद्धि नहीं होती है यदि अन्यापोह
रूप सामान्य से अर्थ क्रिया लक्षण रूप साध्य की सिद्धि होने
के लिये यह कहा जाय कि दृश्य और विकल्प के एकत्वाध्यवसाय
से प्रवृत्ति होने पर अर्थ क्रिया रूप साध्य की सिद्धि हो जाती है
सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि अर्थ क्रिया साधक
जो दृश्य और विकल्प का एकत्व अध्यवसाय है वह बनता ही
नहीं है। दृश्य और विकल्प के एकत्व अध्यवसाय का निश्चायक
भी कौन है? प्रत्यक्ष तो इन दोनों का एकत्वाध्यवसायक हो
नहीं सकता। क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय दृश्य है। विकल्प

उसका विषय नहीं है। वह तो सामान्य का है। यदि प्रत्यक्ष के पश्चाद्भावी सामान्य इन दोनों के एकत्व का अध्यवसायक है ऐसा कहा जाय, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह दृश्य को विषय नहीं कर सकता। अतः भिन्न-भिन्न प्रमाण के विषयभूत इन दोनों में एकत्व का अध्यवसाय करने वाला प्रमाणान्तर बौद्धों को संघत नहीं है और न उसकी कोई संभावना ही है।

अतः यह मानना चाहिये कि दृश्य और विकल्प्य में एकत्व का अध्यवसाय करने वाले इस अन्वयहीन अन्य व्यावृत्ति मात्र से अन्यायोह रूप सामान्य की सिद्धि नहीं होती है।

इसी तरह अन्वय और व्यावृत्ति इन दोनों से हीन जो अद्वैतय हेतु है कि जिसमें वादी सन्मात्र का ही प्रतिभास मानता है उससे भी सत्ताद्वैत रूप सामान्य की सिद्धि नहीं होती है। कारण कि सर्वथा अद्वैतय-अद्वैत में साध्य और साधन की भेद सिद्धि नहीं बनती है। जब वहाँ भेद सिद्धि ही असिद्ध है तो कौन तो यहां साधन होगा और कौन साध्य होगा ? यह विचार करने जैसी बात है ! और इस हालत में फिर किस साधन से साध्य की सिद्धि मानी जावेगी ? साध्य साधन की सिद्धि में अद्वैतय-अद्वैत का विरोध आता है। कारण कि यह साध्य है, यह साधन है इस प्रकार से द्वैत का ही मद्भाव सिद्ध होता है। अद्वैतय को संवित्त के रूप में मान कर भी यदि ऐसा कहा जाय कि असाधन की

व्याप्ति से साधन और असाध्य की व्याप्ति से साध्य इस प्रकार साध्यसाधनभाव का सञ्जाव बन जाता है और अतद्व्युदासामिनिवेशवाद है तो इस प्रकार के कथन में बौद्धों को पराम्युपेतार्थ के विरोधनाद का प्रसंग आता है । संबिद्वैत-लक्षण-ज्ञानाद्वैतवादरूप-अर्थ बौद्धों को संमत है वही यहां पराम्युपगत-पूर्वाम्युगत-है । यह पराम्युगत अर्थ अतद्व्युदासामिनिवेशवाद का अग्रह वचन रूप अतद्व्युदासामिनिवेशवाद से विरुद्ध पड़ता है । क्योंकि किसी असाधन एवं असाध्य की अर्थ-साध्य साधनरूप वास्तविक अर्थ -के अभाव में व्याप्ति मात्र से साध्य साधनभाव रूप व्यवहार थोड़े ही बन सकता है । यदि साध्य साधनभावरूप व्यवहार का सञ्जाव माना जायगा तो फिर द्वैत की सिद्धि प्रतिक्षेप के लायक नहीं बनती है । इस प्रकार सौमर्तों के यहां पूर्वाम्युपेतार्थ के साथ इस मान्यता के विरोधवाद का प्रसंग आता ही है ।

अनात्मनानात्मगतेर्युक्तिः

वस्तुन्ययुक्तेर्यदि पक्षसिद्धिः ।

अवस्त्वयुक्तेः प्रतिपक्षसिद्धिः

न च स्वयं साधनरिक्तसिद्धिः ॥ ५८ ॥

अन्वय—अनात्मना अनात्मगतेः अयुक्तः । यदि (परः) वस्तुन्ययुक्तेः पक्षसिद्धिः (इति मन्येत), (तदापि) अवस्त्वयुक्तेः प्रतिपक्षसिद्धिः (स्यात्) साधनरिक्तसिद्धिः स्वयं न च (युज्यते) ।

अर्थ—अनात्म—निःस्वभाव - कान्पनिक—असाध्य की व्याप्ति-
स्वरूप ऐसे साधन से निःस्वभाव—कान्पनिक—असाध्य की
व्याप्तिस्वरूप साध्य की गति—प्रतिपत्ति सर्वथा अयुक्त ही
है। यदि संवेदनाद्वैतवादी यह माने कि वस्तु—संवेदनाद्वैत—में
अनात्म साधन से अनात्म साध्य की प्रतिपत्ति की अयुक्ति है—
इससे—इस कारण से—हमारे पक्ष की—संवेदनाद्वैत रूप पक्ष की
सिद्धि हो जाती है। सो इस प्रकार की मान्यता में अवस्तु में—
विकल्पिताकार में साध्य-साधन की अयुक्ति से प्रतिपक्ष रूप द्वैत
की भी सिद्धि हो जायेगी। साधन से रिक्त साध्य की स्वतः
सिद्धि मानना युक्ति-युक्त नहीं मानी गई है।

भावार्थ—इस कारिका में इस आशङ्का का परिहार किया
गया है जो संवेदनाद्वैतवादियों ने इस प्रकार कही है—वे कहते
हैं कि संवेदनाद्वैत की मान्यता में साध्य-साधन भाव की
मान्यता उसके साथ विरोधवाद की प्रासंगिका नहीं होती है।
कारण कि यहाँ साध्य साधनभाव सब अनात्मक—अवस्तविक
ही है। बौद्धों ने जो इस मान्यता के पक्षपाती हैं उन्होंने—तो
साधन वास्तविक माना ही नहीं है। साध्य को भी सम्प्रति से
कल्पित अकारवाला माना है। अतः कान्पनिक साध्यसाधन
भाव में पूर्वाम्प्रुपेतार्थ विरोधवाद कैसे हो सकता है। सो इस पर
सूत्रकार का यह समाधान है कि जब साधन निःस्वभाव—सांभूत-
स्वरूप है—तो उसके द्वारा तथाविध साध्य की प्रतिपत्ति बनती
ही नहीं है। इस पर यदि यों कहा जाय कि जब साध्य साधन

भाव नहीं बनता है तो फिर संवेदनाद्वैत रूप तत्त्व की सिद्धि ही क्यों न मानली जाय तो इस पर अक्षरकार का यह समाधान है कि विकल्पसंस्कार में भी माध्य साधन की अघटना होने से द्वैत की भी सिद्धि क्यों न हो जायगी—अवश्य होगी । साधन के बिना साध्य सिद्ध नहीं होता है । यह सर्व मान्य सिद्धान्त है । यदि साधन से रिक्त भी संवेदनाद्वैत का अस्तित्व स्वतः मानने में आवे तो फिर इस प्रकार से पुरुषाद्वैत की भी स्वतः सिद्धि माननी पड़ेगी । फिर इसमें किसी को भी विवाद नहीं करना चाहिये । तदेवम्—

निशायितस्तैः परशुः परध्नः

स्वमूर्ध्निनिर्भेदभयानभिज्ञैः ।

वैतण्डिकैर्भैः कुसृतिः प्रणीता

मुने ! भवच्छासनदक्षप्रमूढैः ॥५६॥

अन्वय—यैः वैतण्डिकैः कुसृतिः प्रणीता । मुने ! भवच्छासनदक्षप्रमूढैः निर्भेदभयानभिज्ञैः तैः स्वमूर्ध्नि परध्नः परशुः निशायितः ।

अर्थ—परपक्ष में दूषण देने में ही प्रधान बने हुए जिन वैतण्डिकों ने—संवेदनाद्वैतवादियों ने—कुत्सित प्रतीति—न्याय का प्रणयन किया है । हे नाथ ! आपके अनेकान्त रूप स्याद्वादशासन की दृष्टि—प्रक्रिया—में भूढ़ एवं अपने मस्तक के भिदबाने के भय से अनभिज्ञ बने हुए उन संवेदनाद्वैतवादियों ने पर घातक कुन्हाडे को अपने ही मस्तक पर मारा है ।

भावार्थ—जिस प्रकार दूसरों को मारने के लिये उठाया गया कुन्दाडा—शस्त्र—उठाने वाले के मस्तक पर छद्म गिर पड़ता है तो वह उसके मस्तक को भी विदारित कर देता है फिर भी वह उठानेवाला तज्जन्य अपने घात के भय से अनभिज्ञ ही कहा जाता है उभी प्रकार पर के पक्ष का निराकरण करने के लिये इन वैतथिहकों ने जिस न्याय का प्रणयन किया है वही न्याय स्वयं इनके भी अपने पक्ष का घातक—निराकरण करनेवाला—होता है, इसलिये वे भी स्वपक्ष के घात से अनभिज्ञ ही कहे गये हैं । इनका अन्तःकरण दर्शन मोहनीय के उदय से आक्रान्त है । इसलिये स्याद्वाद सिद्धान्त के नायक वीतराग गुरु के शासन की दृष्टि में वे प्रमूढ बने हुए हैं अतः कुछ भी नहीं जानते हैं ।

भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मो,

भावान्तरं भाववदहृतस्ते ।

प्रमीयते च व्यपदिश्यते च,

वस्तुव्यवस्थांगममेयतत्त्वम् ॥६०॥

अन्वयः—अहृतः ते अभावः अपि वस्तुधर्मः भवति । (सः) भाववत् भावान्तरं (अस्ति) । (सः) प्रमीयते च व्यपदिश्यते च । (स) वस्तु-व्यवस्थांगम् । (यत् न वस्तु व्यवस्थांगमभावतत्त्वं भावैकान्तवत्) ममेयतरत्वम् ॥

अर्थ—हे अहर्तु ! आपके वहाँ अभाव भी वस्तु का धर्म

है और वह भाव की तरह भावान्तस्वरूप है । वह अभाव प्रमाण से जाना जाता है एवं व्यपदिष्ट भी होता है । अभाव वस्तु की व्यवस्था का कारण माना गया है । जो अभाव तत्त्व वस्तु व्यवस्था का कारण नहीं है वह भावैकान्त तत्त्व की तरह अमेय ही है ।

भावार्थ—सूत्रकार इस कारिका द्वारा “साधन के बिना जब स्वयं साध्य की सिद्धि नहीं होती है तब संविदद्वैत की भी सिद्धि मत होओ, परन्तु विचार बल से प्राप्त शून्यता लक्षण वाले सर्वाभाव का तो परिहार किया नहीं जा सकता है । अतः वही मानना चाहिये, सो इस प्रकार शून्यवादी माध्यमिक का कथन ठीक नहीं है” यह बात प्रदर्शित कर रहे हैं । वे कहते हैं कि जब अन्तस्तत्त्व ज्ञानादिक एवं बहिस्तत्त्व घट पटादिक किसी भी रूप से नहीं हैं—संभवित ही नहीं होते हैं तब उनका सर्व शून्यता रूप अभाव भी संभवित नहीं हो सकता है । क्योंकि अभाव स्वयं वस्तु का धर्म है । धर्मों के असम्भव होने पर किसी भी धर्म की प्रतीति नहीं होती है । जब अभावरूप धर्म की प्रतीति है—तो इससे यह मानना चाहिये कि इसका जो धर्म है वह भी है । अतः सर्वशून्यता का आपादन करना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता है । दूसरे—अभाव का स्वरूप से अस्तित्व है या नहीं? यदि है तो अभाव में भी वस्तुधर्मत्व की सिद्धि होती है । क्योंकि स्वरूप का नाम ही वस्तु धर्म है । वस्तु अनेक धर्मवाली है । इन अनेक धर्मों में से एक धर्म का अभाव तुच्छाभाव रूप न

होकर अन्य धर्म स्वरूप होता है। अतः वह धर्मान्तररूप अभाव वस्तु का धर्म कैसे सिद्ध नहीं होता है, अवश्य होता ही है। यदि वह अभाव, स्वरूप से भी नहीं है तो वह अभाव ही नहीं हो सकता। क्योंकि जब अभाव का स्वरूप से भी अभाव है तो अभाव के अभाव में भाव का विधान स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस अपेक्षा से सर्वशून्यता की मान्यता का विघटन भी अपने आप हो जाता है। यदि “अभाव धर्मी का है” ऐसा माना जावे तो वह अभाव भाव की तरह भावान्तर रूप होता है। कुम्भ का अभाव भावान्तर रूप भूभागस्वरूप पड़ता है। ऐसा हे वीर अर्हन्। आपका सिद्धान्त है। अभाव को जैन सिद्धान्त में सर्वशक्ति विरह रूप तुच्छाभावस्वरूप नहीं माना है। यह मान्यता तो यौगों की ही है। यदि अभाव सर्वशक्ति विरह रूप सर्वथा तुच्छाभावस्वरूप ही माना जाय तो वह न तो प्रमेय हो सकता न व्यपदिष्ट हो सकता है और न वस्तु की व्यवस्था का कारण हो सकता है। परन्तु ऐसा तो है नहीं- वह तो प्रमाण का विषय, व्यपदिष्ट एवं वस्तु व्यवस्था का कारण होता है। धर्म का अभाव अथवा धर्मी का अभाव यदि किसी प्रमाण से प्रमित नहीं होता है तो उसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। यदि वह प्रमाण का विषय होता है तो वह धर्म का होने से धर्मान्तररूप, धर्मी का होने से भावान्तर रूप मानना ही पड़ेगा। अभाव यदि व्यपदिष्ट नहीं होता है ऐसा माना जाय तो वह जाना कैसे जा सकता है यह आक्षेप होता है।

यदि वह जाना जाता है तो या तो वह वस्तु का धर्म ठहरता है या वस्त्वन्तर रूप षड्ता है—नहीं तो उसका व्यपदेश ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार अभाव यदि वस्तु व्यवस्था में अङ्गरूप नहीं होता तो उसकी कल्पना से फायदा ही क्या है? देखो अभाव वस्तु व्यवस्था में “घट में पटादिक का अभाव है” इस रूप से पटादिक के परिहार से कारण कल्पित किया गया है। अन्यथा वस्तु में संकरदोष के आने का प्रसंग उपस्थित होता है। अतः अभाव वस्तु व्यवस्था का कारण है यह मानना चाहिये। इसलिये “वस्तु धर्म एवाभावो वस्तुव्यवस्थांगत्वात् भाववत्” भाव की तरह अभाव वस्तु-व्यवस्था का अङ्ग होने से वस्तु का धर्म ही है।

शङ्का—यह आप कैसे कहते हैं कि “वस्तु-व्यवस्था का अङ्ग होने से अभाव वस्तु का धर्म है” कारण कि प्रमाण भी वस्तु की व्यवस्था का कारण है परन्तु वह तो वस्तु-प्रमेय का धर्म नहीं माना गया है। इसी प्रकार वस्तु व्यवस्था का अङ्ग होने पर भी अभाव वस्तु का धर्म नहीं हो सकता है। जो जिसकी व्यवस्था का कारण होता है वह उसका धर्म होता है इस प्रकार का नियम नहीं बन सकता है। कारण कि इस प्रकार के नियम में व्यभिचार देखा जाता है। अभाव की व्यवस्था का कारण घटादि रूप भावपदार्थ भी हैं, तो क्या इतने मात्र से वे उसके धर्म थोड़े ही होजाते हैं ?

उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्रमाण में भी प्रमेयत्व

धर्म का अविरोध है । वह इस प्रकार-अवि-संवादक ज्ञान ही प्रमाण माना गया है । यह प्रमाण जिस समय करण साधन में व्युत्पादित होता है-उस समय “प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्” इस व्युत्पत्ति के अनुसार आत्मा भी प्रमाण के द्वारा जाना जाता है अतः आत्मा में प्रमेयता आने से, ज्ञान-प्रमाण-जो आत्मा का धर्म है उसमें प्रमेयत्व धर्म आता हुआ प्रतीत ही है । इसी तरह “प्रमितिः प्रमाणम्” इस भाव साधन रूप व्युत्पत्ति से भी प्रमाण में आत्मा रूप अर्थ की धर्मता सिद्ध होती है । इसी तरह घटादिभाव में भी अभाव का धर्मत्व विकृद् नहीं पड़ता है । “मृदोःघटः” इस प्रत्यय से जैसे घट में मृद्धर्मता आती है, उसी तरह उसी घट में “सुवर्णादिक के अभाव विशिष्ट मृद की भी धर्मता है । क्योंकि सुवर्णादि का अभाव ही असुवर्णरूप-मृदादिस्वरूप-पड़ता है । तद्धर्मता घट में है । अतः व्यभिचार नहीं आ सकता है । देखो जब तुम स्वयं “हेतु का विपक्ष में सम्पूर्ण रूप से अभाव हेतु का धर्म है” यह बात स्वीकार कर रहे हो तो फिर वह अभाव हेतु लक्षणरूप-वस्तु की व्यवस्था का अङ्ग होकर उसका धर्म क्यों नहीं माना जायगा ? अवश्य ही माना जायगा । अतः गत्यन्तरामात्रात् अभाव वस्तु की व्यवस्था का अङ्ग है और इमीलिये भाव की तरह वह वस्तु का धर्म है यह अवश्य स्वीकार करना चाहिये । जो अभाव-तुच्छाभाव रूप सर्व-शून्यता-वस्तु की व्यवस्था का कारण नहीं हाता है, वह भावैकान्त तत्त्व की तरह अमेय-अप्रमेय-ही है-

सकल-प्रमाणगोचरातिक्रान्त है । इस तरह दूसरों के द्वारा कल्पित वस्तु रूप अथवा अवस्तु रूप सामान्य जिस प्रकार वाक्य का अर्थ नहीं बनता उसी तरह व्यक्तिमात्र, परस्पर निरपेक्ष उभयरूप सामान्य भी वाक्य का अर्थ नहीं बनता है । क्योंकि वह इस रूप में सर्व प्रमाणों से अतिक्रान्त हो जाता है ।

विशेषसामान्यविषक्तभेद—

विधिव्यवच्छेदविधायि वाक्यम् ।

अभेदबुद्धेरविशिष्टता स्याद्,

व्यावृत्तिबुद्धेश्च विशिष्टता ते ॥६१॥

अन्वय—ते वाक्यं विशेषसामान्यविषक्तभेदविधिव्यवच्छेदविधायि (भवति) अभेदबुद्धेः अविशिष्टता च व्यावृत्तिबुद्धेः विशिष्टता स्यात् ।

अर्थ—हे नाथ ! आपके अनेकान्त शासन में वाक्य विशिष्टता सहपरिणामस्वरूप विशेष एवं सहपरिणामस्वरूप सामान्य से युक्त द्रव्यपर्याय व्यक्ति रूप भेदों की विधि और उनके व्यवच्छेद का विधायक होता है (ऐसा माना गया है) । अभेद बुद्धि से द्रव्य में (जिस प्रकार) अविशिष्टता—समानता प्रतीत होती है (उसी प्रकार) व्यावृत्ति बुद्धि से उसी में विशिष्टता—विशेषात्मकता भी प्रतीत होती है ।

भावार्थ—सूत्रकार इस कारिका द्वारा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अनेकान्त शासन में वाक्य द्रव्य एवं पर्यायों में सामान्य और विशेष इन दोनों का व्यवस्थापक माना गया है । केवल

विशेष या केवल सामान्य का ही नहीं। हमें यह बात स्पष्ट प्रतीति में आती है कि जिस समय “घट लाओ” इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उस समय जिस प्रकार घट के आनयन का विधान इस वाक्य द्वारा होता है—उसी प्रकार घट से भिन्न अन्य अघट आदि के आनयन का व्यवच्छेद का भी विधान इसी वाक्य द्वारा होता है। अथवा “घट लाओ” यह वाक्य केवल घटानयन के व्यवच्छेद मात्र का विधायक ही नहीं होता है, किन्तु साथ में घटानयन की विधि का भी विधायक होता है। यदि ऐसा न होता तो घटानयन के विधान के लिये अन्य वाक्य के प्रयोग के प्रसंग रूप आपत्ति आती है। जो प्रयोग घटानयन के लिये प्रयुक्त किया जायगा वह भी अतद्व्यावृत्ति के ही व्यवच्छेद मात्र का विधायक होगा, इस प्रकार घट के आनयन की विधि के लिये अन्य दूसरे वाक्य का प्रयोग करने का प्रसंग प्राप्त होगा।

इस प्रकार अनवस्था दोष के अनुषंग से घटानयन की विधि की प्रतिपत्ति कभी हो ही नहीं सकेगी। इसलिये प्रधान-भाव से व्यवच्छेद का विधान करनेवाला भी वाक्य गुणभाव (गौरवरूप) से विधि का विधायक होता है ऐसा मानना चाहिये। यह भी कहना सर्वथा अयुक्त है कि वाक्य मात्र विधि का ही विधायक होता है। क्योंकि जब तक अन्य का व्यवच्छेद नहीं होगा—तब तक उससे विधि की प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी। प्रकृत विधि का प्रतिपत्ति के लिये अन्य के व्यवच्छेदक का

विधायक यदि दूसरा वाक्य प्रयुक्त होगा तो इसे भी विधि मात्र का विधायक होने पर अतद्व्यवच्छेद के लिये वाक्यान्तर के प्रयोग से अनवस्थिति का प्रसंग आवेगा ही। इसलिये प्रधान भाव से विधि का ही प्रतिपादक वाक्य गौरवरूप से व्यवच्छेद का भी विधायक होता है ऐसा मानना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर भी जो यह कहते हैं कि वाक्य प्रधान और गौरवरूप से सामान्य रूप जाति की ही विधि और उसके व्यवच्छेद इन दोनों का विधायक होता है—जब “घट लाओ” ऐसा कहा जाता है तब इस वाक्य से घट के आनन सामान्य का विधान होता है एवं इसके प्रतिपक्ष भूत अघट अनानयनादि सामान्य का व्यवच्छेद भी होता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है—कारण कि यह कथन युक्तिशून्य है। युक्तिशून्य होने का कारण भी यही है कि वाक्य केवल सामान्य की ही विधि और उसके व्यवच्छेद का विधायक होता हो मो ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है। वह भेद—विशेष—की विधि और उसके व्यवच्छेद का विधायक भी तो होता है। यही बात “भेदविधिव्यवच्छेद विधायि” इस पद द्वारा सूत्रकार ने प्रदर्शित की है। भेद शब्द का अर्थ व्यक्ति है। वे व्यक्तियां द्रव्य, गुण और कर्म रूप यहां गृहीत हुई हैं। इनमें वाक्य द्रव्य एवं गुण की विधि एवं उनके व्यवच्छेद का गौरवरूप से, तथा क्रिया—कर्म की विधि एवं व्यवच्छेद का मुख्य रूप से विधायक होता है यह बात प्रतीत है। अतः वाक्य जाति की ही विधि और व्यवच्छेद का विधायक

होता है यह एकान्त नियम नहीं सध सकता है । इसी प्रकार सन्मात्र सामान्य का ही विधायक वाक्य होता है यह कथन भी ठीक नहीं पडता है; क्योंकि वाक्य से सद्विशेष का भी विधान प्रतीत होता है । और भी जो यही सिर्फ मानते हैं कि वाक्य भेद की विधि और व्यवच्छेद का विधान करता है सो उनकी इस मान्यता का निगकरण “सामान्यविषयभेदविधिव्यवच्छेद-विधायि” इस पद से होता है । क्योंकि वह सामान्य से विषय भेद की भी विधि और व्यवच्छेद का विधायक माना गया है सिर्फ भेद की ही विधि और व्यवच्छेद का विधायक नहीं । इसीलिये वाक्य में सदृश परिणाम रूप सामान्य से विशिष्ट द्रव्य गुण एवं क्रिया रूप भेद की विधि और व्यवच्छेद का विधात्मकता होने पर उमका संकेत काल से लगाकर व्यवहार काल तक अन्वय रहता है । नहीं तो नहीं रह सकता । कारण कि संकेतकाल प्रयुक्त वाक्य अपने भेद की विधि एवं व्यवच्छेद का विधायक हो करके नष्ट हो जायगा और वह भेद भी कि जिसमें विधि और व्यवच्छेद का विधान हुआ है नष्ट हो जायगा । फिर व्यवहार काल तक भेद की विधि एवं व्यवच्छेद का विधान उसमें उस वाक्य से कैसे हो सकेगा—परन्तु होता है अतः यह मानना चाहिये कि वाक्य सदृश परिणामन रूप सामान्य विशिष्ट भेद की विधि और व्यवच्छेद का विधायक होता है । इसी प्रकार सामान्य विशिष्ट भेद की ही विधि एवं व्यवच्छेद का विधायक वाक्य होता है” यह विचार भी स्वरुचि से ही विरचित

है । कारण कि वाक्य “विशेषसामान्यविपर्ययभेदविचिष्यव-
च्छेदविधावि” इस पदके अनुसार जिस प्रकार सादृश्यसामान्य
विशिष्ट भेद की विधि और व्यवच्छेद का विधायक माना जाता
है उसी प्रकार वह सत्त्वश परिखामनस्वरूप विशेष से विशिष्ट
भेद की भी विधि एवं उसके व्यवच्छेद का विधायक होता है ।
इस प्रकार की प्रतीति प्रत्येक विपरिचिन्तन के लिये आभयकीय
होने से अवाचित है । अमेद बुद्धि से—समानबुद्धि से—द्रव्यादि-
व्यक्ति रूप भेद की अविशिष्टता—समानता—ज्ञात होती है । “यह
उसके समान है, वह इसके समान है” इस प्रकार की अमेद-
बुद्धि—समानबुद्धि सत्त्वश परिखामात्मक सामान्य के बिना अनुप-
पद्यमान होती हुई सामान्य की ही साधक होती है । यदि इस
पर इस प्रकार कहा जाय कि “यह उसके समान है वह इसके
समान है” यह जो समान बुद्धि होती है वह तो एक सामान्य
के योग से होती है, सत्त्वश परिखामन रूप समान परिखाम के
योग से नहीं । सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है । कारण कि
यदि इस बुद्धि के होने का हेतु एक सामान्य हो तो “यह उसके
समान है वह इसके समान है” ऐसी बुद्धि न होकर यह द्रव्यादि
व्यक्ति सामान्यज्ञता है ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिये । यदि इस
पर यह समाधान दिया जाय कि यद्यपि सामान्य और सामान्य
वात्तों में भेद है परन्तु उन दोनों में अमेद के उपचार से “यह
उसके समान है वह इसके समान है” इस प्रकार की समानबुद्धि
ही जाती है । सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कारण कि

भेद में अभेद के उपचार से सामान्य वालों में ये "सामान्य हैं" ऐसा ही बोध होगा। जिस प्रकार यष्टि और यष्टिवाला पुरुष ये दोनों परस्पर भिन्न २ हैं, परन्तु, जब इनमें अभेद का उपचार किया जाता है तब उस अभेद के उपचार से "पुरुषो यष्टिः" ऐसी ही प्रतीति-बुद्धि-होती है। यह यष्टिवाला है ऐसी बुद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार द्रव्य और सामान्य में जब अभेद का उपचार किया जायगा तब द्रव्यादि व्यक्लि स्वयं सामान्य हैं ऐसी ही प्रतीति होगी। द्रव्यादि सामान्य वाले हैं ऐसी प्रतीति नहीं होगी। यदि फिर भी यों कहा जाय कि "यह द्रव्य इस द्रव्य के समान है" ऐसी बुद्धि क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी—क्योंकि सामान्य का वाचक समान शब्द है। समान के योग से द्रव्यादि समान हैं यह प्रत्यय होने में बाधा ही क्या है? सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि सामान्य का वाचक "समान" शब्द नहीं हो सकता है। सामान्य का अर्थ "समानानां भावः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार "जाति" होता है और समान का अर्थ "सदृश" होता है। स्वार्थ में व्यण् प्रत्यय का विधान करके भी "समान एव सामान्यं" इस रूप से समान शब्द जाति का वाचक नहीं हो सकता है। दूसरे जो अभी ऐसा कहा है कि "सामान्य और सामान्यवालों में भेद है" अर्थात् द्रव्यादिकों से सामान्य भिन्न सिद्ध होता है" सो ऐसे मानने का क्या कारण है? यदि कहो कि इस मान्यता का हेतु अन्वय प्रत्यय है "द्रव्यं सत्-द्रव्य सत हैं, गुण सत हैं, कर्म सत हैं!"

इस प्रकार का अन्वय प्रत्यय—सत् प्रत्यय—द्रव्यादिकों में जो होता है उसका कारण वही एक सामान्य है और इस अन्वय प्रत्यय से वह सामान्य अपने आश्रित द्रव्य, गुण एवं कर्म-व्यक्तियों से भिन्न भिन्न होता है तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। कारण कि पर सामान्य एवं अपर सामान्य में एक भिन्न सामान्य की सिद्धि इस प्रकार के कथन से माननी पड़ेगी। इस तरह अनवस्था का दुर्निवार प्रसंग समझ में खड़ा हो जायगा। अन्त में अनवस्था दोष की आपत्ति को हटाने के लिये यदि यह कहा जाय कि अन्वय प्रत्यय होने पर भी उससे दूसरे सामान्य की सत्ता सिद्ध नहीं मानी जावेगी तो इससे तो फिर यही सर्वोत्तम बात है कि पहले से ही यही क्यों न माना जाय कि अन्वय प्रत्यय से सामान्य की सिद्धि नहीं होती है। यदि अन्वय प्रत्यय से सामान्य की सिद्धि करने के लिये यह कहा जाय कि द्रव्य, गुण और कर्म इन द्रव्यादि व्यक्तियों में जो अन्वय बुद्धि होती है वह अवाचित होने से अनुपचरित—मुख्य—है। सामान्यादि में—सामान्य, विशेष एवं समवाय इन तीन में जो अन्वय बुद्धि होती है वह उपचरित—अवास्तविक—मुख्य नहीं है। क्योंकि सामान्य में सामान्यान्तर की यदि कल्पना की जाय तो अनवस्था का प्रसंग आता है—इससे वहां अन्वय प्रत्यय बाधित होजाता है। अतः द्रव्यादिकों में अन्वय प्रत्यय मुख्य रूप से है और वह वहां सामान्य की सिद्धि करता है। सामान्यादिक में उपचार से अन्वय प्रत्यय है अतः वह वहां उसकी

सिद्धि का निबन्धन नहीं होता है। इस प्रकार मुख्य और उप-चार की अपेक्षा से इस अन्वय प्रत्यय में यही विशेषता-स्वास्त-यत-है। तो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। कारण कि देश एवं कालादिक की अपेक्षा से मिक २ रूप से रहने वाली इन द्रव्या-दिक समस्त व्यक्तियों में एक एवं अनंशरूप सामान्य की युगपत् वृत्ति का होना विरोध से खाली नहीं है-बाधित है। जब वहां उसकी युगपत् वृत्ति विरोध से बाधित है-तब अन्वय बुद्धि से ऐसे सामान्य का वहां विषय होना मानना सर्वथा असम्भव है। अतः द्रव्यादित्रिक में भी अन्वय बुद्धि को जो तुम अनुषचरित कह रहे हो वह भी असिद्ध ही है।

शंका—जिस प्रकार अन्वय बुद्धि से एक और अनंश रूप सामान्य की सिद्धि नहीं हो सकती है—उसी प्रकार तुम्हारे मत में भी सदृश परिणाम रूप सामान्य की अन्वय बुद्धि से प्रसिद्धि कैसे हो सकती है। क्योंकि समान परिणामों में भी जो अन्वय बुद्धि हो रही है—उससे वहां समान परिणामान्तरों के सद्भाव का प्रसंग पूर्व की तरह मानना पड़ेगा। इससे अनवस्था का सद्भाव होगा—जो अन्य समान परिणामों की वहां हस्ती का बाधक होता है। समान परिणाम का एक २ में भेद मानने पर बाधा का सद्भाव आता है—वह समान परिणाम ही नहीं है जो एक २ में रहता है—समान परिणाम तो अनेक में रहने वाला होता है।

उत्तर—इस प्रकार सदृश परिणामरूप सामान्य के ऊपर शङ्का करना ठीक नहीं है। क्योंकि समान परिणामों में भी

मान्य समान परिखामों की प्रतीति जैन सिद्धान्त में कबूल करने में आई है। वे अन्य समान परिखाम परिमित नहीं हैं। किन्तु अनन्त हैं। इसलिये इस मान्यता को लेकर जो अनवस्था प्रदर्शित करने में आई है उसके लिये यहाँ अवकाश ही नहीं है। देखो—जैसे घटों में जो घटाकार रूप समान परिखाम प्रतीत होता है वह प्रत्येक अपर घट के परिखाम की अपेक्षा को लेकर ही तो प्रतीत होता है और इसी से “एते घटाः समानाः” वे सब घट परस्पर में समान हैं ऐसा व्यवहार होता है। इसी प्रकार घट के समान परिखामों में भी दूसरे जो मृदाकार समान परिखाम हैं वे प्रतिभासित होते ही हैं और इसी से यह कहा जाता है कि “एते घटसमानपरिखामाः मृदाकारेण समानाः” ये घट के समान परिखाम मिट्टी के आकार से समान हैं। इन मृदाकार समान परिखामों में भी पार्थिवाकार रूप समान परिखामान्तर, इनमें भी भूर्तत्वाकाररूप समानपरिखामान्तर, इनमें भी द्रव्यत्वाकाररूप समानपरिखामान्तर आदि २ परिखामान्तर प्रतिभासित होते ही हैं। इनमें—इन समस्त परिखाम—परिखामान्तरों में—मेद नय की प्रधानता से बलय की तरह आदि और अन्त नहीं है कि जिससे यहाँ अनवस्था बाधक हो सके। दूसरे—जो ऊपर ऐसा कहा है कि समान परिखामों का एक २ में मेद माना जायगा—तो वे समान परिखाम ही नहीं हो सकेंगे इत्यादि—तो उनका एक २ में मेद मानने पर भी समान परिखाम विरोध को प्राप्त नहीं होता है। संयोग सम्बन्ध जिस

प्रकार अनेकस्थ होता है उस प्रकार समान परिणाम अनेकस्थ नहीं होता है—किन्तु विशेष की तरह इसकी अभिव्यक्ति अपेक्षा-धीन मानी गई है। जैसे कुशत्व की अपेक्षा से स्थूलत्व अभिव्यक्त होता है” इस पर ऐसा आक्षेप नहीं हो सकता है कि यह पदार्थों का समान परिणाम आपेक्षिक होने से अपरमार्थिक ही माना जायगा। क्योंकि ज्ञान में अपेक्षा लेकर विकसित होने वाली विशदता को भी फिर इस तरह से अपरमार्थिक मानना पड़ेगा। यह तो प्रसिद्ध ही है कि वृद्धावस्था के अक्ष संवेदन की अपेक्षा से कुमार अवस्था का अक्षसंवेदन विशदतर होता है। यहां पर जो कुमार अवस्था के अक्ष संवेदन में विशदता प्रकट की गई वह वृद्धावस्था के अक्ष संवेदन की अपेक्षा से बही गई है। यदि इन दोनों अवस्थाओं के अक्ष-संवेदनों में अपेक्षा कृत विशदता न मानी जाये तो फिर इन दोनों संवेदनों में विशेषता ही क्या रहेगी। अतः यह कहना कि पदार्थों का समान परिणाम आपेक्षिक होने से अपरमार्थिक ठीक नहीं है।

त्रिस समय परिणाम और परिणामी इन दोनों में अमेदनय की प्रधानता मानी जाती है—उस समय इन् दोनों को परस्पर में तादात्म्य सम्बन्ध कथित होता है। इस तादात्म्य सम्बन्ध की विवक्षा में द्रव्य में जो द्रव्यत्वरूप समान परिणाम होता है वह द्रव्य से जुदा नहीं है, किन्तु उसका स्वरूप ही है। इसी प्रकार द्रव्यत्व रूप समान परिणाम के जो सत्त्वादिरूप समान परिणामान्तर हैं वे भी द्रव्य से जुदे नहीं हैं किन्तु द्रव्य

स्वरूप ही हैं। अतः इस अपेक्षा से जनवस्था, अन्वय बुद्धि से समान परिखामान्तरों की सत्ता मानने में कैसे आ सकती है ? नहीं आ सकती है। अथवा जिन द्रव्यों में द्रव्यत्वरूप सामान्य परिखाम हैं उन्हीं में सत्त्वादि रूप समान परिखामान्तर व्यवस्थित हैं। तो जिस प्रकार संख्यादिगुणान्तरों द्वारा रूपादि मुख व्यपदिष्ट होते हैं उसी प्रकार उन सत्त्वादि रूप समान परिखामान्तरों द्वारा एकार्थरूप द्रव्य में समवाय-तादात्म्य-के बल से वह द्रव्यत्वरूप समान परिखाम भी व्यपदिष्ट होता है। जिस द्रव्य में द्रव्यत्वरूप समान परिखाम तादात्म्य सम्बन्ध से रहता है—उसी द्रव्य में सत्त्वादिरूप परिखामान्तर भी उसी सम्बन्ध से रहते हैं। इसी का नाम एकार्थ समवाय है। इस प्रकार वाक्य, भेद और अभेद नयों की प्रधानता से अर्जित जो समान परिखाम रूप सामान्य है उससे विषय-विशिष्ट भेद की-द्रव्य पर्याय अथवा द्रव्य गुण एवं कर्म की-विधि और व्यवच्छेद का विषयक होता है यह बात निश्चित हो जाती है अन्यथा वाक्य में निर्विषयता का प्रसंग आता है।

जिस प्रकार अभेद-बुद्धि-समानबुद्धि से द्रव्यादि व्यक्तियों में समानता की प्रतीति होती है उसी प्रकार व्यावृत्ति बुद्धि से-भेद बुद्धि से-हे स्याद्वाद दिवाकर ! आपके वहाँ विशिष्टता की प्रतीति होती है। वह इस प्रकार से है-विसदृश परिखाम का नाम विशेष है। "यह इससे भिन्न है" यही विसदृश परिखाम है। इस विसदृश परिखाम रूप विशेष से युक्तता का नाम ही

विशिष्टता है। यह विशिष्टता व्यावृत्ति बुद्धि से अध्यवसित होती है। यहाँ पर हम प्रकार-की शंका नहीं करनी चाहिये “जब व्यावृत्ति बुद्धि से विशेषों की सिद्धि होती है—तो विशेषों में भी तो व्यावृत्ति बुद्धि होती है अर्थात् यह इससे भिन्न है इस प्रकार की व्यावृत्ति बुद्धि से विशेष की जिस प्रकार सिद्धि होती है—उसी प्रकार यह विशेष इन विशेषान्तरों से व्यावृत्त है इस प्रकार की व्यावृत्ति बुद्धि विशेषों में भी होती है तो उन विशेषों में भी विशेषान्तर की सिद्धि का प्रसंग मानना पड़ेगा। इस प्रकार की मन्यता से अनवस्था का दोषका सङ्गाव होता है। यदि कहो कि विशेषों में विशेषान्तर के अभावों में भी व्यावृत्ति बुद्धि होती है हमसे अनवस्था नहीं आवेगी—सो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार विशेषों में विशेषान्तर के अभाव में भी व्यावृत्ति बुद्धि का सङ्गाव मान लिया गया उसी प्रकार विशेष के अभाव में भी सर्वत्र व्यावृत्ति बुद्धि का सङ्गाव मान लेना चाहिये। इस प्रकार विशेष की सिद्धि नहीं हो सकती है” क्योंकि समान परिणाम की तरह भेद और अभेद नय की प्रधानता से अनवस्था के लिये यहाँ अवकाश ही नहीं मिलता है। जब भेद की प्रधानता से विशेषों का विचार किया जाता है—तब अनन्त विशेषों की सिद्धि हो जाती है। अभेद नय से जब विशेषों का विचार किया जायगा—तब वे विशेष द्रव्य स्वरूप ही माने जायेंगे। इस प्रकार द्रव्यस्वरूप हुए उन विशेषों में अन्य विशेषान्तरों का सङ्गाव भी संभवित होता है। सुमत् भेद और अभेद की

प्रधानता में एकार्थ समवायी—एक धर्म में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले—विशेषान्वयों से विपश्चित विशेष की सिद्धि होनाही है। इसलिये व्याकृति बुद्धि से विशिष्टता की सिद्धि समीचीन है। जिस प्रकार अन्वय बुद्धि से समानता की सिद्धि निर्देश प्रकट की गई है। इसीलिये यदि समस्तभद्राचार्य ने “वाक्य विशेष और सामान्य से विशिष्ट द्रव्य पर्याय अथवा द्रव्य, गुण और करुण्य भेदों की विधि और व्यक्त्वेद इन दोनों का विधायक होता है” ऐसा कहा है। क्योंकि इसी रूप से वाक्य प्रतीति का विषय होता है। निष्कर्षार्थ इसका यही है—वाक्य सामान्य और विशेष से विशिष्ट द्रव्य एवं पर्याय इन दोनों की विधि और व्यक्त्वेद दोनों का विधायक होता है। ऐसा नहीं है कि वाक्य केवल विधि का ही विधायक होता हो, व्यक्त्वेद का नहीं—व्यक्त्वेद का ही विधायक हो, विधि का नहीं। क्योंकि इस एकान्त की सम्यक्ता में जब वाक्य सामान्य विशेषात्मक स्वार्थ की विधि का ही विधायक होगा तो उसमें इतर पदार्थ की व्याकृति न होने से “चेद्वितो दधि सत्तेत् किमुष्टं नामिभासति” ऐसा भी होवाने का प्रसंग आयेगा। अतः उक्तचित्त वाक्य से निश्चित अर्थ का बोध नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार यदि वाक्य सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के प्रतिषेध का ही विधायक माना जावेगा तो फिर जो “घटमानय” इस वाक्य के उच्चारण से व्यञ्जनन क्रिया होती है वह नहीं हो सकेगी। परन्तु होती है। अतः यह मानना चाहिये कि वाक्य सामान्य विशेषात्मक पदार्थ की विधि और

प्रतिषेध इन दोनों का विधायक होता है । जैसे—“घटलाओ” यह वाक्य प्रधानतया घट के लाने का जैसे विधान करता है उसी प्रकार गौणरूप से अघट न लाने का निषेध भी करता है । इसी प्रकार “घट मत लाओ” यह वाक्य जिस प्रकार प्रधानरूप से घट नहीं लाने का प्रतिषेध करता है उसी प्रकार अघट के लाने का गौण रूप से विधान भी करता है । यदि उच्चरित वाक्य प्रधानरूप से अपने अर्थ की विधि का विधायक होता हुआ गौणरूप से इतर व्यावृत्ति का बोधक न हो तो विवक्षित अर्थ में इतर व्यावृत्ति का बोध कराने वाले अन्य वाक्यान्तर्गों का प्रयोग करना पड़ेगा । इस तरह अनवस्था के सद्भाव में उच्चरित वाक्य से प्रवृत्त अर्थ का बोध ही नहीं हो सकेगा । अतः यह मानना ही चाहिये कि वाक्य जो प्रधान भाव से विधि का विधायक होता है वह गौण रूप से प्रतिषेध का और जो प्रधानभाव से प्रतिषेध का विधायक होता है वह गौण रूप से विधि का विधायक होता है । यदर्थ में सामान्य धर्म अमेदबुद्धि से एवं विशेषधर्म व्यावृत्ति-बुद्धि से ज्ञात होता है । अतः पदार्थ न तो सामान्यात्मक ही है और न केवल विशेषात्मक ही है । किन्तु सामान्य विशेषात्मक है । यही इस कारिका का मुकुलितार्थ है ।

सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं,

सर्वान्तशून्यं च मिथोऽनपेक्षम् ।

सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तीर्थमिदं तवेव ॥ ६२ ॥

अन्वय—“हे नाथ !” तवेव इदं तीर्थं सर्वान्तवत्, तद्गुणमुत्सुकत्वं मिथोऽनपेक्षं च सर्वान्तशून्यम् (अतः इदमेव) सर्वापदां अन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं अस्ति ।

अर्थ—हे नाथ ! आपका ही वह तीर्थ—प्रवचनरूप शासन—सामान्य, विशेष, द्रव्य, पर्याय, नित्य, अनित्य, विधि, निषेध आदि अनेक धर्मों से युक्त है । इन समस्त धर्मों की व्यवस्था उसमें गुण और मुख्य की विवक्षा से करने में आई है (इसलिये यही मुख्यवस्थित है) । जो शासन—वाक्य धर्मों की परस्पर अपेक्षा से रहित है वह समस्त धर्मों से शून्य है (इसलिये वह मुख्यवस्थित नहीं है) । इसीलिये (आपका शासन) समस्त अपारिचयों का नाशक, निरन्त—किसी भी मिथ्यादर्शन से खंडित न हो सके ऐसा—एवं समस्त प्राणियों के अभ्युदय का कारण है ।

भावार्थ—इस कारिका द्वारा सूत्रकार इस विषय की पुष्टि कर रहे हैं कि जिस प्रकार वाक्य सामान्य एवं विशेष इन दोनों धर्मों से युक्त द्रव्य एवं पर्यायरूप भेदों की विधि और व्यवच्छेद दोनों का विधायक होता है । क्योंकि ऐसी ही प्रतीति होती है कि द्रव्य और पर्याय ये दोनों ही विधि—अस्तिरूप एवं व्यवच्छेद—नास्तिरूप धर्मों से युक्त हैं और इसी प्रतीति के बल पर विधि और व्यवच्छेदात्मक सामान्य विशेषस्वरूप पदार्थ—भेद-

द्रव्य एवं पर्याय-वाक्य का विषय होता है । उसी प्रकार परमा-
गमलक्ष्य रूप वाक्य भी स्वयं सामान्य विशेष धर्म विशिष्ट होने
से विभिन्न और व्यवच्छेद धर्मवाला है-सादात्मक है । कारिका में
“सर्वान्त” शब्द से विशेष सामान्यात्मक द्रव्य और पर्यायों के
मुख्यतया अस्ति एवं नास्ति रूप धर्मों का ग्रहण हुआ है ।
क्योंकि संक्षेप से इन्हीं धर्मों द्वारा अन्य अनन्त धर्मों का संग्रह
हो जाता है । परमागम लक्ष्य रूप वाक्य में स्वद्रव्यादि चतुष्टय
की अपेक्षा से विधिधर्मता एवं परद्रव्यादिचतुष्टय की अपेक्षा से
व्यवच्छेद-नास्तिधर्मता आती है । परस्परापेक्ष धर्मों का जो
निराकांच-अन्य पदान्तर की अपेक्षा विना का-समूह है उसका
नाम वाक्य है । वाक्य दो प्रकार का है-१. अन्तर्वाक्य,
२. बहिर्वाक्य । परस्परापेक्ष पदों का जो निराकांच समुदाय है
वह बहिर्वाक्य है । पूर्व पूर्व पद ज्ञान से स्थापित संस्कार विशिष्ट
आत्मा को जो अन्तिम पद के ज्ञान से समुदायार्थ का प्रतिभास
होता है वह अन्तर्वाक्य है । “अपने स्वरूप का आदान एवं पर
के स्वरूप का अपोहन होना यही तो वस्तु की वस्तुता है ।” इस
नियम के अनुसार द्विविध प्रकार का वाक्य स्वरूप से ही अस्तित्व
युक्त है पर रूप से तत्स्वरूप नहीं है । पररूप की अपेक्षा
अस्तित्व मानने में वाक्य में सर्वात्मकता की आपत्ति आती है ।
स्वरूप से नास्तित्व मानने पर सर्वाभाव का प्रसंग प्राप्त होता है ।
अतः स्वरूपतः वाक्य में अस्तित्व और पररूपतः नास्तित्व माना
गया है । वाक्य के स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ये

स्वरूप है। परद्रव्य, परस्त्र आदि पर रूप हैं। वाक्य बनता है पदों के समुदाय से। पद बनता है परस्परापेक्ष शब्दों के समुदाय से। जब शब्द का स्वद्रव्य तद्योग्य पुद्गल द्रव्य है तो इससे तो यह बात अर्थात् उत्पन्न होती है कि शब्दात्मक वाक्य भी पुद्गल की पर्याय है। इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि बहिर्वाक्य ही पौद्गलिक है अन्तर्वाक्य नहीं। वह तो ज्ञान स्वरूप माना गया है। शब्द योग्य पुद्गलद्रव्य की विवक्षा से शब्द द्रव्य है और श्रवण जन्य ज्ञान के द्वारा वाह्य शब्द रूप पर्याय की विवक्षा से बही पर्याय माना जाता है। इसलिये शब्दात्मक वाक्य में द्रव्य और पर्याय रूपता मानी गई है। वाक्य में सामान्य विशेषात्मकता शब्द रूप द्रव्यों के और शब्द रूप पर्यायों के नाना रूप होने से सिद्ध होती है। इस कारिका में मुख्यतया टीकाकार ने शब्द की पौद्गलिक सिद्ध किया है। इस विषय की उन्होंने पूर्वोक्त पक्ष के रूप में काफी चर्चा है। साथ में प्राप्य-कारित्व एवं अप्राप्यकारित्व का भी दिङ्मात्र परिचय दिया है। चक्षुरादि द्रव्य इन्द्रियां सब ही पौद्गलिक हैं। अतः जी आंश को पार्थिव, रसना को जलीय, स्पर्शन को वायु का कार्य, चक्षु को तैजस एवं श्रोत्र को नाभस मानते हैं, उनका पक्ष खंडित किया है। शब्द का उपादान कारण भाषा वर्गेश्वरूप पुद्गल है। वायु या आकाश नहीं। इस विषय की भी खूब चर्चा है। साधारण जनता को इनमें रस नहीं आने की वजह से उन्हें यहां नहीं लिखा है।

“तद्गुणमुख्यं कल्पं” इस पद से सूत्रकार ने यह अभिप्राय प्रदर्शित किया है कि कोई यदि इस प्रकार की शक्का करे कि जब द्रव्य पर्यायात्मक एवं सामान्य विशेषात्मक वाक्य है तो इन समस्त धर्मों का उसमें युगपत् व्यवहार होने का प्रसंग प्राप्त होगा, तो इस पर सूत्रकार कहते हैं कि यह बात नहीं है। कारण कि जब एक धर्म मुख्य होता है तब दूसरा धर्म गौण हो जाता है। जब द्रव्य की मुख्यता से वाक्य की विवक्षा होगी तो पर्याय की वहां गौणता हो जावेगी। और जब पर्याय की वहां मुख्यता होगी तो द्रव्य की गौणता हो जावेगी। इस अपेक्षा से पर्याय रूपता और द्रव्य रूपता वाक्य में सुव्यवस्थित होती है। वाक्य में सामान्य विशेषरूपता की भी इसी विवक्षा से सुव्यवस्था घटित हो जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था मानने में कोई भी वाचक प्रमाण संभव नहीं होता है। न तो संकर दोष आता है और न व्यतिकर दोष ही। समस्त धर्म वहां निर्दोषरूप से सुव्यवस्थित रहते हैं। ये सब धर्म वहां सापेक्ष हैं—अतः विरोधादि दोषों को भी यहां अवकाश नहीं मिलता है।

“सर्वान्तशून्यं च मिथोऽनपेक्षं” इस पद से सूत्रकार ने यह अभिप्राय पृष्ट किया है कि जिस वाक्य में परस्पर निरपेक्ष होकर समस्त धर्म रहते हैं वह वाक्य सुनिश्चितासंभवद्वाचक प्रमाण रहित होने के कारण सुव्यवस्थित नहीं माना जा सकता है। अर्थात् वह शासन वाक्य ही नहीं है जिसमें सर्वान्त परस्पर निरपेक्ष होकर रहते हैं। विधि नास्तित्व निरपेक्ष एवं नास्तित्व-

धर्म विधि निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। जो धर्म किसी अपेक्षा से विधीयमान होता है वही अन्य दूसरी अपेक्षा से निषेध्यमान हो जाता है। जो कथंचित् निषेध्यमान होता है—वही किसी दूसरी अपेक्षा से विधीयमान हो जाता है। यदि निषेध निरपेक्ष विधि स्वीकार की जावे तो सर्वात्मकता का दुर्निवार प्रसंग होता है। इस प्रकार वाक्य में क्षमान्य विशेष एवं द्रव्य और पथीय ये भी मिथोऽनपेक्ष नहीं है। समस्त धर्मों का अस्तित्व परमागमलक्षण रूप वाक्य में विवक्षावश ही घटिता किया गया है। अतः मिथोऽनपेक्ष वाक्य सर्वान्तशून्य है यह सिद्ध हो जाता है। परस्पर निरपेक्ष धर्मों की किसी भी रूप से व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। व्यवस्था बनने का कारण उनमें परस्पर की अपेक्षा है। अतः—जो धर्मकीर्ति (बौद्धाचार्य) ने कहा है कि—

“भावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपं नास्ति तत्त्वतः।

यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां न विद्यते ॥”

पदार्थों का जिस एक अनेक रूप से निरपेक्ष अवस्था में निरूपण किया जाता है उनका वह रूप वास्तविक है ही नहीं। तो वह हम स्यादादियों को इष्ट ही है। इसलिये—

“तदेतत्तु समायातं यद्ददन्ति विपरिचितः।

यथा यथार्थारिचिन्त्यन्ते विशीर्ष्यन्ते तथा तथा ॥”

यह बात समझ आकर उपस्थित होती है कि जिस २ रूप से पदार्थों का विचार किया जाता है वे उस २ रूप से विशीर्षा-दशा को प्राप्त होते चले जाते हैं। इसलिये परस्परापेक्ष होकर

हो पदार्थ व्यस्तथा किमी न किसी रूप से व्यस्तस्थित हो सकती है । अन्यथा वहीं हम कारण से “सर्वापदामन्तकरं तवैव परमममल्लयथा तीर्थम्” हे नाथ ! आपका ही परमाणमल्लयथा तीर्थ-जिसके द्वारा संसार रूपी यद्वा समुद्र पार किया जाता है ऐसा शासन-सकल आपत्तियों का अन्त करनेवाला है । क्योंकि इससे ही सकल मिथ्यादर्शनों आदि दुर्नयों का विनाश होता है । शारीरिक मानसिक आदि विविध दुःखरूप आपत्तियों का एक कारण दुर्नय हैं । जब हे नाथ ! आपके शासन से दुर्नयों का विनाश हो जाता है तो कारण के विनाश से शारीरिक मानसिक विविध दुःखरूप आपत्तियों का विनाश उससे युक्तियुक्त बैठ जाता है । जितनी भी आपत्तियां हैं उन सबका मूलकारण एक मिथ्यादर्शन है । जब आपका शासन सर्वमिथ्यादर्शनों का विनाश करनेवाला है तो इसी से उसमें सर्व आपत्तियों की अन्तकरता भी प्रथित हो जाती है । इसी तत्त्व को कंटोका करने के लिये “निरन्तं” यह पद सूत्रकार ने सूत्र में निहित किया है । इस पद द्वारा वे यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव का यह शासन किसी भी एकान्तदर्शन रूप मिथ्यादर्शन के द्वारा अन्य नहीं है-अजेय है । सर्वोदय स्वरूपता शासन में प्रकट करने के लिये “सर्वोदयं” यह पद कारिका में निहित हुआ है । जितने भी अभ्युदय हैं उनका कारण सभ्यदर्शन सभ्यज्ञान और सभ्यक् पारिवर्त और उनके मेद हैं । इनका और इनके मेदों का भी कारण पारिवर्त शासन है । अतः हेतु का हेतु होने से शासन में

सर्वोदयका प्रकट की गई है । अतः जो भी कसखी इसका आशय करेंगे उसे निर्वर्जित चित्र शक्ति से पूर्णतया अभिनायके-वे अभ्युदय के पात्र होंगे-अपना विकास करने में समर्थ होंगे । इसलिये भावत्प्रवचन में सर्वोदय के प्रति कारखता कथित करने में आई है ।

शब्द वैद्वलिक है एवं चक्षु और मन आश्रयकारी है । यह विषय अच्छी तरह से प्रथम कारिका की टीका में अन्य ग्रन्थों के उद्धरण सहित प्रकट किया जा चुका है ।

कामं द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षुः

समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम् ।

त्वयि ध्रुवं खंडितमानशृंगो,

भवन्त्यभद्रोऽपि समंतभद्रः ॥६३॥

अन्वय—हे नाथ ! त्वयि कामं द्विषन् अपि समदृष्टिः उपपत्तिचक्षुः ते इष्टि समीक्षतां (सः) ध्रुवं खंडितमानशृंगो भवति । कामद्वौऽपि समंतभद्रः भवति ।

अर्थ—हे नाथ ! आपके अनेकान्त शासन से इच्छानुसार रूप रखने वाला एकान्तवादी भी यदि सप्रयत्नशक्ति होकर भुक्ति-युक्त दृष्टि से उसका निरीक्षण करता है तो वह नियम से अपने मान रूपी शृंग से-एकान्त के दुरमिनिवेश से-व्युत्त हो जाता है तथा अभद्र भी समंतभद्र-सम्यग्दृष्टि ही जाता है ।

भावार्थ—इस कारिका द्वारा सत्रकाम ने उन एकान्तवादियों

की मान्यता का समाधान किया है जो यह कहते हैं कि नैरात्म्यवादी का ही तीर्थ सर्वोदय स्वरूप एवं सर्वापदाओं का अन्त करनेवाला है—उनका कहना है कि—जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक जन्म प्रबन्ध—जन्म परंपरा का अन्त नहीं आता है। आत्म दृष्टि भले हो जाय, इससे होता क्या है। हृदय से अहंकार थोड़े ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अहंकार को नष्ट करने वाला यदि कोई सिद्धान्त है तो वह एक नैरात्म्यवाद ही है। यही जगत में उत्तम से उत्तम शास्ता है। इसके सिवाय अहंकार को उपशमाने की विधि का अन्यमार्ग नहीं है। इस पर परमात्मवादी ऐसा कहता है कि नहीं वेदान्तवादियों का ही तीर्थ सर्वोदय स्वरूप है। नैरात्म्यवादी आदिकों का नहीं। क्योंकि वह तो संशय का हेतु है—सो ही कहा है—जिसके होने पर ही यह वह तेज का पुंज स्वयं भगवान् अंशुमाली (सूर्य भी) कि जो समस्त लोकों को प्रकाशित करता है एवं जिसकी महिमा भी अपरंपार है प्रकाशित हो रहा है। यदि वह नहीं होता तो यह प्रकाशित नहीं हो सकता। इसमें जो भी तेजः पुंज आया है वह उस प्रकाशमय परम पुरुष से ही आया है। ऐसे बोधमय प्रकाश से विशद और मोह रूपी अंध-

(१) साहंकारे मनसि न शान्ति र्भवति जन्मप्रबन्धो,

नाहंकारश्चलति हृदयादात्महृष्टौ च सत्याम् ।

अन्यःशास्ता जगति च यतो नास्ति नैरात्म्यवादा-

आन्यस्वस्मादुपशमविधेःस्वन्मतावस्ति धर्मः ॥ १ ॥

कार के विध्वंसक अंतर्पामी पुरुष में जो प्रतिहत होकर संदिग्ध बने हुए है वे नष्ट हैं। इसी प्रकार और भी ईश्वरवादी ईश्वर को ही सर्वोदय स्वरूप तीर्थ मानते हैं। इस प्रकार वे सब प्रसिद्धि-इन्द्री स्याद्वादियों द्वारा सम्मत तीर्थ के प्रति अनेक प्रकार से मनमुटाव रखते हैं। अतः स्रग्वकार कहते हैं कि हे नाथ ! आपके द्वारा प्रतिपादित तीर्थ के प्रति इन वादियों के हृदय में इस तरह अनेक प्रकार से मनमुटाव हो रहा आवे। इसकी चिंता नहीं है। कारण कि इसमें इन विचारों का अपराध नहीं है। अपराधी तो इनका वह दुरागम ही है कि जिसने इन्हीं के अन्तःकरण में आपके स्याद्वादसिद्धान्त से मनमुटाव होने की भावना भरी है—जिस दुरागम की वासना से इनका अन्तःकरण बशीकृत हुआ है। महाराज ! दर्शन मोहनीय कर्म का उदय ही कुछ ऐसा अनोखा है—कि जिसकी बजह से प्राची अनिष्ट को भी इष्ट स्वरूप मान लेता है। परन्तु, हमारा उनके प्रति इतना साग्रह अनुरोध अवश्य है कि वे कम से कम स्याद्वाद रूपी अमृत के समुद्र आपके “अन्तर्बहिस्तत्त्व सब ही अनेकात्मक हैं” इस प्रतिपादित सिद्धान्त—इष्टतत्त्वस्वरूपतीर्थ—का पक्षपात का चश्मा उतार कर वास्तविक दृष्टि से एक बार तो निरीक्षण या परीक्षण कर लें। “उपपत्तिचक्षुः” इस पद से स्रग्वकार का यही अभिप्राय है कि जब तक मात्सर्य का परित्याग नहीं होता है, तब तक युक्तियुक्त दृष्टि प्राप्त नहीं होती है—और न कोई समाधान का मार्ग ही हाथ आता है। मात्सर्य से दूषित दृष्टिवाला तत्त्व की

समीक्षा करने का अधिकारी नहीं माना गया है । अतः प्रभो ! यह हम “ध्रुव” हँके की चीट कहते हैं कि उपपत्तिचक्षु एवं समदृष्टि विशिष्ट होकर जो भी कोई प्रतिवादी आपके इष्टतत्त्व का निरीक्षण परीक्षण करेगा वह सर्वथा एकान्त के अभिनिवेश रूप मान का परित्याग कर आपके ऊपर अनुरक्त हो ही जायगा । मान की शृंग रूप से उपमित सूत्रकार ने हमलिये किया है कि यह मान जिसमें रहता है उसे विवेक शून्य बना देता है । विवेक शून्यता आने से जीव पशु जैसा हो जाता है । अनंत सांसारिक दुःख यहां अमद्र शब्द के वाच्य होना चाहिये है । परन्तु इन अनन्त सांसारिक दुःखों का कारण होने से मिथ्या-दर्शन एवं मिथ्यादर्शन के सम्बन्ध से मिथ्यादृष्टि आत्मा अमद्र कहा गया है । वह मिथ्यादृष्टि समदृष्टि होकर उपपत्तिचक्षु से अन्वलीकन-परीक्षण-करता हुआ आपके ही इष्ट तत्त्व का श्रद्धान करता है । क्योंकि सर्वथा एकान्तवादी द्वारा अभिमततत्त्व उपपत्ति-युक्त-से शून्य है । अतः उसके समदर्शन में जो भी उपपत्तियां वहां निवेशित होंगी वे सब मिथ्यात्त्व स्वरूप होंगी-इसीलिये उनसे उस एकान्तवादी का अभिमान शृंग विनष्ट हो जायगा । तथा-तुम्हारे इष्ट तत्त्व का श्रद्धान करता हुआ वही प्राणी सम्यग्दृष्टि हो जावेगा । अतः उसके समन्तात्-सब प्रकार से अथवा सब ओर से अनंत सुख के कारण भूत सम्यग्दर्शन का प्रादुर्भाव होने से वही अमद्र समन्तमद्र हो जाता है । दर्शन मोहनीय के विगम होने पर तत्त्व परीक्षण सम्य-

दर्शन का कारण होता है। यहां पर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि दर्शन मोहनीय के विषय होने पर तत्त्व की परीक्षा मध्यमदर्शन की हेतु कैसे होती है। क्योंकि किसी र के कदाचित् किसी अपेक्षा से परीक्ष्य पदार्थ विषयक ज्ञानावस्थायी एवं वीर्यान्वयाय कर्म के विशिष्ट क्षयोपशम से कर्तव्य की परीक्षा करना घटित होता है। जब तत्त्वों की परीक्षा हो चुकती है तब वह परीक्षित तत्त्व का परीक्षा करने वाले के लिये अज्ञान के व्यवच्छेद से निश्चय करा देती है। जब तत्त्व विषयक निश्चय परीक्षक के हृदय में लुपटित हो जाता है तब वह दर्शन मोहनीय के उपशम, क्षय एवं क्षयोपशम के सञ्जाव में तत्त्व विषयक अज्ञान को प्रादुर्भूत कर देता है। इस कारण उपपत्ति रूप चक्षु से—मात्मत्व के त्वाम पूर्वक युक्तिगुण ममात्मान की भावना से—समीक्षा को करता हुआ मध्यमदृष्टि सभ्रंतमद्ग हो जाता है। परीक्षा में उपपत्ति के बल से नैरात्म्य ही उपशम विधिकारण मार्ग है यह व्यवस्थित नहीं होता है।

शंका—नैरात्म्य ही उपशम विधिकारण मार्ग है—यह बल इस प्रकार से मिद्ध होती है—जन्म प्रबन्ध का कारण अहंकार है। क्यों कि अहंकार के होने पर ही जन्म प्रबन्ध का सञ्जाव पाया जाता है। इसके अभाव में जन्म प्रबन्ध का भी अभाव हो जाता है। इस अहंकार का कारण आत्मदृष्टि—आत्मदर्शन है। इस आत्मदर्शन की विरोधिनी नैरात्म्यभावना है। इस भावना से ही वह आत्मदृष्टि शमित होती है। जब आत्मदृष्टि

शमित हो जाती है तब अहंकार भी चित्त से समूलतल उपशमित हो जाता है। जहां अहंकार का शमन हुआ कि देहियों-प्राणियों-के जन्म प्रबन्ध का भी शमन निश्चित हुआ समझना चाहिये। अतः इस उपपत्ति के बल से यही बात स्पष्ट होती है कि नैरन्त्य भावना ही उपशम विधि का एक मन्त्र मार्ग है।

उत्तर—यह कहना ठीक नहीं है। कारण कि आत्मदृष्टि-आत्मदर्शन ही जन्म प्रबन्ध की उपशमन विधि का मार्ग है। जिस अहंकार को आप जन्म प्रबन्ध का कारण बता रहे हो वह कौनसा अहंकार है—क्या जिसका हेतु मोह है उस अहंकार को जन्म प्रबन्ध का हेतु आप कहते हो, या जिसका हेतु अहंतामात्र है अहंपनामात्र है—उस अहंकार को जन्म प्रबन्ध का हेतु कहते हो ? प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर अहंकार की उत्पत्ति में आत्मदृष्टि कारण नहीं पडती है। जैसा कि आपने अपने पूर्व पक्ष में कहा है। उमकी उत्पत्ति का कारण तो मोह का उदय होता है। इस मोह के उदय में ही आत्मदृष्टि अहंकार की हेतु होती है इसमें कुछ भी अयुक्त नहीं है। द्वितीय पक्ष कि जिसमें अहंकार का हेतु अहंतामात्र है युक्तिविरुद्ध है। कारण कि संसार का कारण अहंतामात्र नहीं हो सकता है। अन्यथा दुर्गोंके भी संसार के सञ्जाव का प्रसंग मानना पड़ेगा। अविद्या तृष्णा समन्वित अहंता ही संसार का कारण होती है। इनसे शून्य अहंता नहीं। “अहं” इत्याकारक विकल्प अहंता नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का विकल्प सकल विकल्पों से शून्य

बोवियों को नहीं होता है। “अहमस्य स्वामी” में इसका स्वामी हैं इस प्रकार का ममेदं भाव भी अहंता मात्र नहीं है। क्योंकि इस ममेदं भाव का कारण मोह का उदय है। जिसके मोहचीन हो चुका है ऐसे योगी में इस ममेदं भाव की समावना ही नहीं है। अतः अविद्या तृष्णा शून्य आत्मदृष्टि ही अहंता है। और वही जन्म प्रबन्ध के उपशम की हेतु है ऐसा मानना चाहिये। नैरात्म्य भावना नहीं। यदि इस पर फिर भी यों कहा जाय कि आत्मदृष्टि स्वयं अविद्या स्वरूप है। अविद्या तृष्णा की हेतु होती है। अतः आत्मदृष्टि में अविद्या तृष्णा शून्यता घटित नहीं होती—सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। कारण कि चित्तवृत्त की दृष्टि की तरह आत्मदृष्टि अविद्या स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार प्रतिबन्ध चित्त का दर्शन बौद्ध सिद्धान्त में विद्या स्वरूप माना गया है क्योंकि इसके बिना बुद्धि का संश्रय नहीं बन सकता है उसी प्रकार अनादि अनंत आत्मा की दृष्टि भी विद्या है। अनादि अनंत आत्मा के अभाव में अहंता—में वही हैं—इस अहंता प्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। चित्त संतान अहंता प्रत्यभिज्ञान का हेतु नहीं हो सकता है। क्योंकि बौद्ध सिद्धान्त में संतान को अवस्तु रूप माना गया है। यदि संतान वस्तु स्वरूप कल्पित किया जाय तो वही आत्मा सिद्ध हो जाता है। इसलिये नैरात्म्य भावना के लिये कोई स्थान ही नहीं मिल सकता। अतः कथंचित् अस्तित्व कथंचित् अस्तित्व आत्मा का दर्शन ही मोहोदय निमित्तक अहंकार के अभाव करने का

बोह होता है। नैऋत्यभावना नहीं। पुरुषार्थ-वेदान्तदर्शन की मान्यता में भी संशय, शोक एवं उनके कारणों का सङ्काव ही सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होने से ब्रह्म और संसार मोक्ष आदि दो वस्तुएं अलग २ सिद्ध हो जाती है। इससे अर्द्धत की सिद्धि न द्वैत की सिद्धि का प्रसंग आता है। अतः इसकी प्रशंसा में जो पूर्व अवतरण के समय "यो लोकात्" इत्यादि श्लोक कहे गए हैं वह ठीक नहीं बैठ सकता है। अतः जन्म प्रवन्ध की उपसृष्टविधि का मार्ग प्रसा-द्वैत तत्त्व की मान्यता भी नहीं है। इसी तरह ईश्वर की कल्पना भी ऐसी ही समझना चाहिये। अतः आत्मदर्शन ही जन्म प्रवन्ध के शमन का सुन्दर से सुन्दर निर्दोष हस्ताज है। ऐसा ही मानना चाहिये।

(शिखरिणी छन्द)

न रागात्रःस्तोत्रं भवति भवपाशच्छिदिमुनौ,
न चान्येषु द्वेषादपगुणकथाभ्यामखलता ।
किमु न्यायाऽन्यायप्रकृतगुणदोषज्ञमनसां,
हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासंगमदितः ॥६४॥

प्रत्यय—नः (इदं) स्तोत्रं भव-पाशच्छिदि भवति मुनौ रामात् न "प्रवृत्त" अन्येषु च द्वेषाद् न (प्रवृत्तं) (यतो द्वेषात्) अपगुणकथाभ्यामखलता । किमु-न्यायान्यायप्रकृतगुणदोषज्ञमनसां हितान्वेषोपायः तव गुणकथासंगमदितः ।

वार्थ—हे नाथ ! इसका यह स्तोत्र भवपाश के छेदक अथवा (शक्ति) मुक्ति के यही समभाव को आश्रित कर प्रकृत नहीं

हुआ है। और न इस स्तोत्र की उत्पत्ति में अन्य एकान्तवादियों के प्रति द्वेषभाव ही कारण है। क्योंकि द्वेष के वश दूसरों के दोषों के कहने का अभ्यास खलता-दुर्जनता मानी जाती है। तब इस स्तोत्र की उत्पत्ति का बीज ? बीज यही है कि जिनका मन न्याय और अन्याय को जानने के लिये उत्कंठित है एवं प्रकृत पदार्थों के गुण और दोषों को जानने के लिये जिनके अन्तःकरण में धगस-जिज्ञासावृत्ति-जगी हुई है उनके निर्मित यह हिताहित के अन्वेषण का उपाय आपकी गुणगणकथा के साथ कहा गया है।

भावार्थ—शंकाकार की इस शंका का इस कारिका द्वारा सूत्रकार ने समाधान किया है जो वह यह कहता है कि आपने जो प्रभु वर्द्धमान स्वामी की यह गुणस्तुति की है वह उनमें रागभाव की जागृति से ही तो की है। एवं अन्य तीर्थिकों में जो इस स्तुति के साथ २ दोषोद्घावन किया है वह उनमें द्वेष के वशवर्ती होकर किया गया है। सो यह पक्षपात उपपत्ति चञ्चु वालों के लिये उचित नहीं है। इससे परमार्थ स्तुति नहीं सघती है। इस पर सूत्रकार स्वामी समतभद्राचार्य कहते हैं कि ऐसा विचार मत करना—कारण कि प्रभु वर्द्धमान स्वामी की स्तुति स्वरूप जो यह स्तोत्र कहा गया है उसका प्रधान उद्देश्य यही है कि जो न्याय और अन्याय के स्वरूप को जानने की भावना वाले हैं एवं प्रकृत पदार्थों का अन्य सिद्धान्तकारों द्वारा एवं जैन सिद्धान्तकारों द्वारा मान्य तत्त्वों का—प्रतिपादन यथार्थ है या

अयथार्थ है इस विषय को जानने की जिनकी जिज्ञासा है उनके लिये यह हित प्राप्ति और अहित के परिहार स्वरूप उपाय प्रभु की गुणगणकथनी के साथ २ कहा गया है । इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है । द्वेष के वश होकर दूसरों के दुर्गुणों का प्रदर्शन करना यह खलता है । यह हमारे हृदय में नहीं है । वीर प्रभु भवपाश के छेदक हैं । हम भी इस पाश को छेदने के अर्था हैं । इसलिये इस प्रयोजन से भी इस स्तोत्र की रचना की । इस प्रकार इस युक्त्यनुशासन रूप स्तोत्र में श्रद्धा और गुणज्ञता ये दो बातें ही प्रयोजक हैं ।

अब सूत्रकार इस स्तोत्र की समाप्ति करते हुए प्रभु वीर से स्तोत्र के फल की प्रार्थना करते हैं—

(विश्वरिणी छन्द)

इतिस्तुत्यःस्तुत्यैस्त्रिदशमुनिमुख्यैःप्रणिहितैः,
स्तुतःशक्त्याश्रेयः पदमधिगतस्त्वं जिन ! मया ।
महावीरो वीरो दुरितपरसेनाभिविजये,
विधेया मे भक्तिः पथिभवत एवाप्रतिनिधौ ॥६५॥

अन्वय—हे जिन ! दुरितपरसेनाभिविजये वीरः, श्रेयःपदमधिकृतः (अतएव) महावीरः, स्तुत्यैः त्रिदशमुनिमुख्यैः प्रणिहितैः स्तुत्यः त्वं मया स्तुतः । (अतः) अप्रतिनिधौ भवतः एवर्पाथ मे भक्तिः विधेया ॥

अर्थ—हे वीर जिन ! आप कर्मरूपी परसेना को सब तरह से जीतने में पूर्णशक्ति शाली हैं । मुक्ति पदको अपने आधीन करने से

महावीर-वीरों में भी वीर हैं। और स्तुत्य इन्द्रादि देवों एवं मुनीन्द्र-गणधरादि देवों द्वारा एकाग्रचित्त से आप स्तुत्य हैं। इसीलिये हे नाथ ! आपकी मैंने अपनी शक्ति के अनुसार स्तुति की है। अतः आप अपने इस अप्रतिनिधिरूप मार्ग-शासन-में ही मेरी भक्ति को विशेष रूप से चरितार्थ करो।

भावार्थ—इस अन्ययोग व्यवच्छेद रूप स्तोत्र की समाप्ति करते हुए सूत्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य अन्त में इस स्तुति के फल की कामना प्रभु से स्पष्ट रूप में प्रकट कर रहे हैं—इसमें वे, मैंने-शुभ्र जैसे परीक्षा प्रधानी व्यक्ति ने—आपकी स्तुति क्यों की इसका कारण निर्देश करते हुए आपकी इस स्तुति का मुझे क्या फल—आपकी ओर से पुरस्कार—मिलना चाहिये इस याचना को भी स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर चुके हैं। सर्व प्रथम “मैंने आपकी स्तुति क्यों की” इस विषय का समाधान वे कारिकागत ३ पदों से कहते हैं—हे नाथ ! आपने मोहादिक कर्मरुषी सेना पर अपनी विजय का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया है—इसलिये जगत में आप वीर्यातिशय सम्पन्न होने से वीर इस नाम से प्रथित हुए हैं—मोहादि परसेना का पूर्ण विजय बिना वीर के और किसी भी साधारण-वीर्यातिशय शून्य अवीर-रध्यापुरुष में संभवित नहीं होता है। अतः “वीर” इस अनुपमख्याति का हेतु “दुरितपर सेनामिविजय” है। आप असाधारण वीर ही हो—वीर्यातिशय सम्पन्न ही हो—सो भी बात नहीं है किन्तु हे प्रभो ! आप तो वीरों के भी वीर हैं—

महावीर-हैं। इसमें हेतु एक यही है कि आपने मुक्तिरूपीपद-स्थान को अपने कब्जे में कर लिया है। स्तुति करने का तीसरा कारण एक यह है कि आपकी स्तुति देवेन्द्रों एवं मुनीन्द्रों ने भी एकाग्रचित्त होकर की है। पूर्वोक्त दो कारणों को स्वयं सूत्रकार ने “त्वं शुद्धिशक्योरुदयस्य काष्ठां तुला व्यतीतां जिन ! शान्तिरूपम् । अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीय-त्प्रतिवक्त्रुमीशः” इस इसी ग्रन्थ की चतुर्थ कारिका में विशेष स्पष्ट कर दिया है। जो वीर एवं महावीर होगा वह अन्यों से स्तुति किये देवेन्द्रों एवं मुनीन्द्रों द्वारा स्तुत्य होगा ही। इसी विषय को प्रकट करने के लिये कारिका में “स्तुत्यैस्त्रिदशमुनि-मुख्यैः प्रसिहितैः” इन पदों को स्थान मिला है। इस तरह वीर में वीर्यातिशयरूप-अनन्तवीर्यत्वरूप-वीरत्व सिद्ध करने में “दुरित परसेनाभिविजय” यह, सकलवीराधिपतित्व रूप महावीरत्व सिद्ध करने में “श्रेयः पदमधिगतत्व” वह एवं स्तुत्यैस्त्रिदशमुनि-मुख्यैः स्तुत्य में “महावीरत्व” यह ये सब हेतुरूप से कथित हुए जानना चाहिये। जो समंतभद्र आचार्य वीर भगवान को अपनी स्तुति के विषय बनाने वाले हैं मला उनके द्वारा स्तुत भगवान ही होंगे इसलिये उन्होंने भगवान के ही मार्ग में भक्ति की प्रार्थना की है। इस प्रकार स्तुति करने का कारण निर्दिष्ट कर वे प्रभु के सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मक मार्ग को अजोड-अनुपमित-जिसकी शानी का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है-बतला रहे हैं। कारण कि ज्ञानमात्र अथवा वैराग्यमात्र तथा

ज्ञान और वैराग्य ये दोनों परम आत्मा-मुक्ति की प्राप्ति के उपाय नहीं हो सकते हैं। जब संसार के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र हैं तो विचारने की बात है कि एकसिर्फ ज्ञान से इनकी सबकी विनिवृत्ति कैसे हो सकती है। ज्ञानमात्र से अपने प्रतिपक्षी केवल मिथ्याज्ञान की ही निवृत्ति हो सकती है। रामद्वेष आदि मिथ्या चारित्र की नहीं। क्योंकि यह देखा जाता है कि जिन्हें तत्त्वज्ञान प्राप्त भी हो चुका है उनके रागादिक दोषों का सद्भाव पाया जाता है। यदि हम पर यों कहा जाय कि जिससे मोह प्रचीण हो चुका है ऐसे तत्त्वज्ञान से रागादिक मिथ्या चारित्र की निवृत्ति हो जाती है तो यहां पर भी यही प्रश्न खड़ा होता है कि मोह का प्रक्षय किससे होता है। यदि कहे तत्त्वज्ञान के अतिशय से तो इस प्रकार की मान्यता में मोह प्रचीणता और तत्त्वज्ञान का अतिशय इन दोनों में परस्पराश्रय नाम का दूषण आता है। तत्त्वज्ञान का अतिशय भी क्या चीज है? यह भी तो कहे- यदि इसके प्रत्युत्तर में "सकल पदार्थों का जानना" यही तत्त्वज्ञान का अतिशय है ऐसा कहा जाय तो इस पर फिर भी प्रश्न होता है कि वह अतिशय भी कैसे सिद्ध होता है कहे-धर्म विशेष से; तो फिर भी शंका की निवृत्ति नहीं होती है-कारण कि धर्म विशेष की भी मिद्धि का कारण क्या है-यह भी बताओ। यदि इसके प्रत्युत्तर में समाधि को उपस्थित करो तो फिर भी यही जिज्ञासा जगती है कि वह तत्त्वज्ञान ही समाधि विशेष है या तत्त्वज्ञान से अन्य कोई

दूसरी चीज समाधि विशेष है यदि । हममें प्रथम पक्ष स्वीकृति के स्थान पर रक्खा जावे तो यह बात हमसे पुष्ट होती है कि स्थिरीभूत तत्त्वज्ञान ही समाधि है । तो फिर आप यह प्रकट और कीजिये कि यह तत्त्वज्ञानरूप समाधि क्या आगमज्ञान रूप पड़ती है या योगिज्ञान रूप । यदि आगम ज्ञान रूप समाधि मानी जावे तो फिर क्या है न्यायदर्शनवेत्ताओं को इस प्रकार की समाधि का सद्भाव सिद्ध ही होता है । क्योंकि उन्हें तो यह बात अच्छी तरह ज्ञात है कि मिथ्याज्ञान दोषों का, दोष प्रवृत्ति के, प्रवृत्ति जन्म का और जन्म दुःख का कारण है इस प्रकार दुःख, जन्म आदि का उन्हें कार्य कारण भाव विषयक आगम ज्ञान होने से वह उनमें धर्मविशेष का जनक ही जायगा और धर्म विशेष उनमें योगिज्ञान सकलपदार्थ साक्षात्कारी ज्ञान—का जनक हो जायगा—इस प्रकार बिना कुछ किये धरे उन्हें उसी भव से मुक्ति का प्रसंग प्राप्त होजाता है । यदि योगिज्ञान समाधि विशेष है इस द्वितीय पक्ष का आश्रय किया जाय तो इस पक्ष में वही परस्परश्रय दोष प्रसक्त होता है । जब योगिज्ञान रूप समाधि विशेष स्थिर होगी तो जाकर उससे धर्म विशेष होगा—और धर्म विशेष की प्रादुर्भूति योगिज्ञान रूप समाधि विशेषसिद्ध होया—इस प्रकार किसी की भी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है । यदि तत्त्वज्ञान से समाधि भिन्न वस्तु है यह पूर्व का विकल्प मान्य किया जावे—तो फिर इस कथन से सम्यक् चारित्र के अतिरिक्त और समाधि क्या चीज सिद्ध होती है । सम्यक्

चारित्र्य ही सम्बन्धि स्वरूप सिद्ध होता है। अतः इस सब कथन से यही सिद्ध होता है कि भद्रा के साथ होनेवाले तत्त्वज्ञान से ही कि जो सम्यक् चारित्र्य से सुरक्षित है संसार के कारण त्रय कामिध्या दर्शनादि दोषों का परिचय होता है। केवल एक एकतत्त्व ज्ञान से नहीं। इसी प्रकार वरुण्य मात्र से भी संसार के हेतु—मिथ्यादर्शन आदि का प्रत्यय नहीं हो सकता है। कारण कि किसी मूर्ख तपस्वी में वैराग्य होने पर भी मिथ्याज्ञान का सङ्काप पाया जाता है। यदि इस पर यों कहा जाय कि तत्त्वज्ञान ही वैराग्य है—वह मूर्ख में नहीं है। अतः उसके अभाव में मूर्ख तपस्वी के मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। वह तो तत्त्वज्ञान से ही होती है। अतः वही संसार के कारणों का प्रतिपक्ष भूत है। सो इस पर यह प्रश्न होता है कि वह तत्त्वज्ञान क्या है ? क्या रागादि दोषों से रहित ज्ञान ही तत्त्वज्ञान है। यदि कहे जां तो इससे यही निकलता है कि ज्ञान में जो रागादि दोष रहितता है वही सम्यक् चारित्र्य है। अतः तत्त्वों की भद्राके साथ होने वाला सम्यक् चारित्र्य जो तत्त्वज्ञान से सम्पन्न है संसार के कारणों का प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध होता है। सिर्फ वैराग्यमात्र नहीं। इसी प्रकार जो सिर्फ सम्बन्धदर्शन से शून्य ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की एकता को संसार के कारणों का प्रतिद्वन्द्वी मानते हैं उनकी मान्यता भी ठीक नहीं है। कारण कि तत्त्वों के अज्ञान से शून्य वे दोनों संसार कारणों के प्रतिपक्ष न स्वयं संसार के ही हेतु होते हैं। ज्ञान में तत्त्वज्ञानता एवं वैराग्य में समीचीनता


इस तत्त्व श्रद्धा विशेष से ही आती है। जो वैराग्य तत्त्व श्रद्धा से शून्य होता है—वह वैराग्य नहीं किन्तु वैराग्याभास है। अतः यह मानना चाहिये कि जब संसार के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्या-ज्ञान एवं मिथ्याचारित्र हैं—तो इनके प्रतिपक्षभूत धर्म भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र रूप तीन ही होना चाहिये। एक या दो नहीं। तभी जाकर इनकी उनसे निवृत्ति हो सकती है। यदि इस पर यों कहा जाय कि है तो एक मिथ्याज्ञान ही—परन्तु संसार का कारण वह तभी होता है कि जब वह अपने परिकर के साथ होता है। उसके परिकर विपरीताभिनिवेश और विपरीताचरण होने की शक्तियाँ हैं। तो भाई साहब ! इस कथन से भी तो यही सिद्धान्त पुष्ट होता दिखता है कि तत्त्व श्रद्धान (सम्यग्दर्शन) रूप शक्ति एवं सम्यक् आचरण रूप शक्ति से युक्त तत्त्वज्ञान ही मिथ्याज्ञान का निवर्तक होता है। जिस प्रकार तत्त्वों को विपरीत प्रकाशन करने रूप शक्ति से युक्त मिथ्याज्ञान में जो संसार का कारण है विपरीताभिनिवेश रूप होने की एवं विपरीत आचरण कराने की शक्ति स्वरूपता है और इसी वजह से उसमें मिथ्यादर्शनादित्रयात्मकता आती है—उसी प्रकार एक तत्त्वज्ञान में भी कि जो तत्त्वों को प्रकाशन करने की शक्ति रूप है तत्त्वश्रद्धानरूप शक्ति एवं सम्यक् आचरण करने रूप शक्ति से विशिष्टता है। तत्त्व श्रद्धान की शक्ति का नाम सम्यग्दर्शन और सम्यक् आचरण करने रूप शक्ति का नाम सम्यक्चारित्र है। इस अपेक्षा तत्त्वज्ञान में भी त्रयात्मकता आती

[१७७]

है । अतः यह त्रयात्मकता ही परमात्म-मुक्ति-का मार्ग है । एक तत्त्वज्ञान या सिर्फ वैराग्य या सम्यग्दर्शन निरपेक्ष वे दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं हैं । इसलिये हे नाथ ! आपका प्रदर्शित मार्ग अजोड़ है—अपनी सानी का वह आप ही है । इसलिये मेरी मक्ति उसके प्रति उचरोत्तर बढे, जिससे मैं भी उसी मार्ग का आराधना द्वारा पथिक होकर कर्मशत्रुओं की सेना को परास्त करने के लिये शक्तिशाली हो सकूँ और मुक्तिपद को पाकर सफल मनोरथ हो जाऊँ । बस हे नाथ ! यही मैं पुरस्कार आप की ओर से चाहता हूँ ।

इस प्रकार युक्त्यनुशासन का अनुवाद समाप्त हुआ ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



विद्रुर्ग के प्रति सादर निवेदन

यदि इस अनुवाद में कहीं पर त्रुटि नजर आवे—क्योंकि त्रुटि रह जाने की सम्भावना है—तो कृपाकर उसे मन्दबुद्धि-जन्य दोष समझ कर मुझे क्षमा करें और मुझे सूचित करें।

उनका बड़ा भारी उपकार मानूंगा। विशेष इस अनुवाद में प्रेरणा प्रदान करने वाले श्री प्र.का.क.अ.से. श्री महावीर के सदस्यगण श्रीमान् सेठ स्वर्गीय रामचन्द्रजी खिन्दूका एवं विद्रुर्ग पं. चैनमुखदासजी का मैं सदा आभारी रहूंगा। इन्हीं की कृपा से यह अनुवाद कार्य समाप्त कर सका हूँ।

स्व. श्रीमान् सेठ रामचन्द्रजी खिन्दूका इस अनुवाद को पूर्ण नहीं देख सके, इसका मुझे दुःख है।

अस्तु परमात्मा दिवंगत

आत्मा को शान्ति

प्रदान करें।



धोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

~~232-7~~

स्मान्त

काल नं० 232-7

लेखक श्री प्रधानाचार्य सप्तन्त

शीर्षक मुन्तपन्तुशासनम्

8382

खण्ड

क्रम संख्या